शुक्रवार, 13 अगस्त 1982

22 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 24, शुक्रवार, 13 अगस्त, 1982/22 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 470 से 479	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—204
तारांकित प्रश्न संख्या : 480 से 489	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5221 से 5458	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 दिनांक 26-2-82, अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 दिनांक 26-2-82, अतारांकित प्रश्न सख्या 8175 दिनांक 16-4-82 और अतारांकित प्रश्न संख्या 9456 दिनांक 23-4-82 में शुद्धि करने वाले विवरण	204—205
मन्त्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	205—207
सभा पटल पर रखे गये पत्र	207—214
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बैठकों के कार्यवाही-सारांश	214
विधेयक पर अनुमति	214—216
लोक लेखा समिति	216—217
114वां, 115वां और 120वां प्रतिवेदन	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	217—232
भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में विलम्ब का समाचार	
श्री रणवीर सिंह	217
श्री के० पी० सिंह देव	221
श्री राजेश पाइलट	223
श्री तारिक अनवर	231

*किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
महाराष्ट्र में दाभोल बंदरगाह के विकास के बारे में याचिका	232
हल्दिया गोदी समूह का प्रबंध कलकत्ता पत्तन न्यास से पृथक करने के प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य	233—234
श्री वीरेन्द्र पाटिल	
कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति की स्थापना करने के बारे में वक्तव्य	234—235
श्री शिवराज वी० पाटिल	
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक	235—236
संयुक्त समिति में एक सदस्य को नियुक्ति करने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति	
विधेयक पुर:स्थापित	236—237
(एक) भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक	236
(दो) सिक्किम स्टेट बैंक (शेयरों का अर्जन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक	236—237
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक	237—239
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति का प्रस्ताव	
नियम 377 के अधीन मामले	239—250
(एक) गुजरात में एक नाइलोन-6 परियोजना स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री अहमद मोहम्मद पटेल	239—240
(दो) केरल में पालघाट में एक रेल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	240
(तीन) एशियाई खेलों के दौरान पर्यटन का विकास करना तथा विदेशी पर्यटकों को बिहार में जाने के लिये व्यवस्था करना	
श्रीमती माधुरी सिंह	240—241
(चार) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के क्षेत्राधिकार में आने वाले चित्रकूट शहर का विकास करने की आवश्यकता	
श्री रामनाथ दुबे	241

विषय पृष्ठ

(पांच) कानूनी तौर पर स्थापित कर्मचारी कैंटीनों के रेल कर्मचारियों की समस्यायें

श्री बासुदेव आचार्य 241—242

(छः) अहमदाबाद और खेड़ब्रह्मा तथा अहमदाबाद और उदयपुर के बीच रेल सेवा में सुधार करने की आवश्यकता

श्री शांतुभाई पटेल 242

(सात) गुजरात में पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता

श्री आर० वी० गायकवाड़ 242—243

(आठ) दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी का प्रयोग

श्री के० टी० कोसलराम 243

(नौ) तमिलनाडु में मछली उद्योग तथा मछुओं की दशा को सुधारने की आवश्यकता

श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन 243—244

(दस) कच्चा काजू वसूली योजना के लिये केरल को अतिरिक्त ऋण देने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन 244

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में किछाऊ बांध का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री राम लाल राही 244—245

(बारह) फलों की ढुलाई के रेल भाड़े को कम करने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद 245

(तेरह) उत्तर प्रदेश और बिहार में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनायें

श्री रामविलास पासवान 245—247

(चौदह) इटारसी में डाक का वितरण न किये जाने का समाचार

श्री रामेश्वर नीखरा 247—248

विषय	पृष्ठ
(पन्द्रह) तमिलनाडु में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं तथा विद्यालयों पर कथित वित्तीय भार	
श्री अब्दुल समद	248—249
(सोलह) हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित नंगल-तलवाड़ा नई रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये अधिक धनराशि का नियतन	
प्रो० नारायण चन्द पराशर	249—250
सभा का कार्य	250—252
प्रधानमन्त्री की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की यात्रा के बारे में वक्तव्य	252—255
श्री पी० वी० नरसिंह राव	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 48वां प्रतिवेदन	255
पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कदम उठाने के बारे में संकल्प	256—283
श्री मल्लिकार्जुन	256
श्री चित्त बसु	258
श्री जगपाल सिंह	262
श्री केयूर भूषण	264
श्री हरीश कुमार गंगवार	266
श्री सुधीर गिरि	268
श्री भोगेन्द्र झा	269
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	270
श्री एस० बी० चव्हाण	271
श्री बाजूबन रियान	281
सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प	283—293
श्री के० लकप्पा	

लोक-सभा

शुक्रवार, 13 अगस्त, 1982/22 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन-सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी, श्री बी० एल० सोंधी, के निधन की सूचना देनी है। वह वर्ष 1947-50 के दौरान पूर्व पंजाब से संविधान सभा के तथा 1950-52 के दौरान अस्थायी संसद के सदस्य रहे थे।

एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में सक्रिय भाग लिया कारावास भोगा।

उनका निधन 1 अगस्त, 1982 को 82 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे आशा सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरा साथ देगी।

सभा अपना शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े हुए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी पूंजी निवेश के लिए उदार की गई नीति

*470. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी पूंजी के निवेश की शर्तों को हाल ही उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उदार की गई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार की निवेश नीति बराबर चयनात्मक बनी हुई है और इसके अन्तर्गत परिशिष्ट-I में दर्ज उद्योगों, उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों तथा निर्यात-प्रधान उत्पादन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत है। इस नीति के समूचे ढांचे में रहते हुए, पूंजी के निवेशों की अधिस्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई एक उपाय किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है, उनको, सामान्य उत्पादन में वृद्धि करने, निर्यात के लिए पहले से अधिक उत्पादन करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की प्रक्रियात्मक व्यवस्था करने के प्रयोजन से स्पष्टतया निरूपित कर दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के निश्चयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। स्वचालित उद्योगों के विकास की अनुमति देकर तथा उत्पादन की पिछली प्रवृत्तियों की परिपेक्ष्य में क्षमता के उपयोग का पुन: अनुमोदन करके, उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री चित्त बसु : माननीय मन्त्री को इस तथ्य की जानकारी है अथवा नहीं, कि वित्त मन्त्रालय ने हाल ही में एक नोट जारी किया है जिसके अनुसार विदेशी निवेशकर्ताओं द्वारा उच्च इक्विटी भागीदारी अर्थात् 40% से अधिक को छोड़कर लाभों और लाभांशों का निवेश करने के प्रतिबंधों में और छूट दी गई है, जो सामान्य नियम है, इस वर्ष तक की दीर्घावधि तक उसकी स्वीकृति की छूट दी गई है, जबकि 8 वर्ष की छूट देने की सामान्य प्रक्रिया है और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक में भी विदेशी सहयोग की सम्भावना बढ़ाने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो वे कारण क्या हैं जिन्होंने सरकार को ऐसी उदारता बरतने और नई रियायत देने को बाध्य किया ? क्या माननीय मन्त्री सभा को यह बताएंगे कि क्या विदेशी निवेशकर्त्ताओं को इस प्रकार की नई रियायतें देने से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अधिक विदेशी दबावों में आ जायेंगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, सर्वप्रथम तो प्रश्न के अन्तिम भाग के लिये मेरा उत्तर है 'जी नहीं।' जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के बारे में अपने वक्तव्य में कहा है, हम उन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं जिनमें हमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और जिनमें निर्यात की अधिक सम्भावना है और यह कुल मिल कर परिशिष्ट-I में दर्ज उद्योगों तक सीमित है। जहां तक उदारता के सम्बन्ध हैं, यह तथाकथित उदारता, हाल में कोई नयी प्रस्ताव नहीं है और कुछ समय पूर्व, यदि मैं सही हूं, तो 1975-76 में, एक विचार व्यक्त किया गया था कि क्या कुछ प्रकार के उद्योगों में—जहां तक विदेशी इक्विटी को कम करने का सम्बन्ध है—51 प्रतिशत शेयर ठीक रहेगा। और कुछ मामलों में, अलग-अलग मामले की गुणवत्ता के आधार पर, एक या दो सीमित मामलों में अनुमति दी गई थी। और आगे ऐसी तथाकथित उदारता बरतने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कतिपय क्षेत्रों में, विशेषकर वहां जहां पर लाइसेन्सीकृत क्षमता में अपने आप विकास और अपने आप निवेश की अनुमति देकर निवेश की और उच्च उत्पादन की सम्भावना है, हमने इसकी अनुमति दी है। इन नीतियों का उद्योग मन्त्री ने अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। जैसा कि मैंने कहा, हमारा उद्देश्य निवेश प्राप्त करना है—हम चयनात्मक हैं और हमें अनेक क्षेत्रों से इस आलोचना का सामना करना पड़ता है कि विदेशी निवेशों की सम्भावना के सम्बन्ध में हम खूब चयन से काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए इसको उदार बनाने का प्रश्न ही नहीं आता है।

श्री चित्त बसु : बहरहाल, उत्तर अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

मेरा दूसरा प्रश्न। क्या मैं एक तथ्य यह भी जान सकता हूं कि प्रधान मन्त्री हाल ही में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान अमरीकी व्यापारियों से मिली थीं और उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था की उदारता और विदेशी निवेश की उदारता का विश्वास दिलाना चाहा था। यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री सभी को यह बताएंगे कि इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी और अमरीका की ओर से क्या उत्तर मिला था ?

श्री प्रणव मुखर्जी : बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जहां तक मुझे पता है प्रधान-मन्त्री ने कभी किसी व्यापारी से भेंट नहीं की थी अथवा हमारी उदारता की कोई बात नहीं की थी। और हम अपने दरवाजे खुले रखने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते हैं।

श्री चित्त बसु : समाचार पत्रों में यही छपा था।

श्री प्रणव मुखर्जी : समाचार पत्र तो कुछ भी कह सकते हैं। अतः, हमें समाचार पत्रों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। जहां तक हमारी विदेशी निवेश नीति का सम्बन्ध है, इसे स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम नई नीति बना रहे हैं। 1956 का औद्योगिक संकल्प मूल प्रमुख सिद्धान्त है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए कुछ परिवर्तन, संशोधन अवश्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मूल सिद्धान्तों और उद्देश्यों से कोई समझौता नहीं किया गया है।

श्री नीरेन घोष : महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्हें प्रश्न खड़े होकर ही पूछना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता हूं।

श्री नीरेन घोष : महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि अनेक विदेशी कम्पनियों को, जोकि भारत में नियमित भी नहीं हैं, 51 प्रतिशत से अधिक के इक्विटी शेयर की अनुमति दी गई है और इस तथ्य को देखते हुए बार-बार कहा जा रहा है "उच्च प्रौगोगिकी क्षेत्र" यद्यपि वे देश में सामान्यतया प्रौद्योगिकी का ही आयात कर रहे हैं, जहां तक पता है वे पुरानी और अप्रचलित हैं। एफ० ई० आर० ए०, एम० आर० टी० पी० आदि के अन्तर्गत आने वाली कितनी कम्पनियों अनुमति दी गई है ? उनके नाम क्या हैं, इक्विटी साझेदारी का 50 प्रतिशत से अधिक किसे मिल रहा है ? क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी और विदेशी निवेश पर अधिक निर्भर नहीं हो जाएगी जिससे कि हम लातीनी अमरीका की तरह उन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक उदारता का प्रश्न है, मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक हमारी नीति का संबन्ध है, हमें पता है हमें किस क्षेत्र में विदेशी निवेश की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में विदेशी निवेश बन्द है। यह बता भी दिया गया है। मुझे इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सदस्य के इस सुझाव के सम्बन्ध में कि कतिपय क्षेत्रों में पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दे रहे हैं, हमें विशेषज्ञों की बात माननी है न कि माननी

सदस्य की विशेषज्ञता की । इसके लिये एक नियत प्रक्रिया है और हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं । यदि कतिपय विशिष्ट मामले उनके ध्यान में आते हैं, तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं । आम तौर पर यह होता है कि हम व्यापार विकास महानिदेशालय डी० जी० टी० डी० से स्वीकृति प्राप्त करते हैं और हम अन्य विभिन्न विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करते हैं कि क्या स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, क्या हमारे पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी उच्च स्तर की है और क्या आयात की जा रही प्रौद्योगिकी का आयात करना हमारे देश के लिए आवश्यक होगा । इन सभी बातों पर विचार करना होता है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई निर्णय करते हैं । इसलिए, अप्रचलित प्रौद्योगिकी अनुमति देने का प्रश्न नहीं है । जहां तक इसका सम्बन्ध है कि क्या हम अत्यधिक चयन करते हैं, हम केवल उच्चतम प्रकार की प्रौद्योगिकी नहीं चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि वह प्रौद्योगिकी हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अन्तरित हो ताकि हम उसे अपना सकें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकें ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विदेश सम्बन्धों के उप महानिदेशक तथा यूरोपीय आर्थिक समिति प्रतिनिधिमंडल के नेता, जिन्होंने फरवरी, 1982 में भारत का दौरा किया था, ने सरकार से विदेशी निवेश की शर्तों को और अधिक उदार बनाने के लिए सिफारिश की थी ताकि देश में और अधिक में विदेशी पूंजी आ सकें और उस सन्दर्भ में, मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय और उच्च आर्थिक शक्ति वाली कम्पनियों को लघु क्षेत्र में न घुसने देने और उन्हें केवल मध्यम और लघु क्षेत्र उद्योगों तक सीमित रखने की नीति पर दृढ़ रहेगी । मैं यह प्रश्न पूछने के लिए इसलिए प्रेरित हुआ हूं क्योंकि चौधरी साहब सभा में उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अतः, आपने चौधरी साहब के कारण यह प्रश्न किया है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जब भी हम किसी विदेशी पदाधिकारी अथवा विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि वे अपने विचार व्यक्त करते हैं और हम अपने हम उन्हें अपनी नीतियां स्पष्ट करते हैं । इसलिए, किन्हीं क्षेत्रों से मात्र एक सुझाव से यह नहीं समझना चाहिए कि हम उसे स्वीकार कर रहे हैं । हम उस पर विचार करते है; हम उन्हें अपनी नीतियां स्पष्ट करते हैं । जहां तक हमारी नीतियों का सम्बन्ध है वे साफ तौर से बता दी गई हैं । यहां तक कि अपने आप विकास अथवा बढ़ाई गई लाइसेन्सीकृत क्षमता के मामले में भी हमारे औद्योगिकीकरण का मूलभूत सिद्धान्तों में से एक यह है कि यदि कोई वस्तु लघु उद्योग के लिए आरक्षित की गई है, तो न तो अपने आप विकास को ही और न ही बढ़ाई गई क्षमता को लायसेंस-क्षमता से अधिक मात्रा में उन क्षेत्रों में आने की अनुमति दी जायेगी जो केवल लघु उद्योगों के लिये विशिष्ट रूप से आरक्षित हैं ।

श्री के० मायातेवर : श्रीमन्, वर्ष 1954 में, पण्डित नेहरू ने अपनी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में यह घोषणा की थी कि 1954 से आगे कांग्रेस पार्टी समाज के समाजवादी स्वरूप प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा ।

उन्होंने राष्ट्र से कहा है कि वे समाजवाद से बहुत अधिक सम्बद्ध तथा उसके प्रति कृत-संकल्प हैं और वे समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

अब, विदेशों से तकनीकी सहायता मांगने और हमारे औद्योगिक विकास तथा आर्थिक उन्नति के लिए विदेशो से वित्तीय निवेश स्वीकृत करने के बारे में अन्तर है। इसलिये, मैं महोदय से, जो मेरी दृष्टि से और मेरी पार्टी की दृष्टि से एक योग्य मन्त्री हैं, एक योग्य प्रशासक हैं, जानना चाहता हूं कि···

एक माननीय सदस्य : उनकी पार्टी की दृष्टि से ?

श्री के० मायातेवर : मेरी पार्टी की दृष्टि से और मेरी दृष्टि से भी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गलती से वे इस तरफ बैठ रहे हैं। उन्हें उस तरफ बैठना चाहिए था।

श्री के० मायातेवर : हमारी औद्योगिक उन्नति के लिए विदेशी निवेश की ओर ध्यान दिलाने से पहले मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने हमारे अग्रणी उद्योगपतियों को कोई सुअवसर दिया है, जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, जो निवेश करने में समर्थ हैं। क्या इस सरकार ने उस स्थिति का पहले मूल्यांकन किया है, क्या हमारे देश के उद्योग-पतियों या आर्थिक सम्पन्न लोगों को विदेशी सहायता मांगने से पहले निवेश करने के लिए कोई प्राथमिकता दी गई थी ?

दूसरी बात यह है कि क्या हम विदेशों से तकनीकी सलाह और वित्तीय निवेश मांग रहे हैं अथवा क्या हम केवल तकनीकी सलाह मांग रहे हैं या केवल वित्तीय निवेश की मांग कर रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हमारी नीति यह है कि हम अपने देश के उद्योग को प्रोत्साहन दें। यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश में निगमित क्षेत्र में कुल निवेश में से, जो कि देश में 60,000 करोड रु० के निकट है, विदेशी संचित निवेश 2,500 करोड़ रु० है और प्रतिशत के रूप में यह 4.2% से थोड़ा सा अधिक है। इसलिए, सदस्यों को इस पर अनावश्यक रूप से चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। इन अनेक क्षेत्रों मे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं परिशिष्ट-1 के उद्योगों, कोर क्षेत्र, अधिक निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों और उच्च प्रौद्योगकी क्षेत्रों तक सीमित हैं। इस चयन के बारे में हम कुछ संकीर्ण हैं। हमें अन्य स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं यह हमारी नीति नहीं है कि हम अपने दरवाजे खुला रखें और वे सबके लिए हों। लेकिन इसके साथ जब कभी हम यह देखते हैं कि यह आवश्यक है और हमारी नीति इसकी अनुमति देती है, तो हम विदेशों से निवेश करने में संकोच नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० मालन्ना।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक छोटा सा प्रश्न है। इसमें आधा मिनट लगेगा। मैं इसे योग्य मन्त्री जी से पूछ रहा हूं।

मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सदन को 1980 से हुए वास्तविक सहयोग-करारों और 1980 से विदेशी कम्पनियों द्वारा किये गये वास्तविक निवेश की जानकारी दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने किसी दूसरे संदर्भ में इसके आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वे आंकड़े इस समय तैयार नहीं हैं।

लेकिन मैं कहता हूं कि कुल संचित विदेशी निवेश 2,500 करोड़ रु० के निकट होगा। इस प्रश्न के बारे में कि 1980 में हमने वित्तीय निवेश और तकनीकी सहयोग के कितने मामले स्वीकृत किए थे, हमने वित्तीय निवेश के 73 मामले स्वीकृत किये थे। 1981 में हमने 57 मामले स्वीकृत किये थे। इन स्वीकृत मामलों में से वास्तव में कितने मामलों को कार्यान्वित किया गया है, इसके बारे में आंकड़े एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

पाकिस्तान द्वारा दूरी तक ऊंचाई पर मार करने वाले राकेटों का निर्माण

*471. †**श्री के० मालन्ना** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ध्यान 20 जुलाई, 1982 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने दूरी तक ऊंचाई पर मार करने वाले राकेटों का निर्माण शुरू कर दिया है और उन्हें छोड़ने, मानिटर करने तथा उन्हें उड़ान में ही नष्ट करने की सभी आधुनिकतम सुविधाएं हासिल कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा तथा गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जी हां।

(ख) पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करते समय सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रख ली है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

श्री के० मालन्ना : पाकिस्तान ने लम्बी दूरी तथा बहुत ऊंचाई तक मार करने वाले राकेटों का निर्माण शुरू कर दिया है और उन्हें छोड़ने, मानिटर करने तथा उन्हें उड़ान में ही नष्ट करने की सभी आधुनिकतम सुविधाएं हासिल कर ली हैं ये सैन्य हथियार अधिकांशतः आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं पर आधारित हैं

इस सम्बन्ध में क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इन अत्याधुनिक राकेटों व सैन्य हथियारों से भारत की सुरक्षा के लिये खतरा है, और यदि हां, तो क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए उनका सामना करने में सक्षम हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : राकेट और मिसाइल सचमुच खतरनाक शस्त्र हैं, इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान सरकार ने उन्हें हासिल किया है या नहीं इसकी हम सरकारी तौर पर पुष्टि या खण्डन नहीं रह सकते। अन्य सूचनाओं की भांति हमें उनके द्वारा ऐसे शस्त्र हासिल करने की सूचना भी मिली है। हम उस जानकारी को भी एकत्र व मानि-

टर करते हैं जिसे हम अन्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते है। इसलिए हम इस स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है कि उनके पास काफी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल और राकेट आदि हैं।

श्री के० मालन्ना : मेरा दूसरा प्रश्न है। इन हथियारों के निर्माण में और तकनीकी जानकारी के बारे में जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, इसमें काफी सुधार हुआ है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अन्य देश पाकिस्तान को इन वस्तुओं के निर्माण में सहायता कर रहा है ? यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं।

एक माननीय सदस्य : सोवियत संघ।

श्री आर० वेंकटरामन : हमने उन कुछ देशों की रिपोर्टें देखी हैं जो इस प्रकार का साज-सामान आदि दे रहे हैं। हमने वह जानकारी एकत्र की है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मन्त्री ने यह कहा है कि हमें और सोर्सेज से भी इत्तिला मिली है। इस खबर के बाद जुलाई में कितनी बार पहले भी उनको और खबर मिली और उन्होंने अब तक क्या काम किया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : हम उस जानकारी को नहीं बता सकते हैं। मुझे खेद है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री जी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा···

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे कुछ कहलवा रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उन्हें उकसाने की कोशिश करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें फाकलैंड युद्ध की जानकारी है, जहां राकेटों, विशेष रूप से इक्सोसेट या जो भी उसका नाम हो, ने विध्वंसक भूमिका अदा की थी और लेबनान लड़ाई में इलेक्ट्रोनिक राकेटों से लैस एफ०-16 विमानों ने सीरिया के मिग-23 को 1:40 के अनुपात में नष्ट कर दिया—एक एफ-16 विमान 40 मिग-23 विमान नष्ट करने में समर्थ रहा है—और यदि हां, तो उस दृष्टि से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दिये जाने वाला टी० ओ० डब्ल्यू० मिसाइल खरीदने से इन्कार कर दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा मन्त्रालय अन्तरिक्ष विभाग के साथ या तो राकेटों के लिए सामग्री के आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे बनाने या उन्हें विदेश से खरीदने के बारे में एक व्यापक कार्यक्रम बनायेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : सरकार फाकलैंड युद्ध और मध्य-पूर्व युद्ध से मिले अनुभवों का गहराई से अध्ययन कर रही है। वस्तुत: हमने अपने विशेषज्ञों को युद्धों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर लगाया है जो अभी हुए है। जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है कि एफ-16 ने 40 मिग-23 आदि को गिराकर नष्ट कर दिया, मैं इस जानकारी को ग्रहण करता हूं क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी लेता हूं चाहे वह सही हो या गलत, अच्छी हो या बुरी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी ने भी उसमें शामिल किया गया है।

श्री आर० वेंकटरामन : हां, श्रीमान जी । क्योंकि यह रक्षा का मामला है । यद्यपि अन्य मामलों में डा० स्वामी से जानकारी नहीं लेता लेकिन रक्षा के मामले में मुझे तैयार रहना होता है । अत: मैं सभी सूचनाओं को प्राप्त करता हूं और तब मैं उन सूचनाओं की पुष्टि करने की कोशिश करता हूं ।

जोधपुर का दर्जा बढ़ाया जाना

*472. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर की जनसंख्या के सम्बन्ध में जनगणना आयुक्त से आंकड़े प्राप्त हुए हैं;

(ख) जोधपुर का दर्जा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कार्यवाही नहीं की है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना के अब तक केवल अनन्तिम आकड़े ही प्राप्त हुए हैं । चूंकि नगरों का वर्गीकरण किए जाने दर्जा बढ़ाये जाने का निर्णय केवल जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए जोधपुर के दर्जा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में 1981 की जनगणना के अन्तिम आंकड़ों के प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा, और इन आंकड़ों की भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त से अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि राजस्थान में जोधपुर दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा शहर है और अपने आप में बहुत महत्व रखता है । पिछले लम्बे अर्से से जब जोधपुर शहर वह तमाम मापदंड पूरे कर चुका है जो हिन्दुस्तान के किसी भी शहर को बी-II श्रेणी प्रदान करने के लिये आवश्यक होते हैं । मेरा निवेदन है कि मंत्री जी ने जो बात अभी रखी कि जनगणना आयोग ने फाइनल फिगर्स मिनिस्ट्री को नहीं दिये हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि जब अन्तिम आंकड़े आ जायेंगे, उसके आधार पर इसे बी-II श्रेणी में किया जा सकता है ? अगर किया जा सकता है, तो वह जोधपुर शहर को कब तक बी-2 शहर घोषित कर देंगे, जिससे वहां के केन्द्रीय कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे मिल सकें ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : जोधपुर के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरी जन-गणना के पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो अन्तरिम आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके हिसाब से जोधपुर की आबादी 4,93,609 है । केन्द्रीय शासन ने निर्णय लिया है कि जन-गणना के आंकड़ों के फल-स्वरूप अपग्रेडेशन का लाभ 1 अगस्त, 1982 से लागू होगा । माननीय सदस्य के मन में जो चिन्ता है कि जोधपुर को अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला है, वह चिन्ता केन्द्रीय शासन को भी है । इसी-लिए उसने यह निर्णय लिया है कि अन्तिम आंकड़े कभी भी प्राप्त हों, अपग्रेडेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इंफेक्ट होगा, वह पिछली तारीख से प्रभावशाली होगा । किसी शहर को बी-2 घोषित करने के लिए उसकी आबादी 4 लाख से ऊपर होनी चाहिए । यदि जोधपुर की आबादी के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े भी यही रहे, तो वह बी-2 जरूर होगा । मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से पूरी

तरह परिचित हूं। उन्होंने इस बारे में निरन्तर पत्र-व्यवहार किया है और वहां की जनसंख्या की वृद्धि में भी काफी रुचि ली है।

श्री अशोक गहलोत : मैं इस आश्वासन के लिए मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसे कितने शहर हैं, जो अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार बी-2 श्रेणी प्राप्त करेंगे और उनके बी-2 घोषित होने के कारण केन्द्रीय सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस समय वार्षिक खर्चा 124.17 करोड़ रुपए है। महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करने से मकान भत्ते और नगर प्रतिपूरक भत्ते पर बढ़ा हुआ अतिरिक्त खर्च 76 करोड़ रुपये है, 1981 की जनगणना के आधार पर मकान भत्ते और नगर प्रतिपूरक भत्ते के वर्गीकरण और उन्नयन से 28.38 करोड़ रुपये का और अतिरिक्त खर्च होगा। इस तरह यह खर्च लगभग 228.55 करोड़ रुपये वार्षिक होगा।

श्री मूलचन्द डागा खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आपको जोधपुर में क्यों रुचि है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं सभी शहरों और सभी स्थानों से सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं लेकिन वह एक बहुत लम्बी सूची हो जाएगी।

1971 की सैन्सस के मुताबिक 336 शहर ए, बी-1, बी-2 और सी श्रेणी में हैं। 1981 की सैन्सस के प्रविजनल फिगर्ज के मुताबिक यह संख्या 336 से 510 हो जाएगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जयपुर और जोधपुर के अलावा अजमेर भी एक ऐसा शहर है जो बी श्रेणी में आना चाहिए। क्या उसको बी श्रेणी में लिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह अप्रासंगिक है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : यह जनसंख्या पर निर्भर करेगा।

श्री नारायण चौबे : केवल जनसंख्या पर ही नहीं, मुझे मालूम है कि कुछेक ऐसे शहर हैं जिन्हें बी-2 शहर घोषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या जोधपुर के बारे में कोई बात है। यह जोधपुर से सम्बन्धित है।

श्री नारायण चौबे : इन्होंने 4 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बों और शहरों के बारे में बताया है। लेकिन न तो दुर्गापुर और न ही आसनसोल की आबादी 4 लाख है, लेकिन उन्हें बी-2 श्रेणी के शहर घोषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

पूर्णिया-पटना-रांची मार्ग के लिये वायुयान सेवा

*473. **श्री तारिक अनवर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर-पटना-रांची मार्ग पर वायुदूत सेवा घाटे में चल रही है क्योंकि बहुत ही कम यात्री पटना से मुजफ्फरपुर और वहां से वापस आने के लिए यात्रा करना चाहते हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यदि इस सेवा को पूर्णिया-पटना-रांची मार्ग से चलाया जाये तो इसके लिए अधिक यात्री आकर्षित होंगे और यह लाभ में चलेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि वायुदूत सेवा को दूसरे मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पटना/मुजफ्फरपुर सैक्टर की वायुदूत सेवा को इस सैक्टर पर भार अनुपात लगातार रूप से ही कम होने के कारण बन्द कर दिया गया है परन्तु पटना/रांची सैक्टर की उड़ान का अभी भी परिचालन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) पूर्णिया-पटना-रांची मार्ग पर सेवाओं की समयावली में परिवर्तन करने पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब पूर्णिया का हवाई अड्डा वायुदूत परिचालनों के लिए तैयार हो जाए । इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है ।

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष जी, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है कि पूर्णिया का एयर-फिल्ड ठीक न होने के कारण अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया है । जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक पूर्णिया एयर फिल्ड ठीक करने के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना या सम्भावना नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर कोई ऐसा ठोस कदम उठाया गया है या नहीं और कब तक वह एयरफिल्ड ठीक हो जाएगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जैसा कि मैंने बताया है अपने मूल प्रश्न के उत्तर में कि वहां जो एयर फिल्ड है उसको ठीक करने की दिशा में कार्यवाही हो रही है । उस पर करीब-करीब 104.26 लाख रुपए उस पर खर्च होंगे । जहां तक वायु सेवा चलाने का सवाल है, अगला जो वायुदूत सेवा का शैड्यूल तैयार हो रहा है, उसमें हम आशा करते हैं कि वहां रन-वे उस समय तक ठीक हो जाएगा और हम वहां पर इस सेवा को चला सकेंगे ।

एक बात और मैं माननीय सदन और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उस एयर-फिल्ड के लिए हमने डिफेंस से परमिशन मांगी है और उनकी तरफ से ही परमिशन हमें मिल जाएगी, हम वहां सेवा को सुचारू रूप से चलायेंगे । मैं आशा करता हूं कि अक्तूबर के महीने में हम इस सेवा को चला सकेंगे ।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने वायुदूत सेवा चलाने के लिए क्या मापदंड तय किया है ? नागपुर जो इस देश का मध्य-वर्ती स्थान है और दूसरी राजधानी भी कहलाता है, इस सेवा का क्या लाभ मिल सकेगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नागपुर के लिए इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा सेवा चलाई जाती है। इसलिए नागपुर के लिए वायुदूत सेवा चलाने का प्रश्न नहीं है।

श्री अशफाक हुसैन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गोरखपुर के बीचऔर गोरखपुर व वाराणसी के बीच कोई हवाई सेवा इस समय नहीं है। गोरखपुर से दिल्ली के बीच जो इंडियन एयर लाइन्स की सेवा है, वह भी केवल हफ्ते में केवल चार दिन है। गोरखपुर और पटना के बीच कोई सेवा नहीं है। क्या मन्त्री महोदय गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी और गोरखपुर से पटना के बीच सेवा चलाने का विचार करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित प्रश्न वायुदूत सेवा का है, इंडियन एयर लाइन्स का नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने हवाई सेवा की बात कही है, उसके सम्बन्ध में हम लोग विचार करेंगे।

श्री डी० एल० बैठा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मुजफ्फरपुर और पटना की सेवा को विड्रा कर लिया है। अभी पूर्णिया को आप उसी से जोड़ना चाहते हैं या उसके लिए अलग से सेवा शुरू करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : पूर्णिया को पटना से जोड़ें, मुजफ्फरपुर से नहीं ?

कर्नाटक में पिगमी जमा खातों का चालू रहना

*474. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि कर्नाटक में बंगलौर शहर टुमकर तथा अन्य स्थानों पर बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक नए पिगमी खाते (छोटे दैनिक जमा खाते) नहीं खोल रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लोग बड़ी संख्या में इन खातों के लिए धनराशि एकत्रित करके कमीशन पाते हैं; और अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पिगमी जमा खाता (लघु जमा खाते) योजना जारी रखने के लिए बैंकों को आवश्यक अनुदेश देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बैंकों के अनुसार, अधिकांश दैनिक जमा संग्रहकर्ता केवल बैंकों से कमाए गए कमीशन पर ही निर्भर नहीं हैं और जहां बैंकों ने नए खाते खोलने बन्द भी कर दिए हैं, वहां जमा संग्रहकर्ता मौजूदा खातों की सेवा करते रहेंगे और कमीशन अर्पित करेंगे।

(ग) इस स्कीम को जारी रखने की संभाव्यताओं की जांच करने के वास्ते सरकार, भारतीय बैंक संघ (आई० बी० ए०) से कह चुकी है।

श्री टी० आर० शमन्ना : महोदय, लघु जमा अथवा लघु दैनिक जमा योजना का उद्देश्य छोटे-व्यापारियों, छोटे शिल्पकारों, दर्जियों अथवा दैनिक मंजूरी पाने वालों आदि से प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह एक अथवा दस रुपये एकत्र करना है। इस योजना में अंशदान से उपर्युक्त वर्गों के लोग अपनी कमाई का कुछ अंश बचा सकते हैं। इन वर्गों के लोग सामान्यतया कोई बैंक खाता नहीं खोलते लेकिन इस लघु जमा से उन्हें बचत करने में सहायता मिलती है। दूसरे, इन मुश्किल के दिनों में यह योजना निर्धन और बेरोजगार लोगों को कमीशन के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने में सहायता करती है। यह योजना विशेषकर तुमकुर और बंगलौर में जहां कि जमा राशि एकत्र करने वाले 4,000 एजेंट हैं, बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी द्वारा दिए गए उत्तर के पाठ में यह कहा गया है कि हमने आई० बी० ए० को पहले ही अनुदेश दे दिए हैं कि वह इस योजना को जारी रखने की व्यवहारिकता की जांच करे। इसका मन्तव्य इस योजना को समाप्त करने का नहीं है लेकिन हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि इन जमाराशियों को एकत्र करने की क्या लागत होगी, और इस सम्बन्ध में विरोधी सूचना प्राप्त हो रही है—कभी यह कहा जाता है कि निक्षेप एकत्र करने की लागत बहुत अधिक है और कभी यह कहा जाता है कि ऐसी बात नहीं है। हम भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश जारी कर रहे हैं कि वसूली करने की वास्तविक लागत के बारे में अध्ययन किया जाए और यदि हमें यह पता चलता है कि हम इस योजना को अधिक किफायती ढंग से चला सकते हैं तो इसे जारी रखने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी।

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या माननीय मन्त्री इस बात से सहमत होंगे कि यह लघु जमा योजना अप्रत्यक्ष रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सहायक है। यह सच नहीं है कि राष्ट्रीकृत बैंक अपने तुलन-पत्रों की ऊपरी दिखावट के लिए संस्थागत जमाराशियां प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि लघु जमा से अधिक लाभ नहीं होता और इसमें अधिक काम करना पड़ता है, इसलिए वे इन जमाराशियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। क्या माननीय मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि बैंकों को पुराने लघु जमा खाते जारी रखने और साथ ही नए लघु खाते शुरू करने के लिए कड़े अनुदेश दिए जाएंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस योजना को जारी रखने के अनुदेश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मैंने उनसे कहा है कि वे इसकी जांच करें कि इसे किस प्रकार अधिक किफायती और व्यवहार्य बनाया जाए तथा वे इस बात का अध्ययन करेंगे कि इन जमाराशियों की वसूली-लागत क्या होगी।

श्री के० लकप्पा : महोदय, जमाराशियों तथा लम्बे समय से समूचे कर्नाटक राज्य में प्रचलित इस लघु जमा प्रणाली के माध्यम से जमाराशियों की वसूली करने के दो प्रकार हैं। यह भी बताया गया है—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है—कि लघु जमाराशियों को वसूली करने वाले एजेन्ट उचित खाता नहीं रखते। माननीय मन्त्री ने कहा है कि रिजर्व बैंक उपाय ढूंढ़ रहा है और जमाराशियों की वसूली करने वाले लोगों के इस वर्ग के लिए कोई मार्ग-निर्देश जारी करेगा ताकि उनके चाल-चालन की जांच की जा सके। इस जमा योजना को चाहिए कि यह संगठनों, संस्थानों आदि से भी जमाकर्ताओं को आकर्षित करे तथा वह धन केवल राष्ट्रीकृत बैंकों में ही जमा कराया जाए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन मार्ग-निर्देशों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पालन सुनिश्चित जा रहा है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : कभी-कभी हमें शिकायतें मिलती हैं कि वसूल किया गया धन जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार की शिकायतें जमाकर्ताओं से प्राप्त होती हैं। लेकिन, 'लोगों की जांच करने, किस प्रकार के लोगों को एजेन्ट नियुक्त किया जाए', आदि के सम्बन्ध में मैंने रिजर्व बैंक से कहा है कि वे इस योजना के माध्यम से धन एकत्र करने की लागत के सभी पहलुओं की जांच करें। यदि हम यह पाते हैं कि धन एकत्र की लागत लाभकारी नहीं है तो इसे जारी रखने की जरूरत नहीं है। अत: मैंने रिजर्व बैंक से कहा है कि वे इसकी जांच करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और तत्पचात हम इसके बारे में निर्णय ले सकेंगे।

भारत-चीन वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल

*475. श्री भीकूराम जैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने चीन को भारतीय उत्पाद बेचने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था;

(ख) क्या मशीनरी और उपकरण का निर्माण करने के उद्देश्य से सहयोग करने हेतु कोई समझौता हुआ था; और

(ग) क्या दोनों देशों के उत्पादों को एक दूसरे के देशों में बेचने के लिये कोई व्यवस्था की गई थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत-चीन वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने चीन की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद के निमन्त्रण पर चीन का दौरा किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री भीकूराम जैन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जून के प्रारम्भ में एक शिष्ट मंडल ने चीन का दौरा किया था तथा यह देखते हुए कि "काउंसिल आव चाइनीज पीपल" के साथ चर्चा हुई थी और यह निर्णय किया गया था कि व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत और चीन, दोनों देशों में भारतीय उत्पादों की स्थायी प्रदर्शनियां लगाई जाएं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इन प्रदर्शनियों की स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह शिष्टमंडल भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। यह 26 सदस्यों की एक छोटी सी सोसायटी है जो ये कार्य स्वयं ही कर रही है। वे वहां "पीपल्ज चैम्बर आव चाइना" के निमन्त्रण पर गए थे।

श्री भीकूराम जैन : मैं यह जानना चाहता हूं कि दो देशों के बीच व्यापार, जो इस समय केवल 5.6 करोड डालर का है, के विकास के सम्बन्ध में भारतीय व्यापारियों और चीन के व्यापारियों के बीच हुई वार्ता के अनुसरण में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 15 करोड़ डालर।

श्री भीकूराम जैन : क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि दोनों देशों की बीच व्यापार बढ़े ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार वास्तव में चाहती है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन यह कार्य चरण-वार किया जाना है, यदि कोई संगठन जिसे भारत सरकार ने प्रायोजित नहीं किया हो, वहां जाता है तो यह देखना है कि उसे कितना महत्व दिया जाना है। जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, विदेश मन्त्रालय का सचिव

वहां गया था और उन्होंने चीन के साथ विदेश सम्बन्धों, सांस्कृतिक सम्बन्धों, वाणिज्यिक सम्बन्धों के बारे में व्यौरेवार चर्चाएं की थीं। हमारे प्रतिनिधि मण्डल और चीन के प्रतिनिधि मंडल के बीच जो चर्चाएं हुई हैं उन पर आगे कार्यवाही की जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीकूराम जैन : उनके द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है? उनका कहना है कि कुछ कार्यवाही की जा रही है। क्या कार्यवाही की गई है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। उन्हें वह कार्यवाही बतानी चाहिए, जब तक कि वह यह नहीं कहना चाहते कि कार्यवाही गुप्त है और वह उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन यदि यह गुप्त नहीं है तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। उन्होंने मात्र यह कहा है कि एक शिष्ट-मंडल वहां गया था; वह वापस आ गया है; हम अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं; आदि, आदि। लेकिन क्या विशिष्ठ कार्यवाही की गई है; मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जब प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आते हैं, जब प्रतिनिधि मंडल अन्य देशों में जाते हैं, तो हम व्यापार और वाणिज्य के लिए उचित वातावरण पैदा करने का प्रयत्न करते हैं हम यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि वे कौन-सी मदें हैं जिनका दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य हो सकता है। हम यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दोनों ओर से कोई करार हो सकते हैं अथवा नहीं, आदि आदि। अतः ये सभी चीजें की जा रही हैं और यही विशिष्ट कार्यवाही की गई है।

श्री ई० बालानन्दन : माननीय मन्त्री कह रहे थे कि इसकी अभी खोज की जा रही है। भारत का प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था। चीन के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श हुआ था। मन्त्री महोदय सदन को बतायें कि इस समय प्रगति की स्थिति क्या है। क्या हमारे व्यापार के मामले में चीन के साथ बेहतर सम्बन्ध होने जा रहे हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : चीन के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है। हमने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि हम कौन-सी वस्तुएं अथवा चीजें खरीद सकते हैं और कौनसी वस्तुयें बेच सकते हैं। हम भी उन्हें कुछ वस्तुयें बेचते हैं। हम उनसे कुछ वस्तुयें अवश्य खरीदते भी हैं। उदाहरणार्थ 'रेशम' के मामले में हमने उनसे कुछ खरीदा है। जब देश में रेशम की कमी थी तो हमने उनसे रेशम खरीदा। यदि उन्हें हमसे कपास की जरूरत है तो हम उन्हें कपास देते हैं, यदि उन्हें किसी इन्जीनियरिंग सामान की जरूरत होती है तो हम उन्हें यह देते हैं और यदि उन्हें किसी अन्य सामान की आवश्यकता है, जो हम दे सकते हैं, तो हम वह भी देते हैं।

सरकारी उपक्रम ब्यूरो को नया रूप दिया जाना

*476. †**श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री बी० वी० देसाई :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने सरकारी उपक्रम ब्यूरो को नवा रूप देने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव दिए थे:

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्यों का आशय योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में गठित सरकारी उद्यमों की विशेषज्ञ समिति द्वारा सरकारी उद्यम कार्यालय के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : सदस्य, योजना आयोग न कि सदस्य, उद्योग, श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ पेनल ने सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसे नया रूप देने का सुझाव दिया है। बिजली, इस्पात, सीमेंट आदि की समग्र कमी के कारण वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस उत्पादकता वर्ष में लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक भरोसा है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह प्रश्न सरकारी उद्यम ब्यूरो की संगठनात्मक स्थिति के पुनर्गठन से सम्बन्धित है और यह आम प्रश्न उससे उत्पन्न नहीं होता है। मैं अध्यक्ष महोदय से इस पर विचार करने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : इस देश में प्राय: सभी सरकारी उपक्रमों को भारी घाटा हो रहा है जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर भार पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन और अधिकारी भारी वेतन और परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पेनल ने चेयरमैन और अन्य अधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों को को युक्तिसंगत बनाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं।

इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में बहुत से पद छः महीने से अधिक अवधि से रिक्त पड़े हुए हैं। इसको देखते हुए क्या सरकार सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इन पदों को भरने के लिये तैयार हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : पहले प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य की शंका को दूर करना चाहता हूं। वास्तव में पिछले सप्ताह ही मैंने इस सदन में एक अन्य प्रश्न का उत्तर दिया था और कहा था कि सरकारी उपक्रमों का हुए घाटे की कहानी विगत की कहानी है। इस वर्ष सभी सरकारी उपक्रमों को मिलाकर, इन्हें कर से पूर्व, 11 प्रतिशत का कुल मुनाफा हुआ है। इसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम भी शामिल है जिसे भारी घाटा हो रहा है। जैसे मैंने कहा है सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को कुल मिलाकर, 169 एककों ने एक साथ लेते हुए, कर से पूर्व 11 प्रतिशत का कुल मुनाफा अर्जित किया है।

रिक्त पदों को भरने के बारे में हम पहले ही कदम उठा चुके हैं और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बनाये गये रिक्त पदों और भरे गये पदों के बीच कोई अन्तर नहीं रहे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों आदि के वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने सामान्य सिफारिशें की हैं लेकिन किसी विशेष रूप में नहीं। यहां पर एक बात है। तथापि हमें सन्तुलन रखना पड़ेगा। यह सच है कि हमारे कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को छोड़ दिया है। उदाहरणार्थ इस्पात उद्योग में, मुझे याद है, एक वर्ष में हमने तीन उच्च तकनीकी अधिकारियों को खो दिया है क्योंकि उन्हें किसी अन्य देश में बेहतर पेशकश प्राप्त हुई थी। निश्चित रूप से हम विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें सन्तुलन बनाये रखना पड़ेगा ताकि हम उन्हें ऐसा कुछ दे सकें जो उन्हें खुश रख सके।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : क्या यह सही है कि जो 11 परसेंट प्राफिट आपने बताया है सारी 169 पब्लिक अंडरटेकिंग्स को इकट्ठा करके उसमें से आयल की कीमत घटा दें, उसका मुनाफा घटा दें जो कीमत बढ़ाकर आपने मुनाफा कर लिया है तो बाकी सब अंडरटेकिंग्स का अगर पूनाइटेडली मिलाकर देखा जाये तो वह लास में होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी नहीं। मामला यह नहीं हैं। मैंने सही आंकड़े दे दिये हैं। घाटे को कम किया जायेगा। मुझे सही आंकड़े याद नहीं हैं, लेकिन मेरे विचार से हमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से लगभग 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। लेकिन यदि हम इसे भी घटा दें तो फिर भी थोड़ा-सा शुद्ध लाभ होगा।

छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन

*477. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में, जहां तक वह हिमाचल प्रदेश में छावनी क्षेत्र के असैनिक लोगों पर लागू होता है, संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के दुकानदारों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) छावनी अधिनियम 1924 में और संशोधन करने के लिए छावनी संशोधन बिल 1982 लोक सभा में 9 जुलाई, 1982 को रखा गया है। छावनी अधिनियम और उसके संशोधन न केवल हिमाचल प्रदेश पर बल्कि भारत में सभी छावनियों पर लागू होते हैं।

(ख) जी हां। मार्किट स्टाल होल्डर्स एसोसिएशन, कसौली से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि स्टालों को मौजूदा व्यक्तियों को बेच दिया जाए अथवा स्थायी तौर पर पट्टे पर दे दिया जाए।

(ग) छावनी बोर्ड कसौली ने स्टालों को पहले 1.4 1977 से तीन वर्षों के लिए पब्लिक मार्किट में नीलाम किया था और उनकी किराएदारी 31.3.1980 को समाप्त हो गई थी। उसके बाद छावनी बोर्ड ने जी ओ० सी० एन० सी० पश्चिम कमान की पूर्व अनुमति से इन स्टालों को मौजूदा स्टाल होल्डरों को छावनी अधिनियम 1924 की धारा 200 के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए वार्षिक आधार पर किराए पर दे दिया। इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मन्त्री जी ने विवरण में बताया है कि पहले तीन साल में नीलामी होती थी, अब हर साल में करने का प्रावधान कर रहे हैं। इसको जो 1924 का ऐक्ट है वह ब्रिटिश टाइम का है और इसके मुताबिक जिस तरह से कैन्टोनमेंट हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं उससे सारे लोग वहां पर बड़े परेशान हैं क्योंकि न तो वह मकान का नये तरीके से कांस्ट्रक्शन कर सकते हैं न ही वह उनको इस तरह की इजाजत देते हैं कि वह अपने मकान ठीक तरह से बना लें। अब क्योंकि हालात बदल गए हैं, आजादी के बाद कई लोग ऐसे नये पैदा हो गए हैं वह नये तरीके से मकान बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में मन्त्री जी बताएंगे कि क्या वह परमानेंट तौर पर उन लोगों को जो सिविल एथारिटीज वहां पर रहती हैं उनको मकान बनाने की इजाजत देंगे या नहीं ?

श्री के० पी० सिंह देव : जैसा मैंने उत्तर में उल्लेख किया है, छावनी अधिनियम, 1924 को इस नये छावनी संशोधन बिल 1982 द्वारा संशोधन किया जायेगा, जो लोक सभा में 9 जुलाई, 1982 को पुरःस्थापित किया गया था। इसमें इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा जो माननीय सदस्य ने उठाये हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं इसके लिए तो मन्त्री महोदय का आभारी हूं जो उन्होंने कहा कि जो मेरी बातें हैं वह पूरी हो जायेंगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैमाना आप मैदानी इलाके में लागू करते हैं वह हिली एरिया पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां बहुत सी जगह ऐसी है जहां मोहमडन्स की जो प्रापर्टी है उसकी कोई देखभाल नहीं होती है और वहां कोई रहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां न कोई बस जाती है न कोई और इन्तजाम है, फौजी छावनी है जहां अंग्रेजों के टाइम में लाखों करोड़ों का बिजनेस होता था लेकिन आज वह बिलकुल ऐसे शहर हैं जो बरबाद हो रहे हैं। तो क्या आप इसका भी ध्यान रखेंगे और वहां टूरिस्ट काम्पलेक्स के लिए बहुत अच्छी जगह है हिली एरिया में, उसके लिए बढ़ावा नहीं देंगे सिविल पापुलेशन को तो बिलकुल काम आगे चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खाली जगहें हैं उनको आबाद करने के लिए आप कोई कदम उठाएंगे या नहीं ?

श्री के० पी० सिंह देव : श्रीमान् माननीय सदस्य ने कुछ बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं। जब यह बिल चर्चा के लिए आयेगा तो इन्हें उठाने के लिए उनका हार्दिक स्वागत है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के डिजाइन स्टूडियो से बाहर किया गया डिजाइन बनाने का कार्य

*478. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन निगम के पास एक सम्पूर्ण डिजाइन स्टूडियो है जो विभिन्न प्रकाशनों के डिजाइन तैयार करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, परन्तु इसके बावजूद भी बाहर की पार्टियों/व्यक्तियों को डिजाइन तैयार करने का काफी काम सौंपा जाता है तथा उन्हें काफी बड़ी राशि अदा की जाती है;

(ख) क्या निगम ने यह पता लगाने के लिए कोई मानदण्ड निश्चित किया है/कोई एजेंसी बनाई है कि जब कभी भी डिजाइन तैयार करने का कार्य बाहर की किसी चुनी हुई पार्टी/व्यक्ति को सौंपा गया होगा, उस समय डिजाइन स्टूडियो के कर्मचारियों/अधिकारियों पर काम का बहुत भार रहा होगा; और

(ग) कोई अलग प्रक्रिया अनुसरित किये बिना ही बाहर की एजेंसियों/व्यक्तियों को काम सौंपे जाने का क्या आधार है।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के पास एक डिजाइन स्टूडियो है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जिन नाना प्रकार के व्यापक प्रचार साहित्य और ग्राफिक्स का निर्माण करना अपेक्षित होता है उससे संबंधित कार्य को करने के लिए यह डिजाइन स्टूडियो इक्विप्ड नहीं है। अत: विज्ञापन अभिकरणों/स्वतन्त्र डिजाइनरों की सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के पी एंड पी प्रभाग के विभिन्न अनुभागों में, जिसमें डिजाइन स्टूडियों भी शामिल है, काम की मात्रा का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। बाहरी अभिकरणों/स्वतन्त्र डिजाइनरों को डिजाइन सम्बन्धी कार्य सौंपते समय डिजाइन स्टूडियों में काम की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम विज्ञापन अभिकरणों/स्वतन्त्र डिजाइनरों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखता है। प्रत्येक मामले में अपेक्षित कार्य की कुशलताओं और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कार्य सौंपा जाता है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : भारतीय पर्यटन निगम के पास अपनी पूरी स्ट्रेन्थ जो है उसके बावजूद आप बाहर से डिजाइन मांगते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है ? किन आधारों पर आप बाहर से डिजाइन मंगाते हैं ?

इसी के साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि बाहर से आज तक कितने डिजाइन मंगाए गए हैं और उसमें कितना फारेन एक्सचेंज खर्च हुआ है ? वह मनमाने तरीके से होता है या उसका कोई साइंटिफिक आधार है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : डिजाइन कार्य एक सृजनात्मक कार्य है और इसे स्पेशलाइज्ड एजेंसियों द्वारा किया जाना होता है।

श्री मनोराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, सवाल हिन्दुस्तानी में हो और मंत्री जी को हिन्दुस्तानी भाषा नहीं आती हो तो बेशक वह अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं लेकिन जब उनको अच्छी हिन्दुस्तानी आती है तो उसी भाषा में जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, डिजाइन वर्क जो होता है यह बहुत ही स्पेंशलाइज्ड वर्क हैं, इसलिए हमें इसे खास एजेंसीज को देना पड़ता है ताकि वह काम ऐसा हो कि इन्टरनेशनल काम के बराबर समझा जाय और उसमें कोई ऐसी कमी न रह जाय कि जो बाहर के लोगों को पसन्द न आए ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या इसके अन्दर कोई लक्ष्य रखा है कि किस सीमा के बाद आपको बाहर से डिजाइजन मंगानी न पड़े और आपके अपने डिजाइन सिस्टम के स्टूडियों का इतना विस्तार किया जाय कि बाहर से डिजाइन मंगाने की जरूरत न पड़े और उस पर फारेन एक्सचेंज खर्च न हो ?

श्री खुर्शीद आलम खां : यह सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया उसमें थोड़ी सी कठिनाई यह पड़ती है कि अगर हम अपना ही डिजाइन रखें तो वह एक ही किस्म के लोग होंगे जो आदी हो जाएंगे एक तरह के काम को करने के लिए और यह काम ऐसा होता है कि इसमें हमें भिन्न-भिन्न तरह के लोगों से तरह-तरह के काम लेने पड़ते है और तरह-तरह की एजेंसीज के पास पहुंचना पड़ता है, जो सबसे अच्छी एजेंसीज हैं जो सबसे अच्छा काम कर सकती हैं उन्हें लेना पड़ता है ।...(व्यवधान)...

अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में चाय बागान लगाना

*479. **श्री हरीश रावत :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चाय बोर्ड ने चाय बागान लगाने की सम्भाव्यताओं का पता लगाया है;

(ख) क्या चाय बोर्ड का विचार, इस कार्य में समन्वय करने हेतु, इस क्षेत्र में अपना कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में चाय बागानों का विकास करने के लिये मन्त्रालय द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों मे बेरनाग और चौकोरी के स्थान हैं जहां चाय बोर्ड ने चाय बागानों की संभावनाओं का पता लगाया हैं ।

(ख) चाय बोर्ड का इन क्षेत्रों में फिलहाल कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों में चाय बागानों का संवर्धन करने के लिए मन्त्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे है ।

श्री हरीश रावत : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में दो स्थानों पर चाय बागान लगाने की संभावनाओं का पता लगा है और उसके बाद यह

कहा है कि न तो हम टी० बोर्ड का कार्यालय वहां खोलेंगे और न फिलहाल वहां पर टी गार्डन लगाने के लिए कोई प्रोग्राम है। तो क्या जो यह संभावना का पता लगाया गया है यह हमारे दिल को जलाने के लिए लगाया गया है या इस पर कोई कार्यवाही होगी, इसके लिए पता लगाया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि टी बोर्ड का कार्यालय कब तक वहां खोल देंगे और फ्यूचर में कब तक वहां कोई ऐसा प्रोग्राम इनीशिएट कर दिया जायगा जिससे टी गार्डन लग सके ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मान्यवर, जगहों का पता तो लगाया गया है और वहां पर जो चाय उत्पादन करनी है, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से कारपोरेशन बनाकर वहां चाय का उत्पादन किया जा सकता हैं। सुझाव ऐसे दिए गए है। बड़े पैमाने पर कोशिश होने के बाद आफिस लगाने और दूसरे तरह के सुझावों पर विचार किया जा सकता है।

श्री हरीश रावत : टी गार्डन लगाने के लिए जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनको भी कोई इसेंटिव उनके मन्त्रालय की तरफ से दिया जायगा या उनके मन्त्रालय की तरफ से न दिए जाने की बात हो तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या वह कहेंगे कि वह वहां पर टी-गार्डन लगाने के लिए और उसको प्रोमोट करने के लिए इसेन्टिव दें ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमने कहा है कि कोआपरेटिव सोसाइटी वहाँ पर बनाकर टी-गार्डन शुरू करें और कारपोरेशन बनाकर यह टी गार्डन शुरू करें। यह सुझाव हमने दिया है इसके बाद अगर बड़े पैमाने पर कोई चीज बनती है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है।

श्री जेवियर अराकल : जहां तक संकटग्रस्त उद्योगों का सम्बन्ध है यह मामला चाय और सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों से सम्बन्धित है। पिछली बार भी मैंने एक मामला उठाया था कि क्या सरकार को पता है कि पूर्वोतर क्षेत्र और दक्षिणी राज्यों में समग्र रूप से चाय उद्योग में गिरावट हो रही थी और बहुत से चाय बागानों को बेचा जा रहा है। इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जब यह मामला विशिष्ट रूप से चर्चा के लिए आया था तो मैंने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया था। मैंने वित्तीय सहायता की राशि उद्धृत की थी जो इस उद्योग के लिए दी गई है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से चाय बागान हैं जो आतक आकर बेचे जा रहे हैं। मुझे इसके लिए कोई उत्तर नहीं मिला था। अब इसका उत्तर देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यदि कोई विशिष्ट उत्तर मांगा जाता है तो मैं इसे माननीय सदस्य को लिखित रूप में दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यों में विभिन्न स्थानों को जोड़ने हेतु वायुदूत सेवा

*480. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के कतिपय नये स्थानों को वायु-दूत सेवा द्वारा परस्पर जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो जोड़े जाने वाले स्थानों के नाम क्या हैं; और उक्त सेवा उपलब्ध कराने हेतु यदि कोई लक्षित तारीख रखी गई है तो वह क्या है;

(ग) क्या कुछ स्थानों के लिए पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी वायुदूत सेवा अलाभकारी सिद्ध हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित स्थानों को वायुदूत के वर्तमान मार्ग तन्त्र में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है :

1. कुद्दाप्पा
2. राजामुन्द्री
3. वारंगल
4. गया
5. पूर्णिया
6. रायचुर
7. हुबली
8. कालीकट
9. बिलासपुर
10. जगदलपुर
11. नांदेड
12. कोटा
13. बीकानेर
14. जैसलमेर
15. तंजावुर
16. गाजीपुर
17. पंतनगर
18. रायबरेली

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित स्थानों को भी वायुदूत मार्गसंत्र में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है :

1. झारसुगुड़ा
2. सूरत
3. दमण
4. मैसूर
5. चेट्टीनाड
6. तिरुनलवेली

(ग) और (घ) जी, हां। वायुदूत एयरलाइंस से पट्टे पर लिए गए विमान से परिचालन कर रही है जिनमें ईंधन की खपत भी कम नहीं है और "ब्रेक ईवन फैक्टर" भी 100% से अधिक

है । इस वजह से वायुदूत द्वारा किसी भी सैक्टर पर लाभ कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि ऐसी आशा है कि वायुदूत द्वारा कम ईंधन की खपत वाले विमान ले लिए जाने पर, परिचालन की लागत में कमी हो जाएगी तथा वायुदूत लाभ कमाना भी आरभ कर देगी ।

बम्बई में कपड़ा मिलों द्वारा सूती कपड़े का उत्पादन

*481. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कपड़ा मिलों ने सूती कपड़े का उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई में कितनी कपड़ा मिलें सूती कपड़े का उत्पादन कर रही हैं;

(ग) गत छः महीनों में इन मिलों द्वारा कितना उत्पादन किया गया;

(घ) क्या इन मिलों में से अधिकतर मिलें कृतिम रेशा मिलाकर बढ़िया कपड़े का उत्पादन कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) बम्बई में 53 औद्योगिक उपक्रम सूत्री वस्त्र तथा मिश्रित वस्त्र तैयार करते हैं ।

(ग) भारतीय सूती मिल्स संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 31 सूती वस्त्र मिलों ने हड़ताल के फलस्वरूप आंशिक रूप से उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है, उन्होंने फरवरी से जुलाई, 1982 तक 22.35 मिलियन मीटर कपड़ा उत्पादित किया ।

(घ) तथा (ङ) जबकि बम्बई में अनेक मिलें बारीक काऊंट्स का कताई करती हैं और मिश्रित वस्त्र तैयार करती हैं किन्तु प्रत्येक मिल का उत्पाद मिक्स अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करता है कि वह बाजार के कौन से विशेष भाग की मांग को पूरा करना चाहता है । मिलों द्वारा किसी विशेष उत्पाद मिक्स को मानना अपेक्षित नहीं है जो समय-समय पर बदलता रहता है ।

त्रिवेन्द्रम में भरती स्थान पर हिंसा

*482. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम में नौसेना के लिए भरती करने के स्थान पर हुई हिंसा की घटना के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौसेना, वायु सेना और थल सेना के लिए भरती करने का एक नया तरीका अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा तथा गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पहली जुलाई 1982 को नौसेना के लिए नान-मैट्रिक नौसैनिकों (कुक तथा स्टीवार्ड) की सीधी भर्ती की व्यवस्था ब्रांच भर्ती कार्यालय त्रिवेन्द्रम में की गई थी। इस बारे में विभिन्न समाचार पत्रों और आकाशवाणी त्रिवेन्द्रम के माध्यम से ब्रांच भर्ती कार्यालय ने प्रचार किया था। उस दिन ब्रांच भर्ती कार्यालय त्रिवेन्द्रम में एक बडी भीड़ एकत्र हो गई। दिन निकलने से पहले ही बहुत से उम्मीदवार वहीं इकटठे होने लगे और मुख्य द्वार को तोड़कर भर्ती कार्यालय में दाखिल हो गए। इसलिए पुलिस की सहायता ली गई और पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई। कुछ उम्मीदवार दीवार के ऊपर से कूद कर ब्रांच भर्ती कार्यालय में आ गए। भर्ती अधिकारी के आने के बाद भीड़ से मैगाफोन पर कहा गया कि वे मुख्य द्वार से बाहर जाकर लाईन बना लें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि उनकी तरफ से सहयोग न मिलने पर उस दिन भर्ती स्थगित की जा सकती है। इस अवस्था में कुछ भीड़ बाहर जानी शुरू हो गई परन्तु उसी समय कुछ अन्य लोग मुख्य द्वार से अन्दर आने लगे जिसके परिणामस्वरूप वहां भगदड़ मच गई। भर्ती अधिकारी ने इस डर से कि भीड़ मुख्य कार्यालय में तोड़-फोड़ कर देगी, पुलिस से कहा कि कार्यालय परिसर को खाली कर दिया जाए और साथ ही यह भी घोषणा कर दी गई कि अनियंत्रित भीड़ के कारण उस दिन के लिए भर्ती स्थगित कर दी गई है। इस बीच पुलिस की ओर कुमुक वहां पर पहुंच गई और उसने वहां पर सामान्य स्थिति कर दी। वहां पर लाठी चार्ज नहीं किया गया। पुलिस कार्रवाई के कारण किसी को कोई चोट आने की सूचना नहीं मिली है। ऐसा कहा गया है कि भर्ती कार्यालय की चार दीवारी गिर जाने के कारण कुछ व्यक्ति जख्मी हो गए। बताया गया है कि भगदड़ में एक व्यक्ति के पैर का अंगूठा टूट गया था जिसका अस्पताल में इलाज किया गया है।

2. भर्ती अगले सोमवार अर्थात् 5 जुलाई को स्थगित करने की रिपोर्टें कुछ गलतफहमियों की वजह से फैली हैं। जांच के लिए 5 जुलाई की तिथि फिर से निर्धारित करने के बारे में कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई थी।

3. इस सारी घटना की जांच करने के लिए स्टेशन कमाण्डेंट त्रिवेन्द्रम ने स्टाफ जांच अदालत के आदेश दे दिए हैं। जांच अदालत के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद उपचारी उपाय करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

4. भर्ती के लिए नई अथवा संशोधित प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न भी जांच अदालत की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

मकान किराया भत्ते की अधिकतम सीमा

*483. श्री नगनगोम मोहिन्द्रा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति को मकान किराया भत्ता लेने से रोकने के लिए कोई नीति बनाई है अथवा कुछ नियम बनाए हैं;

(ख) यदि कोई कर्मचारी प्रतिबंध सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इस मामले पर किन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते की अधिकतम सीमा सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों/विभागों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होती है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सिवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी पर लागू आचरण नियम।

(ग) और (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मन्त्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराये भत्ते की दरें निम्न प्रकार हैं :

नगर की श्रेणी	अपेक्षित जनसंख्या*	मकान किराये भत्ते की दर
क	16 लाख से ऊपर	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 400 रुपये प्रति मास
ख-1	8 लाख से ऊपर और 16 लाख तक	
ख-2	4 लाख से ऊपर और 8 लाख तक	
ग	50,000 और उससे ऊपर तथा 4 लाख तक	वेतन का 7½ प्रतिशत किंतु अधिक से अधिक 200 रुपये प्रतिमास

*इस प्रयोजन के लिए जनसंख्या नगर की नगरपालिका क्षेत्र की वह जनसंख्या होती है जो दस वर्षीय जनगणना में अभिव्यक्त होती है।

उपर्युक्त दरें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनकी अपनी पद्धति है, पर लागू नहीं होती।

जहाज में लदान होने से पहले ऋण की सुविधा

*484. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री वाई० एस० महाजन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने जहाज में लदान होने से पहले ऋण की सुविधा की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 130 दिन करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के हीरा-व्यापारियों का रहन-सहन का आडम्बरपूर्ण ढंग

*485. **श्री भेराभदन के० गधावी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई के कुछ प्रमुख हीरा व्यापारी इतने आडम्बरपूर्ण ढंग से रह रहे हैं जो उनकी आयकर तथा अन्य विवरणियों में दर्शाई गई आय के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां तो क्या आयकर अधिकारियों ने इस बारे में कुछ किया है;

(ग) क्या आयकर विभाग ने उन हीरा व्यापारियों के आडम्बरपूर्ण रहन-सहन के बारे में कोई सर्वेक्षण और जांच की है जो अपनी आयकर विवरणियों में अपनी आय नगण्य दिखाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) आयकर अधिनियम में इस प्रकार के 'आडम्बरपूर्ण रहन-सहन' के सर्वेक्षण की व्यवस्था तो नहीं है, परन्तु आयकर प्राधिकारी, किसी कर-निर्धारिती द्वारा, जिसमें हीरा व्यापारियों को भी शामिल किया जा सकता है, किसी भी समारोह, उत्सव अथवा शुभ अवसर के सम्बन्ध में किये जाने वाले आडम्बरपूर्ण व्यय के सिलसिले में आयकर अधिनियम की धारा 133क (5) के अन्तर्गत सूचना एकत्र करते हैं।

बम्बई के जौहरियों द्वारा कर-अपवंचन के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना एकत्र करने के बाद आयकर प्राधिकारियों ने हाल ही में ऐसे 25 व्यापारियों के मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की। इन कार्यवाहियों के दौरान प्रथमदृष्ट्या एक करोड़ रुपये से अधिक की कीमत की लेखाबाह्य बहुमूल्य वस्तुएं पकड़ी गई थीं। जिनमें लगभग 51 लाख रुपये मूल्य के हीरे

भी शामिल हैं। इन मामलों में, कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए आगे जांच-पड़ताल आरम्भ कर दी गई हैं।

बिन्नी मिल्स लिमिटेड के लिए दस प्रतिशत मूल्य अधिमान की सुविधा

*486. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की भांति बिन्नी मिल्स लिमिटेड को भी कपड़ा सप्लाई करने के लिए प्रतिशत मूल्य अधिमान की सुविधा दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम-दोहा सीधी उड़ान

*487. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री त्रिवेन्द्रम से दोहा तक की सीधी उड़ान के बारे में 5 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-दोहा उड़ान आरम्भ करने के लिये इस बीच क्या कार्यवाही की गई है और उक्त उड़ान आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस उड़ान के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार तथा कातार सरकार के बीच फरवरी, 1973 में किए गए विमान सेवा करार के अनुसार, गल्फ एयर को त्रिवेन्द्रम के लिए सीधे परिचालन करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। परन्तु, जब एयर इंडिया ने त्रिवेन्द्रम से कातार (दोहा) के लिए परिचालन करने के लिए कातार के वैमानिक पदाधिकारियों के पास समयावली भेजी, तो उन्होंने इस समयावली का तो अनुमोदन कर दिया परन्तु यह शर्त लगाई कि गल्फ एयर को त्रिवेन्द्रम से दोहा के लिए सीधे परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी। यह 1973 के विमान सेवा करारों के प्रतिकूल है, इसलिए इस मामले को राजनयिक माध्यम से उठाया गया है। इस सम्बन्ध में कातार के प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है

इस समस्या का समाधान हो जाने के बाद ही त्रिवेन्द्रम से दोहा के बीच सीधी विमान सेवा के परिचालन के प्रश्न पर एयर इंडिया द्वारा विचार किया जाएगा।

छोटे सिक्कों की कमी

*488. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे मूल्य के सिक्कों की कमी होने के क्या कारण हैं और उस राज्य का नाम क्या है जहां से इस बारे में अधिक शिकायतें मिली हैं;

(ख) एक रुपए के करेंसी नोटों की कमी होने और इस कमी को दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही न करने क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का पता चला है कि सिक्का बनाने के काम आने वाली धातु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण सिक्के प्रचलन से गायब हो गए हैं और बाजार में बहुत अधिक कठिनाई महसूस की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यद्यपि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से छोटे मूल्य के सिक्कों की कमी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथापि सामान्य रूप से छोटे सिक्कों की कोई कमी नहीं है। जब कभी सिक्कों की कमी के बारे में कोई शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के पास आती है तो जिस इलाके में यह कमी महसूस होने की सूचना मिलती है वहीं सिक्से पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है।

(ख) एक रुपए की करेंसी नोटों के मुद्रण, परिचालन, प्रत्यानयन (रिट्रीवल) तथा उन्हें नष्ट करने में आने वाली भारी लागत को और सिक्के ढालने में दीर्घावधि में खर्चे में होने वाली किफायत को ध्यान में रखते हुए एक रुपए के सिक्के का (छोटे आकार में) उत्पादन क्रमशः बढ़ाते जाने का निश्चय किया गया है ताकि एक रुपए के नोटों में क्रमशः कमी की जा सके और अन्ततोगत्वा उनके मुद्रण और पूर्ति को समाप्त किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुरी-कोणार्क मैरीन ड्राइव के लिए नियत की गई राशि

*489. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी-कोणार्क मैरीन ड्राइव सड़क के कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सड़क को अभी तक यातायात के लिये नहीं खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस सड़क को यातायात और पर्यटकों के लिए कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (घ) नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पुरी-कोणार्क सड़क एक स्टेट रोड है और प्राथमिक रूप से उड़ीसा सरकार से संबन्धित है। इस पर लगभग 324 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें से 70 लाख रुपए

इस कार्य के लिए लागत के एक भाग के रूप में सामान्य सड़क निधि में से अनुमोदित किए गए हैं, बकाया लागत की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा उनके अपने प्लान संसाधनों में से की जाएगी।

(ङ) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त, 1982 में सड़क को यातायात के लिए खोल दिए जाने की सम्भावना है।

इण्डियन एयरलाइन्स के किसी अधिकारी के एक ही विदेशी स्टेशन पर कार्यकाल में वृद्धि करना

5221. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के इंजीनियरिंग यातायात तथा वाणिज्य, खान-पान तथा अन्य विभागों के किसी अधिकारी को एक विदेशी स्टेशन पर तैनात रखने का कोई कार्यकाल निश्चित होता है; यदि हां, तो वह कितना होता है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उन अधिकारियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जो विदेशों में लगातार एक ही स्थान पर 4-5 वर्ष से भी अधिक समय तक बने रहे हैं और उन्हें एक के बाद दूसरे, कार्यकाल में वृद्धि दी जाती रही है; और

(ग) अन्य अधिकारियों को भी विदेशों में तैनाती के समान अवसर देने के लिये उन सभी अधिकारियों को वापस बुलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों को छोडकर अधिकारियों की विदेशी तैनाती का कार्यकाल सामान्यत: 3-4 वर्ष की अवधि के लिये होता है। वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की तैनातियों को 6 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था जिसे 1983-84 से लागू होने वाली अवधि से तीन से चार वर्ष तक के लिए घटाया नहीं गया है।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) लन्दन में केबिन खान-पान सेवाओं के प्रबन्धक को, जो वहा पर पांच वर्षों से अधिक से था, भारत में फिर से तैनात किया गया है।

विवरण

अधिकारी का नाम	पदनाम	स्टेशन	जब से तैनात हैं	विभाग
1	3	4	5	6
श्री एस० जे० फर्नांडीस	प्रबन्धक, आस्ट्रेलिया	सिडनी	25.4.77	वाणिज्यिक

	2	3	4	5
श्री एम० एम० लाल	प्रबन्धक, जर्मनी	फ्रैंकफर्ट	12.4.77	वाणिज्यिक
श्री बी० एस० फून	क्षेत्रीय विक्रय प्रबन्धक	बैंकोवर	18.2.77	वाणिज्यिक
श्री आर० के० कौल	प्रबन्धक	शारजाह	4.4.77	वाणिज्यिक
श्री पी० जे० रौड्रिक्स	प्रबन्धक	दार-अस-सलाम	4.4.77	वाणिज्यिक
श्री जी० वी० यादव	सहायक विमान क्षेत्र प्रबन्धक	मारीशस	22.1.77	वाणिज्यिक
श्री ए० कृष्णानन्	—वही—	आसाका	17.5.77	वाणिज्यिक
श्री एस० मुखर्जी	यात्री सेवा प्रबन्धक	न्यूयार्क	6.6.77	वाणिज्यिक
श्री एस० रामनाथन	सहायक प्रबन्धक	हांगकांग	29.4.77	वाणिज्यिक
श्री एस० हेलीडे	विक्रय विकास प्रतिनिधि	न्यूयार्क	7.1.77	वाणिज्यिक
श्री के० बी० नन्दा	प्रबन्धक, खान-पान/ केबिन सेवाएं	लन्दन	1.4.77	उड़ान सेवा विभाग

चाय एककों के विरुद्ध जांच

5222. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) धारा 16ख, उपधारा (1) खण्ड (क) से (ग) के अन्तर्गत किन्हीं चीजों के आदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित चाय एककों के नाम क्या हैं तथा चाय उपक्रम/चाय एकक जांच पद्धति नियम, 1981 के नियम 4(1)(ख) के विशेष सन्दर्भ में जांचों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) चार चाय एस्टेटों अर्थात (1) पन्डाम चाय एस्टेट, जिला दार्जिलिंग (2) बरद्वार चाय एस्टेट, जिला कामरूप, असम (3) सामबियोंग चाय एस्टेट, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल (4) सुबांग तथा हत्तीचर्रा चाय एस्टेट, जिला कछार, असम के सम्बन्ध में चाय अधिनियम के अन्तर्गत जांच आदेश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में जांच विवरण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(1) पन्डाम चाय एस्टेट, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

राजपत्र अधिसूचना सं० एस० ओ० 132/ई० दिनांक 9-3-1979 द्वारा जांच का आदेश दिया गया परन्तु समिति द्वारा जांच शुरू किये जाने से पूर्व पश्चिम बंगाल की सरकार ने आदेश दिनांक 20-5-80 द्वारा एस्टेट अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया और बागान को तीन वर्ष की अवधि के लिये 6-6-1980 को पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम लि० को सौंप दिया गया।

(2) बरद्वार चाय एस्टेट, जिला कामरूप, असम

सरकारी आदेश दिनांक 22-7-1980 द्वारा किये गये आदेश के अनुसार जांच, जांच समिति के सदस्यों में से एक सदस्य की कार्यालय में परिवर्तन के कारण नहीं की जा सकी। नई जांच समिति गठित की जा रही है।

(3) सामबियोंग चाय एस्टेट, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

सरकारी आदेश दिनांक 13/14-11-1979 द्वारा गठित जांच समिति को जांच समिति के सदस्यों में से एक सदस्य के कार्यालय में परिवर्तन के कारण सरकारी आदेश दिनांक 3-10-1980 के अन्तर्गत पुनर्गठित किया गया। शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(4) सुबांग तथा हत्तीचर्रा चाय एस्टेट, जिला कछार, असम

राजपत्र अधिसूचना सं० एस० ओ० 443/ई० दिनांक 17-6-1981 के अन्तर्गत गठित जांच समिति इसे सौंपे गये कार्य को पूरा नहीं कर सकी। समिति राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21-4-1982 के अन्तर्गत पुनर्गठित की गई।

विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके 22-7-1982 को एक नई समिति गठित की गई है। 1 तथा 2 जुलाई, 1982 को बैठक बुलाते समय सम्बद्ध पार्टियों को अभ्यावेदन, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। अब तक सचिव, न्यासी बोर्ड, असम चाय बागान भविष्य निधि/पेंशन योजना और प्रधान भारतीय चाय कर्मचारी संघ सिल्चर ने बताया है कि वे लिखित अभ्यावेदन देंगे जिनकी प्रतीक्षा है।

निर्यातकों द्वारा सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे तथा सिविल रिटें

5223. श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों द्वारा जनवरी से मार्च 1979 की अवधि के भीतर नकद क्षतिपूर्ति समर्थन वापिस लिये जाने के बारे में सरकार के विरुद्ध कुल कितने धन मुकदमे तथा सिविल रिटें दायर की गईं तथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के न्यायालयों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े क्या हैं;

(ख) उन रिटों अथवा मुकदमों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार द्वारा उत्तर अथवा हलफनामे दायर किये गये हैं; और

(ग) कितने मामलों में रिट याचिकाएं दलीलों की अन्तिम अवस्था पर पहुंच गई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दायर किये धन सम्बन्धी मुकदमों तथा सिविल रिटों की कुल संख्या 73 है जिनमें से 33 मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में, 18 मद्रास उच्च न्यायालय में, 1 बम्बई उच्च न्यायालय में तथा 21 तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में दायर किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

वस्त्रों के लिए पिछले "परफारमेंस कोटों" का अन्तरण

5224. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के वस्त्रों का नियतन करने के लिये लाइसेंसिंग प्राधिकरण की एजेन्सी के रूप में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या क्यू० पी० 52/81 दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के अन्तर्गत वस्त्रों के लिये पिछले "परफारमेंस कोटों" के अन्तरण की अनुमति है;

(ख) क्या ऐसे अन्तरणों के परिणाम-स्वरूप कदाचार हुए हैं; और

(ग) क्या ऐसे राजस्व की आयकर विभाग में हाल ही में बनाये गये (आसूचना) निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रायय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार द्वारा सार्वजनिक सूचना सं० 61-ई० टी० सी० (पी० एन०)/81 दिनांक 10 अगस्त, 1981 में घोषित कोटा वितरण नीति के अ तर्गत विगत निष्पादन कोटा के अन्तरण की अनुमति है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा परिपत्र सं० क्यू० पी० 52/81 सरकार द्वारा घोषित कोटा नीति के अनुसरण में जारी किया गया है।

(ख) इस सुविधा की अनुमति देने के कारणों में से एक यह है कि विगत निष्पादन कोटाओं में चोरी छिपे सौदों की संभावनाओं को कम किया जाए।

(ग) गैर-कानूनी अदायगी का कोई मामला आयकर विभाग में आसूचना निदेशालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

चीन द्वारा मिसाइलों का विकास

5225. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने 640 किलोमीटर दूर तक को मारक-शक्ति वाले मिसाइलों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसके परिणामों के बारे में पूर्णत: सतर्क है ?

रक्षा तथा गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि चीन ने विभिन्न मारक शक्ति वाले मिसाइलों का विकास किया है। रक्षा तैयारियों को बनाए रखने के लिए समय-समय पर योजनाओं को बनाते समय सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

सोवियत रूस से क्रयादेश प्राप्त करने में अभ्रक व्यापार निगम का असफल रहना

5226. **श्री विन्देश्वरी दुबे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस को अभ्रक का निर्यात करने सम्बन्धी उस देश के ऐसे क्रयादेश प्राप्त करने में अभ्रक व्यापार निगम असफल रहा है। जो लगभग पांच करोड़ रुपये के होते;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोवियत रूस के एक शिष्ट मंडल ने भारत की यात्रा की थी, लेकिन वह बिना क्रयादेश दिए वापिस चला गया; और

(ग) अभ्रक व्यापार निगम को सोवियत रूस के क्रयादेश न मिलने का अभ्रक उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सोवियत संघ को अभ्रक के निर्यात के लिये संविदाएं आमतौर पर वर्ष में दो बार सम्पन्न की जाती हैं—मुख्य संविदा दिसम्बर/जनवरी में तथा अनुपूरक संविदा सितम्बर/अक्तूबर में।

1982 के दौरान 11.40 करोड़ रु० मूल्य का साधित अभ्रक निर्यात करने के लिये दिसम्बर, 1981 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

अप्रैल, 1982 में सोवियत संघ से एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4.84 करोड़ रु० मूल्य की तदर्थ मध्यावधि आवश्यकता के बारे में बातचीत करने हेतु भारत का दौरा किया जो अधिकांशत: उच्च ग्रेड वाले बड़े आकार के अभ्रक के बारे में था। इस सम्बन्ध में कोई करार नहीं हो पाया क्योंकि न तो सोवियत संघ उच्च ग्रेड वाले अभ्रक की एकमात्र खरीद के लिये निर्धारित 25 प्रतिशत प्रीमियम देने को तैयार था और न ही वह छोटे साइज के अभ्रक की निर्धारित उतनी ही मात्रा खरीदने को तैयार था।

ऐसी आशा है कि अनुपूरक संविदाओं के लिये वार्ता हमेशा की
में होगी।

चाय बोर्ड की "एन्टीआक्सीडेन्ट्स" योजना

5227. **श्री के० टी० कोसलराम** ; क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने

(क) चाय बोर्ड की "एन्टी-आक्सीडेन्ट्स" योजना को स्थगित कि
है; और

(ख) अगस्त, 1971 से मार्च 1982 तक इस योजना पर कुल
तथा इस खर्च से क्या लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विश्व
विश्वविद्यालय महाविद्यालय, कलकत्ता में "यूटिलाइजेशन आफ टी स्वीपिंग
की योजना के अन्तर्गत प्रयोगशाला में आगे प्रयोगों के लिये बेंच स्केल प्लां
विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर अपेक्षित शेड का निर्माण होने तक कार्य शु

(ख) अगस्त 1971 से मार्च, 1982 तक योजना पर खर्च की गई
रु० है। योजना के अन्तर्गत अनुसंधानों के परिणामों से पता चलता है कि
प्रकार की चाय वेस्ट का उपयोग ऐसे अनेक रसायनों के निस्सारण के लिये
लाभदायक रूप में किया जा सकता है जिनके विविध औद्योगिक उपयोग
यह दर्शाया गया है कि चाय पोलिफेनोला और उनके विभिन्न प्रभाज, या
यनिक अभिक्रिया के बाद विभिन्न सामग्री जैसे कि वसायुक्त तेलों तथा
(वनस्पति), पैट्रोलियम प्रभाजों, प्राकृतिक रबड़, प्लास्टिक्स, सुगन्ध तेलों
के रूप में व्यापक प्रयोज्यता हो सकती है। इस समय, ये पदार्थ बनाने वाले
में अन्य एन्टीआक्सीडेन्ट्स का प्रयोग करते हैं जिसकी लगभग सम्पूर्ण मा
चाय स्वीपिंग्स और अन्य प्रकार के चाय वेस्ट से एन्टी आक्सीडेन्टस के वाणि
एक उपयुक्त तरीका निकलने से इस प्रकार एन्टीआक्सीडेन्ट्स के आयात
विदेशी मुद्रा में भारी बचतें की जा सकती हैं। बोर्ड की योजना के अन्तर्ग
बेंच स्केल प्रयोग पूरे होने के बाद उद्यमियों को उपलब्ध कराये जाएंगे।

भारतीय रुई मिलें

5228. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम ने जुलाई, 1977
अवधि के दौरान विदेशी सप्लायरों को अलग-अलग मिलों के नाम से रुई
से पहले बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रुई मिलों द्वारा बैंक गारंटी दिये

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलों के खाते में आयात की गई रुई जब भारत पहुँची तो ऐसी अनेक मिलों ने गांठों पर स्वीकृति नहीं दी और फ़लतः निगम को उन गांठों पर स्वीकृति देनी पड़ी और इस प्रक्रिया में निगम को भारी हानि हुई;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी हानियां कितनी हुईं और ऐसी प्रत्येक मिल को कितनी हानि बांटी गई; और

(घ) दोषी मिलों का ब्यौरा क्या है और उक्त मिलों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) हालांकि भारतीय रुई निगम ने मिलों द्वारा बैंक गारंटी दिये जाने पर जोर दिया, किन्तु लगभग 17.12 करोड़ रु० मूल्य की लगभग 47,812 गांठों को कवर करने वाली लगभग 75 मिलों ने बैंक गारंटी नहीं दी ।

(ख) तथा (ग) अनेक मिलों ने गांठों को क्लियर नहीं किया और उसके परिणामस्वरूप निगम को गांठों को क्लियर करना पड़ा और उन्हें बाजार में बेचना पड़ा । ऐसी प्रत्येक मिल में प्रमाजित हानि की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4496/82]

(घ) निगम ने सभी दोषी मिलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है ।

एम० ई० एस० के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में श्रीनगर कश्मीर की बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रधान मंत्री को ज्ञापन

5229. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री 30 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में एम० ई० एस० अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और शक्तियों के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित जांच बोर्ड ने जांच कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में लगाए गए प्रत्येक आरोप का ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार द्वारा एम० ई० एस० विभाग में भ्रष्टाचार और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) जांच अदालत की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है । जांच अदालत के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त कारंवाई की जाएगी ।

विदेशों से उर्वरक का आयात

5230. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय ने उर्वरक आयात के लिए उनके मंत्रालय मुद्रा की मांग की है जबकि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय द्वारा उर्वरक आयात करने का असली पैमाने पर धन कमाना है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो विदेशों से उर्व करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा उर्वरकों के सम्बन्धित कार्यक्रम, खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य, देश में उत्पादन और देश में उर्वरकों आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों के निकट सहयो किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम मात्रा में आयात किय यह कहना ठीक नहीं है कि कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरक आयात करने का असली मकसद पर धन कमाना है। वास्तव में, कृषि मंत्रालय की ओर से उर्वरक के वास्तविक आयात खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है ताकि वास्तविक आवश्यकता अ उर्वरकों की उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके।

बैंक में गोलमाल

5231. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1982 की "आनलुकर्स" "बंगलिंग इन ए बैंक" शीर्षक से प्रकाशित उस जांच रिपोर्ट की ओर दिलाया गया भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करके विदेश यात्रा पर जाने वाले किसी व्यक्ति को बिना आवेदन के तथा निर्धारित पद्धति की बिल्कुल परवाह न करते हुए ऋण प्र बेनामी लेखा खोलने, बांदा बैंक में डाकेजनी, वसूली कक्ष द्वारा ठीक प्रकार से काम न बातों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार, बैंकों का ठीक प्रकार से काम काज न चलने कोई उच्च स्तरीय जांच कराने का है तथा उसकी रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कारपोरे मामलों के बारे में 15 जुलाई, 1982 की ओनलूकर नामक पत्रिका में छपे लेख की अ का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस प्रेस रिपोर्ट में निहित आरोपों में से अनेक स अस्पष्ट प्रकार के हैं और इसलिए उनकी जांच करना संभव नहीं है। अलबत्ता, बैंक की गयी सूचना के आधार पर स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

(1) कारपोरेशन बैंक की डी० एन० रोड शाखा द्वारा किये गये संवितरण सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की हैं। सांविधिक लेखा अनुसार उक्त शाखा के लेनदेन बैंक की शक्तियों के भीतर रहे हैं।

(2) एक कम्प्यूटर सर्विस फर्म को कारपोरेशन बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष ने एक ऋण मंजूर किया था और उसकी राशि बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से संवितरित की गयी थी। ऋणकर्त्ताओं का कहना है कि उन्हें मशीनों का एक अंश ही मिला और सप्लायर्स उन मांग ड्राफ्टों में से एक को धोखे से भुना लिया। मशीन के सप्लायरों और कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ऋणकर्त्ताओं ने आपराधिक शिकायत दर्ज करायी है। बकाया राशि की वसूली के बारे में बैंक अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

(3) बैंक के निदेशक-मण्डल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों पर एक पट्टेदार के रूप में कारपोरेशन बैंक ने बम्बई में अर्नेस्ट हाउस की पहली मंजिल पर अधिकार किया हुआ है। यह भवन पिछले 2 वर्षों से बैंक के कब्जे में है। इस भवन को असुरक्षित नहीं बताया गया है। इस भवन में आयकर विभाग, बम्बई सहित अनेक दूसरे किरायेदार भी हैं।

(4) राष्ट्रीयकरण से पहले इस बैंक ने एक पार्टी को, एक फिल्म के वितरण अधिकार प्राप्त करने के लिए एक ऋण स्वीकार किया था। बकाया ऋण पूरी तरह से सुरक्षित (सिक्योर) है।

(5) बैंक के डिवीजनल मैनेजर ने सितम्बर, 1981 में सिंगापुर और हांगकांग की यात्रा की थी। यह यात्रा कानूनी सलाह के आधार पर आवश्यक हो गयी थी। बैंक के निदेशक-मण्डल ने वसूली प्रक्रिया के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करने और विदेशी खरीदारों के कुछ बकाया बिलों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की दृष्टि से यात्रा का अनुमोदन किया था बशर्ते कि प्रस्तावित यात्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्बद्ध अधिकारी की यात्रा का अनुमोदन किया था और उसके लिए विदेशी मुद्रा रिलीज की थी। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 12,41,637 रु० की वसूली हुई। इस यात्रा की लागत 41506 रुपये थी। सम्बद्ध अधिकारी ने किसी ऋण को बट्टे खाते नहीं डाला है।

(6) इस बैंक की शाखाओं द्वारा बेनामी खाते खोलने और अन्य अनियमितताओं के आरोप अत्यन्त अस्पष्ट हैं और इसलिए उनकी जांच नहीं की जा सकती।

(7) यह तथ्य है कि कुछ मास पहले बैंक की बांद्रा शाखा में एक डकैती पड़ी थी। बैंक की कुछ ऐसी शाखाओं में भी जहां शिफ्टों में काम होता है सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। अलबत्ता, बांद्रा शाखा से लूटी गयी राशि बरामद कर ली गयी और अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया। जहां कहीं आवश्यक हो सुरक्षा के प्रबंधों को मजबूत करने के बारे में बैंक आवश्यक कदम उठा रहा है।

(8) किसी प्रोवेशनरी आफिसर के अपमानित किये जाने के आरोप से बैंक ने इन्कार किया है। बल्कि बैंक ने यह सूचना दी है कि उस प्रोवेशनरी आफिसर का कार्य-निष्पादन बिल्कुल संतोषजनक नहीं था और इसलिए उससे स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक हो गया था। उसका तबादला भी कर दिया गया ताकि वह बेहतर अनुभव प्राप्त कर सके और उसका परिवेश बदल जाए। किंतु वह ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ। अतः यह माना गया कि 18 मई, 1982 से वह अपनी नौकरी छोड़कर चला गया

(9) बैंक ने सूचना दी है कि उसका वसूली विषयक कार्य-निष्पादन बिल्कुल संतोषजनक रहा है। वसूली के बारे में सांविधिक रिपोर्टों और सूचना समीक्षा के लिए बैंक के निदेशक-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

(10) श्री पी० पी० भट्ट ने, जो कि बैंक के उस महाप्रबंधक थे, मार्च, 1981 से सेवा से त्याग पत्र दे दिया था।

(11) श्री वाई० एस० हेगड़े को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

(2) बैंक द्वारा सूचित किये गये तथ्यों को देखते हुए बैंक की कुव्यवस्था की किसी ऊंचे स्तर की जांच के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करता है। बैंकों के निरीक्षणों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक सम्बद्ध बैंकों के प्रबंधक वर्ग को उपयुक्त हिदायतें और सलाह भी देता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण

5232. **श्री अनन्त रामलु मल्लु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में स्थिति पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक अपने बुनियादी ढांचे को उत्तरोत्तर रूप से मजबूत बना रहे हैं और ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यथासम्भव ऋण देने के माध्यम से सहायता प्रदान करने की अपनी प्रक्रियाओं को सुचारू बना रहे हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान जुटाए गए कुल सावधि ऋण 2 करोड़ रुपये के थे। 1981-82 के दौरान ये बढ़कर 470 करोड़ रुपये के हो गए।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा/राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्र स्तरों पर समय-समय पर की जाती है तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा सूचित की गई कठिनाइयों पर यथासंभव समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए गुजरात के कुछ जिलों से ऋण वितरण हेतु आवेदन पत्र

5233. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र को "बैंक बल" योजना के अन्तर्गत जिला औद्योगिक विकास केन्द्रों के माध्यम से गुजरात के राजकोट, बलसार, भावनगर, अमरेली और अन्य जिलों से कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण और सहायता वितरित करने हेतु हजारों आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त जिलों से 1 फरवरी, 1980 से 30 जून, 1982 तक के दौरान इस प्रकार के कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ग) कितने आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है और प्रत्येक बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग को दिए गए ऋणों, सहायता तथा अर्थ सहायता का क्या ब्योरा है;

(घ) शेष आवेदन पत्रों का निपटान कब और कैसे किया जाएगा; और

(ङ) योजना की अनुमानित लागत कितनी है और उसका 1982-83 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कुटीर और लघु उद्योगों से भारत सरकार को प्रत्यक्ष ऋण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते। अलबत्ता, प्रत्येक राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों (डी० आई० सी०) द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों को ऋण सहायता दी जाती है। गुजरात राज्य में 17 जिला उद्योग केन्द्रों (डी० आई० सी०) द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों में प्राप्त सूचना में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, बैंकों को सिफारिश के साथ भेजे गए आवेदनों की संख्या और बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या तथा उनकी राशि के बारे में, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (अप्रैल से जून 1982) के वर्षों विषयक सूचना क्रमशः अनुबन्ध I, II और III में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4497/82]

(घ) ऋण सुविधाओं की समय से स्वीकृति के प्रयोजन से बैंकों को सलाह दी गई है कि उनके शाखा प्रबंधकों मे समुचित विवेकाधिकार शक्तियां निहित की जाएं ताकि 60 से 80 प्रतिशत ऋणों का निर्णय शाखा स्तर पर ही किया जा सके। 25,000 रुपए तक की ऋण सीमाओं और इस राशि से अधिक परन्तु 2 लाख रुपए तक की सीमाओं को सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से क्रमशः चार सप्ताहों और 8 से 9 सप्ताहों के भीतर निपटा दिया जाए।

(ङ) पूरे गुजरात राज्य (17 डी० आई० सी०) के लिए वर्ष 1982-83 के वास्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता देने के लिए अनुमानित लक्ष्य के रूप में 5904.30 लाख रुपए की राशि नियत की गई है।

दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र वाले देशों के साथ निर्यात व्यापार

5234. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्युनिस्ट देशों और दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के साथ निर्यात व्यापार के मामले में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र वाले देश अभ्रक व्यापार निगम से सीधे अभ्रक नहीं खरीदना चाहते; और

(ग) यदि हां, तो दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र वाले देशों के साथ बेहतर व्यापार सम्बन्धों की स्थापना के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया मुद्रा क्षेत्र के साथ होने वाले व्यापार को समान महत्व देती है।

(ख) चूंकि अभ्रक सरणीकृत मद है, इसलिए अभ्रक के निर्यात के लिए सभी संविदाएं, जिसमें दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को होने वाला निर्यात भी शामिल है, भारतीय अभ्रक व्यापार निगम, पटना के नाम में तय की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एफ० आई० सी० सी० के प्रतिनिधि मण्डल की विदेशों की यात्रा

5235. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के एक प्रतिनिधिमण्डल ने विदेशी सहयोग से तीसरे देश में उपक्रम लगाने की संभावना का पता लगाने हेतु कुछ क्षेत्रों की यात्रा की है;

(ख) क्या एफ० आई० सी० सी० आई० की टीम ने इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) क्या यह उपक्रम विशुद्ध रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा सरकार भी इसमें भाग देगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) वर्ष 1982 के दौरान, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघके तत्वावधान में तीन प्रतिनिधिमण्डल विदेश गये थे। तीनों प्रतिनिधिमण्डलों ने (1) मिस्र तथा नाइजीरिया (2) बहरीन, सऊदी अरबिया तथा दुबई और (3) स्वीडन का दौरा किया था। सामान्यत: स्वीकृत पद्धति के अनुसार इन देशों में इन प्रतिनिधिमंडलों के विचार-विमर्शों में जो तीन प्रमुख पहलू शामिल थे वे हैं : (क) द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन (ख) एक दूसरे के देश में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए गुंजाइश और (ग) तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की संभावना। फिक्की के प्रतिनिधि सामान्य तौर पर भारत तथा दौरा किये गये देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाता है और समझौतों की व्यवस्था करने में आवश्यक पहल करना, गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों दोनों में कम्पनियों पर छोड़ दिया जाता है।

चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध पैनल्टी दावे

5236. **श्री समीनुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ने निर्यात बचनबद्धता को पूरा न करने के लिए कार्यकारी समिति के सदस्यों सहित निर्यातकों के विरुद्ध कोई पैनल्टी दावे कर रखे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी चूकों की जांच करने के लिए सी० सी० आई० ई० जैसी किसी बाहर एजेन्सी से कोई निष्पक्ष जांच कराने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) अपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल ने सूचित किया है कि उन सभी मामलों को छोड़कर, जहां अपीलें अथवा कोर्ट के मामले दायर किये गये हैं, बैंक गारंटियों का आश्रय लेने के लिए कौंसिल द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। अ : कोई अन्य जांच करने की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता।

कन्ट्रोल के कपड़े के मूल्यों में कमी करना

5237. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्ट्रोल के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हो गई है, यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वृद्धि के कारण कन्ट्रोल के कपड़े का भारी भंडार प्राथमिक और सम्पर्क सोसाइटी स्तर पर, विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में, अनबिका पड़ा है; और

(ग) क्या भारत सरकार से वर्तमान मूल्यों को कम करने का अनुरोध किया गया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कंट्रोल के कपड़े की कीमतों में जो अप्रैल, 1974 से अपरिवर्तित रही हैं, 1-7-1981 से वृद्धि की गई है। 1974 में विद्यमान उपभोक्ता कीमतों पर मिल निर्मित नियन्त्रित कपड़े की उपभोक्ता कीमत में भारित औसत वृद्धि 88 प्रतिशत है।

(ख) कीमत में वृद्धि से कंट्रोल के कपड़े की बिक्री पर प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप कुछेक राज्यों के, जिनमें उड़ीसा शामिल है, वितरण अभिकरणों के पास ऐसे कपड़े के स्टाक जमा हो गये हैं।

(ग) कंट्रोल के कपड़े की वर्तमान कीमतें कम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन निर्धारित उपदान दरों तथा उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका। फिर भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने हाल ही में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को 2½ प्रतिशत से 7½ प्रतिशत तक की छूट दी है।

रख-रखाव और मरम्मत के काम में लगे कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस

5238. श्री बी० के० नायर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन बहुत सारे कर्मचारियों, विशेषकर रख-रखाव और मरम्मत के कार्य में लगे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस फार्मूले में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) अब तक उन्हें जो राशि अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में दी गई है; उसका ब्योरा क्या है;

(ग) फार्मूला कब तक तैयार किया जाएगा; और

(घ) क्या फार्मूला भूतलक्षी प्रभाव से उस समय से लागू किया जाएगा जब से इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों को भुगतान किया गया था ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस मन्त्रालय के अधीन लगभग 2.36 लाख कर्मचारियों को अभी उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना के अन्तर्गत लाया जाना है।

(ख) जिन कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना के अन्तर्गत पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है उन्हें उत्पादकता पर आधारित बोनस दिए जाने के लिए कोई उपयुक्त फार्मूला तैयार करने तक 1980 और 1981 में क्रमश: वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए तदर्थ आधार पर 15 दिनों की मजदूरी के बराबर बोनस का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) यह विचाराधीन है।

(घ) फार्मूला अन्य मामलों की तरह वर्ष 1979-80 तथा उसके बाद से लागू होगा।

गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन

5239. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कभी-कभी गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक, दलाली के भुगतान बीमा प्रीमियम और सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी एजेंसियों के लिए अल्पावधि जमा राशि को स्वीकार करने आदि के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करती है;

(ख) क्या यह सच है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक (एक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक) ने सितम्बर, 1977 में निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार का बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) कितने गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन किया है और उसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की हानि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० समेत गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किए गए ऐसे उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आए थे। मामलों को सम्बन्धित बैंकों से उठाया गया और रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित किया था कि इस विषय पर उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का, इन बैंकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले समय में जानकारी में आए उल्लंघनों के सम्बन्ध में समेकित आंकड़े तत्काल सुलभ नहीं हैं।

दानापुर छावनी बोर्ड के निवासियों को हो रही कठिनाइयां

5240. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र के निवासियों को गंदगी, पेयजल, अत्यधिक करों तथा सड़कों की दयनीय स्थिति सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समस्याओं के कारण वहां के निवासियों में भारी असन्तोष है; और

(ग) यदि हां, तो इस असन्तोष को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. कचरा उठाने के लिए वाहनों की कमी के कारण दानापुर छावनी में सफाई का प्रबन्ध कुछ सन्तोषजनक नहीं है । सफाई के बेकार वाहनों को बदलने के लिए बोर्ड को 1976-77 और 1978-79 में 2,20,000 रुपए मंजूर किए गए थे । 1982-85 में एक ट्रक और ट्रेलर सहित एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 2,62,300 रुपए के विशेष सहायता अनुदान की मंजूरी का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

2. सिविल क्षेत्र में नालियों की व्यवस्था भी अपर्याप्त है और उनके नवीकरण/मरम्मत करने की आवश्यकता है । छावनी में 1971 तथा 1976 की बाढ़ से नालियां बहुत खराब हो गई थीं और छावनी बोर्ड ने 9.58 लाख रुपए की लागत से नालियों के नवीकरण/मरम्मत की एक पंचवर्षीय योजना बनाई है । ये प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं ।

3. सिविल जनता को पीने के पानी की सप्लाई 25 गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से की जाती है, जो किसी भी हालत में अपर्याप्त नहीं है । जल पूर्ति में सुधार करने के लिए बोर्ड को वर्ष 1978-79 तथा 1980-81 के लिए 7,05,800 रुपए का विशेष सहायता अनुदान दिया गया था । जलपूर्ति में सुधार करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में निर्मित ओवर हैड टैंक को अभी चालू नहीं किया गया है और इस टैंक के चालू हो जाने के बाद स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा । उस समय पीने के पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 गैलन तक पहुंच जाने की आशा है ।

4. यह कहना सही नहीं है कि दानापुर छावनी के निवासियों पर अधिक टैक्स लगाया जा रहा है । छावनी क्षेत्र में लगाए गए टैक्स लगभग वही हैं जो निकटवर्ती नगरपालिका में लगाए जाते हैं । छावनी में आबादी के हिसाब से कर 7.49 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है जबकि निकटवर्ती नगरपालिका में यह दर 7.14 रुपए प्रति व्यक्ति है ।

5. 1971 और 1976 की बाद से छावनी में बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है । इस कार्य के लिए बोर्ड को 1978-79 और 1979-80

में 8,30,000 रुपए का विशेष सहायता अनुदान मंजूर किया गया था। सड़कों की मरम्मत का कार्य डिपाजिट कार्य के रूप में एम० ई० एस० को सौंप दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय में संवर्ग बाह्य पद

5241. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत अनेक संवर्ग बाह्य हैं और उन संवर्ग बाह्य पदों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन कुछ संवर्ग बाह्य पदों में पदोन्नति पूरी तरह से रुकी हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुलेखकार के पदों पर नियुक्त व्यक्ति उसी वेतनमान पर 30 वर्ष से अधिक समय की सेवा करने के उपरांत भी अभी तक काम कर रहे हैं जिस पर वे नियुक्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों को इन श्रेणियों के साथ न्याय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

5242. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के काफी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में चार वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं यदि हां, तो इन क्षेत्रों में काम करने की एक कर्मचारी की सामान्य अवधि कितनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता मुख्यालय द्वारा जून, 1982 में कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने के बावजूद इन आदेशों को प्रभागीय कार्यालय, शिमला द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) प्रभागीय कार्यालय, शिमला के पास कितने ऐसे मामले लम्बित हैं और मुख्यालय के आदेश को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन स्थानान्तरण आदेशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचना दी है कि अपने सेवा काल में एक अधिकारी को 7 से 8 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी होती है। किसी ग्रामीण शाखा में एक अधिकारी की सामान्य कार्यावधि 3 से 4 वर्षों की होती है लेकिन यदि कार्य की आवश्यकता हो तो उसे अधिक समय तक वहां रखा जा सकता है।

बैंक के हिमाचल प्रदेश डिवीजन में ऐसे कई अधिकारी हैं जो 4 वर्षों से अधिक समय से उन्हीं ग्रामीण शाखाओं में कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) जून, 1982 में, बैंक के मुख्य कार्यालय द्वारा स्केल-1 के 15 अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश जारी किए गए थे। कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इन्हें अभी तक क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सका है लेकिन बैंक का अनुमान है कि सितम्बर, 1982 के अन्त तक ऐसा कर दिया जाएगा।

केनारा बैंक द्वारा रामकृष्णपुरम में प्रात: कालीन शाखाएं खोलना

5243. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कुछ समय पहले केनारा बैंक को यह सुझाव दिया था कि वे दिल्ली में रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में प्रातःकालीन शाखाएं 8.30 बजे प्रात: खोलें ताकि दफ्तर जाने वाले लोगों को लेन देन के लिए अधिक समय मिल सके;

(ख) क्या रामकृष्णपुरम के निकट शांति निकेतन में इंडियन बैंक की शाखा प्रातः 8.30 बजे खुलती है; और

(ग) यदि हां, तो केनरा बैंक रामकृष्णपुरम (सेक्टर 7) द्वारा प्रात: के समय एक समान समय न करने के क्या कारण हैं क्योंकि दफ्तर जाने वालों को प्रात: लेन देन के लिए बहुत कम समय मिल पाता है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। दक्षिणी दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस आशय का एक सुझाव दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) केनारा बैंक समेत कुछ बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में कुछ परिचालनात्मक कठिनाइयों के बारे में सूचित किया है।

खोई से कागज बनाने के लिए उत्पादन शुल्क में छूट की अवधि में वृद्धि करना

5244. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोई से कागज बनाने वाले कुछ औद्योगिक एककों ने सरकार से उत्पादन-शुल्क में छूट की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में एयर इंडिया का अतिथि गृह

5245. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल में राजधानी में एक अन्य अतिथि गृह स्थापित किया है जबकि इसके द्वारा दो अतिथि गृह पहले से चलाए जा रहे हैं; यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए आनन्द निकेतन में एक नया मकान किराए पर लेने के क्या कारण हैं, यह कितने मासिक किराए खरीदा गया है और वहां पर रखे गए स्टाफ पर कितना व्यय होता है;

(ख) आनन्द निकेतन अतिथि गृह के लिए किस प्रकार सौदे की बातचीत हुई;

(ग) राजधानी में दो अतिथि गृहों की व्यवस्था करने पर कितना वार्षिक व्यय पहले से ही किया जा रहा है और इस तीसरे अतिथि गृह पर कितना वार्षिक व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) वर्तमान अतिथि गृह आवास का पूल बनाने के लिए सरकारी उपक्रमों समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रति एयर इंडिया क्यों उदासीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस के हैदराबाद इंजीनियरिंग बेस में कर्मचारियों की छंटनी

5246. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के हैदराबाद इंजीनियरिंग बेस में किसी कर्मचारी को निकालने या छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस समय हैदराबाद में विमानों के रख-रखाव का कितना कार्य होता है; और

(ग) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एच० एस०-748 विमान के एयरफ्रेम तथा इसके सहायक कल-पुर्जों की ओवरहाल तथा सर्विसिंग, इंजिन के पुर्जों, भारी साधारण कार्यों आदि के लिए, हैदराबाद मुख्य इंजीनियरिंग "बेस" है। हैदराबाद में उतरने वाली एच० एस०-748, एयरबस तथा बी०-737 विमान की उड़ानों के बीच के समय में किए जाने वाले निरीक्षणों के अलावा साधारण डिवीजन एच० एस०-748 के रात्रि-कालीन नेमी कार्यों को भी देखती है। एक पूर्ण वैज्ञानिक संगठन भारतीय वायु सेना के एच० एस०-748 विमान के कल-पुर्जों की ओवरहॉल करने के अलावा इंडियन एयरलाइन्स के सभी एच० एस०-748 विमानों के वैद्युत, उपकरण तथा रेडियो कल-पुर्जों की ओवरहाल तथा सर्विसिंग का कार्य भी करता है। हैदराबाद "बेस" नेशनल रिमोट सैंटिंग एजेंसी

के एच० एस०-748 विमानों के परिचालनगत संधारण तथा मुख्य जांचों का कार्य भी करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु सीमेंट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

5247. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को लघु सीमेंट परियोजनाओं की ओर से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितनी और किन-किन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी मिल चुकी है तथा प्रत्येक संयंत्र के मामले में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है;

(ग) क्या कोई आवेदन रद्द किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास ये आवेदन कब से लम्बित हैं; और

(ङ) शेष आवेदनों पर कब तक कार्यवाही हो जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जुलाई, 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, मिनी-सीमेंट परियोजनाएं स्थापित करने के वास्ते प्रत्यक्ष सहायता के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) को 37 आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) वित्तीय संस्थाओं ने, अब तक, 13 मिनी-सीमेंट परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत की है। इनके नाम और स्वीकृत सहायता की राशि विवरण में दी गई है।

(ग) संस्थाओं ने, अब तक, 3 आवेदन-पत्रों को रद्द किया है। इनमें से दो आवेदन पत्रों को, प्रवर्तकों की असंतोषजनक साख रिपोर्टों और तीसरे को, संस्थाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का प्रवर्तकों द्वारा जवाब न दिए जाने की वजह से रद्द किया गया।

(घ) और (ङ) 31.7.82 की स्थिति के मुताबिक, वित्तीय संस्थाओं के पास प्रत्यक्ष सहायता की स्वीकृत के वास्ते, मिनी-सीमेंट परियोजनाओं से प्राप्त 21 आवेदन-पत्र बकाया थे। ये आवेदन पत्र पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त हुए हैं। इन 21 आवेदन पत्रों में से 8 सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं और शेष 13 आवेदन पत्रों पर भी चरणबद्ध में विचार किया जाएगा।

विवरण

उन मिनी सीमेंट परियोजनाओं के नाम जिन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा प्रत्येक मामले में स्वीकृत राशियां

कंपनी का नाम	कुल सहायता
1 2	3
1. दक्कन सीमेंट	482
2. ककातिया सीमेंट	508

1	2	3
3.	नागार्जुन सीमेंट	520
4.	सोमनसोडा सीमेंट एंड केमिकल्स	501
5.	कर्नाटक सीमेंट	475
6.	कर्नाटक मिनरल्स एंड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०	475
7.	श्रीराम सीमेंट	540
8.	अमीरगढ़ सीमेंट	467
9.	राधाकृष्ण सीमेंट	400
10.	पंचमहल सीमेंट	475
11.	घर सीमेंट	475
12.	ए० आर० सी० सीमेंट	354
13.	स्वदेशी सीमेंट	475

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

5248. **श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में 1981-82 में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और उक्त अवधि में वे कहां-कहां खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने उड़ीसा में अपने शाखा जाल में 28 और शाखाओं की बढ़ोत्तरी की है जिससे कि दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक इस राज्य में इसकी शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 290 हो गई थी। उक्त तारीख को बैंक के पास इस राज्य में 27 और कार्यालय खोलने के लिए आवंटन पत्र/लाइसेंस भी थे। खोली जाने वाली इन शाखाओं से सम्बन्धित स्थानों के नामों का पता लगाया जा रहा है और इन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

अप्रैल, 1982 के आरम्भ से रिजर्व बैंक ने शाखा विस्तार की नयी नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औसतन प्रति 17000 की जन-संख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय की व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के अनुपालन में, उड़ीसा राज्य के 13

जिलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले केन्द्रों में ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएं खोलने के वास्ते,1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के दौरान, 350 अतिरिक्त आवंटन पत्र/लाइसेंस जारी किये जाने की सम्भावना है। इसमें से कुछ को भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित किया जा सकता है। अलबत्ता, उनकी वास्तविक संख्या तथा अवस्थिति की जानकारी उड़ीसा के वास्ते शाखा विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर ही प्राप्त हो सकती है।

अशोक होटल के लिए परिक्रामी (रिवाल्विंग) रेस्तरां

5249. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के ऊपर परिक्रामी रेस्तरां बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई और यह कब तक तैयार हो जायेगा;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) क्या देश के किसी अन्य होटल में ऐसा टावर है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) परिक्रामी रेस्तरां का टावर ब्लाक पांचवें फ्लोर लेवल तक पूरा हो चुका है। बकाया काम को पूरा करने के लिए स्कीम कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाएगी बशर्ते व्यवहार्यता अध्ययन सन्तोषजनक हों और संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 156 लाख रुपये है।

(घ) फिलहाल आई० टी० डी० सी० के किसी भी होटल में जबकि कोई परिक्रामी टावर रेस्तरां नहीं है, बम्बई में दो अन्य होटलों सी-रॉक होटल और होटल अम्बेसडर में सरकारी रिकार्ड के अनुसार परिक्रामी टावर हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन

5250 **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उक्त परिवर्तन वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुरूप ही किए गए हैं;

(ग) नयी पद्धति आरम्भ करते समय क्या नई योजनाएं जोड़ी गई हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की वर्तमान पद्धति में किसी तरह का परिवर्तन करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। फिर भी, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति ने जुलाई 1982 में हुई अपनी 31वीं बैठक में राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रशिक्षण की प्रणाली को पुनर्गठित करने के बारे में कई सिफारिशें की हैं।

समिति द्वारा सुझाया गया मूल परिवर्तन यह है कि जूनियर डिवीजन दलों को, जो कि अब तक सीनियर डिवीजन यूनिटों से सम्बद्ध हैं, अलग और स्वतन्त्र डिवीजन बना दिया जाये। उन्होंने यह सिफारिश भी की कि प्रशिक्षण कैडेट के वर्तमान 1 : 50 के अनुपात में सुधार करके उसे 1 : 36 कर दिया जाए।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को शिक्षा की वर्तमान 10+2+3 प्रणाली के अनुरूप युक्तिसंगत बनाया जाए। युक्तिसंगत बनाने की प्रस्तावित प्रणाली के अन्तर्गत जूनियर और सीनियर डिवीजन के लड़के और लड़कियों के लिए विविध प्रमाण पत्रों की पद्धति समाप्त कर दी जाए और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी कैडेटों के लिए केवल निम्नलिखित तीन प्रमाण पत्र होंगे :

(I) राष्ट्रीय कैडेट कोर के जूनियर डिवीजन को "ए" प्रमाण पत्र दिया जाए—अर्थात कक्षा दस तक।

(II) जूनियर डिवीजन के एक भाग के रूप में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लड़के और लड़कियों को (+2 स्तर) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण लेने पर "बी" प्रमाण पत्र दिया जाए।

(III) सीनियर डिवीजन (+3 स्तर के) कैडेटों को "सी" प्रमाण-पत्र दिया जाए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर को पुनर्जीवित करने के लिए सलाहकार सीमित ने कई अन्य सिफारिशें भी की हैं। इनमें कई साहसिक कार्यकलाप शामिल हैं जैसे परा सेलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पानी में स्कीइंग और और सर्फ राइडिंग, नौका बिहार और नौका चालन। समिति ने इनमें अतिरिक्त रिमाउंट और वेटरिनेरी स्क्वाड्रनों तथा साथ ही वायु स्क्वाड्रनों भी वृद्धि करने की सिफारिश की है।

इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए सरकार को अभी इन पर विचार करना है।

भारतीय उत्पाद आयात करने में बुरुन्डी द्वारा दिखाई गई रुचि

5251. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरुन्डी ने भारत से उत्पाद आयात करने में रुचि दिखाई थी;

(ख) क्या उस देश ने भारत के साथ सहयोग करने में भी रुचि दिखाई है;

(ग) क्या उत्पादों और परियोजनाओं की सूची भारत को सप्लाई की गई थी; और

(घ) भारत ने बुरुन्डी को किस प्रकार की सहायता और सुविधाएं देने की पेशकश की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने प्रतियोगी कीमतों पर बुरुन्डी द्वारा अपेक्षित माल की सप्लाई करने के लिये तथा लघु उद्योगों को स्थापित करने में सहायता देने की पेशकश की है। हमने बुरुन्डी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की भी पेशकश की है। बुरुन्डी की सरकार से विपक्षीय औद्योगिक सहयोग के लिये विशेष परियोजनाओं का पता लगाने के लिये अनुरोध किया गया है।

इंजीनियरी के सामान की निर्यात स्थिति

5252. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी सामान के उत्पादकों के साथ मिलकर सरकार ने उस सामान की निर्यात स्थिति का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इंजीनियरी सामान के अनेक प्रमुख उत्पादक अपने उत्पादन के एक हिस्से को निर्यात के लिये नियत करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के बाजारों में इंजीनियरी सामान की कमी हो जाएगी; और

(ङ) क्या सरकार कुछ भारतीय फर्मों को जापानी उद्योगपतियों के सहयोग से उनके देश में अपने कारखाने लगाने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 15 तथा 17 जुलाई, 1982 को वाणिज्य सचिव इंजीनियरी क्षेत्र में प्रमुख विनिर्माताओं से मिले। देश के औद्योगिक विकास में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने यह बताया कि वे हमारे निर्यात प्रयासों में अधिक से अधिक वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सकते। विनिर्माता यूनिटों से आग्रह किया गया कि वे एक निर्यात प्रकोष्ट खोलें और घरेलू उपलब्धता पर असर डाले बिना निर्यात के लिये अपने उत्पाद का एक भाग निर्धारित करें।

(ङ) तीसरे देशों में परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन के लिए भारतीय फर्मों तथा जापानी फर्मों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत समुद्री प्रोसेसिंग यूनिटें

5253. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कुल कितनी समुद्री यूनिटें पंजीकृत हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में इस समय कुल कितनी पंजीकृत समुद्री उत्पाद प्रोसेसिंग यूनिटें हैं;

(ग) ऐसी कितनी समुद्री उत्पाद प्रोसेसिंग यूनिटें रुग्ण हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन रुग्ण यूनिटों को पुनः चालू करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम० पी० ई० डी० ए०) के पास पंजीकृत समुद्री प्रोसेसिंग यूनिटों की कुल संख्या 432 है।

(ख) ऐसी यूनिटों की कुल संख्या, जो इस समय विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, नीचे दी गई हैं :

केरल	120
कर्नाटक	28
तमिलनाडु	41
आन्ध्र प्रदेश	18
महाराष्ट्र	42
गुजरात	26
गोआ	18
पश्चिम बंगाल	30
उड़ीसा	15
योग	320

(ग) जो समुद्री उत्पाद प्रोसेसिंग यूनिटें रुग्ण पड़ी हैं उनकी संख्या 22 है। इन यूनिटों के रुग्ण होने के कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) श्रमिक समस्याएं, कतिपय यूनिटों में प्रबन्धकीय अयोग्यता और निधियों का विपथन;

(2) अस्थिर बाजार स्थिति;

(3) क्वालिटी समस्याएं, जिसके कारण अमरीकी बाजार में भारतीय श्रिम्प का ब्लाक-लिस्ट किया जाना और तदनुसार अमरीकी वेत्ताओं द्वारा चयनात्मक खरीद;

(4) श्रिम्प की अपर्याप्त उतराई; और

(5) डिब्बाबन्द मदों के स्थान पर बर्फ से जमाई हुई मदों के कारण बाजार ढाँचे में परिवर्तन ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने छोटे रुग्ण यूनिटों को पुनर्जीवित करने के लिये मार्जिन वित्त योजना तैयार की है ताकि राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य संस्थानों के विभिन्न प्रयासों की अनुपूर्ति की जा सके ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी-एक के अधिकारियों को महंगाई-भत्ता

5254. **श्री हरिहर सोरन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी-एक के अधिकारियों का महगाई भत्ता नवम्बर से रिलीज नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की परिलब्धियां वाणिज्यिक बैंकों जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं में तुल्य पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के समान ही हैं । तदनुसार, जब भी उचित समझा जाता है उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण के बारे में शिकायतें

5255. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अपेक्षित ऋण नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने शिकायतें की हैं और गरीबों को सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों और प्राप्तियों में वर्तमान अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक अपने बुनियादी ढांचे को उत्तरोत्तर रूप से मजबूत बना रहे हैं और ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यथासम्भव ऋण देने के माध्यम से सहायता प्रदान करने की अपने प्रक्रियाओं को सुचारु बना रहे हैं । वर्ष 1980-81 के दौरान जुटाए गए कुल सावधि ऋण 207 करोड़ रुपये के थे । 1981-82 के दौरान ये बढ़कर 470 करोड़ रुपये के हो गये ।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तरों पर समय-समय पर की जाती है तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा सूचित की गई कठिनाइयों पर यथासम्भव समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है ।

निर्यात संवर्धन परिषद के सह-सदस्यों को मताधिकार से वंचित करना

5256. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत आयात निर्यात संवर्धन परिषद के सह-सदस्यों को मत देने के अधिकार से वंचित करने सम्बन्धी मामले की जांच की है;

(ख) निर्यात सम्बर्धन परिषद को उसके अनुच्छेदों में संशोधन करने की सलाह देने सहित, उसके परिणामस्वरूप की गई कार्यवाही का क्या ब्योरा है और उसकी तारीख क्या है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, नई दिल्ली तथा कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, नई दिल्ली के सम्बन्ध में इस मामले की हाल ही में जांच की गई है ।

(ख) कम्पनी ला बोर्ड, कानपुर ने कम्पनियों के रजिस्ट्रार को सलाह दी कि वे कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल को इस सम्बन्ध में लिखें कि वे अपने संगम अनुच्छेदों को कम्पनी अधिनियम के अनुरूप लाने के लिये उनमें संशोधन करें । कम्पनी ला बोर्ड ने 14 अप्रैल, 1982 तथा 30 अप्रैल, 1982 को ए० ई० पी० सी० को भी इसी प्रकार की सलाह दी । मामले पर ए० ई० पी० सी० विचार कर रहा है जिन्होंने सूचित किया है कि मामला न्यायाधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया में सफाई कर्मचारियों का चपरासी संवर्ग में अन्तरण

5257. **श्री चक्रधारी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सफाई-कर्मचारियों को चपरासी संवर्ग में अन्तरित करने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया था; यदि हां, तो उसके लिए सेवा अनुभव और शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी न्यूनतम योग्यता मानदंड क्या है;

(ख) क्या उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, यदि हां, तो क्षेत्रवार सफल घोषित सफाई कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ग) चपरासी संवर्ग में अन्तरण के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले सफाई कर्मचारियों की क्षेत्रवार विवरण सहित कुल संख्या क्या थी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कुछ क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के चपरासियों के संवर्ग में स्थानान्तरण के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई हैं । इस प्रकार की परीक्षा की पात्रता के वास्ते उम्मीदवारों के लिए सफाई कर्मचारी/फराश/हमाल के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है और वह कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे कि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा पढ़ने में समर्थ हो ।

(ख) और (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उक्त परीक्षाएं जहां भी आयोजित की गई थीं उनके परिणाम घोषित कर दिये गए थे। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की क्षेत्र-वार संख्या और उसमें सफलता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

क्षेत्र	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	सफलता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या
अहमदाबाद	2	2
बम्बई	19	19
हैदराबाद	2	2
लखनऊ	2	शून्य

मद्रास क्षेत्र में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, क्योंकि वहां कोई पात्र उम्मीदवार नहीं था। शेष छः क्षेत्रों अर्थात् भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना तथा पुणे के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सिंडीकेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण

5258. श्री आर० एन० राकेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंडिकेट बैंक ने सीधी भरती तथा पदोन्नति द्वारा अपने विभिन्न केडरों और ग्रेडों के भरे गये पदों में आरक्षण की योजना किस तारीख से क्रियान्वित की है;

(ख) सिंडिकेट बैंक में 30 जून, 1982 के अनुसार कर्मचारियों की संवर्ग-वार और ग्रेड-वार संख्या क्या है और उनमें से अनुसूचित जाति तथा, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) सिंडिकेट बैंक में उसके विभिन्न केडरों और ग्रेडों के पदों में "बैकलॉग" के पद कितने हैं; और

(घ) इस पिछली कमी को पूरा करने के लिए बैंक क्या प्रयास कर रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिंडिकेट बैंक द्वारा सीधी भर्ती में आरक्षण राष्ट्रीयकरण के तुरन्त पश्चात् आरम्भ कर दिया गया था, जबकि पदोन्नति में आरक्षण जून, 1978 में आरम्भ किया गया।

(ख) 30-6-82 की स्थिति के अनुसार सिंडीकेट बैंक में कार्यरत अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों सहित संवर्गवार कर्मचारियों की कुल संख्या की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, 1-1-1982 की स्थिति के अनुसार यह सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु० जाति/अ० जनजाति
अधिकारी	6,375	485
लिपिक	17,268	2,631
अधीनस्थ स्टाफ	3,557	1,082

(ग) और (घ) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि 31-12-81 की स्थिति के मुताबिक भरने के शेष आरक्षित रिक्तियों की पिछली बकाया निम्नलिखित थीं :

(क) सीधी भर्ती

संवर्ग	अनु० जाति	अनु० जनजाति
अधिकारी	79	106
लिपिक	289	418
अधीनस्थ स्टाफ	11	47

(ख) लिपिक संवर्ग से अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति :

अनु० जाति-23 अनु० जनजाति-71

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे, जहां आवश्यक समझें, पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के वास्ते अलग से विशेष भर्ती करें।

भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र कुकिंग गैस कनेक्शन एजेन्सी/ रेलवे कैंटीन, स्टाल आवंटित करना

5259. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाइरेक्ट्रेट आफ रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन में भूतपूर्व सैनिकों को चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कोई पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र, कुकिंग गैस कनेक्शन एजेन्सी, और रेल स्टेशनों पर रेलवे कैंटीन/स्टाल/ट्राली का आवंटन सुनिश्चित करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्सियों के आवंटन के मामले में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और अन्धे कार्मिकों सहित युद्ध में अशक्त हुए सेवा कार्मिकों के लिए 15% आरक्षण किया है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/युद्ध में अशक्त हुए सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग और विशेष रूप से कोई आरक्षण नहीं किया

गया है। पुनर्वास महानिदेशालय गैस की एजेन्सियों के आवंटन के लिए युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/युद्ध में अशक्त हुए कार्मिकों के नामों की सिफारिश पेट्रोलियम मन्त्रालय से करता है जो कि इस प्रकार की एजेन्सियों का वास्तव में आवंटन करता है।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों को रेलवे कैंटीन/स्टाल आदि के आवंटन करने का प्रश्न है जब कभी वेंडिंग कन्ट्रेक्टों के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने के बारे में क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धकों से सूचना प्राप्त होती है तो इस बारे में राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों में पर्याप्त प्रचार किया जाता है ताकि वे इस प्रकार की निविदाओं के अनुसार आवेदन कर सकें।

महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाने के परिणामस्वरूप सेवा निवृत्ति लाभ

5260. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 320 अंक तक महंगाई भत्ता मिला देने से 31 जनवरी, 1982 से 26 जून, 1982 के बीच सेवा निवृत्त होने वाले लोग महंगाई भत्ते के आधे भाग के विलय के हकदार हो जायेंगे जबकि 29 जून, 1982 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले लोग महंगाई भत्ते के पूरे भाग के लिये हकदार हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो यह तिथियां निर्धारित करने के क्या कारण हैं जिससे 31 जनवरी, 1982 से 29 जून, 1982 के बीच सेवा निवृत्त होने वाले सभी लोग नुकसान में रहेंगे क्योंकि उन्हें भी महंगाई भत्ता आनुपातिक रूप से नहीं मिलेगा;

(ग) उक्त तिथियों के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले लोगों के समक्ष आने वाली भेदभाव-पूर्ण और अहितकर स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में इस आशय के अभ्यावेदन भी उन्हें भेजे गए हैं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य पेंशन नियमावली के अन्तर्गत, उक्त आदेशों का पूर्ण लाभ उन व्यक्तियों को स्वीकार्य होता जिन्होंने कम से कम 10 महीने की अवधि के लिए उक्त महंगाई वेतन को प्राप्त किया था। उन व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए महंगाई वेतन प्राप्त किया था, इस सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी लाभ उसके अनुरूप कम होता। सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए रियायत के रूप में यह निर्धारित किया गया कि जो आदेशों के लागू होने की तारीख से 5 महीने के भीतर सेवा निवृत्त हों, उन्हें महंगाई वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा तक लाभ दिया जाए जबकि इस अवधि से आगे सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पूरा लाभ दिया जाए। इस प्रकार ये आदेश उनसे अपेक्षाकृत अधिक उदार थे जो सामान्य नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य होते।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विनियम भाग 1 का मुद्रण

5261. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त विनियम भाग 1 (संशोधित संस्करण) 1963, जो लगभग पिछले पांच वर्षों से समीक्षा/मुद्रण के अधीन बताई जा रही थी, मुद्रित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विनियम पुस्तिका के मूल पाठ को जिसमें पाठ से अधिक संशोधन किए गए हैं; मुद्रित करने में असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा संशोधित मसौदे की जांच की जा रही है, जिसे तेजी से किया जा रहा है।

सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण विभागों के लिए न्यायाधिकरण का गठन तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

5262. **श्री सत्यनारायण जटिया** :

श्री भीखा भाई :

श्री रामी भाई मावणि :

क्या वित्त मन्त्री सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण विभागों के लिये न्यायाधिकरण का गठन तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के बारे में 16 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भिक नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण 22.5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो 22 सदस्यों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियन्त्रण न्यायाधिकरण में कितने सदस्य (तकनीकी/न्यायिक) नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) क्या भारत सरकार की नीति के अनुसार 22 सदस्यों के उपरोक्त न्यायाधिकरण में कम से कम 6 सदस्य नियुक्त किये जाने चाहिये अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 22.5 प्रतिशत पद आरक्षित हों; और

(घ) यदि हां, तो सदस्यों की नियुक्ति के लिये ऐसे नियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं जिससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीधी भर्ती द्वारा जो पद भरे जाते हैं उन पर नियमित नियुक्ति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण 22.5 प्रतिशत है ।

(ख) तथा (ग) जैसा अतारांकित प्रश्न संख्या 4299 के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है कि अभी न्यायाधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं की गई है । जब तक ये नियुक्तियों नहीं की जातीं, यह कहना सम्भव नहीं है कि इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा ।

(घ) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि जैसा अतारांकित प्रश्न संख्या 4299 के भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

अधीनस्थ लेखा सेवाओं में आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन

5263. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री अधीनस्थ लोक सेवा भाग-एक और दो परीक्षाओं में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में 2 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1982 को सामान्य तथा आरक्षित श्रेणियों के कितने स्थायी और स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (लेखा) थे;

(ख) अनुभाग अधिकारियों (लेखा) के ग्रेड में सभी रिक्त पद भरने तक की छूट पर रोक लगाने के क्या विशिष्ट नियम हैं;

(ग) क्या अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है, यदि हां, तो उक्त पद (जिस पर सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है) को उन वर्तमान आदेशों के क्षेत्राधिकार से कैसे बाहर निकाला गया जिनमें ऐसे सभी पदों में निर्धारित प्रतिशतता तक के आरक्षण का प्रावधान है जिनमे सीधी भर्ती का अंश 66 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है; और

(घ) उपरोक्त (ख) भाग के विसंगत प्रावधानों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 3108, जिनमें से 183 आरक्षित श्रेणी के हैं ।

(ख) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अर्हक (क्वालीफाइंग) स्तर में इतनी छूट दी जाय कि अनुभाग अधिकारी (लेखा) ग्रेड के सभी पद भरे जा सकें । वर्तमान आदेशों के अनुसार उस परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा सामान्य उम्मीदवारों के स्तर, पद आदि पर नियुक्ति के लिए योग्यता के न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखकर प्रत्येक बार छूट की मात्रा निर्धारित की जाती है ।

(ग) भर्ती नियमों में व्यवस्था है कि अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर अधीनस्थ लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों में से 20 प्रतिशत सीधी भरती की जाती है ।

(घ) उक्त (ख) में दी गई स्थिति को देखते हुए ऐसी कोई असंगति नहीं है, जिसका सुधार किया जाना हो।

इन्टमनेशनल डैवेलपमेंट एसोसिएशन द्वारा दूरसंचार के काम का प्रसार करने हेतु ऋण देने का प्रस्ताव

5264. **श्री सी० पलानी अप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टरनेशनल डैवेलपमेंट एसोसिएशन ने दूर संचार के काम का विस्तार करने हेतु कितनी धनराशि का ऋण देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) तमिलनाडु सर्किल में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टरनेशनल डैवेलपमेंट एसोसिएशन) ने दूर संचार के काम का विस्तार करने हेतु किसी नई ऋण शृंखला का प्रस्ताव नहीं किया गया है। भारत भर में वर्तमान दूरसंचार के काम के विस्तार के साथ-साथ, आठवीं दूर-संचार परियोजना (1112-आई० एन०) के अन्तर्गत 3140 लाख अमेरिकी डालर की ऋण शृंखला पहले से ही विद्यमान है। सर्किल वार किसी धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में वायुदूत सेवाएं

5265. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई-रत्नगिर-कोल्हापुर-बम्बई, नागपुर-अकोला, चन्द्रपुर-नागपुर, बम्बई-नासिक-जलगांव-औरंगाबाद-बम्बई मार्गों पर तीसरे स्तर की वायु सेवा चलाए जाने के बारे में प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या सरकार ने इन मार्गों को वायुदूत सेवा के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो वायु-दूत की उड़ानें कब से शुरू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जी० आई० सी० के विभिन्न कार्यालयों में लम्बित दावे

5266. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० आई० सी० के विभिन्न कार्यालयों में मोटर बस, स्कूटर दुर्घटनाओं के बारे में तीसरी पार्टी के पिछले तीन वर्षों के दौरान लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी ही गाड़ी के दावों की लम्बित संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने मामलों को गैर-सरकारी एजेंसियां/स्वतन्त्र रूप सर्वेक्षण करने वालों को भेजा गया है;

(घ) इनमें से कितने दावों को वेतन पाने वाले निरीक्षकों को भेजा गया है;

(ङ) जब पर्याप्त रूप से दावा निरीक्षक उपलब्ध हैं तो ये मामले गैर-सरकारी एजेंसी को क्यों भेजे गए हैं; और

(च) क्या गैर-सरकारी/स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करने वालों ने नियुक्त किए गए दावा निरीक्षकों से अधिक समय लिया है और वेतन पाने वाले निरीक्षकों की तुलना में यह महंगा भी है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से पहले आटोमोबाइल दावों को निपटाने के लिए कुछ कम्पनियों ने डिप्लोमाधारियों को निरीक्षकों के रूप में भर्ती किया था । जिन एककों में ऐसी भर्ती की थी उन्हें साधारण बीमा निगम को दो सहायक कम्पनियों अर्थात् न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और यूनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में मिला दिया गया था । "साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों का युक्तिकरण और संशोधन) योजना 1974" को अधिसूचित किए जाने के बाद साधारण बीमा निगम की किसी सहायक कम्पनी ने मोटर दावों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए किसी डिप्लोमाधारी को नियुक्त नहीं किया है। बीमा अधिनियम की शर्तों के अनुसार जहां दावे की राशि 20,000 रुपए से अधिक हो वहां कम्पनियों के लिए विधिवत लाइसेंसधारी व्यवसायिक सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण करवाना आवश्यक है, जिन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करने में एक से चार सप्ताह का समय लगता है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार बीमा कम्पनियों को प्रतिवर्ष 1,85,000 मोटर बीमा दावे प्राप्त होते हैं । गत तीन वर्षों के दौरान लम्बित दावों की कुल संख्या इस प्रकार है :

कुल लम्बित मोटर दावे	तारीख
143,799	31-12-1979
149,905	31-12-1980
449,893	31-12-1981

केन्द्र सरकार की ओर पश्चिम बंगाल की देय राशि

5267. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 तक केन्द्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल की कितनी राशि देय पड़ी थी, तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास लंबित ओवरड्राफ्ट लंबित, पश्चिम बंगाल सरकार के ऋणों सम्बन्धी तथ्यात्मक ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देय राशियां ऋण राशि के बराबर हैं और राज्य सरकार की देय राशि अदा करने में विलम्ब के कारण ही इसे ओवरड्राफ्ट करना पड़ता है तथा केन्द्र सरकार से अन्य ऋण लेने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास और पांडिचेरी के शराब व्यापारियों के परिसरों में छापे

5268. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में मद्रास सिटी और पांडिचेरी में शराब व्यापारियों के रिहायशी परिसरों और शराब की दुकानों पर छापे मारे थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का ब्योरा क्या है और क्या-क्या वस्तुएं जब्त की गईं तथा वे कितने मूल्य की हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) श्रीमन, आयकर विभाग ने मद्रास के निम्नलिखित शराब व्यापारियों के व्यापारिक परिसरों की, उनके सामने उल्लिखित तारीखों को तलाशियां लीं थीं :

(i) मेसर्स गणपति एण्ड कम्पनी	23-6-1982
(ii) एम० सुब्बारामा रेड्डी	22-7-1982

मद्रास और नेल्लोर में साझेदारों के निवास स्थानों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के परिसरों की भी तलाशियां ली गई थीं।

निम्नलिखित प्रथमदृष्ट्या लेखा बाह्य नकदी और जवाहिरात पकड़े गए थे :

(i) मेसर्स गणपति एण्ड कं० के साझेदार, के० नारायण के निवास स्थान से 1,30,000 रु० की नकदी।

(ii) एम० सुब्बारामा रेड्डी की पत्नी श्रीमती परवतम्मा के नाम लाकर में से 10,000 रु० की नकदी और लगभग 2287 ग्राम वजन के स्वर्ण अन्तर्वस्तु वाले जवाहिरात।

(iii) सुधाकर रेड्डी (एम० सुब्बारामा रेड्डी के भाई) की पत्नी के नाम लाकर में से लगभग 1066 ग्राम वजनी स्वर्ण अन्तर्वस्तु वाले जवाहिरात।

सैकरीन के आयात पर रोक

5269. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया सैकरीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई ने उनके मन्त्रालय को दिये गये एक अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया है कि सैकरीन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाय जो कि न केवल घटिया है अपितु स्वदेशी उद्योग को नुकसान पहुचाने के अलावा आई० पी० अथवा बी० पी० मानकों की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) आल इण्डिया सैकरीन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई ने सैकरीन के आयात पर रोक लगाने के लिए सुझाव दिया है।

(ख) सैकरीन/सोडियम सैकरीन पहले से ही आयात नीति की रोक लगी सूची (देखिए परिशिष्ट 4 में प्रविष्टि सं० 57) में है तथा इसका आयात मदनुसार विनियमित किया जाता है।

पिथौरागढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में मूनाकोट के पास की भूमि को नागर विमानन विभाग को पट्टे पर दिया जाना

5270. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय पिथौरागढ़ जिला (उत्तर प्रदेश) में मूनाकोट के निकट की अपनी भूमि को एयर स्क्रीप का निर्माण करने के लिए नागर विमानन विभाग को पट्टे पर देने पर विचार करने को तैयार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : रक्षा मन्त्रालय को नागर विमानन विभाग से इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सिंगापुर की कुछ फर्मों द्वारा भारतीय

5371. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर की कुछ फर्मों ने भारत से कुछ उत्पाद खरीदने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर की फर्मों ने किन भारतीय उत्पादों में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या सरकार का इस बारे में सिंगापुर की फर्मों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारत और सिंगापुर के बीच ऐसी बातचीत कब होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सिंगापुर स्थित भारतीय मिशन भारत से विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिए सिंगापुर से पूछताछें प्राप्त करता है।

मिशन रुचि वाली मदों सहित फर्मों की एक सूची संकलित करता है और उन सूचियों को भारत में वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और साथ ही वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशक, कलकत्ता को उनके बुलेटिनों में प्रकाशन के लिए मासिक आधार पर भेजता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर वर्गों को वित्त के सम्बन्ध में शिकायतें

5272. **श्री ओस्कार फर्नांडीस :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उन लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई तंत्र है जो वास्तविक रूप से बैंकों से वित्तीय सहायता पाने के हकदार हैं परन्तु बैंकों के मैनेजर उनकी बात नहीं सुनते; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बैंकों की शाखाएं प्राप्त आवेदनों तथा उन पर की गई कार्यवाई के बारे में ब्यौरे देते हुए खण्ड विकास अधिकारियों को मासिक विवरण भेजते हैं। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों द्वारा जिनमें बैंक/राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल होते हैं, इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा भी की जाती है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने भ्रष्टाचार के आरोपों, अवैध परितोषण आदि सम्बन्धी विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए सतर्कता-कक्ष (विजिलेंस सैल) भी स्थापित किये हैं। अनुशासनात्मक नियमों तथा विनियमों के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच के पश्चात् आगे कार्रवाई की जाती है।

बिहार में आय-कर अधिकारियों द्वारा जांच

5273. **श्री प्रो० रूप चन्दपाल :**

श्री अजित बाग :

श्री ए० के०राय :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मुख्य पुलिस अधक्षिक, बिहार ने 26 मई, 1982 को कुछ पास बुकें स्थानीय आयकर अधिकारियों को सौंपी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग ने कोई जांच की;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) 28 अप्रैल,

1982 को आयकर कार्यालय, धनबाद को धनबाद जिला पुलिस अधिकारियों से यह सूचना प्राप्त हुई कि 26 अप्रैल, 1982 को झरिया स्टेशन के पुलिस अधिकारियों द्वारा एक कार की तलाशी ली गई थी और उसमें से एक ब्रीफ केस पकडा गया जिसमें कई पास बुकें, चैक बुकें आदि थीं। पुलिस अधिकारियों ने, 15 मई, 1982 को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद के न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके, पकड़े गये उक्त कागजात आयकर अधिकारी के हवाले कर दिये।

(ग) से (ङ) सम्बन्धित व्यक्तियों के मामलों में कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और उनके मामलों को, आयकर अधिकारी, विशेष कक्ष धनबाद के पास केन्द्रित कर दिया गया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के परिवहन डिवीजन का लाभ/घाटा

5274. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के परिवहन डिवीजन का मुनाफा/घाटा कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान परिवहन डिवीजन द्वारा कुछ पुरानी कारें बेची गई थीं और इस बिक्री के कारण हुआ लाभ परिवहन डिवीजन में दर्शाया गया है; और

(ग) इन कारों की बिक्री को हिसाब में न लेने पर परिवहन डिवीजन की वित्तीय स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 1981 82 के दौरान गाड़ियों के विक्रय के फलस्वरूप आई० टी० डी० सी० को लाभ नहीं हुआ। यदि गाड़ियों के विक्रय को हिसाब में न लिया जाए तो इसके परिवहन प्रभाग को 26.62 लाख रुपये की हानि होती है।

विवरण

वर्ष	लाभ/हानि (लाख रुपयों में)
1972-73	(—) 0.85
1973-74	0.18
1974-75	(—) 14.05
1975-76	(—) 16.85
1976-77	(—) 21.29
1977-78	(—) 19.19
1978-79	(—) 4.66
1979-80	(—) 6.11
1980-81	(—) 15.65
1981-82	(—) 12.08

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन

5275. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री गुलाम मोहम्मद खां :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करने का है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधानों के साथ हुई उनकी हाल की बैठकों में यह मामला बातचीत के लिए उठाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पूरे देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, प्रत्येक जिले में इस प्रयोजन के वास्ते स्थापित किये गए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है । आदिवासी क्षेत्रों से इस कार्यक्रम के अधीन निर्धारित किये गए लाभप्राप्तकर्त्ताओं की आवश्यकताओं पर भी बैंकों द्वारा समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है । अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित निर्धारित लाभप्राप्तकर्त्ता 50 प्रतिशत राशि राजसहायता के तौर पर और इतनी ही राशि बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त करने के पात्र हैं ।

6 जुलाई, 1982 को आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ऋण-सहायता देने में बैंकों के कार्य-निष्पादन पर बातचीत की गई थी तथा बैंकों ने कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को ऋण के त्वरित प्रवाह को सुनिश्चित करने के वास्ते अपने बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत एव सुचारू बनाने के लिए कार्य आरम्भ किया है ।

भारतीय पर्यावरण पर उड़ने वाले नक्षत्रीय पदार्थों के प्रभाव के बारे में अध्ययन

5276. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के तत्वावधान में श्री एस० के० त्रिखा, पर्यावरण वैज्ञानिक, दिल्ली द्वारा पुणे में 1 जून, 1982 को दिये गये व्याख्यान की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन निष्कर्षों की जांच की है कि महाशक्तियों द्वारा भारत को अपना परीक्षण स्थल बनाते हुए परमाणु रिएक्टर ले जाने वाली उड़न तश्तरियों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने कभी "उड़न-तश्तरी" या "फ्लाइंग एल्टरल अब्जेक्ट्स" के दृश्य और पर्यावरण पर उसके प्रभाव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

जापानी फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कथित उल्लंघन

5277. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्त्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में एक जापानी फर्म पर दस लाख रुपये का जुर्माना किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी के शुरू होने के समय से लेकर वित्तीय वर्ष 1981-82 तक की अवधि का कम्पनी के आयकर का मूल्यांकन किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) न्यायनिर्णय की कार्यवाही के परिणामत: प्रवर्त्तन निदेशक ने, मैसर्स निचिमन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई (मैसर्स निचिमन कम्पनी लिमिटेड, जापान का एक शाखा कार्यालय) और उसके महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धक को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धाराओं 29(2) (क), 16(1) तथा 14 के उपबन्धों के उल्लंघन का दोषी पाया और 1-3-1982 के अपने आदेश द्वारा कम्पनी पर 10 लाख रुपये तथा उसके महा प्रबन्धक और प्रबन्धक में से प्रत्येक पर, पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। पार्टियों ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के समक्ष, न्याय निर्णयादेशों के विरुद्ध अपील दाखिल कर दी है।

(ग) कम्पनी का, कर निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1978-79 तक के लिए आयकर का निर्धारण किया गया है। कर निर्धारण वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के लिए उसके कर निर्धारण अभी किये जाने हैं। इस कम्पनी के कर निर्धारण वर्ष 1973-74, 1977-78 और 1978-79 के कर निर्धारणों को पुन: खोला गया है और अभी बकाया हैं।

कांचीपुरम में रेशम वस्त्र उद्योग स्थापित करना

5278. **श्री ईरा अनवारासु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले के कांचीपुरम नामक स्थान पर रेशम उद्योग के लिए इस स्थान की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वहां पर रेशम वस्त्र उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) रेशम हथकरघा वस्त्र उद्योग पहले से ही कांचीपुरम में उन्नति कर रहा है। यह स्थान सम्पूर्ण देश में इस उद्योग के लिए सुविख्यात है। कांचीपुरम में रेशम पर लगभग 12,000 करघे काम कर रहे हैं जिसमें से 70 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अशोधित तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की गई धनराशि

5279. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है निर्यात से हुयी आमदनी अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यात आय का एक प्रमुख भाग पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च किया जाता है।

(ख) इन उत्पादों का आयात अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सीमा तक करना पड़ता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां

5280. श्री सुभाष यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम में पिछले दो वर्षों में अधिकारियों की कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) इनमें से कितने पदों पर विज्ञापित अर्हताओं में छूट दी गई और इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके लिये कौन उत्तरदायी है और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आई० टी० डी० सी० ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान आई० टी० डी० सी० द्वारा आठ अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई थी। इनमें से किसी भी मामले में विज्ञापित अर्हताओं में आई० टी० डी० सी० द्वारा छूट नहीं दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिविलियन रेजीमेंटल वर्कर्स यूनियन, जबलपुर में भूख हड़ताल

5281. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविलियन रेजीमेंटल वर्कस यूनियन, जबलपुर ने मुख्यालय सिगनल ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर में 1 मई से 18 मई, 1982 तक, क्रमिक भूख हड़ताल की थी; और यदि हां, तो यूनियन की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ख) प्रशासन ने सिविलियन रेजीमेंटल वर्कर्स यूनियन, जबलपुर की कौन-कौन सी मांगें स्वीकार कर लीं और विचाराधीन मांगों का ब्योरा क्या है तथा वे कब तक पूरी कर दी जाएंगी ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। यूनियन की मुख्य मांगें विवरण में दी गई हैं।

(ख) 23 मांगों में से 3 मांगों को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। एक मांग मान ली गयी और शेष मांगों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

सिविलियन रेजिमेंटल वर्कर्स यूनियन, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत मांगें :

1. प्रशासनिक अधिकारी संघ की संवैधानिक गतिविधियों में दखल-अन्दाजी कर रहे हैं।

2. सिविलियन ड्राइवर श्री राम नरेश को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। उसको फिर से बहाल किया जाए।

3. सरकारी आदेशों को प्रशासनिक कार्यालयों में रखना और कर्मचारियों की कठिनाइयों पर तत्काल ध्यान देना।

4. रसोइयों को 16 छुट्टियों में काम करने के लिए समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया।

5. पटीगर्मैन को वही काम करना चाहिए जिसे भूतपूर्व वाटर कैरियर करते थे।

6. कल्याण समिति समाप्त कर दी जाए और वर्कर्स कमेटी चुनी जाए।

7. रसाइयों को समयोपरि कार्य के लिए समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता।

8. रसोइये को सभी सरकारी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद ही कैम्प ड्यूटी पर भेजा जाना चाहिए।

9. सिविलियन ड्राइवर श्री के० के० मिश्र को डाकुमेन्टेशन के बजाय ट्रेड कार्य करना चाहिए।

10. 1 एस० टी० सी० के सभी कार्यालयों में सिविलियन कर्मचारियों से सम्बन्धित सारा कार्य हिन्दी में किया जाना चाहिए।

11. सफाई वालों के काम के घन्टे निश्चित किए जाने चाहिए।

12. महिला स्वीपरों को 7 बजे ड्यूटी पर बुलाया जाना चाहिए और उन्हें फैमिली लाइनों में तैनात किया जाना चाहिए ।

13. 2 टी० टी० आर० के सफाई वालों को तत्काल कमीशन एजेंटों से बचाया जाना चाहिए ।

14. बी० एस० बी० ओर ग्वालियर शू कम्पनी से खरीदे गए जूते घटिया पाए गए हैं जो 2 महीने भी नहीं चले । इनकी खरीद करने वाले अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए ।

15. सामान्य भविष्य निधि, पेंशन और उपादान के कागजात कर्मचारी की सेवा निवृत्ति से काफी पहले तैयार किए जाने चाहिए ।

16. वेतन नियतन और वेतन वृद्धि के समयोपरान्त मामलों को तत्काल हल किया जाए ।

17. सिगनल रिकार्ड के लिपिक 20 वर्ष से अधिक समय से उसी वेतनमान में कार्य कर रहे हैं । उनकी तत्काल पदोन्नति की जानी चाहिए ।

18. सफाई की व्यवस्था देखने के लिए फालोअर लाइनों में भी जाना चाहिए ।

19. समूह "ग" के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आवास प्राधिकृत है । यह उन्हें दिया जाना चाहिए । यदि उन्हें "घ" समूह के कर्मचारियों का आवास दिया जाता है तो उनमें मकान का किराया उन्हें दिए गए उनके कब्जे के टाइप के आवास का ही काटा जाना चाहिए ।

20. 1 एस० टी० सी० के सभी कार्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

21. रसोइयों तथा सफाई वालों को 2 टी० टी० आर० फालोअर लाइनों में सरकारी आवास आवंटित किया जाना चाहिए ।

22. फालोअर लाइनों में अधिक शौचालयों और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

23. सूबेदार मेजर जगजीत सिंह और सफाई वाला कुन्दन सिंह हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं और 2 टी० टी० आर० के सिविलियन कर्मचारियों के साथ उदण्डतापूर्ण बर्ताव करते हैं । उनकी गतिविधियां चिन्ताजनक हैं और उन्हें अन्यत्र तैनात कर दिया जाना चाहिए ।

सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5282. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितने सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं;

(ख) सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब से की जा रही है;

(ग) अन्य ग्रामीण बैंकों की तुलना में सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खाते में हुई प्रगति का ब्यौरा संख्या के रूप में क्या है; और

(घ) यदि अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कम है, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) देश में कोई सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति से है जो कि किसी सहकारी बैंक द्वारा प्रायोजित किये गए हैं । अब तक स्थापित किये गए 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) की स्थापना यू० पी० स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रायोजन के अधीन की गई है । इस बैंक ने मई, 1980 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था । सामान्य नीति के तौर पर, सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिलों के सम्बन्धित लीड बैंकों के प्रायोजन द्वारा ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है ।

आयकर अधिकारी की नियुक्ति के लिए काम का वर्गीकरण

5283. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में आयकर अधिकारियों की वार्डों/सर्किलों में नियुक्ति के लिए काम का वर्गीकरण किया गया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर विभाग, दिल्ली में उक्त काम के वर्गीकरण के मानदण्ड का अनुसरण नहीं किया जा रहा है और आयकर अधिकारियों की नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) समूह 'क' तथा 'ख' के आयकर अधिकारियों की तैनाती के प्रयोजनार्थ आयकर अधिकारियों के पदों का व्यापक वर्गीकरण किया गया है । इस व्यापक वर्गीकरण के अनुसार बड़े प्रभारों में समूह 'क' अधिकारियों को तैनात किया जा सकता है जबकि समूह 'ख' अधिकारियों को छोटे प्रभारों में तैनात किया जा सकता है ।

(ख) तथा (ग) सभी प्रभारों के, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, सभी वार्डों/परिमण्डलों में आयकर अधिकारियों को तैनात करते समय उपर्युक्त मापदण्ड अपनाया जाता है । केवल विशेष मामलों में तथा जनहित में ही इस मापदण्ड को नहीं अपनाया जा सकता है

दिल्ली पर्यटन विकास निगम में महिला अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने में नियमों की अवहेलना ।

5284. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पर्यटन विकास निगम में महिला अधिकारियों के मामले में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने की सामान्य प्रणाली की उपेक्षा की गई है; और

0

(ख) यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की नियुक्ति करनी पड़ी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं, निष्कर्ष का कोई ठोस आधार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एन० जे० एम० सी० स्टाफ एसोसिएशन की फेडरेशन की तरफ से अभ्यावेदन

5285. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रबन्धकों के कुप्रबन्ध के अनेक कारनामों और अनौचित्य के बारे में एन० जे० एम० सी० स्टाफ एसोसिएशन के फेडरेशन की तरफ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां । अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) इन अभ्यावेदनों में प्रबन्धकों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए गए हैं । इन सभी आरोपों को टिप्पणी के लिए प्रबन्धकों को भेजा गया है । प्रबन्धकों ने सभी आरोपों का खण्डन किया है ।

कृषि सेवा उद्यमकर्ताओं द्वारा लिये गये ऋणों पर ब्याज माफ करना

5286. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय को कृषि सेवा उद्यमकर्ताओं, जो वित्तीय कठिनाई में है, द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज माफ किये जाने के लिये सुझाव प्राप्त प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, जहां । इससे सम्बन्धित कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) बैंक, नीति के तौर पर ऋणकर्ताओं के किसी वर्ग को दिये गए अपने अग्रिमों पर ब्याज को माफ नहीं कर सकते । अलबत्ता, वे अलग-अलग मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार करते हैं और मांगी गई इस प्रकार की रियायतों से सहमत होते हैं ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास

5287. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं जिनका केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर विकास कर रही हैं;

(ख) अनूपशहर, नरौरा, अहार, गढ़मुक्तेश्वर, आगरा, मथुरा आदि स्थानों का, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, विकास करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) यदि अब तक कोई योजना नहीं बनाई गई है तो इनके विकास के लिए योजना कब तक बनाई जायेगी; और

(घ) इन तीर्थ स्थानों का विकास करने के लिए योजनाएं कौन तैयार करेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) एकीकृत और समन्वित विकास के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :

1. वाराणसी-सारनाथ-गोरखपुर-कुशीनगर-फरेंदा-सनौली-पिपरवाह (कपिलवस्तु)-नौगढ़-श्रावस्ती-गोंडा-अयोध्या-वाराणसी/लखनऊ।

2. (दिल्ली)-मुरादाबाद--काशीपुर--रामनगर--कारबेट--रानीखेत--कारबेट--दुधवा-लखनऊ-(दिल्ली)।

3. कपकोट-लोहारखेत-धपकुरी-खाती-द्वाली-पुरकिया-पिंडारी ग्लेशियर और वापसी।

विकास परियोजनाओं को केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में शुरू किया जाएगा। व्यवहार्यता अध्ययनों, धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं की शर्त के अधीन रहते हुए चुनी हुई स्कीमों को केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जाएगा।

आन-गोइंग स्कीम होने/यात्रा परिपथों में अभिनिर्धारित होने के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं/प्रस्तावित हैं :

पर्यटन विभाग

1. फतहपुर सीकरी—मास्टर प्लान (भूमि उपयोग योजना) तैयार करना।
2. ब्रजभूमि कम्पलैक्स—मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना) तैयार करना।
3. दुधवा—वन गृह का निर्माण।
4. उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए उपकरणों की सप्लाई।
5. वृन्दावन में एक "यात्रिका" (कम लागत वाला आवास) की स्थापना के लिए भारतीय आवास विकास समिति को सहायता।

भारत पर्यटन विकास निगम

आगरा और नैनीताल : धनराशि की उपलब्धता और संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययनों की शर्त के अधीन रहते हुए राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त सेक्टर परियोजना के रूप में एक-एक होटल का निर्माण करने की योजना तैयार की जा रही है।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में लिपिकीय क्षेत्र सेवाओं में अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों का नामांकन

5288. **श्री डूंगर सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिपिक ग्रेड (विशेष) परीक्षा 1980 के आधार पर गृह मन्त्रालय द्वारा सशस्त्र सेना मुख्यालयों में अनुसूचित जाति के कुछ अभ्यार्थियों को नामजद किया गया था और उनमें से कुछ को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) उन अभ्यार्थियों को नियुक्त करने में मन्त्रालय को कितना समय लगेगा;

(ग) क्या औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं, यदि नहीं, तो औपचारिकतायें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्य करने का विचार है जो इस विलम्ब के जिम्मेदार हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) लिपिक ग्रेड (विशेष) परीक्षा 1980 (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए) के आधार पर नवम्बर 1981 से अप्रैल, 1982 तक 4 बैचों में 327 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मनोनीत किया गया था। इन 327 में से 184 उम्मीदवारों ने पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा 20 और उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेज दिए गए हैं। 90 उम्मीदवारों ने या तो मना कर दिया है अथवा हमारे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया है। नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद शेष 33 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेज दिए जाएंगे। इन औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जा रहा है।

रामागुण्डम बिजली परियोजना के लिए 'ओपेक' से ऋण

5289. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुंडम बिजली परियोजना के लिए 'ओपेक' निधियों में से 3 करोड़ डालर का ऋण लेने हेतु 'ओपेक' के साथ एक करार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) अब भारत को 'ओपेक' से कुल कितना ऋण मिल चुका है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) ; (क) ओपेक निधि के साथ दूसरी रामागुण्डम तापीय बिजली परियोजना के लिए 300 लाख अमेरिकी डालर के एक ऋण करार पर 21 मई, 1982 को हस्ताक्षर दिए गए हैं।

(ख) इस ऋण की मुख्य-मुख्य शर्तें हैं :

(i) इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन ऋण के मूलधन की निकाली गई और बकाया राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से केवल सेवा प्रभार लगेगा।

(ii) इस ऋण की वापसी अदायगी 15 जुलाई, 1987 से शुरू करके तीस समान छमाही किस्तों में की जाएगी ।

(ग) ओपेक निधि से भारत को कुल 1358 लाख अमेरिकी डालर के ऋण प्राप्त हुए हैं जिनमें दूसरी रामागुण्डम तापीय बिजली परियोजना के लिए ऋण की रकम भी शामिल है ।

न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों को निपटाने में विलम्ब

5290. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि न्यायाधिकरण स्तर पर मामलों का निपटान करने में विलम्ब के कारण आयकर, धन कर, उपहार कर और सम्पदा शुल्क के बकाया राशियों में वृद्धि हो गई है; और

(ख) सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) यह सही नहीं है कि न्यायाधिकरण के स्तर पर मामलों के निपटान में किसी विलम्ब के कारण, आयकर, धनकर, दानकर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशियों में वृद्धि हुई है । न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर दिये जाने मात्र से ही बकाया की वसूली पर रोक नहीं लग जाती । तथापि, आयकर अधिकारी, कर-निर्धारिती के आवेदन पर, आयकर अधिनियम की धारा 220(3) के अन्तर्गत, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए लगाना उचित समझता है, अदायगी का समय बढ़ा सकता है अथवा किस्तों में अदायगी करने की अनुमति दे सकता है । आमतौर पर, जहां न्यायाधिकरण में अपील के अनिर्णीत पड़े होने की बात को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिकारी द्वारा ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, वहां न्यायाधिकरण के समक्ष विभागीय प्रतिनिधि उसे उक्त अपील के शीघ्र निपटान के लिए निवेदन करता है । न्यायाधिकरण, अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुछ मामलों में करों की वसूली के स्थगन का आदेश भी दे सकता है । जब कभी न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अपीलों को, प्राथमिकता के आधार पर सुनवायी के लिए नियत किया जाता है । मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऐसी अपीलों का निपटान तीन महीने के अन्दर करना होता है ।

न्यायाधिकरण, सभी अपीलों का निपटान, उन्हें दायर किये जाने से छः महीने की अवधि में ही करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है ।

रबड़ एकक

5291. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि सफल आयोजना के लिए आवश्यक दूरदृष्टि के अभाव में देश के सामरिक महत्व के रबड़ एकक पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार इस वस्तु की मांग और पूर्ति के बीच भारी गिरावट का पूर्वानुमान करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय अपनाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि रबड़ उद्योग के लिए आयोजन में दूरदृष्टि निहित नहीं है । मांग और पूर्ति में घाटे को पूरा करने के लिए प्राकृतिक रबड़ के आयातों की अनुमति के अतिरिक्त, सरकार ने देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चालू की हैं ।

दिल्ली में तस्करी के माल की बिक्री

5292. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तस्करी से लाया गया विदेशी माल खुले रूप से दिल्ली के अनेक बाजारों में बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि दिल्ली के बाजारों में तस्करी के माल की किसी बड़े पैमाने पर सरेआम बिक्री हो रही है ।

(ख) दिल्ली में तैनात सीमाशुल्क अधिकारी नगर के प्रमुख बाजारों में तस्करी के माल के सरेआम प्रदर्शन और बिक्री को रोकने के लिए नियमित आधार पर छापे मारते हैं ।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

5293. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के नए उद्योग स्थापित करने के लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का उनमें से कुछेक उद्योग राजस्थान में स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में देश में स्थापित/विस्तारित किये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के नये उद्योगों का ब्योरा छठे पंचवर्षीय योजना प्रलेख में दिया गया है । तथापि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में जिन प्रमुख उपक्रमों को स्थापित या विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है, उनकी सूची संलग्न है (विवरण 1) ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में जिन प्रमुख उपक्रमों की स्थापना अथवा विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है, उनकी सूची संलग्न है (विवरण-2)।

विवरण-1

क्रम सं० उद्यम का नाम

1. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०—बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्थित इस्पात संयत्र और दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात सयत्र।
3. पारादीप स्थित इस्पात संयंत्र
4. सेलम इस्पात संयंत्र
5. कुद्रेमुख आयरन और कं० लि०
6. हिन्दुस्तान कापर लि०—बिहार में घाटसेला स्थित और राजस्थान में खेतरी स्थित तांबा कमप्लेक्स तथा मध्य प्रदेश में मंलज खण्ड तांबा खानें।
7. भारत अल्यूमिनियम कं० लि०—कोरबा अल्यूमिनियम कम्प्लेक्स।
8. नेशनल अल्यूमिनियम कं० लि०—उड़ीसा अल्यूमिनियम कम्प्लेक्स।
9. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि०—नामरूप चरण III
10. बोगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि०—पेट्रोरसायन परियोजनायें।
11. राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि०—थाल वेशत परियोजना।
12. रसायन एवं उर्वरक विभाग के अधीन नई योजनायें :

    (1) नाइट्रोजनी उर्वरक संयंत्र (4)

    (2) फास्फोटिक उर्वरक संयंत्र (6)

13. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया—आन्ध्र प्रदेश में ताण्डर परियोजना और मध्य प्रदेश में नायागांव विस्तार परियोजना।
14. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०—असम में नावगोंग और कचर परियोजना और केरल में अखबारी कागज परियोजना।
15. मारूती उद्योग लि०
16. भारत हैवी इलेक्ट्रीकाल्स लि०—पुरबों जेनरेटर प्रोजेक्ट, हरिद्वार

17. इण्डियन रेयर अर्थ्स लि०—उड़ीसा सैन्ड्स कम्प्लेक्स ।

18. हिन्दुस्तान जिंक लि०—विभिन्न जस्ता और प्रदावक परियोजनायें ।

विवरण-2

क्रम सं० उद्यम का नाम

1. हिन्दुस्तान कापर लि०—खेतरी तांबा कम्प्लेक्स ।

2. हिन्दुस्तान जिंक लि०—देवारी, राजपुरा—दरीबा और अगुचा में जस्ता और प्रदावक परियोजनायें ।

3. पाइराइट्स, फास्फेट्स और केमिकल्स लि०—सालादीपुर परियोजना ।

4. इन्सट्रूमेंटेशन लि०—कोटा ।

पिछड़े तथा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देना

5294. श्री पी० नामग्याल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय तथा भारत के रिजर्व बैंक ने पिछड़े हुए, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों और सड़क परिवहन वाहनों, ट्रैक्टरों एवं बहुत से अन्य उद्योगों जैसे वरीयता प्राप्त क्षेत्रों को वित्तीय सहायता तथा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) क्या ऐसे ऋण देने के लिए भारत भर में केवल एक सा ही मानदंड रखा गया है;

(ग) क्या जम्मू कश्मीर में, तथा विशेषतया लद्दाख और अन्य पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों के बैंकों ने कमजोर वर्गों और वरीयता प्राप्त क्षेत्र के अन्य उद्योगों को ऋण देना बिलकुल बन्द कर दिया है;

(घ) क्या पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग तत्सम्बन्धी समुचित जानकारी तथा प्रचार के अभाव में बैंकों से वित्तीय सहायता तथा ऋणों का लाभ नहीं उठा सके हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार विशेषत: पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में उक्त प्रतिबन्धों में छूट देने का है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बैंक सामान्यत: अर्थक्षमता के आधार पर ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं । ये मूलभूत ढांचे की उपलब्धता, पूर्वा पर संबंधनों और विभिन्न अन्य बातों पर निर्भर होते हैं । यद्यपि किसी विशिष्ट स्थान पर या किसी खास क्षेत्र में मूलभूत ढांचे की सुविधाओं का निर्माण मूलत: सम्बद्ध सरकारों की जिम्मेदारी होता है, पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को ब्याज की दर के मामले में कुछ रियायतें उपलब्ध होती हैं । इसके अलावा कुल 2 करोड़ रुपये तक के सामान्य, पूरक और विदेशी मुद्रा ऋणों के सम्बन्ध में, विनिर्धारित पिछड़े

क्षेत्रों में अवस्थित नयी इकाइयों से, वित्तीय संस्थाएं भी रियायती दर पर ब्याज वसूल करती हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों और अन्य इकाइयों के सम्बन्ध में, जिनमें सड़क परिवहन चालक भी शामिल हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) की पुनर्वित्त योजना के अधीन पुनर्वित्त की दरें भी रियायती हैं। डिबेंचरों और शेयरों के कमीशनों की हामीदारी और वचनबद्धता-प्रभारों के सम्बन्ध में भी उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं से रियायतें उपलब्ध होती हैं। पर्वतीय इलाकों और पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोजकों के अंशदान के सम्बन्ध में भी उद्योगों को रियायतें प्राप्त रहती हैं। –

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) बैंकों ने सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के व्यक्तियों में अपने लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए अखबारों, रेडियो और टेलीविजनों तथा हार्डिंग्ज, छोटी फिल्मों के प्रदर्शनों और कठपुतली प्रदर्शनों आदि द्वारा भरसक प्रयास किये हैं।

वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से, स्पष्ट रूप से कहा कि वे सभी अर्थक्षम इकाइयों के लिए बैंकों के ऋण की उपलब्धता का व्यापक प्रचार करें। भीतरी इलाकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते अधिकाधिक संख्या में बैंक शाखाएं खोलने के अलावा राज्य सरकारों से भी यह कहा गया है कि वे अपने संस्थागत मूलभूत ढांचे को मजबूत बनायें ताकि उनके माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए, विशिष्ट योजनाओं के अधीन निर्धारित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को बैंक ऋण पाने में सुविधा हो सके। आशा की है कि इन उपायों से पर्वतीय और जनजाति इलाकों समेत अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों में ऋण विस्तार की स्थिति में सुधार होगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी ऐसे क्षेत्रों में ऋण के वितरण को काफी बढ़ावा देंगी।

तकनीकी सहायकों के पद पर पदोन्नति

5295. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त बीजाक ब्यूरो (जे० सी० बी०) में उन अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा ली गई थी जो तकनीकी सहायकों के पद पर पदोन्नति किए जाने के पात्र हैं;

(ख) उनमें से कितने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए;

(ग) क्या अधिकारियों ने तकनीकी सहायकों के पद पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई है;

(घ) यदि इस प्रकार की विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब तक बुलाई जाएगी और तकनीकी सहायकों को पदोन्नति के लिए आदेश जारी किए जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) 44

(ग) से (ङ) वर्तमान लागू भर्ती नियमों के अनुसार प्रधान लिपिक और लेखाकार (425-700 रुपए वेतनमान) रीडर्स ग्रेड-1 (425-600 रुपए वेतनमान) और टैकनीकल क्लर्क (यू० डी०) (330-560 रुपए वेतनमान) तकनीकी सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं। तीन विभिन्न वेतनमानों के फीडर ग्रेडों के कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची किस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाए इस पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है। जब इस प्रश्न का समाधान कर लिया जाएगा तब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

सरकारी उपक्रमों में शीर्ष पदों पर नियुक्ति की कार्यविधि

5296. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों के लिए कोई कार्यविधि तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम चयन मण्डल को सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड स्तर के पूर्णकालिक पदों के लिए चयन प्रत्येक विशिष्ट पद के कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है। इन पदों के लिए सरकारी उद्यमों, सरकार की संगठित सेवाओं और गैर-सरकारी क्षेत्र सहित सभी संभव स्रोतों से उपयुक्त व्यक्तियों के नाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा सरकारी उद्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को भी इन पदों पर चयन से सम्बन्धित कार्य में सहयोजित किया जाता है। बोर्ड स्तर के दूसरे दर्जे की नियुक्तियों के मामले में सम्बन्धित सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी परामर्श किया जाता है। यह चयन सामान्यतः बोर्ड द्वारा आयोजित वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है।

चयन के लिए जो मुख्य मानदण्ड अपनाये गए हैं, वे हैं—कार्य विशेष के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता, उनकी अर्हताएं और अनुभव, उनका पिछला रिकार्ड, नेतृत्व सम्बन्धी गुण और चयन मण्डल द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उनका निष्पादन।

सरकारी उद्यमों में शीर्ष पदों के लिए चयन के बारे में सरकार द्वारा स्वीकृत मुख्य मार्ग निर्देश इस प्रकार हैं :

(क) यदि बाहर से निश्चित रूप से बेहतर उम्मीदवार न मिल पायें तो ये रिक्त पद उसी सरकारी उद्यम के अधिकारियों को प्रोन्नत करके भरे जाएं।

(ख) यदि आन्तरिक रूप से उम्मीदवार न मिल पाए तो अन्य सरकारी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी ताकि ऐसे योग्य अधिकारियों, जिनकी अपने उद्यम में प्रोन्नति अवरुद्ध है, को प्रोन्नति के अपेक्षाकृत व्यापक अवसर प्रदान किये जाएंगे।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) में की गई व्यवस्थाओं के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य स्रोतों, जैसे सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र आदि से उम्मीदवारों का चयन किया जायगा।

सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशें सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय लड़ाकू विमान एफ-5(जी०) के बारे में नाथ्प, एविएशन कारपोरेशन के साथ चर्चा

5297. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय सैनिक अधिकारियों और नाथ्प (एवीएशन) कारपोरेशन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय लड़ाकू विमान एफ-5(जी) के बारे में कुछ बहुत प्रारंभिक चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चर्चा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एफ 5(जी) वायुयान के निर्माता मैसर्स नाथरोप ने स्वयं ही इस वायुयान की तकनीक के बारे में वायुसेना मुख्यालय में बताया था। उनके साथ किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रात्री के युद्ध के लिए प्रकाश बमों का विकास

5298. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में सैनिकों की सहायता के लिए सेना को प्रकाश बम देने की परियोजना विकसित करने में दस वर्ष से भी अधिक समय लग गया है;

(ख) क्या इसमें अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। सबसे अच्छी किस्म के बमों की आवश्यकता बताई गई उसके बाद केवल लगभग 7 वर्ष का समय लगा था।

(ख) विकास कार्य लगभग पूरा हो गया है और हाल ही में सफल परीक्षण किए गए है। किसी खास किस्म के प्रकाश गोलाबारूद के उत्पादन और सप्लाई के लिए हमारी आर्डनेंस फैक्टरी को कुछ शैक्षणिक आदेश दिए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन के मामलों का तेजी से निपटाया जाना

5299. **श्री कुसुम कृष्णामूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित रूप में पेंशन के लम्बे समय से (कुछ तो दस वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित है) लम्बित पड़े मामलों और नए मामलों के तेजी से निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए गत एक वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए हैं और निम्नलिखित के बारे में क्या कदम उठा रही है;

(एक) एक समयबद्ध आधार पर; लम्बे समय से लम्बित पड़े मामलों के निपटान के लिए कोई योजना और संगठन;

(दो) लम्बे समय से लम्बित पड़े और अत्याधिक परेशानी के नए मामलों में तदर्थ आधार पर पेंशन दिये जाने के लिए कोई योजना अथवा गठित निकाय; और

(तीन) पेंशनों के वितरण में विलम्ब और परेशानी किये जाने के विशिष्ट मामलों की जांच के लिए तैयार की गई कोई योजना अथवा गठित किया गया निकाय ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : पेंशन की समय पर स्वीकृति के लिए विस्तृत अनुदेश विद्यमान है। इन अनुदेशों के अनुसार पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से 2 वर्ष पहले शुरू कर दी जाती है। विलम्ब के मामलो पर नजर रखने की पेंशन सम्बन्धी मामलों की देखरेख रखने की एक प्रणाली भी विद्यमान है। पेंशनों की मंजूरी में असाधारण विलम्ब के बारे में कोई सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रत्येक वर्ष सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए कुछ मामलों में विलम्ब को पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता। तथापि ऐसे मामलों में, जहां विलम्ब प्रत्याशित होता है, अनन्तिम पेंशन प्राधिकृत की जाती है।

पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने तथा पेंशन वितरण के सम्बन्ध में कार्यविधि की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है विलम्ब को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में सम्पदा निदेशालय द्वारा बे बाकी प्रमाणपत्र के जारी करने के सम्बन्ध में कार्यविधि को और अधिक युक्तियुक्त बना दिया गया है मृतक पेंशन भोगियों के जीवित व्यक्तियों को पेंशन की बकाया राशि की अदायगी में विलम्ब को टालने के लिए पेंनशन अधिनियम, 1871 में संशोधन किया गया है ताकि पेंशन भोगियों द्वारा नामांकन दिया जा सके।

पेंशन सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाती है। अनिर्णित मामलों का निपटान करने, तदर्थ पेंशन आदि स्वीकृत करने अथवा पेंशन की स्वीकृति में हुए विलम्बों की जांच करने के लिए कोइ स्कीम अथवा अलग संगठन नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन

5300. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1972-73 के बाद से अपने प्रकाशन "फाइनेंसज आफ फारेन ब्रांचेज ऐण्ड फारेन कंट्रोल रूपी कम्पनीज" और 31 मार्च, 1974 के बाद से "इण्डियाज इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट पोजीशन" प्रकाशित नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विदेश नियंत्रित रुपया कम्पनियों का भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसरण में कोई वैकल्पिक सरकारी अध्ययन किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक इन अध्ययनों का सावधिक प्रकाशन नहीं कर रहा है जैसाकि यह पहले किया करता था ।

(ख) तथा (ग) जहां तक बकाया निवेश सम्बन्धी तथ्यों तथा आंकड़ों के अध्ययन का प्रश्न है, माननीय सदस्य का ध्यान 6 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4459 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है । जहां तक शाखाओं तथा विदेश नियंत्रित रुपया कम्पनियों की पूंजी के संबंध में अध्ययन करने का सम्बन्ध है ऐसा अध्ययन नहीं किया जा सका क्योंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सभी शाखाओं के भारतीयकरण का काम विभिन्न अवस्थाओं में चल रहा है और ऐसी स्थिति में वास्तविक अध्ययन कर पाना व्यावहारिक नहीं हो सकता । किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक निगमित क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रकाशित करने का काम जारी रखे हुए है और इन अध्ययनों में विदेशी कम्पनी के कार्यकलापों के कई पहलू आ जाते हैं । इसके अतिरिक्त कानूनी तौर पर सभी कम्पनियों को अपने वार्षिक तुलन-पत्रों में आयातों, प्रेषणाओं आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित करनी पड़ती है और जो कोई भी विदेशी कम्पनियों के कार्यकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहता है उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है । आशा है कि रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का प्रभाव स्पष्ट हो जाने पर अपने अध्ययन फिर से प्रारम्भ कर देगा ।

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए स्थानों की कमी

5301. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्थानों की बहुत कमी है;

(ख) राजधानी में विश्व-सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राजधानी में उपयुक्त स्थानों, दुभाषियों, सचिवालय और प्रेसेस सुविधाओं के पर्याप्त न होने के कारण नई दिल्ली में एक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक साथ नहीं हो सकते; और

(घ) वर्तमान खामी को दूर करने और विश्व सम्मेलनों में से इतनी अधिक सम्बद्ध पर्यटन के सम्वर्धन में सहायता करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए विज्ञान भवन एक पूर्णरूपेण कान्फ्रेंस कम्पलैक्स है । इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अशोक होटल कन्वेंशन हाल में भी किए जाते हैं जहां साथ-साथ तत्क्षण इन्टरप्रेटेशन के प्रबन्ध और अपेक्षित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं । राजधानी के कुछ और पांच-स्टार होटल भी दरमियाने और छोटे सम्मेलनों के लिए सुविधाए अर्पित करते है हालांकि उनमे साथ-साथ तत्क्षण अनुवाद की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) दिल्ली में कई होटलों के पूरा हो जाने के साथ ही राजधानी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त सुविधाए उपलब्ध हो जायेंगी । अशोक/सम्राट होटल कम्पलैक्स को साथ-साथ तत्क्षण अनुवाद, सम्मेलन सम्बन्धी सेवाओं और अन्य सेक्रेटेरियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को शामिल करते हुए सभी आधुनिक सुविधाओं क साथ एक पूर्णरूपेण इन्टरनेशनल कन्वेशन सेन्टर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पर्यटन विभाग और एयर-इण्डिया विदेश स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से भारत के लिए और विशेष रूप से दिल्ली के लिए कन्वेंशन/कन्फ्रेंस ट्रैफिक का संयुक्त रूप से सम्वर्धन कर रहे हैं । इसके प्रयोजनार्थ एक श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण को शामिल करते हुए प्रचार सामग्री का भी प्रकाशन कराया गया है ।

आयुध फैक्टरी, भूसलवाल के अहाते में पुलिस द्वारा लाठी चलाया जाना

5302. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 3 जुलाई, 1982 को भूसलवाल मे स्थित आयुध फैक्ट्री के अहाते में फैक्ट्री के श्रमिकों पर पुलिस न लाठी चलाई थी; और

(ख) पुलिस द्वारा लाठी चलाए जाने से कुल कितने श्रमिक घायल हुए तथा कितने श्रमिक गिरफ्तार किए गए ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

कर्मचारियों की मांगें इस प्रकार थी—"उजरती काम की आय बढ़ाई जाए, 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धान्त से उन तीन दिनों के लिए छूट दी जाए जिन दिनों कुछ अनुभागों क कर्मचारियों ने काम रुकवा दिया था और धीरे काम करने की नीति अपनाने से सम्बन्धित कर्मचारियों को दण्डित न किया जाये ।"

(ख) 41 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे जिन्हें अगले दिन व्यक्तिगत जमानत पर रिहा कर दिया गया । जिन कर्मचारियों को चोटें लगी हैं उनकी संख्या 30 के लगभग बताई गई है ।

वायुदूत को भारी हानि

5303. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत सेवा को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है और उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस सेवा को लाभ पर चलाने के लिए सरकार क्या ठोस कार्रवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान वायुदूत को अनुमानतः 80 लाख रुपये की हानि हुई ।

वायुदूत को हुई हानि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) इण्डियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए विमान के परिचालन की अधिक लागत; तथा

(ii) कुछ सेक्टरों पर कम भार अनुपात ।

वायुदूत सेवाओं को आर्थिक दृष्टि से विकाससक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) उपयुक्त विमान का अधिग्रहण;

(ii) व्यापक प्रचार एवं विक्रम-संवर्धन;

(iii) मार्गों का योक्तीकरण;

(iv) अत्यधिक मितव्ययिता लागू करना ।

बैंकों में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना

5304. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों में डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं से चिंतित है और बैंकों में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने हेतु अधिकारियों का एक दल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का बिचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भीतर वर्तमान आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्धों की जांच करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने के वास्ते एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया है ।

बैंक में जमा धनराशि में वृद्धि

5305. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में धनराशि जमा करने सम्बन्धी वृद्धि दर में कमी आ रही है;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथम पांच महीनों में स्टेट बैंक समूह और अन्य 20 राष्ट्रीयकृत बैंक 850 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि जमा कर सके हैं जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में यह जमा धनराशि 2493 करोड़ रुपए थी;

(ग) यदि हां, तो जमा धनराशि में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) और अधिक धनराशि जमा कराना आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1982 के पहले पांच महीनों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा-राशियों में 850 करोड़ रुपये (1.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1981 की इसी अवधि के दौरान इनमें 2493 करोड़ रुपए (6.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी।

बैंक जमाओं मे वृद्धि की दर कई सम्मिलित कारकों द्वारा प्रभावित होती है और जमा राशियों की वृद्धि की दर में समय-समय पर अल्पावधिक घट-बढ़ हो सकती है। यह मूल्यांकन करना अभी समय से पूर्व होगा कि क्या जमाओं की वृद्धि में पिछले कुछ महीनों से हो रही कमी बराबर रहेगी और यदि ऐसा हुआ तो उसके कारण क्या हैं।

1-3-1982 से भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु और मध्यम अवधि की सावधि जमाओं पर ब्याज की दर बढ़ा दी है। बैंक जमाओं समेत विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों की आय की सीमा को भी सरकार ने 3000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इसके अलावा एक वर्ष की परिपक्वता-अवधि से अधिक वाली बैंक जमाओं से ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली 2000 रुपये तक को अतिरिक्त आय को भी आयकर से मुक्त कर दिया गया है। बचतकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली नयी योजनाएं तैयार करके, व्यक्तियों से अधिक बचतें जुटाने की ओर भी अधिक ध्यान देने के लिए बैंकों से कहा गया है। इन उपायों से बैंकों की जमाराशियां जुटाने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

अफीम का उत्पादन और निर्यात

5306. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में अफीम का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसी अवधि में कितनी मात्रा में अफीम का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) कौन-कौन से प्रमुख देश अपरिष्कृत अफीम का आयात करते हैं; और

(घ) देश में अफीम के डोडों की खेती के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) फसल वर्ष 1981-82 के दौरान 90° गाढ़ता की उत्पादित अफीम की कुल मात्रा लगभग 890 मी० टन थी।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान निर्यात की गई अफीम की मात्रा 584.7 मी० टन थी और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा 21.15 करोड़ रु० (अनन्तिम) की थी।

(ग) अपरिष्कृत अफीम का आयात करने वाले बड़े-बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान हैं।

(घ) पोस्त की मंसी और उसके सांद्रण के सिलसिले में कड़ी होड़ की वजह से और विश्व में स्वापक सम्बन्धी कच्ची सामग्री की अत्यधिक सप्लाई के कारण अफीम का हमारा निर्यात घट गया है। इसके परिणामस्वरूप देश में अफीम का भण्डार जमा हो गया है। इन परिस्थितियों में, अफीम की काश्त बढ़ाने की इजाजत देना मुमकिन नहीं है।

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बैंक आफ इण्डिया की शाखा से धन का लूटा जाना

5307. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 22 जुलाई, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार देखे हैं जिनमें यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में चल रही बैंक आफ इन्डिया की शाखा से 1.88 लाख रुपए लूटे गए थे;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि 21-7-1982 को दोपहर 1.25 बजे के करीब पांच व्यक्ति इसकी 24 परगना (पश्चिम बंगाल) स्थित रिशाबी शाखा में घुस आये तथा रिवाल्वर की नोक पर 1,15,422 रुपये की नकद राशि तथा 72,979 रुपये की कीमत के जेवरात लूट ले गये। बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है तथा जांच-कार्य जारी है।

आंशिक और पूर्णतः उन्मुख पालिएस्टर फिलामेन्ट धागे का आयात

5308. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जुलाई, 1981 को बम्बई के कपड़ा आयुक्त ने एक प्रेस टिप्पण जारी किया था कि कॉटन टैक्सटाइल मिलों द्वारा आंशिक और पूर्णतः उन्मुख पालिएस्टर फिलामेंट धागे का आयात करने की अनुमति दी गई है, जोकि उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की अनुसूची 1 के 23(5) के अन्तर्गत लाइसेंस रखने वाली यूनिटों को पहले भी अनुमति प्राप्त थी; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार की मंजूरी ली गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए पालिएस्टर फिलामेंट यार्न 78-79 से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रहा है। वास्तविक प्रयोक्ताओं में कृत्रिम बुनकर एकक, सूती मिलें तथा स्वतंत्र क्रिम्पर्स शामिल हैं। 1981-82 के लिए आयात नीति में आंशिक उन्मुख यार्न को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया था। वस्त्र आयुक्त ने आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत प्रायोजक प्राधिकारी होने के नाते 18 जुलाई, 1981 को इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया कि सभी सूती मिलें आंशिक उन्मुख यार्न के लिए भी वास्तविक प्रयोक्ता है। वस्त्र आयुक्त ने प्रायोजक प्राधिकारी होने के नाते यह स्पष्टीकरण जारी किया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक ऋण बनाने के प्रस्ताव का भारत द्वारा विरोध

5309. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, एक वैकल्पिक ऋण प्रस्ताव तैयार करके अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी का पुनर्गठन करने के विश्व बैंक के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विरोध के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उन्होंने किस सीमा तक भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) ; (क) से (ग) यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं, फिर भी सातवें पुनर्भरण के दौरान देशों के बीच भिन्नता लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता की शर्तों के सम्बन्ध में कुछ अस्थाई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। भारत ने ऐसे प्रस्तावों का इस आधार पर विरोध किया है कि ये प्रस्ताव किसी वस्तुनिष्ठ मापदण्ड पर आधारित नहीं हैं अतः ये पक्षपातपूर्ण और भेदमूलक होंगे।

सिंडीकेट बैंक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकारियों का स्थानान्तरण

5310. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंडीकेट बैंक के प्रबन्धकों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति समुदायों के अधिकारियों की भर्ती या पदोन्नति के समय उनकी नियुक्ति/स्थानान्तरण उनके जन्म स्थानों से बहुत दूर किए जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में "सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसियेशन (रजि०)" ने बार-बार अभ्यावेदन दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए बैंक ने क्या कार्यवाही की है; 1 जुलाई, 1978 से (वर्षवार) किए गए भिन्न-भिन्न संवर्गों में (क्षेत्रवार) स्थानान्तरणों के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति के मामले में 22½ प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है यदि हां, तो सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को यह लाभ क्यों नहीं दे रहा है ?

वित्त मन्त्रालय उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि अनु० जाति/जनजाति के अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर उनका समुचित रूप से उत्तर दिया जाता है। यह स्थानान्तरण पूरे देश में कहीं भी किये जा सकते हैं और स्थानान्तरण के मामले में सरकार द्वारा अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों के वास्ते कोई आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इसकी स्थानान्तरण-नीति अनु० जाति/अनु० जनजाति के समुदायों से सम्बन्धित कर्मचारियों समेत सभी कर्मचारियों के लिए एक समान है। बैंक की वर्तमान नीति के अनुसार कर्मचारियों को, अधिकारियों के संवर्ग में उनकी पदोन्नति हो जाने पर साधारणतया, राज्य से बाहर तैनात किया जाता है। प्रत्येक काडर में बैंक द्वारा किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में इसके द्वारा क्षेत्रवार सूचना नहीं रखी जाती, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

5311. श्री गुफरान आजम :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलें बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा ही प्रस्ताव राष्ट्रीय कपड़ा निगम के भी विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित बहुत सी मिलें इसे हुई हानियों के लिए उत्तरदायी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन मिलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए कार्यकारी दल नियुक्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या अन्य कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) एन० टी० सी० मिलों के कार्यचालन की समीक्षा अनुषंगी कम्पनियों और नियंत्रक कम्पनियों द्वारा समय-समय पर की जाती है। इन मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए इन बैठकों में लिये गये निर्णयों का सम्बन्धित अनुषंगी कम्पनी द्वारा पालन किया जाता है।

(च) एन० टी० सी० मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा क्षमता का विस्तार;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण;

(3) केन्द्रीय आधार पर रुई की बल्क अधिप्राप्ति;

(4) उत्पादन पद्धति का विविधीकरण; और

(5) बिजली की कमी को पूरा करने के लिये कुछ मिलों में डीजल जैनेरेटिंग सेटों की स्थापना।

विन्टेज कारों के निर्यात की अनुमति देने का प्रस्ताव

5312. श्री दिग्विजय सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विन्टेज कारों के निर्यात की अनुमति देने के प्रस्ताव की गत पांच वर्षों से जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) इस समय विन्टेज कारों के निर्यात पर रोक लगी हुई है। वर्तमान नीति को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा अनुसंधान तथा विभाग प्रयोगशाला द्वारा टैंक भेदक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली परियोजना का परित्याग

5313. श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा अनुसंधान तथा विभाग प्रयोगशाला द्वारा एक टैंक भेदक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली परियोजना का 6 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में 28.72 लाख रुपये का भारी व्यय करके 10 वर्ष की अवधि के बाद छोड़ दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांच वर्ष इसलिए खराब कर दिए गए थे क्योंकि सेना मुख्यालय ने इसे व्हीकल्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को सौंपने से पूर्व एक उपयुक्त माउंटिंग सिस्टम विकसित करने के प्रस्ताव का एहराई से अध्ययन नहीं किया था; और

(ग) परियोजना पर इस प्रकार से कार्यवाही करने के लिए कौन जिम्मेदार थे ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं । यह परियोजना उपयोगकर्ताओं का परीक्षण पूरा होने और 28,72,700.73 रुपए का व्यय करने के बाद बन्द कर दी गई थी ।

(ख) जी नहीं । थलसेना मुख्यालय द्वारा परियोजना तकनीकी स्वरूप के बारे में वाहन अनुसन्धान तथा विकास स्थापना के साथ यथावश्यक विचार-विमर्श करने बाद उपयुक्त "माउन्ट" का विकास करने की परियोजना उक्त स्थापना को सौंप दी गई थी । इस परियोजना को बाद में सामरिक आधार पर छोड़ दिया गया था जिसका वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिए इस बारे में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया ।

(ग) इस परियोजना की मजूरी भारत सरकार ने दी थी तथा इसका निष्पादन विभिन्न रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापनाओं/प्रयोगशालाओं ने किया । इस परियोजना को एक संचालन समिति ने मानीटर किया ।

"हेरसमेन्ट टू बार विडोस" शीर्षक समाचार

5314. **श्री कमल नाथ :**

श्री ए० टी० पाटिल :

क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में युद्ध में मरे सैनिकों की विधवाओं को सताए जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित मामलों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच की है; और

(ग) सरकार ने युद्ध में मरे सैनिकों की विधवाओं तथा उनके कल्याणकारी संघ को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है

विवरण

6 जुलाई, को "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार को सरकार ने देखा है । इस

रिपोर्ट में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के बारे में कुछ विशेष मुद्दे उठाए गए है। उनकी स्थिति इस प्रकार है :

(क) साझेदारों के बीच गैस की एजेन्सियों का विभाजन करने में कठिनाईयां :

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्सियों के आवंटन मे युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए 15% का आरक्षण रखा गया है। इस मन्त्रालय ने यह निर्णय किया है कि दो या दो से अधिक पात्र व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आवंटित एजेन्सियों को दो हिस्सों/तीन हिस्सों में बांटने के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और साझेदारों से कहा है कि वे अपने विवादों को अपने आप निबटा लें।

(ख) किराएदारों से मकानों को खाली कराना :

कुछ राज्य सरकारों ने अपने किराया नियन्त्रण अधिनियम को संशोधित किया है जिससे कि युद्ध मे वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां अपने मकानो को अपने निजी उपयोग के लिए खाली करा सकें। अन्य राज्यों को इसी प्रकार के संशोधन करने के लिए सहमत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को गृह कर से छूट देना :

कुछ राज्य सरकारों ने अपने नगरपालिका कानूनों को संशोधित करके युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को कुछ सीमा तक गृह कर के भुगतान से छूट दे दी है। अन्य राज्य सरकारो से भी इसी प्रकार की छूट देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) सरकारी विभाग में फिर से रोजगार प्राप्त करने या दुबारा विवाह करने पर युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की पेंशन बन्द करना :

यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त किसी सैनिक की पत्नी किसी सरकारी विभाग के केन्द्र/राज्य क्षेत्र के सरकारी उपक्रम या राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त है तब उसकी पेंशन बंद नहीं की जाती है। लेकिन उसको समय-समय पर मिलने वाले राहत अनुदान नहीं दिए जाते क्योंकि नौकरी के दौरान अपने वेतन के साथ महंगाई भत्ता पहले ही प्राप्त करती है। यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त किसी सैनिक की पत्नी अपने दिवंगत पति के सगे भाई से पुनर्विवाह कर लेती है तो उसको मिलने वाली विशेष परिवार पेंशन उसको मिलती रहती है। लेकिन अन्य मामलों में वह अपना विशेष परिवार पेंशन का अधिकार खो देती है जबकि उसको साधारण परिवार पेंशन मिलती रहती है।

सरकार इस बात के प्रति जागरूक है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को जायज राहत और सहायता मिलती रहे। व्यक्तिगत मामलों में इन्हें अपने पुनर्वास और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है गृह निर्माण के लिए कर्जे पर ब्याज में भी सहायता दी जाती है। हाल ही में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की एसोशिएशन को दिल्ली में शहीद भवन के निर्माण के लिए 9.54 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

पैरिस में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की बैठक

5315. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आई० डीज) के बीच पैरिस में तय की गई सहायता के बारे में अनुपात-मिश्रण (रेशो-मिक्स) को निश्चित कर लिया है जिस पर विश्व के अन्य देशों की सहायता की समूची मात्रा निर्भर करेगी तथा उक्त सहायता की शर्तें क्या हैं ?

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमान गत वर्षों से बेहतर है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार देश के हितों की किस प्रकार रक्षा कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत सहायता संघ की 14-15 जून, 1982 को पेरिस में हुई बैठक में यह बताया गया था कि विश्व बैंक समूह से मिलने वाली राशि 2.2 अरब अमेरीकी डालर की होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बीच इस रकम के विभाजन के ब्यौरे की सूचना अभी तक नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

राज्यों को अन्तरित संसाधनों में कमी

5316. **श्री मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र में वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् राज्यों को अन्तरित संसाधनों की प्रतिशत निरन्तर कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्यों को कितने प्रतिशत संसाधन आवंटित किये हैं; और

(ग) क्या राज्यों को अन्तरित संसाधनों में कमी का राज्यों द्वारा सूखा तथा अकाल जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्यों को केन्द्र द्वारा अन्तरित संसाधनों में वास्तव में व्यापक रूप से वृद्धि हो रही है जैसा कि निम्नलिखित सूची से देखा जा सकता है :

वर्ष	राज्यों को कुल अन्तरण करोड़ रु०
1979-80 (लेखे)	8391
1980-81 (लेखे)	9532
1981-82 (संशोधित अनुमान)	10523
1982-83 (बजट अनुमान)	11712

राज्यों को संसाधनों के अन्तरण की प्रतिशतता क्या होगी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं हैं इसके अलावा राज्यों को संसाधनों के अन्तरण का प्रतिशतता के रूप में तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राज्यों को राशियों के अन्तरणमें कानूनी अन्तरण समाविष्ट है, जो कि वित्त आयोगकी सिफारिशों, योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर किये गये आयोजना अन्तरण, और प्राकृतिल प्रकोपों आदि के लिए सहायता आदि जैसे अन्य अन्तरणों पर आधारित है जो कि केन्द्रीय दलों और राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की विशिष्ट सिफारिशों पर किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोपों के सम्बन्ध में व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र राज्यों को अलग से सहायता मंजूर करता है।

उड़ीसा में ऐतिहासिक स्थानों पर ध्वनि तथा प्रकाश प्रणाली

5317. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राज्य में पर्यटन के हित में कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर ध्वनि तथा प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था की जाए;

(ख) क्या कोणार्क, खण्डगिरि और उदयगिरि में इस प्रणाली की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन पर्यटन स्थलों पर इस व्यवस्था के लिए उनके मंत्रालय ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हां। कोणार्क, खण्डगिरि और उदयगिरि में ध्वनि-व-प्रकाश शो प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।

(ग) और (घ) भुवनेश्वर के नजदीक खण्डगिरि उदयगिरि के राबी गुम्फा में '-शेयरिंग" आधार पर ध्वनि-व-प्रकाश शो की "माउंटिंग" के बारे में सरकार का निर्णय राज्य सरकार को संप्रेषित कर दिया गया है जिसमें उनसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ भी उठाया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास तथा उनके लिए सेवाओं में आरक्षण

5318. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा सेवाओं में उनके लिए आरक्षण करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं और यदि कोई कदम उठाए भी गये हैं तो बेमन से उठाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व सैनिकों में असंतोष व्याप्त है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया तथा उन्हें कहां-कहां रोजगार दिया गया तथा उन कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास के लिए प्लाट दिए गए?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में निम्नलिखित आरक्षण करने के आदेश जारी कर दिए हैं :

पद की किस्म	केन्द्रीय सरकार	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/ राष्ट्रीयकृत बैंक
(क) परा मिलिटरी बलों में सहायक कमान्डेंट और समकक्ष पद	10%	—
(ख) ग्रुप 'ग' पद	10%	14½%
(ग) ग्रुप 'घ' पद	20%	24½%

ये आदेश संघ शासित प्रशासन पर भी लागू होते हैं।

सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसी प्रकार का आरक्षण करें। 16 राज्य सरकारों ने रिक्त स्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले ही कुछ आरक्षण कर दिया है। इन आरक्षणों के बारे में एक विवरण संलग्न है। केन्द्रीय सरकार के अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों के आरक्षण देने के बारे में राज्य सरकारों पर बल देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालय और पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से जितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है उनकी संख्या इस प्रकार है :

1979	—	16,377
1980	—	15,731
1981	—	16,639

इसके अतिरिक्त कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने अपने ही प्रयत्नों से उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर लिया है।

उन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं है जहां इन भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दी गई हैं क्योंकि उन्हें सारे देश में कार्य कर रहे विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां दी गई हैं और उनको पुनर्नियुक्ति के वास्तविक स्थानों के बारे में कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं।

भूमि और प्लाटों का आवंटन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और इसलिए उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में केन्द्रीय स्तर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें पुनर्वास के लिए भूमि के प्लाट दिए गए हैं।

विवरण

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन रिक्त स्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिक्त स्थानों का प्रतिशत				
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
(1) आन्ध्र प्रदेश	2	2	—	—	
(2) असम	—	—	—	—	
(3) बिहार	—	—	—	—	
(4) गुजरात	10	20	—	—	
(5) हरियाणा	17	17	5	5	
(6) हिमाचल प्रदेश	*15	*15	*15	*15	केवल गैर तकनीकी
(7) जम्मू व कश्मीर	5	10	—	—	
(8) कर्नाटक	10	10	10	10	
(9) केरल	—	—	—	—	
(10) मध्य प्रदेश	9	14	*50	*50	
(11) महाराष्ट्र	15	15	—	—	
(12) मणिपुर	10	20	—	—	
(13) मेघालय	—	—	—	—	
(14) नागालैण्ड	—	—	—	—	
(15) पंजाब	15	15	15	15	
(16) उड़ीसा	—	—	—	—	
(17) राजस्थान	$12\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	—	—	60% सशस्त्र कान्स्टेबुलरी में भी आरक्षित है

1	2	3	4	5	6
(18) सिक्किम	15	15	—	—	
(19) तमिलनाडु	—	10	—	—	
(20) त्रिपुरा	2	2	—	—	
(21) उत्तर प्रदेश	3	3	@8	@8	
(22) पश्चिम बंगाल	5	10	—	—	
(23) अरुणाचल प्रदेश	10	20	—	—	
(24) अण्डमान और निकोबार द्वीप	10	20	—	—	
(25) चण्डीगढ़	10	20	—	—	
(26) लक्षद्वीप	10	20	—	—	
(27) गोवा, दमण और दियू	10	20	—	—	
(28) दिल्ली	10	20	—	—	
(29) मिजोरम	10	20	—	—	
(30) पाण्डिचेरी	10	20	—	—	
(31) दादर, नागर और हवेली	10	20	—	—	

नोट—*केवल सीधी भर्ती के अधीन

इ० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० के लिए क्रमशः चिकित्सा और शिक्षा विभाग में डाक्टरों और लेक्चरारों के लिए।

@ केवल इ० सी० ओ० और अशक्त अफसरों के लिए।

सहायता उपयोगिता की दर

5319. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की 1977-78 से 1981-82 वर्षों की सहायता उपयोगिता की दर कितनी है और उनका मद-वार ब्योरा क्या है, जैसे वस्तुओं के आयात के लिए सहायता, फालतू पुर्जों और परियोजना के लिए सहायता;

(ख) क्या इस दर में तथा विश्व बैंक द्वारा बनाई गई दर में अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ख) किसकी दर सही है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता मुख्यतः परियोजना सहायता और परियोजना भिन्न सहायता अथवा कार्यक्रम सहायता की श्रेणी में आती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे, पूंजीगत उपकरण आदि शामिल किए जा सकते हैं। सरकारी खाते पर प्राप्त हुई ऐसी सहायता का परियोजना और परियोजना भिन्न सहायता का विभाजन इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	परियोजना	परियोजना भिन्न	जोड़
1977-78	744.78	449.09	1193.87
1978-79	644.06	490.04	1134.10
1979-80	906.17	371.42	1277.59
1980-81	1254.52	837.17*	2085.69*
1981-82	1512.24	262.32	1774.56

*इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्यास निधि का 537.51 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है।

(ख) भारत सरकार कार्य चालन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए सहायता के उपयोग के अपने अनुमानों की किसी अन्य बाहरी एजेंसी के पूर्वानुमानों के साथ तुलना नहीं करती है।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कुटीर/ग्रामीण/कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बैंक से ऋण दिया जाना

5320. **श्री गदाधर साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में लघु, कुटीर, ग्रामीण और कृषि पर आधारित उद्योगोंकी स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के और कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के उद्यमियों/शिक्षित बेरोजगार व्यक्तितों को कितना ऋण दिया गया;

(ख) गैर खरीयता क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक कितना ऋण दे सकते हैं; और

(ग) उपरोक्त वर्ग के लोगों द्वारा इन पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या हिदायतें दी जाती हैं और 1979 से 1982 तक इन जिलों में ऐसे कितने एकक जिलावार स्थापित किए गए तथा बैंकों द्वारा उन्हें ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1.5.1979 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में, योजना आयोग ने 13 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा अधिसूचित किया था जिससे कि वे वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त प्राप्त करने के पात्र हो सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित सूचना के मुताबिक जून 1980 के अन्त की (सबसे हाल की उपलब्ध) स्थिति के अनुसार, इन जिलों में लघु उद्योगों (ग्राम और कुटीर उद्योगों समेत) की और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम नीचे लिखे अनुसार हैं :

जिले का नाम	बकाया राशि (लाख रुपये)
बांकुरा	75.42
बीरभूम	146.08
बर्दवान	644.87
कूच बिहार	55.30
दार्जिलिंग	512.49
हुगली	607.15
जलपाईगुड़ी	534.02
मालवा	25.59
मिदनापुर	277.51
मुर्शिदाबाद	74.71
नादिया	324.30
पुरुलिया	225.02
पश्चिमी दिनाजपुर	87.60

(ख) साधारणत: बैंक, उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की व्यवस्था करते हैं। 2 करोड़ रुपये से अधिक की सीमाओं के वास्ते उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना होता है।

(ग) पिछड़े क्षेत्र में स्थापित लघु उद्योगों को दिए गए 25 000 रुपये तक के संमिश्र ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 10.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल करते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में यह दर 12.50 प्रतिशत है। लघु उद्योगों से, 3 वर्षों से अन्यून अवधि की परिपक्वता अवधि वाले सावधि ऋणों पर, अन्य क्षेत्रों के 13.50 प्रतिशत के मुकाबले, 12.50 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जिला	ऋणकर्त्ता खातों की संख्या		बकाया राशि (लाख रु०)	
	जून 1979	जून 1980	जून 1979	जून 1980
बांकुरा	923	1027	90.82	75.42
बीरभूम	1117	908	154.52	146.08
बर्दवान	2713	2403	822.31	644.87
कूच बिहार	504	434	27.32	55.30
दार्जिलिंग	1024	970	245.77	512.49
हुगली	2224	2704	726.15	607.15
जलपाइगुड़ी	768	996	106.53	534.02
मालदा	1101	422	38.08	25.59
मिदनापुर	2106	2831	210.79	277.51
मुर्शिदाबाद	3753	4287	101 07	74.71
नादिया	4875	4821	334.15	324.30
पुरुलिया	718	1072	166.57	225.02
पश्चिमी दिनाजपुर	488	529	52.45	87.60

सशस्त्र सेना में संवर्ग पुनरीक्षा

5321. श्री जगन्नाथ पाटिल :

श्री रामविलास पासवान :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान सशस्त्र सेना की तीनों शाखाओं और डी० आर० डी० ओ० में संवर्ग पुनरीक्षा की जा चुकी है;

(ख) क्या इस प्रकार की संवर्ग पुनरीक्षा रक्षा निरीक्षण संगठन में कार्यरत अधिकारियों की सेवा के सम्बन्ध में नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तीनों सेनाओं के लिए संवर्ग की 1979-80 में और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) के संवर्ग की अक्तूबर, 1981 में समीक्षा की गई थी।

(ख) और (ग) सम्वर्ग समीक्षा के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

कन्याकुमारी में पर्यटकों को हुई कठिनाइयां

5322. श्री एन० डेनिस : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन पर्यटकों और तीर्थ-यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है, जो कन्याकुमारी जाते हैं;

(ख) क्या सरकार "मास्टर-प्लान" के जरिए कन्याकुमारी को एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र में परिवर्तित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या कन्याकुमारी में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां। उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में संसाधनों को एकत्र करते हुए अवस्थानुसार ढंग से एकीकृत विकास के लिए तमिलनाडु के यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में कन्याकुमारी को शामिल किया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने कन्याकुमारी के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसकी केन्द्रीय पर्यटन विभाग में इस दृष्टि से जांच की जा रही है कि वर्तमान वित्तीय प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत किन-किन संघटकों को हाथ में लिया जा सकता है। धनराशियों के उपलब्ध होने और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुकूल होने पर निर्भर करते हुए आई० टी० डी० सी० का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम स्कीम के रूप में कन्याकुमारी में एक होटल के निर्माण का एक प्रस्ताव है।

"फाइव एन० टी० सी० मिल्स टर्न कार्नर" शीर्षक समाचार

5323. श्री पीयूष तिरकी :

श्री आनन्द सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1982 के कलकत्ता के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित "फाइव एन० टी० सी० मिल्स टर्न कार्नर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह देखने के लिए आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि सहायक कम्पनियां नियंत्रक कम्पनी से पर्याप्त सहायता प्राप्त करती हैं और सरकार को सभी मिलों को लाभकारी स्तर पर एन० टी० सी० के नियंत्रणाधीन वापिस लाना है; और

(ग) क्या नियंत्रक कम्पनी सहायक कम्पनियों की ओर उचित ध्यान देने में विफल हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है। यह सही नहीं है कि इन मिलों ने लाभ कमाना शुरू कर दिया है। नियंत्रक कम्पनी द्वारा अपनी अनुषंगी कम्पनियों को मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार, श्रम के युक्तियुक्तकरण, बिजली की कमी आदि पर काबू पाने के लिए जेनेरेटरों की स्थापना के लिए सभी सम्भव वित्तीय सहायता दी जा रही है।

डी० ए० ओ० ए० एस० का अभ्यावेदन

5324. **श्री रेणुपद दास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० ए० ओ० ए० एस० ने एक अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि रक्षा उत्पादन विभागन ने सेना में भर्ती के नियम बनाए थे लेकिन वर्तमान रिक्त स्थानों पर अधिकांश पदों पर भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) डिफेंस एयरोनाटिकल क्वालिटी एश्योरेंस आफिसर्स एसोसिएशन से तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु) के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कतिपय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

भारत में हथकरघा उद्योग का कार्यकरण

5325. **श्री के० कुम्हम्बु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने इस उद्योग की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत में राज्य-वार हथकरघों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) सहकारी दायरे से बाहर के बुनकरों के हितों के लिए सघन हथकरघा विकास परियोजनाएं/निर्यात उत्पादन परियोजनाएं;

(2) प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों के लिए शेयर पूंजी सहायता;

(3) हथकरघा बुनकरों की शीर्ष विपणन समितियों के लिए शेयर पूंजी सहायता;

(4) करघा पूर्व तथा करघा पश्चात से साधन सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता;

(5) राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता;

(6) करघों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को ऋण तथा अनुदान सहायता;

(7) हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय मुआवजा;

(8) हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त रोजगार और समाज के कमजोर वर्ग को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा जनता कपड़ा योजना;

(9) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता;

(10) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट का दिया जाना;

(11) कताई मिलों पर यह दायित्व कि वे हथकरघा बुनकरों द्वारा की जाने वाली अपनी सिविल डिलिवरियों के 50 प्रतिशत भाग की हैंक के रूप में पैक करें;

(12) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(2) (ख) के साथ पठित 17(4) (ग) के अधीन बैंक दर से ढाई प्रतिशत कम पर हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को रियायती वित्त ।

विवरण

करघों की संख्या—राज्यवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	करघों की संख्या (हजार में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	529†
असम	200
बिहार	100
गुजरात	20
हरियाणा	41
हिमाचल प्रदेश	1

1	2
जम्मू तथा कश्मीर	37
कर्नाटक	103
केरल	95
मध्य प्रदेश	33
महाराष्ट्र	80
मणिपुर	100†
मेघालय	5†
नागालैंड	20†
उड़ीसा	105
पंजाब	21
राजस्थान	144
सिक्किम	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	556
त्रिपुरा	100
उत्तर प्रदेश	509
प० बंगाल	212
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	उपलब्ध नहीं
अरुणांचल प्रदेश	"
चण्डीगढ़	"
दादर तथा नगर हवेली	"
दिल्ली	5
गोआ, दमण तथा दीव	उपलब्ध नहीं
मिजोरम	"
लक्षद्वीप	"
पाण्डिचेरी	4
योग	3020

†कुल मिलाकर लगभग 8 लाख घरेलू करघों को छोड़कर।

बिजली पर उत्पादन शुल्क

5326. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली के क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु बिजली पर उत्पादन शुल्क लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रति यूनिट उत्पादन शुल्क क्या सोचा गया है;

(ग) क्या बिजली पर शुल्क में वृद्धि करने का अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) मूल्य में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) बिजली पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 11-ङ के तहत दो पैसे प्रति किलोवाट घण्टे की दर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। यह दर वर्ष 1978 में नियत की गई थी। इस समय इस दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिकरोधी उपकरण खरीदा जाना

5327. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री जगपाल सिंह :

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिकरोधी उपकरण खरीदने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त सैनिक दल अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और इटली भेजा है;

(ख) क्या इससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इलेक्ट्रानिक सैनिक उपकरणों के मूल्यांकन के लिए कुछ पाकिस्तानी दलों के दौरे के बारे में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखे हैं।

(ख) और (ग) देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारियों को बनाए रखने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय करती है।

विभिन्न न्यायालयों के पास लंबित पड़े कराधान के मामले

5328. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा मध्यस्थों के पास कराधान के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) मामलों की प्रत्येक श्रेणी में से कितने मामले 5 वर्ष पुराने हैं, दस वर्ष पुराने हैं और 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं;

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) क्या छोटे मामलों को समाप्त करके न्यायालयों में अन्य मामलों को कम करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क)से (घ) विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा मध्यस्थों के पास बकाया पड़े कराधान मामलों से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम अन्तर्ग्रस्त है । लेकिन, माननीय सदस्य यदि किसी ऐसे मामले/मामलों विशेष का उल्लेख करें तो उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर भेज दी जाएगी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

5329. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने सरकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान इनकी संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) इन उपक्रमों में दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों में असंतोष को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्तियों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 1-1-1982 की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से लेकर वरिष्ठ प्रबन्धक तक के स्तर के प्रबन्धकीय पदों पर केन्द्र सरकार के 175 अधिकारी (औद्योगिक प्रबन्ध समूह के अधिकारियों को छोड़कर) 2000 रु० प्रति माह से शुरू होने वाले वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर थे ।

प्रबन्धकीय पदों पर प्रतिनियुक्ति अधिकारियों का प्रतिशत अप्रैल, 1966 के 6.2 प्रतिशत से घटकर जनवरी, 1982 में 1.7 प्रतिशत रह गया था ।

(ग) सरकार की नीति यह है कि प्रत्येक सरकारी उद्यम अपना खुद का प्रबन्धकीय संवर्ग बनायें तथा प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों पर निर्भरता को कम करें । इस बात को ध्यान में रखते

हुए, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सरकार से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेने तथा सरकारी उद्यमों में रह जाने के लिए प्रेरित करने हेतु अन्तर्लंयल सम्बन्धी उदार लाभ प्रदान किए हैं।

विदेशी पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र खोलना

5330. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन कार्यालय ने विदेशी पर्यटकों के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों को खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस सम्बन्ध में पर्यटक कार्यालय, गोहाटी ने कुछ कार्यविधियों को उदार बनाने का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) और (ग) सरकार प्रस्ताव का परीक्षण कर रही है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अफीम की खेती के लिए निर्धारित किया गया क्षेत्र

5331. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान अफीम की खेती के लिए कुल कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया और अफीम का कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) प्रति किलो दर किस आधार पर निर्धारित की गई थी और वर्ष 1981-82 के दौरान किसानों को तदनुसार कुल कितना भुगतान किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंस-प्राप्त रकबा, 35,403 हैक्टेअर था और 90° गाढ़ता पर अफीम का कुल उत्पादन 890 मीट्रिक टन था।

(ख) वर्ष 1981-82 की फसल के लिए काश्तकारों को देय, अफीम का मूल्य इस दृष्टि से नियत किया गया था कि उच्चतर उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देने के साथ-साथ अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम को अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी बनाकर अफीम का निर्यात बढ़ाया जा सके। वर्ष 1981-82 के दौरान काश्तकारों को किये गये कुल भुगतान के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कूच-बिहार, माल्दा, जलपाईगुड़ी को विद्युत सेवा

5332. **श्री अजीत कुमार साहा** :

श्री आनन्द पाठक :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को सूचित किया है कि कूच-बिहार को स्टेशन के चालन के लिए योग्य होने पर वायुदूत सेवा से जोड़ा जाएगा किन्तु अन्य स्टेशन को योग्य बनाने में कुछ समय लगेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से कोई पत्र मिला है जिसमें उन्होंने माल्दा, पश्चिम दीनाजपुर और जलपाईगुड़ी की विद्यमान हवाई पट्टियों में प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने के बारे में अनुरोध किया है ताकि वायुदूत सेवायें कूच-बिहार सहित इन स्थानों मे आरम्भ की जा सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री के अनुरोध पर कोई प्रगति की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 73.51 लाख रुपये की लागत से कच-बिहार विमान क्षेत्र का विकास-कार्य पहले ही हाथ में लिया जा चुका है। इस कार्य मे भवन तथा धावनपथ काम्प्लेक्स, सुरक्षा सेवाओं तथा एम० टी० वाहनों की व्यवस्था तथा दूर-संचार और दिक्चालन उपकरणों की स्थापना करने की व्यवस्था सम्मिलित है। फिलहाल माल्दा, पश्चिमी दीनाजपुर तथा जलपाईगुड़ी को वायु-दूत की सेवाओं से जोड़ने की कोई तत्काल योजनायें नही हैं क्योंकि इन विमान क्षेत्रों के सुधार में कुछ समय लगेगा।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा

5333. **श्री के० ए० राजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान पर्यटन मे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए राजानुदान, प्रोत्साहन और रियायती आयात के रूप में पर्यटन व्यापार को की गई प्रतिपूर्ति और दिये गये भत्तों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पर्यटन से वर्ष 1980, 1981 और 1982 में विदेशी मुद्रा में अनुमानतः आय, जिसका हिसाब कैलेण्डर वर्ष के आधार पर रखा जाता है, इस प्रकार हुई :

वर्ष	(करोड़ रुपए) विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय (चालू कीमतों पर)
1980	482
1981	580
1982 (जनवरी से जून तक—अनन्तिम)	267

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान, पर्यटन विभाग द्वारा आने वाले पर्यटकों की संख्या और समय-समय पर किए जाने वाले विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण से ज्ञात होने वाले प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर लगाया जाता है। ऐसा अन्तिम सर्वेक्षण 1976-77 के दौरान किया गया था।

(ख) पर्यटन विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा की निम्नलिखित राशि जारी करने की सिफारिश की :

(i) यात्रा एजेण्टों और यात्रा संचालकों को

1980-81	3,65,517 अमेरिकी डालर
1981-82	6,23,033 अमेरिकी डालर

(ii) अनुमोदित होटलों और जलपान गृहों को

1980-81	531.22 लाख रुपए
1981-82	732.47 लाख रुपए

सूरत और अन्य राज्यों से अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारूद पकड़ा जाना

5334. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1982 में सूरत (गुजरात) से कुछ अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारूद और भारी रक्षा उपकरण बरामद हुए हैं जिनका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से सम्बन्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) 1-4-1977 से 31-12-1981 और 1-1-1982 से 30-6-1982 के दौरान सूरत तथा देश के अन्य स्थानों से इस प्रकार के कितने घोटालों का पता चला है;

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या उसमें कोई विदेशी हाथ है तथा क्या हमारे रक्षा कार्मिक और कर्मचारी उसमें अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (छ) यह सूचना गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र की जा रही है और उस मंत्रालय द्वारा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में व्यापार मेलों में लघु क्षेत्र के एककों की उपेक्षा

5335. **श्री डी० एम० पुत्ते गोडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार मेला प्राधिकरण विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए लघु क्षेत्रों के एककों की उपेक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया; और

(ग) लघु क्षेत्र के एककों को उन्हें बड़ी फर्मों के समकक्ष लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिये सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) मेलों/प्रदर्शनियों का कार्यक्रम अनेक संगठनों को परिचालित किया जाता है। इनमें शामिल हैं : निर्यात संवर्धन परिषदें, राज्यों के उद्योग निदेशक, विकास आयुक्त लघु उद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आदि। लघु क्षेत्र में अग्रणी निर्यात सदनों तथा उनके घटकों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लघु यूनिट भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेलों में भाग ले रहे हैं। उनके नामों की सूची संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 4498/82]

(ग) भारत सरकार भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की मार्फत लघु यूनिटों सहित सभी को भारत में किसी पत्तन से प्रदर्शनी स्थल तक तथा वहां से वापस निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करता है, क्लीयरिंग तथा हैंडलिंग की लागत वहन करता है और बीमे की अदायगी करता है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा साज सज्जा तथा प्रदर्शन से सम्बन्धित सभी प्रकार का खर्च भी वहन किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में ऋण और जमा राशि का अनुपात

5336. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में ऋण और जमा राशि का अनुपात सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में अनुपात को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में कोई प्रगति हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से (ङ) जी, नहीं। जून, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में सभी वाणिज्यिक बैंकों का (स्वीकृति के अनुसार) ऋण जमा अनुपात 56.4 प्रतिशत था जबकि सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली के वास्ते इनका समग्र औसत 66.6 प्रतिशत था। ऋण जमा अनुपात के मामले में, सभी राज्यों और संघ शासित

क्षेत्रों में से पश्चिम बंगाल का स्थान 14वां था। ऋण जमा अनुपात किसी राज्य में जुटाई गई जमाराशियों तथा उस राज्य में स्थित बैंक की शाखाओं द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के बीच सम्बन्धों का सूचक मात्र है। इसमें ऋण विस्तार की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का स्तर प्रतिबिम्बित नहीं होता जिसकी मांग विशेषकर उद्योग और व्यापार के संगठित दोनों के विकास के स्तर से निर्धारित होती है और जो मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, बाजार की निकटता, कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग के लिए सामान्य वातावरण जैसे कारकों से प्रभावित होती है। अलबत्ता, बैंकों से कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर अधिक ध्यान देकर अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने का प्रयास करें। राज्य में बैंकिंग विकास, की निरन्तर समीक्षा करने के वास्ते और विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्रति समुचित रूप से ऋणप्रवाह में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए की जाने वाली कारंवाई को सुनिश्चित करने के वास्ते, पश्चिम बंगाल के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को संयोजक बनाकर तथा राज्य सरकार और राज्य में काम करने वाले बड़े बैंकों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करके एक स्थायी ग्रुप (स्टेंडिंग ग्रुप) की स्थापना की गई है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जमाखातों में वृद्धि

5337. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जमाखातों में पिछले एक वर्ष में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; यदि हां, तो कितनी; और

(ख) क्या निजी निवेश के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए पूंजी जमा करने हेतु छठी योजना का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों की कुल जमा रकमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अर्थात 31-3-80 को यह जमा राशि 3453.6 करोड़ रुपए थी जोकि 31-3-81 को बढ़कर 5661.9 करोड़ रुपए हो गई।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान 349 कम्पनियों ने प्रारम्भिक बाजार से 453 करोड़ रुपए की राशि जुटाई, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में 192 कम्पनियों ने 113 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी। 30 जून, 1982 को समाप्त हुई छमाही के दौरान, पूंजी निर्गम नियंत्रक ने 362 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी और ऋण पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की, जबकि 31-12-1981 को समाप्त हुए पूरे वर्ष के दौरान 526 करोड़ रुपए के निर्गम जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इन प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की पर्याप्त सम्भावना है कि छठी आयोजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे प्राप्त कर लिया जाएगा।

रक्षा मंत्री की निकोबार की यात्रा

5338. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने विगत में ग्रेट निकोबार की यात्रा की थी और जनता तथा अन्य मंत्रालयों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, इसका ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) रक्षा मन्त्री ने 11 से 13 मार्च, 1982 के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था । रक्षा मंत्री को दौरे के समय इस तरह के अभ्यावेदनों का मिलना एक सामान्य बात है । इन अभ्यावेदनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया जाता है ।

बम्बई में तस्करी की वस्तुएं पकड़ी जाना

5339. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में बम्बई में तस्करी की वस्तुएं पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त वस्तुओं का मूल्य क्या था और जिन लोगों से उक्त वस्तुएं पकड़ी गई उन का ब्योरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त लोगों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मई से जुलाई, 1982 की अवधि में बम्बई में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने लगभग 4.38 करोड़ रुपये मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा और 135 व्यक्तियों को तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किया ।

अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगियों की संख्या

5340. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में केन्द्रीय सरकार पेन्शन भोगियों की संख्या कितनी है और उसमें पेंशन प्राप्त करने सम्बन्धी सबसे पुरानी तारीख क्या है; और

(ख) पेन्शन के स्तर के अनुसार पेन्शनभोगियों की संख्या का "फ्रीक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन" क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगी (रक्षा सेवाओं, रेलवे आदि से सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों सहित सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं। उनके प्रत्येक मामले में पेंशन के राज्य-वार संवितरण प्राप्त किये जाने की तारीख आदि के सम्बन्ध में एक स्थान पर कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। सूचना देश भर में व्यापक रूप से फैले हुए बहुत अधिक संख्या में भुगतान प्राधिकरणों से एकत्रित की जानी होगी। इसको एकत्रित करने में विशेषकर, लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन लेने की प्रारम्भिक तारीख के सम्बन्ध में सूचना को एकत्रित करने में बहुत अधिक कार्य अन्तर्ग्रस्त होगा और उसमें बहुत अधिक समय लग जायेगा। इस कारण से इस सूचना को उपयुक्त समय में देना व्यवहार्य नहीं है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम से बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को हटाना

5341. **श्री रणजीत सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री राष्ट्रीय वस्त्र निगम में बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में 26 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने इस तथ्य के बारे में जांच कराई है तथा आवश्यक कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा उसकी सहायक संस्थाओं में बर्खास्त कर्मचारियों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जब तक जांच पूरी नही हो जाती, तब तक के लिए सम्बन्धित अधिकारी का उसके तैनाती स्थान से तबादला कर दिया गया है।

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की बंगाल सबहित शाखा में डकैती

5342. **श्री सज्जन कुमार** :

श्री सुभाष यादव :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जुलाई, को यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की बंगाल सबहित शाखा से डकैतों द्वारा 13 लाख रुपये लूटे गये;

(ख) डकैती की लगातार बढ़ती हुई वारदातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बैंकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उक्त डकैती में जिन अपराधियों का हाथ है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार

द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और अब तक किये गये प्रयत्नों का ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि 7-7-82 को इसकी कैनाल ईस्ट रोड शाखा कलकत्ता से, 10,70,876 रुपये की राशि लूट ली गई थी।

(ख) चूंकि बैंकों में लूटपाट और डकैतियों की वारदातें मूलत: कानून और व्यवस्था के मामले हैं इसलिए राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लूटपाट और डकैतियों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करें तथा दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों की धर पकड़ करें। साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी अनुदेश दिये गए हैं कि वे अपने परिसरों के अन्दर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाये जाने के बारे में सरकार ने उनके नाम व्यापक अनुदेश जारी किये हैं।

6 जुलाई, 1982 को दिल्ली में आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रधान कार्यपालकों की बैठक में वित्त मन्त्री ने भी उनसे कहा था कि वे अपने बैंकों के अन्दर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनायें। बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करने का भी निर्णय किया है।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि कलकत्ता पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

कोचीन नौसेना अड्डे का आधुनिकीकरण

5343. **श्री जेवियर अराकल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन नौसैनिक हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और यह किस तारीख को पूरी होगी; और

(ग) क्या यह सच है कि नई जेटियां निर्माणाधीन हैं और काम में विलम्ब हो रहा है; यदि हां, तो जेटी की कुल लागत कितनी है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं।

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पो० सिंह देव) : (क) से (ग) कोचीन नौसैनिक अड्डे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और कोचीन पोत पत्तन पर एक नई प्रशिक्षण स्थापना स्थापित की जा रही है। यह परियोजना 1985-90 की अगली योजना अवधि में पूरी हो जाने की आशा है। इस परियोजना के अन्तर्गत नई जेटी का निर्माण करने की स्वीकृति दे दी गई है। श्रमिक अशांति के कारण जेटी के निर्माण में विलम्ब हुआ है।

चूंकि यह परियोजना दीर्घकालीन है इसलिए परियोजना पर अन्तिम रूप से कितनी लागत आएगी अभी पता नहीं लगा है।

परिधान निर्यात सम्वर्द्धन परिषद की एसोसियेशन की अन्तर्नियमावली

5344. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय ने 1977 या 1978 में पहली बार किस तारीख को परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद के 'आर्टिकल आफ एसोसिएशन, विधि बोर्ड, कानपुर नई दिल्ली को भेजे थे;

(ख) क्या (एक) सम्बद्ध सदस्यों के कहे जाने वाली लघु निर्यातकों को वोट का अधिकार न देने (दो) चुनाव क्षेत्रीय-वार शुरू करने (तीन) डाक द्वारा मतदान न करने की व्यवस्था आदि पर विचार किया गया था; और

(ग) क्या परिषद ने 1980, 1981 और 1982 में प्रमुख काउंसिल और सोलिसीटरों से परामर्श लिया था; और

(घ) यदि हां, तो कितनी फीस दी गई और क्या सरकार उनके विचारों की प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) परिधान निर्यात सम्वर्धन परिषद के संस्था ज्ञापन और नियमावली के मसौदे की स्वीकृति 12 दिसम्बर, 1977 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई थी और उस पर आगे कार्यवाही करने के लिए इन्डियन गार्मेन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स फैडरेशन को भेज दिया गया था।

(ख) संस्था ज्ञापन और नियमावली को समग्र रूप से स्वीकृति दी गई थी।

(ग) तथा (घ) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने बताया है कि कानूनी सेवाओं के बदले में अभी तक 6316 रु० (अग्रिम राशि सहित) की राशि का भुगतान किया गया है। जिन मामलों के सम्बन्ध में कानूनी सेवाएं प्रदान की गईं वे न्याय-निर्णयाधीन है।

एयर इण्डिया के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क भोजन तथा आवास

5345. **श्री दिम्बर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया स्टाफ की कौन सी श्रेणियां अपने तथा अपने परिवारों के लिए बम्बई हवाई अड्डे के सेनौर होटल में नि:शुल्क भोजन तथा आवास के पात्र हैं और उन्हें ऐसी रियायत देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या होटल में ऐसे अधिकारियों/स्टाफ के ठहरने और वहां से जाने का कोई रिकार्ड रखा जाता है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें पता है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस होटल में रात के लिए ठहरते हैं जब उन्हें अपने परिवार सहित सवेरे की उड़ान पकड़नी होती है और होटल में उनकी भरपूर आवभगत की जाती है और उसके लिए कोई हिसाब नहीं रखा जाता है; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) और (ग) के सम्बन्ध में एयर इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग करने के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इण्डिया स्टाफ का कोई भी वर्ग भारतीय होटल निगम ' होटलों में निःशुल्क खान-पान तथा आवास सुविधाओं के लिए हकदार नहीं है, परन्तु, एयर इन्डिया का छुट्टी पर गया हुआ स्टाफ इन होटलों में आवास के लिए 50% छूट का हकदार है।

(ख) और (ग) अधिकारियों के ऐसे वर्गों का, जोकि निःशुल्क खानपान/आवास के हकदार हैं, होटल में आने तथा इसे छोड़ने का रिकार्ड रखा जाता है। एयर इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारी सामान्यतः सवेरे की उड़ान लेते समय होटल में नहीं ठहरते। किन्हीं एक-आधा अवसरों पर उन्होंने, प्रातःकालीन उड़ानें पकड़ने से पूर्व होटल में जलपान ले किया होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली हवाई-अड्डे पर सम्पर्क अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों के कस्टम कर्मचारियों के साथ कथित घनिष्ठ सम्बन्ध

5346. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि राजधानी में व्यापारिक-गृहों से सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों के दिल्ली हवाई-अड्डे पर कस्टम-अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं तथा उनकी मिली-भगत से वे आने सम्बद्ध व्यक्तियों के आने और जाने के समय निकास और आगमन कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तथा उनकी कस्टम-निकासी सुविधापूर्वक करा देते हैं;

(ख) क्या एक चालाकी यह बरती जाती है कि साथ लाए गए सामान को केन्द्रीय भण्डागार निगम भवन में स्थित "कार्गो हैन्डलिंग" की ओर से भेज दिया जाता है और सम्पर्क अधिकारी कस्टम निगरानी कर्मचारियों की मिली-भगत से केवल मामूली से शुल्क का भुगतान कर इसे बड़ी सरलता से वहां से निकाल लेते हैं तथा इस प्रकार राजकोष को राजस्व की हानि उठानी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इस श्रेणी के लोगों में व्याप्त ऐसे भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए उनका क्या कठोर कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है कि राजधानी में व्यापारी गृहों के सम्पर्क अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों के, दिल्ली हवाई-अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं अथवा यह कि वे सीमाशुल्क कर्मचारियों के साथ सांठगांठ से, अपने मालिकों के जाने-आने के समय प्रस्थान और आगमन कक्षों में चुपके से प्रवेश कर जाते हैं और उनकी निकासी सुविधापूर्वक करा देते हैं।

(ख) साथ नहीं लाये गये यात्री सामान की निकासी शतप्रतिशत जांच के बाद तथा उचित दस्तावेजों के होने पर की जाती है। तदनुसार, यह सही नहीं है कि साथ नहीं लाए गए यात्री सामान की केवल नाममात्र शुल्क लगवाकर आसानी से निकासी करवायी जा सकती है और इस प्रकार राजस्व का नुकसान होता है।

(ग) जिस किसी कदाचार का पता चलता है उसे रोकने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य कार्यवाही की जाती रहती है।

भारतीय कपास निगम द्वारा निकासी-एजेंट के विरुद्ध दायर मुकदमा

5347. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम ने उस निकासी एजेन्ट के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया है, जो वर्ष 1979 के दौरान 3 लाख रुपये से अधिक की धनराशि के परिहार्य विलम्ब-शुल्क के लिए जिम्मेदार था; और

(ख) यदि हां, तो निकासी एजेन्ट का ब्यौरा क्या है, इसके विरुद्ध किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की गई, कितनी रकम का दावा किया गया और उस कार्यवाही के परिणाम क्या रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय रुई निगम ने आयातित रुई पर निगम द्वारा भुगतान किए गए विलम्ब शुल्क के लिए क्लियरिंग एजेन्ट्स मैं० पिलमैन एजेन्ट्स (प्रा०) लि०, कोचीन के खिलाफ 23-6-1979 से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत और ब्याज के साथ 3,98,500.75 रु० वसूल करने के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, कोचीन की अदालत में 1979 में एक मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने लागत के लिए कोई आदेश न देते हुए उपर्युक्त मुकदमा खारिज कर दिया।

आयात और निर्यात

5348. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनराशि के रूप में आयात और निर्यात के नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) आयात और निर्यात के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) आयात और निर्यात की वस्तुओं का पिछले पांच वर्ष का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख) गत 5 वर्षों के भारत के समग्र आयातों तथा निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

करोड़ रु०

वर्ष	आयात	निर्यात
1977-78	6025.29	5404.26
1978-79	6814.30	5726.26
1979-80	9021.75	6458.76
1980-81	12523.91	6710.71
1981-82 (अनन्तिम)†	13271.29	7557.47

†अनन्तिम हैं और इनमें संशोधन किया जा सकता है।

(ग) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया" के विस्तृत वाल्यूमों पर आधारित प्रमुख मदों के सम्बन्ध में 5 वर्ष की अवधि के निर्यात और आयात संलग्न अनुबन्ध 1 तथा 2 में दिये गये हैं।

अनुबन्ध 1

निर्यातों की प्रमुख मदें

(करोड़ रु०)

क्रमांक	वस्तुएं	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7
1.	चाय	296.14	569.69	340.46	367.84	425.50
2.	काफी	126.02	194.42	143.95	163.31	214.23
3.	तम्बाकू अनिर्मित वस्तुएं	96.84	113.21	110.73	102.25	124.41

1 2	3	4	5	6	7
4. काजू गिरि	106.10	149.54	80.23	118.10	140.13
5. खली	234.37	133.27	109.86	127.53	125.08
6. मसाले	75.00	137.09	147.93	149.36	111.36
7. चावल	6 12	11.47	38.71	123.31	223.86
8. चीनी	148.12	19 47	131.00	128.94	37.77
9. मछली तथा मछली से तैयार वस्तुएं	180.64	174.33	226.29	253.40	217.02
10. लौह अयस्क	238.49	240.84	232.91	285.24	303.33
11. सूती फैब्रिक्स	267.26	224.73	224.30	287.40	331.81
12. सूती परिधान	263.08	235.05	345.49	343.65	376 52
13. जूट से बनी वस्तुएं	201.12	244.85	166.86	336.13	329.95
14. चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं (जिसमें फुटवीयर भी शामिल हैं) फुटवीवर (जिसमें रबड़ फुटवीयर शामिल नहीं हैं)	294.34	272.59	354.53	520.04	377.89
	29.33	24.03	26·25	33.89	40.07
15. इंजीनियरी माल	566.29	617.39	700.73	739.13	792.91
16. मोती मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न	287.04	545.80	713.68	518.95	601.92
17. हाथ से बने कालीन तथा दरियां	68.39	83.18	100.29	139.76	163.92

अनुबन्ध 2

आयात की प्रमुख मदें

करोड़ रु०

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)	1980-81 अप्रैल-जनवरी (अनन्तिम)
1 2	3	4	5	6	7
1. अनाज तथा अनाज से बनी वस्तुएं	867.59	122.49	86.92	105.82	73.29
गेहूं	799.23	93.58	66.07	84.31	57.36
2. उर्वरक	216.64	298.84	410.76	430.91	519.84
(क) क्रूड	25.03	40.72	40.32	59.69	55.03
(ख) विनिर्मित	191·61	258.12	370.74	371.22	464.81
3. पोल	1413.35	1550.98	1676.77	3267.08	4119.45
(क) पेट्रोलियम आयल क्रूड	1151.62	1246.20	1243.04	2187.53	2591.32
(ख) पेट्रोलियम उत्पाद	261.73	304.78	433.73	1079.55	1528.13
4. रासायनिक पदार्थ (कार्बनिक तथा अकार्बनिक)	137.77	196.55	230.89	314.78	274 04
5. लोहा तथा इस्पात	219.45	259.88	462.46	834.20	577.36
6. अलौह धातुएं	157.07	192.12	245.49	336.30	357.93
7. मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	1047.56	1110.38	1259.90	1367.81	1411.92
8. चीनी	—	—	—	—	59.07
9. सीमेंट	0.09	13.30	68.90	67.65	76.84

1	2	3	4	5	6	7
10.	कागज, गत्ता तथा कागज की बनी वस्तुएं, लुगदी अथवा गत्ता	62.18	81.82	104.70	155.26	141.58
11.	मोती मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न	180.64	330.67	466.77	347.36	367.14
	कुल आयात, जिनमें अन्य मदें शामिल है	5073.79	6020.23 6025.29†	6810.64 6814.30†	9021.75	9640.55
12.	रसायन तथा संबंद्ध उत्पाद (जिसमें सगंध तेल तथा प्लास्टिक सामग्री शामिल नहीं है)	110.76	116.69	148.07	197.81	224.80
	कुल निर्यात जिनमेंअन्य मदें शामिल हैं	5142.25	5407.87 5404.26†	5726.07 5726.26†	6418.43 6458.76†	6710.71

†संशोधित आंकड़े जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया, डी० जी० सी० आई एण्ड एस० कलकत्ता।

आयातित टोयोटा कार पर सीमाशुल्क की चोरी

5349. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में बनी टोयोटा कार का आयात किया गया था और मई, 1978 में जब्त की गई थी लेकिन दिसम्बर 1980 में 25000 रुपये का मुक्ति दण्ड का भुगतान करने के बाद 85000 रु० से अधिक सीमाशुल्क की राशि का भुगतान किए बिना छोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो आयातक का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्ति को किन परिस्थितियों में दण्ड का भुगतान किए बगैर अवैध रूप से आयातित कार को ले जाने की अनुमति दी गई; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मसमाहर्तालय, जयपुर के अधिकारियों ने 23 नवम्बर, 1978 को गांव बिलासपुर, जिला पानी, राजस्थान के एक श्री उमेद मल जैन से एक जापानी कार 'टोयोटा' (1968-मॉडल) पकड़ी श्री उमेद मल जैन इस वाहन के वैध आयात के बारे में सबूत पेश नहीं कर सके और उन्होंने यह बताया कि इस वाहन को उन्होंने एक दलाल की मार्फत खरीदा था। किन्तु, कार के मूल आयातकर्त्ता का पता नहीं चल सका।

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत की गई न्यायनिर्णयन-कार्रवाई में 11-5-1978 को आदेश दिया गया कि टोयोटो कार को जब्त करके पूर्णतः सरकार को सौंप दिया जाय। सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112 के तहत श्री उमेद मल जैन पर इस आधार पर कोई वैयक्तिक अर्थ-दण्ड नहीं लगाया गया कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि श्री जैन यह जानते थे कि कार का तस्कर-आयात भारत में किया गया था। किन्तु, अपील किए जाने पर 25,000 रुपये के जुर्माने की अदायगी पर कार को छोड़ने की इजाजत दे दी गई।

मालगाड़ी से मशीनगन के कारतूसों का गुम होना

5350. **श्री डा० ए० यू० आजमी :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री रामविलास पासवास :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरकी से अलवाई के लिए मालगाड़ी से भेजा गया एक क्रेट, जिसमें मशीनगन के 1600 कारतूस थे, गुम पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसी बढ़ रही घटनायें न हों क्योंकि इन गोलाबारूद/शस्त्रास्त्र का प्रयोग समाज विरोधी तत्वों द्वारा किया जाता है तथा इसका ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) 18-5-1982 को गोला-बारूद फैक्टरी ने मालगाड़ी से लोहे के डिब्बों में अच्छी तरह बन्द करके कुछ गोला बारूद एक सर्विस स्टोर्स डिपो को भेजा था। उस डिब्बे के कनसाइनर और रेलवे ने अच्छी तरह से ताला लगाकर सील कर दिया था। डिलीवरी लेते समय कनसाइनी ने देखा कि ताले खुले हैं और सीलें भी टूटी हुई हैं। खुली डिलीवरी ली गई और 1600 कार्टीरिजों वाला एक लोहे का डिब्बा कम पाया गया। कनसाइनी द्वारा इस बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

(ग) गोला बारूद/आयुधों को सुरक्षित हालत में भेजने के उद्देश्य से मौजूदा उपायों का पुनरीक्षा की गई है और इनको और मजबूत बनाया जा रहा है।

मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, एर्नाकुलम के कर्मचारियों की भरती और पदोन्नति के नियम

5351. **श्री बी० के० नायर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, एर्नाकुलम द्वारा की जाने वाली कर्मचारियों की भरती और पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो यह अथारिटी किन नियमों के अन्तर्गत अब तक कार्य करती रही है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें आई हैं; उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन शिकायतों की जांच कराने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) अध्यक्ष, निदेशक और सचिव के पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः 4(3), 7(1) और 7(2) धाराओं के अन्तर्गत की जाती हैं। विदेशों में निवासी निदेशकों की नियुक्तियां एम० पी० ई० डी० ए० द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाती हैं। अन्य सभी पदों के लिए, नियुक्तियां करने के लिए एम० पी० ई० डी० ए० अधिनियम की धारा 7(4) के अधीन एम० पी० डी० ए० को अधिकार प्राप्त है। ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां प्राधिकरण द्वारा पारित संकल्पों के आधार पर की जाती हैं जिनमें प्रत्येक पद के सम्बन्ध में योग्यताएं, आयु सीमा, नियुक्ति के तरीकों आदि के लिए व्यवस्था होती है।

(ग) तथा (घ) सरकार को एक सामान्य प्रकार की शिकायत मिली थी लेकिन आरोप प्रमाणिक नहीं थे।

मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, एर्नाकुलम के अन्तर्गत नियुक्त चौकीदारों के कार्य घंटों को नियमित करना

5352. **श्री बी० के० नायर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, एर्नाकुलम के अन्तर्गत नियुक्त चौकीदारों को 16 घंटों की पारियों में काम करना पड़ता है;

(ख) क्या उनका विचार इन कार्य घंटों को नियमित करने और उन्हें उचित सीमा के अन्दर निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी में रात्रिकालीन चौकीदार के कार्य के घंटे सायं 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक हैं। वे अतिरिक्त भत्ता पाने के हकदार हैं।

(ख) तथा (ग) इस पर विचार किया जाएगा।

रबड़ बोर्ड का कार्यकरण

5353. **श्री बी० के० नायर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड में बहुत समय से पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है;

(ख) इस पद के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि 100 करोड़ रुपये की एक रबड़ विकास योजना एक वर्ष से भी अधिक समय में चल रही है;

(घ) क्या पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में योजना का काम रोक दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों के हजारों आवेदन बोर्ड के कार्यालय में स्वीकृति के लिए पड़े हुए हैं;

(ङ) क्या बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव पारित करके इस मामले की ओर सरकार का ध्यान बार-बार दिलाया गया है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) इलायची बोर्ड के अध्यक्ष रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (घ) सरकार ने 14 वर्ष की अवधि में 49.7 करोड़ रु० के परिव्यय वाली एक रबड़ बागान योजना स्वीकृत की है। योजना में अब तक ठीक प्रगति होती रही है वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में 39 000 हैक्टार का रोपण किया गया है जबकि प्रति वर्ष 12,000 हैक्टार का लक्ष्य रखा गया था। मई, 1981 से सरकार ने विशेष तौर पर इस योजना के कार्यान्वियन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 115 पदों की मंजूरी दी।

चिटफंड कम्पनियां और फाइनेंस इनवेस्टमेंट

5354. **श्री के० लक्प्पा** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि देश में चल रही चिट फंट कम्पनियों और अन्य फाइनेंस इनवेस्टमेंट ट्रस्टों के नाम तथा पते क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार, 30 जून, 1982 की स्थिति के मुताबिक, 1301 परम्परागत चिट फंड कम्पनियां थीं।

सम्भवतः, वित्त निवेश न्यासों (फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) का उल्लेख करते हुए निवेश

कम्पनियों की स्थिति, माननीय सदस्य के ध्यान में है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30-6-82 की स्थिति के मुताबिक 2910 निवेश कम्पनियां थीं।

इतनी बड़ी संख्या में ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन और समेकीकरण न केवल आकार में बड़ा होगा बल्कि, ऐसा करने में किए जाने वाले प्रयास, उससे प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होंगे।

शीरे का निर्यात

5355. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीरे के निर्यात के बारे में कोई निर्णय लिया है जो कि हमारे देश में बहुत मात्रा में फालतू है;

(ख) यदि सरकार ने ऐसा निर्णय किया है तो फालतू शीरे का निर्यात कब तक किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार इस निर्यात को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० सगमा) : (क) तथा (ख) शीरे की कुछ मात्राएं अधिशेष राज्यों से निर्यातों के लिए रिलीज की गई हैं। तथापि, इस समय शीरे का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार आर्थिक तौर पर व्यवहार्य निर्यातों की अनुमति नहीं देता है। 10,000 मे० टन के निर्यात के लिए एक संविदा सम्पन्न की गई हैं और लदान जल्दी ही होने की सम्भावना है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति और साथ ही घरेलू सप्लाई स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ग) शीरे के लिए निर्यात नीति विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिनमें घरेलू मांग, देश में शीरे का प्रयोग और यह तथ्य शामिल है कि शीरा एक कन्ट्रोल की मद है। इस समय, शीरे के निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध हैं।

औद्योगिक अल्कोहल का आयात और निर्यात

5356. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक अल्कोहल का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच कि देश में औद्योगिक अल्कोहल का अब तक सबसे अधिक तथा देश की आवश्यकता से फालतू उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या सरकार को औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या अनुमति प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो वर्ष 1982 और 1983 में कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) औद्योगिक अल्कोहल का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, आयात नीति के परिशिष्ट-3 में एक मद इथिल अल्कोहल है और इसका आयात तदनुसार विनियमित किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) परिशोधित स्पिरिट का निर्यात करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन है।

कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

5357. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होते हुए और विमान सेवाएं आरम्भ करके उस हवाई अड्डे पर निर्मित मूलभूत सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने कलकत्ता हवाई अड्डे का पूरा उपयोग करने के लिए कलकत्ता से पूर्व और पश्चिम को एयर इण्डिया की कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है; यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) नये विमान सेवा करार करने के लिए तथा वर्तमान करारों का पुनरीक्षण करने के लिए किये जाने वाले विचार-विमर्शों के दौरान, कलकत्ता को विदेशी एयरलाइनों को एक अवतरण स्थल के रूप में अनिवार्य रूप से पेश किया जाता है।

(ख) एयर इण्डिया ने एक मार्किट सर्वेक्षण किया था तथा उसके निष्कर्षों से पता चलता है कि एयर इण्डिया द्वारा प्रदान की गई क्षमता, कलकत्ता से होकर किए जाने वाले परिचालनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। अतः अतिरिक्त क्षमता प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के आवासी निदेशक

5358. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा राजधानी में एक आवासी निदेशक नियुक्त करने की साधारण पद्धति बन गई है जबकि वहां उनके उच्च शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय निदेशकों/प्रबन्धकों का संगठन पहले ही मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय राजधानी में आवासीय निदेशक के पदों के सृजन के लिए उनके मन्त्रालय से परामर्श लेते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या बोर्ड स्तर के पूर्णकालिक निदेशक सरकारी उद्यमों के प्रतिनिधियों के रूप में राजधानी में हैं। ऐसे उच्च स्तरीय अधिकारियों को राजधानी में अपने प्रतिनिधि के रूप में रखना सरकारी उद्यमों की नीति नहीं है। बोर्ड स्तरीय पूर्णकालिक पदों का सृजन करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।

आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापे

5359. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा 1980-81 और 1981-82 में विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) इन छापों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या तथा पकड़ी गई प्रथम-दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का, वर्षवार, अनुमानित मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1980-81	3746	19.26
1981-82	4282	30.66

इन राज्यों में, कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

पर्यटन के आकर्षण के स्थलों का नाम भेजने के लिए राज्यों को कहा जाना

5360. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे उन राज्यों में पर्यटक यातायात को आकर्षित करने हेतु विकास किए जाने योग्य स्थानों के नाम भेजें;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने क्या सुझाव दिए ह; और

(घ) इन स्थानों का विकास करने के लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) यात्रा परिपथ सकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है जिसमें केन्द्रीय, राज्यों और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए 61 परिपथों के, जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं, अवस्थानुसार ढंग से एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है।

(ग) उड़ीसा सरकार से परामर्श करके निम्नलिखित दो यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए थे। इनका समन्बित विकास केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के सहयोग से अवस्थानुसार ढंग से किया जाएगा बशर्ते धन-राशि उपलब्ध हुई और व्यवहार्यता अध्ययन संतोषजनक रहे।

1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क-धौली-रत्नगिरी-ललितगिरी-उदयगिरी-भद्रेक-चांदीपुर-किंचिंग-जोशीपुर (सिमलीपाल) और वापसी।

2. भुवनेश्वर-चिल्का झील-गोपालपुर समुद्र-तट पर-तप्तापानी-बोरापुत-बोतनगीर-झारसगुदा-अंगुल-तिकरापारा-तलचेर-भुवनेश्वर।

(घ) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत उड़ीसा में निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई है/कार्यान्वित की गई हैं :

(1) पुरी में यूथ होस्टल।

(2) ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी की मास्टर-प्लान (भूमि-उपयोग योजनाएं) तैयार करना।

(3) जल क्रीड़ाएं शुरू करने के लिए चिल्का झील का सर्वेक्षण।

(4) कोणार्क में यात्री गृह का नवीकरण।

(5) भुवनेश्वर स्थित यात्री गृह का होटल में परिवर्तन।

(6) भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट की व्यवस्था और

(7) उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्कीमों के रूप में पुरी और कोणार्क में एक होटल का निर्माण करने की स्कीमें भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन हैं।

नये आधुनिकतम जहाजों के निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करना

5361. श्री नवीन रबाणी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने तटों की रक्षा के लिये नये आधुनिकतम जहाजों का निर्माण करने हेतु विदेशी जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ विदेश फर्मों के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) उन फर्मों का तथा तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) तट रक्षक संगठन के सैन्य स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से जापान के सुमीदगावा शिपयार्ड से चार तेज गश्ती नौकाओं की सप्लाई के लिए 16 जुलाई, 1982 को एक करार को अन्तिम रूप दिया गया था। इस करार में इस तरह की नौकाओं के निर्माण के लिए भारतीय शिपयार्ड को डिजाइन और तकनीक की पूरी जानकारी देने के बारे में भी व्यवस्था है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के विदेशों में चल रहे होटल/रेस्टोरेंट

5362. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में चल रहे उन होटलों/रेस्टोरेंटों की संख्या का ब्योरा क्या है जिनकी प्रबन्ध व्यवस्था भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा की जाती है;

(ख) इन होटलों/रेस्टोरेंटों की इस समय कितनी आय है और क्या सरकार का विचार 1982 में विदेशों में और अधिक होटल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) फिलहाल, आई० टी० डी० सी० विदेशों मे किसी होटल और रेस्तरां की प्रबन्ध व्यवस्था नहीं कर रही है। तथापि, उन्होंने लीमासोल, साइप्रस में मैसर्स लोटस होटल्स लिमिटेड के साथ 878 लाख रुपए की लागत पर एक संयुक्त उद्यम परियोजना शुरू की है। आई० टी० डी० सी० "लोटस अशोक होटल" नामक परियोजना की इक्विटी कैपिटल में 10 प्रतिशत तक की सीमा तक भागीदारी कर रही है और तकनीकी और अन्य सेवाएं प्रदान करेगी जिनमें होटल के परिचालन और मार्केटिंग के लिए प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं शामिल हैं; होटल के 1983 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए सोने की मात्रा

5363. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, देश में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये सोने की कुल मात्रा कितनी है; और

(ख) जब्त किये गये सोने के निपटान का क्या तरीका है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1980 से 1982 (मई तक) तक की अवधि के दौरान पकड़े गए सोने की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	पकड़े गए सोने की लगभग मात्रा (किलोग्राम में)
1980	85
1981	152
1982 (मई तक)	559

(ख) सरकार द्वारा अन्तिम रूप से जब्त किए गए सोने को भारत सरकार टकसाल में जमा कर दिया जाता है।

आयात/निर्यात व्यापार में कार्यरत दुर्बल वर्गों के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में संशोधन करना

5364. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात/निर्यात के व्यापार में कार्यरत राज्य व्यापार निगम और अन्य एजेन्सियों को निदेश दिया गया है कि व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए समाज के दुर्बल वर्गों के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वे अपने नियमों में संशोधन करें;

(ख) यदि हां, तो नियमों में किए गए संशोधनों का ब्योरा क्या है;

(ग) समाज के दुर्बल वर्गों के सदस्यों को किन विशेष क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस पहलू की जांच की है और इन वर्गों को व्यापार में आगे आने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने अपने निर्यात बढ़ाने के लिए "क्षमता सृजन परियोजना" सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसके लिए इसने चमड़े के जूतों, चमड़े के सामान, मांस तथा समुद्री उत्पादों और साधित फलों जैसे उत्पादों का पता लगाया है। जब विशेषकर चमड़ा और चमड़ा उत्पादों तथा मछली उद्योग के क्षेत्र में विनिर्माण एकक स्थापित हो जाएंगे तब इस योजना में ऐसी व्यवस्था है कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का उपयुक्त प्रशिक्षण देने के बाद एककों में खपाया जायेगा।

इसके अलावा राज्य व्यापार निगम के विशेषज्ञ देश में विभिन्न चमड़ा एककों को अपने उत्पादन की व्यवस्था करने तथा अपने उत्पादों को अपग्रेड करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इस उद्योग में बड़े पैमाने पर लगे समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रमों से लाभ होता है।

श्रीनगर-अवन्तीपुर में एम० ई० एस० अधिकारियों द्वारा देय राशि का भुगतान न करने के बारे में सेना-ठेकेदारों की ओर से अभ्यावेदन

5365. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीनगर-अवन्तीपुर हवाई-अड्डे पर एम० ई० एस० अधिकारियों द्वारा जनवरी, 1982 से देय राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में सेना ठेकेदारों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1982 तक अवन्तीपुर-एयरफील्ड पर ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का ब्योरा क्या है तथा ठेकेदारों को देय राशि का भी ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण है;

(घ) क्या ठेकेदारों ने कार्य बन्द कर दिया है, यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वायु-सेना अधिकारी अवन्तीपुर हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और ठेकेदारों को उनकी देय राशि सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० री० सिंह देव) : (क) जी हां। किन्तु केवल एक ठेकेदार से ही प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) इस ठेकेदार के साथ किए गये काम की लागत और जारी किए गये सीमेंट के बारे में एक विवाद है। सही स्थिति का पता लगाने के लिए ठेकेदार के साथ संयुक्त सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन यथाशीघ्र पूरा करने के अनुदेश जारी किए गये हैं। यदि ठेकेदार को कोई राशि देय हुई तो उसका भुगतान संयुक्त सत्यापन के निष्कर्षों पर आधारित होगा।

(घ) जनवरी, 1982 से ठेकेदार ने इस आधार पर काम रोक दिया है कि विभाग द्वारा उसे देय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ङ) जी हां

(च) संयुक्त सत्यापन पूरा होने के बाद अदायगी का प्रश्न यदि कोई हो, शीघ्रतिशीघ्र सुलझा लिया जायेगा और यथाशीघ्र कार्य पूरा करा लिया जायेगा।

पर्यटन के विकास और होटलों के निर्माण के लिए धनराशि

5366. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास और होटलों के लिये वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान किन-किन राज्यों को धनराशि आवंटित की गई थी और प्रत्येक राज्य को इस प्रकार कितनी राशि आवंटित की गई थी;

(ख) उपरोक्त अवधि के ऋण इन राज्यों ने आवंटित की गई राशि में से कितनी राशि खर्च की थी ?

(ग) किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में उन्हें आवंटित की गई राशि का उपयोग नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप यह राशि व्यपगत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं और आवंटित की गई राशि का उपयोग न करने/कम उपयोग करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) धनराशियां राज्यवार आवंटित नहीं की जातीं। तथापि, केन्द्रीय सेक्टर में यात्रा-परिपथ संकल्पना के अनुसार पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए स्कीमें निष्पादन हेतु प्रारम्भ की जाती हैं; इस यात्रा परिपथ संकल्पना के अधीन 61 यात्रा परिपथ, जिनमें 441 पर्यटक केन्द्र शामिल हैं, केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए समन्वित विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय सेक्टर में कार्यान्वयन के लिए जो स्कीमें तैयार की गई हैं वे आवास, परिवहन, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, सांस्कृतिक मनोरंजन, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की व्यवस्था; सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों, प्राकृतिक सुन्दर दृश्यों, वाइल्ड लाइफ पार्कों, गेम सेंक्चूरीज आदि के विकास से सम्बन्धित हैं।

(घ) और (ङ) (क) और (ख) प्रश्नों के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए धनराशियों के व्यपगत होने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की राजधानियों में बैंक सेवा भरती बोर्डों का स्थापित किया जाना

5367. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों की राजधानियों में बैंक सेवा नियुक्ति बोर्ड के कुछ नये कार्यालय खोलने का है;

(ख) क्या राज्यों की कुछ राजधानियों में ऐसे कार्यालय खोले जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों की राजधानियों के क्या नाम हैं, जहां अब तक ऐसे कार्यालय खोले जा चुके हैं;

(घ) क्या भुवनेश्वर में बैंक सेवा नियुक्ति बोर्ड का ऐसा कोई कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों और लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की सीधा भर्ती के लिए 9 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड हैं । प्रत्येक बोर्ड को एक या एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक आवंटित किये गए हैं जिन्हें कि बोर्ड के भागग्राही बैंक कहा जाता है और जिनके लिए वह अधिकारी संवर्ग के वास्ते अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती करता है । प्रत्येक बोर्ड को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र भी आवंटित किया गया है जिसमें वह सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए लिपिकीय संवर्ग के वास्ते भर्ती करता है । जहां ये बोर्ड अवस्थित हैं उन स्थानों पर उन बोर्डों में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए भागग्राही बैंकों और उन्हें लिपिकीय भर्ती के वास्ते आवंटित भौगोलिक क्षेत्रों का ब्योरा विवरण-1 में दिया गया गया है ।

भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों के अधिकारी संवर्ग में भर्ती का कार्य बम्बई में स्थित भारतीय स्टेट बैंक समूह के केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है । इसके अलावा स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्यालयों में 12 क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड भी हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के लिए लिपिकीय संवर्ग में भर्ती करते हैं । जहां ये क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड अवस्थित हैं उन स्थानों और उन्हें आवंटित भौगोलिक क्षेत्रों का ब्योरा विवरण-2 में दिया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-1

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के भौगोलिक क्षेत्र तथा उसके भागग्राही और समन्वयकारी बैंक

भर्ती बोर्ड	अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए बैंकों के समूह	लिपिकों की क्षेत्रीय भर्ती के लिए भौगोलिक क्षेत्र
1 2	3	4
1. पूर्वी ग्रुप (कलकत्ता)	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	पश्चिम बगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. दक्षिणी ग्रुप (मद्रास)	इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्र बैंक	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी

1 2	3	4
3. दक्षिणी ग्रुप (बंगलोर)	कैनारा बैंक, सिंडीकेट बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक	कर्नाटक तथा केरल
4. उत्तरी ग्रुप (दिल्ली)	पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, ओरियटल बैंक आफ कामर्स, न्यू बैंक आफ इंडिया	पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़
5. पश्चिमी ग्रुप (बम्बई)	बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र गोवा
6. पश्चिमी ग्रुप (बड़ौदा)	बैंक आफ बड़ौदा, देना बैंक	गुजरात तथा राजस्थान राज्य
7. केन्द्रीय ग्रुप (लखनऊ)	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश राज्य
8. केन्द्रीय ग्रुप (भोपाल)	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	मध्य प्रदेश राज्य
9. उत्तर-पूर्वी ग्रुप (गोहाटी)	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र

विवरण-2

भारतीय स्टेट बैंक समूह के क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों की सूची

क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड	व्याप्त भौगोलिक क्षेत्र
1 2	3
1. अहमदाबाद	गुजरात राज्य, संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव
2. भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य
3. भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य
4. बम्बई	महाराष्ट्र राज्य, संघ शासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली और गोवा

1 2	3
5. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
6. चंडीगढ़	पंजाब तथा हरियाणा राज्य (गुड़गांव और सोनीपत जिलों को छोड़कर), जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र चंड़ीगढ़
7. गोहाटी	असम, मेघालय त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
8. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश तथा यनाम राज्य
9. लखनऊ	पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य
10. मद्रास	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी (यनाम छोड़कर) और लक्षद्वीप
11. नई दिल्ली	राजस्थान राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव तथा सोनीपत जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
12. पटना	बिहार राज्य

कम्पनियों द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि को वापस भुगतान किया जाना

5368. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कम्पनियों के पास पड़ी हुई उस राशि के बारे में कोई अनुमान लगाया है जो उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त की है और उन्होंने अब तक इस राशि का वापस भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की संख्या और उनके नामों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या जमाराशियों की वसूली के बारे में कदम उठाये गये हैं और क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी इन दोषी कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा

प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त 447 कम्पनियों ने मूलधन की वापसी अदायगी में 70 करोड़ रुपये तथा ब्याज की अदायगी में 86 करोड़ रुपये की राशि का व्यतिक्रम किया था। सहायताप्राप्त प्रतिष्ठानों की साख, वसूलियां करने की उनकी योग्यता और आपूर्तिकर्ताओं में उनका विश्वास बनाए रखने तथा अच्छे तकनीकी एवं प्रबन्धकीय वर्ग को आकर्षित करने की उनकी क्षमता को अक्षुण्ण रखने की दृष्टि से यह व्यापक जनहित में नहीं होगा कि व्यतिक्रमी कम्पनियों के नाम बताए जाएं।

(ग) आई० डी० बी० आई० ने व्यतिक्रमी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार से कोई सिफारिश नहीं की है। व्यतिक्रम के मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाती है तथा समय-समय पर प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्टों, बार-बार निरीक्षणों, सहायताप्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों के साथ बातचीत आदि के माध्यम से आई० डी० बी० आई० द्वारा इस विषयक प्रगति पर बराबर नजर रखी जाती है तथा उसकी समीक्षा की जाती है। हाल ही में बकाया राशियों वाली कम्पनियों से वसूलियां करने के लिए आई० डी० बी० आई० में एक वसूली कक्ष की स्थापना की गई है। आई० डी० बी० आई० द्वारा अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

दिल्ली आयुक्त के प्रभार में किये गये अंधाधुंध व्यय का पता लगना

5369. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **वित्त मन्त्री** ए० आई० डिपार्टमेंट में 'गेट मोर पावर्स' शीर्षक समाचार के बारे में 16 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1402 के भाग (घ) के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली आयुक्त के प्रभार में पता लगे अंधाधुंध और आडम्बरपूर्ण व्यय के कुछ मामलों में से किसी एक मामले का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 133क (5) के अधीन क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त धारा के लागू होने के बाद से ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति अथवा पार्टी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सिवाई सिंह सिसोदिया) : (क) दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों ने, वर्ष 1981-82 के दौरान एक मामले मे आयकर अधिनियम की धारा 133(क) (5) के अन्तर्गत सूचना एकत्र की।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 133क(5) में दाण्डिक कार्यवाही की कोई व्यवस्था नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 133क(5) के अन्तर्गत एकत्र की गई सूचना, कर-निर्धारण अधिकारियों को संगत कर-निर्धारण करते समय प्रयोग करने हेतु भेज दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

सोवियत संघ को पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कमी

5370. श्री हरिहर सोरेन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ द्वारा भारतीय पटसन की वस्तुओं की कुल खरीद किये जाने में हाल ही के महीनों में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में पटसन की वस्तुओं की निर्यात स्थिति क्या है;

(ग) पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) हाल ही के महीनों के दौरान सोवियत संघ के जूट माल के निर्यात के कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है ।

(ख) कलैन्डर वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 के दौरान सोवियत संघ को जूट माल की निर्यात स्थिति नीचे दी जाती है :

वर्ष	व्यापार योजना व्यवस्था		बोरे-मिलियन अदद कपड़ा-मिलियन मीटर वास्तविक निर्यात
1980	बोरे	170-190 (99.57-111.28 हजार में टन)	110.44 (64.68 हजार मे० टन)
	कपड़ा	110-125 (45.22-51.38 हजार मे० टन)	201.32 82.76 हजार मे० टन)
1981	बोरे	170 (99.57 हजार मे० टन)	165.35 (96.85 हजार मे० टन)
	कपड़ा	115 (42.27 हजार मे० टन)	91.76 (37.72 हजार मे० टन)
1982	बोरे	175 (102.49 हजार मे० टन)	111.01* (65 हजार मे० टन)
	कपड़ा	120 49.33. हजार मे० टन)	84.43* (37.71 हजार मे० टन)

*अगस्त, 1982 तक

(ग) तथा (घ) सोवियत संघ को जूट माल का निर्यात पहले से सम्पन्न वार्षिक व्यापार योजना व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। इसके निरन्तर प्रयास किये जाते हैं कि सोवियत संघ पारस्परिक रूप से स्वीकृत व्यापार योजना व्यवस्थाओं के अनुसार खरीदारियां करें। सरकार द्वारा समय-समय पर खरीदारियों के सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा की जाती है।

सिंगापुर की कुछ फर्मों द्वारा भारतीय

5371. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर की कुछ फर्मों ने भारत से कुछ उत्पाद खरीदने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर की फर्मों ने किन भारतीय उत्पादों में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या सरकार का इस बारे में सिंगापुर की फर्मों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारत और सिंगापुर के बीच ऐसी बातचीत कब होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सिंगापुर स्थित भारतीय मिशन भारत से विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिये सिंगापुर से पूछताछें प्राप्त करता है। मिशन रुचि वाली मदों सहित फर्मों की एक सूची संकलित करता है और उन सूचियों को भारत में वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और साथ ही वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता को उनके बुलेटिनों में प्रकाशन के लिये मासिक आधार पर भेजता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल को कोयले की तस्करी

5372. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल को की जाने वाली कोयले की तस्करी के कितने मामले 1981-82 के दौरान अब तक सरकार के ध्यान में आये; और

(ख) इससे कितनी हानि हुई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

5373. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा ग्रामीण

कारीगरों को ऋण सुविधायें देने के लिए वहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने का हाल ही में एक कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं 822 थीं। उक्त तारीख को इस क्षेत्र कार्यालय खोलने के वास्ते बैंकों के पास 319 लाइसेंस/प्राधिकृतियां भी थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों के वास्ते नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, औसतन प्रति 17000 व्यक्तियों के वास्ते एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराना है। इस प्रकार इस नीति में मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को सुधारने पर दिया जाएगा जिसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यापक व्याप्ति कराने के वास्ते शाखाओं के उचित क्षेत्रीय वितरण को सुनिश्चित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इस मानदण्ड के अनुसार, अनुमान लगाया गया है कि इस नीति के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में 553 और अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोले जाएंगे। इनका राज्यवार वितरण नीचे लिखे अनुसार है :

1982-85 के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की अनुमानित संख्या

असम	469
मणिपुर	37
मेघालय	17
नागालैंड	10
त्रिपुरा	12
अरुणाचल प्रदेश	5
मिजोरम	3
	553

राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते केन्द्रों का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से सिफारिशें प्राप्त होने पर इस क्षेत्र के शाखा विस्तार कार्यक्रम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा।

प्याज की निर्यात नीति में परिवर्तन

5374. श्री के० टी० कोसलराम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 से पहले गैर-सरकारी निर्यातक मलेशि सिंगापुर को प्याज का निर्यात करने से सम्बद्ध थे;

(ख) क्या 1981-82 में नीति में परिवर्तन किया गया था, और मलेशिया और को प्याज का निर्यात एक एकाधिकारी निर्यातक और एकाधिकारी खरीददार तक सीमित

(ग) क्या नीति में किए गये इस असंगत परिवर्तन के बारे में लोक सभा के 2 सदस्यों ने एक अभ्यावेदन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेफेड ने 16-5-81 से 15-5-82 की के दौरान मलेशिया और सिंगापुर को 50,000 मे० टन प्याज का निर्यात करने के लिए म में एक क्रेता के साथ एक करार किया है।

(ग) मलेशिया और सिंगापुर के लिए एक अकेले क्रेता को प्याज का निर्यात विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) नेफेड ने 27-5-82 से 26-5-83 की अवधि के दौरान मलयेशिया में एक क्रेता को 50,000 मे० टन प्याज निर्यात करने की संविदा को रद्द कर दिया है।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

5375. श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार निर्यात तथा आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का संशोधन क है जिससे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली को सी० सी० आई० द्वारा जारी 10 अगस्त, 1981 के सरकारी नोटिस सं० 61 ई० टी० सी० (पी० एस०) 81 और परिषद द्वारा जारी दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के कोटा परिपत्र सं० क्यू० पी० 52/ अनुसरण में निम्नलिखित कार्यवाही करने की अनुमति दी जा सके;

(क) निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश 1977 के खंड 3 ए के अन्तर्गत निर्धारित प्र की तुलना में निर्यात कोटा आवंटन के लिए अधिक शुल्क लगाना;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 ड का संशोधन करना जिससे परिधान निर्यात सं परिषद के निर्णयों के विरुद्ध कोटा आवंटन के सम्बन्ध में अपील की जा सके तथा जिसकी सु कपड़ा आयुक्त, जिसकी सहायता बोर्ड करेगा, द्वारा की जायेगी; और

(ग) उक्त निर्यात व्यापार नियंत्रक आदेश 1977 के खण्ड 7 का संशोधन करना

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को निर्यातकों पर निर्यात कोटा प्राप्त करने के मामले में रोक लगाने की अनुमति की जा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता द्वारा कछार और त्रिपुरा में चाय उत्पादक कम्पनियों को वित्तीय सहायता दिया जाना

5376. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार और त्रिपुरा स्थित प्रति वर्ष 1.5 लाख किलोग्राम चाय से कम उत्पाद कर रही बहुत से छोटे चाय उत्पादकों, कम्पनियों को यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसके साथ उनकी ऐसी व्यवस्था है, से उचित वित्तीय सहायता प्राप्त करने में अभी तक अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो चाय बागानों की कुल संख्या और उनके नाम क्या हैं और वर्ष 1982-83 के मौसम में बैंक द्वारा दी गई मंजूरी और तारीखों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उनकी प्रत्येक आवश्यकता पर आधारित उचित धन देने के मामले में अत्यन्त विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि यह बैंक इन छोटे चाय उत्पादकों को चाय पर पर्याप्त धन उपलब्ध करायें ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) यथासम्भव सूचना एकत्र की जा रही है और बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 में विहित उपबन्धों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रिवाजों के अन्तर्गत अनुमत्य सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्यात बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को प्रोत्साहन

5377. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन की एक व्यापक नीति बना रही है ताकि वे अपने निर्यात को बढ़ा सकें;

(ख) क्या भुगतान शेष की कठिन स्थिति को देखते हुए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों जिनका निर्यात अभियान में आंशिक रूप से भारतीयकरण किया गया है, को भी सम्बद्ध करने की तात्कालिक आवश्यकता के बारे में प्रधानमन्त्री द्वारा जारी किये गये हाल के निदेश के प्रत्युत्तर में यह निर्णय किया गया था;

(ग) क्या इस बारे में कम्पनी कार्य विभाग ने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० सगमा : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार के हजारीबाग और गिरडीह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों के डी० आर० डी० ए० द्वारा अनुदान का भुगतान न करना

5378. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आर० डी० ए० ने बिहार के हजारी बाग और गिरडीह जिलों के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों के बैंकों को जिनके माध्यम से उन गरीब लोगों को 10-12 महीनों के भीतर ऋण बांटने हेतु जिन्हें आई० आर० डी० पी० ट्राई सेम लघु सीमान्त किसान एजन्सी और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ मिलता है, अपेक्षित अनुदान (राज सहायता) का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या इसके कारण प्रभावित बैंकों ने बकाया ऋणों का और नये ऋणों का भुगतान बिलकुल बन्द कर दिया है तथा अकाल के दौरान लोगों से ऋणों की किस्तें और कुल ऋण की कुल धनराशि से ब्याज की वसूली की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनो जिलों के प्रत्येक बैंक ने कुल कितना पूंजी निवेश किया है और उन्हें यह सहायता किस तारीख को दी गई थी; और

(घ) बैंक के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि हजारीबाग में 20-5-82 को आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की स्थायी समिति की बैठक में बैंकों ने डी० आर० डी० ए० द्वारा दी जाने वाली राजसहायता (सब्सीडी) में बिलम्ब पर चिंता प्रकट की थी। सूचना है कि राज्य स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अलबत्ता, बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के कार्यान्वयन में नियमित रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा पिछले दो वर्षों के वास्ते उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित हैं :

जिला	1980-81			1981-82		
	लाभ प्राप्त-कर्ता	खर्च (लाख रुपये)	जुटाए गए सावधि ऋण (लाख रुपये)	लाभ प्राप्त-कर्ता	खर्च (लाख रुपये)	जुटाए गए सावधि ऋण (लाख रुपये)
हजारीबाग	3619	21.27	52.40	4454	77.59	188.40
गिरडीह	2913	38.41	56.82	2011*	55.06*	37.14*

*ये आंकड़े फरवरी 1982 तक के हैं।

बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली सामान्यत ऋणकर्ताओं के वास्ते तैयार की गई समय-सारणी के अनुसार की जाती है। अकाल आदि जैसी किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं की अवस्था में बैंकों द्वारा ऋणकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सहायता प्रदान करने के वास्ते कार्रवाई की जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वित्त पोषण

5379. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों की अनेक शाखाओं में समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं को यह दलील देते हुए वित्त पोषण करने से इन्कार कर दिया है कि उन्हें अपने मुख्यालयों से समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं का वित्तपोषण न करने का परिपत्र मिला है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से स्पष्टत: कहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के लाभप्राप्त. कर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति करें। बैंक इन अनुदेशों का पालन कर हैं और इनके मुख्य कार्यालय द्वारा शाखाओं से आई० आर० डी० पी० के अधीन वित्तपोषण को बन्द करने को कहने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड द्वारा अविद्यमान फर्मों को दिए गए ऋण

5380. **श्री भीखा भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन्डियन एक्सप्रेस दिनांक 30 मार्च, 1982 में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक (एक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक) की दो शाखाओं ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अविद्यमान फर्म और छोटे व्यापारियों को 9 लाख रुपये के ऋण दिये हैं;

(ख) क्या उपरोक्त शाखाओं ने भी अविद्यमान फर्मों को ऋण दिये हैं; यदि हां तो इसमें कुल कितनी राशि सम्बद्ध है और इन अनियमितताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या उक्त बैंक द्वारा अपेक्षित और प्राथमिक क्षेत्र की नीति के अनुसार ऋण दिया जाता है अथवा नहीं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को दि लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लिमिटेड की किसी अन्य शाखा के सम्बन्ध में इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों द्वारा दिशा-निर्देशित होते हैं। इस सम्बन्ध में उनके कार्य-

कम्पनियों की रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के 22 प्रतिशत के औसत की तुलना में दि लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लि० के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम, जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, इसके द्वारा दिये गए कुल अग्रिमों के 23 प्रतिशत बैठते हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम को विभिन्न राज्यों से प्रचार-कारोबार प्राप्त होना

5381. **श्री सुभाष यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम को विभिन्न राज्यों से अनेक ब्रोशरों में छापने के लिए कितना प्रचार-कारोबार प्राप्त होता है; और

(ख) उपरि खर्चे पूरे करने के बाद भारत पर्यटन विकास निगम को सकल लाभ कितना प्राप्त होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विविध राज्य सरकारों के लिए प्रकाशित किए गए प्रचार साहित्य की लागत निम्नलिखित है :

	लाख रुपयों में
1979-80	1.24
1980-81	6.53
1981-82	2.18

(ख) ओवर हैड चार्जेज की पूर्ति करने के बाद सकल लाभ/हानि निम्नलिखित है :

	लाख रुपयों में
1979-80	0.20
1980-81	0.86
1981-82	(—) 0.02

ऊपरि खर्चों को वसूल करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम का निर्णय

5382. **श्री सुभाष यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने मुनाफा कमाने वाले एककों से ही ऊपरि खर्चे वसूल करने के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सामान्य पद्धति और औचित्य के वित्तीय सिद्धांतों के अनुरूप है;

(ग) लाभ कमाने वाले श्रमिकों की समग्र बोनस दायित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, नहीं। विभिन्न यूनिटों को ऊपरि खर्चे आवंटित करने की कई पद्धतियां हैं, जैसे टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या, प्रधान कार्यालय द्वारा मामलों पर विचार करने में लगाया गया समय, लाभप्रदता और लगाई गई पूंजी, आदि। यूनिट की ऊपरि खर्चों का भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मानक प्रतिशतता के आधार पर भी ऊपरि खर्चों को आवंटित किया जाता है। ऊपरि खर्चे आई० टी० डी० सी० की विभिन्न यूनिटों को प्रत्येक यूनिट की टर्नओवर के आधार पर भी आबटित किए जाते हैं जो कि सामान्य पद्धति और वित्तीय औचित्य के अनुरूप है।

(ग) निगम की प्रत्येक यूनिट की ऊपरि खर्चे आबटित करने से इसकी समग्र लाभप्रदता पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि सभी पक्षों जैसे लाभप्रदता, वहन करने की क्षमता, बोनस दायित्व आदि को ध्यान में रखा जाता है।

सेना में जातीय नामों वाले रेजीमेंट

5383. श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के नामों पर रेजीमेंटों के नाम रखे जाने के क्या आधार हैं;

(ख) रेजीमेंटों की जातीय नाम हटाने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) यदि सरकार का विचार रेजीमेंटों के जातिसूचक तथा समुदाय सूचक नाम नहीं हटाने का है तो क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के नामों पर रेजीमेंटों के नाम रखने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले की अवधि में कतिपय रेजीमेंटों के नाम उनकी श्रेणी/राज्य/क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की उत्कृष्टता के आधार पर रखे गए थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार की यह नीति रही है कि किसी नई रेजीमेंट का नाम किसी विशेष श्रेणी या समुदाय, धर्म या क्षेत्र के नाम पर न रखा जाये।

(ख) वर्गों के नाम वाली रेजीमेंटों को ऐतिहासिक कारणों से रखा जा रहा है।

(ग) वर्ग/जाति के नाम पर अब कोई नई रेजीमेंट नहीं बनाई जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर अपवंचकों की सूचना देने वालों को पुरस्कार राशि

5384. श्री हरिकेश बहादुर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपवंचकों, काला धन जमा करने वालों तथा आय छिपाने वालों की सूचना देने वालों की जिनके द्वारा सूचना दिये जाने के फलस्वरूप होने वाली आय का 10 प्रतिशत भाग पुरस्कार स्वरूप देने का कोई विभागीय प्रावधान है;

(ख) क्या सरकार को उक्त पुरस्कार राशि को जानबूझकर रोके रखे जाने के बारे में कोई आवेदन पत्र तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार परेशान किये जाने के इन गंभीर मामलों का आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई करने का विचार है; और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) श्रीमान्, निरीक्षण निदेशक (जांच-पड़ताल) अथवा आयकर आयुक्त, जिसे सूचना दी जाती है, पुरस्कार की मंजूरी विनियमित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए पुरस्कार की ऐसी रकम मंजूर करने के लिए सक्षम है जो सूचक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राजस्व में प्रत्यक्षत: होने वाले लाभ के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो। जिन मामलों में कुल पुरस्कार 50,000 रुपये से अधिक होता है, उनमें इसकी स्वीकृति केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा दी जाती है।

(ख) पुरस्कार सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण स्व-निर्णय पर मंजूर किया जाता है और मार्गदर्शी सिद्धान्त पुरस्कार की मंजूरी के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन अथवा याचिका की अनुमति नहीं देते।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

"एशियाड हार्सेज डाइंग मिस्टीरियसली" शीर्षक समाचार

5385. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जी० बाई० कुभन :

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 9 जुलाई, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एशियाड हार्सेस डाइंग सिस्टीरियसली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) कितने घोड़े उसके परिणामस्वरूप रहस्यमय परिस्थितियों में मर गये;

(ग) क्या कोई जांच इस बीच आरम्भ की गई है; और

(घ) सरकार ऐसे महंगे घोड़ों को बचाने के लिये क्या निवारक कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) रहस्यमय परिस्थितियों में कोई घोड़ा नहीं मरा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु उन घोड़ों की हिफाजत के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गए हैं जिनके आगामी एशियाड में भाग लेने की सम्भावना है।

पर्यटन वीसा को समाप्त किया जाना

5386. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री तारिक अनवर :

श्री के० टी० कोसल राम :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व आरम्भ की गई हवाई अड्डा वीसा उपयोग प्रणाली से विदेशी मुद्रा के अर्जन के रूप में पर्याप्त लाभ हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बीसा प्रणाली को समाप्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि इससे आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना बनी रहती हैं;

(ग) हवाई अड्डा वीसा प्रणाली लागू किये जाने से लेकर अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) क्या सरकार समुचित सुरक्षा उपाय करके उस प्रणाली को लागू रख सकेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अब अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों और सी-पोर्टों पर बिना बीसा के भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 30 दिन के लैंडिंग पर्मिट की सुविधा जारी रखने का निर्णय किया है।

(ग) पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय का कैलेंडर वर्ष के आधार पर अनुमान लगाया जाता है और वर्ष 1981 के लिए वह 580 करोड़ रुपये है। तथापि एयरपोर्ट वीसा सिस्टम के प्रारम्भ से ही, उसके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी हां।

कांडला निर्बाध व्यापार जोन में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा का कार्यकरण

5387. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1982 के "विजनेश स्टैंडर्ड" में प्रकाशित हुई समाचार कांडला निर्बाध व्यापार जोन में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा के कार्यकरण की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बैंक के मैनेजर द्वारा कई लाख रुपयों के ओवरड्राफ्ट की अवैध मंजूरी में यह विशेष बैंक सम्बद्ध था और इस मामले की जांच अभी तक लम्बित है;

(ग) क्या इस विशेष बैंक शाखा ने 8,500 पौंड की विदेशी मुद्रा में कुछ अवैध लेन-देन भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विशेष मामले और इस शाखा के प्रबन्ध के बारे में कोई जांच की है और जांच प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने, कतिपय कथित रूप से अनियमित अग्रिमों के सम्बन्ध में बैंक के दो अधिकारियों तथा एक ग्राहक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और जांच कार्य जारी है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस शाखा में विदेशी मुद्रा के कोई अवैध लेन-देन नहीं हुए हैं, किन्तु कागजातों के परक्रामण से संबधित एक निर्यात सौदे के सम्बन्ध में बैंक तथा ग्राहक के बीच विवाद है।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड को हुई वित्तीय हानि

5388. श्री भोखा भाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड की नई दिल्ली शाखा ने वर्ष 1977 से अक्तूबर, 1980 तक गैर बैंकिंग ढंग से काम किया तथा इससे संस्था को वित्तीय हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि रुक गई तथा दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की; और

(ग) गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेष रूप से लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के काम काज को विनियमित करने के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्धन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड की अन्तिम जांच, 30 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के मुताबिक इसकी स्थिति के विशेष संदर्भ में की गई थी। जांच से पता चला कि इस बैंक और कुछ अन्यों के पारस्परिक आधार पर ऋण के प्रबन्ध थे जिनके अधीन निदेशकों और उनके सम्बन्धियों ने ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। रिजर्व बैंक ने दी लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० को, अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी थी कि वह स्थिति में सुधार लाने के वास्ते आवश्यक कदम उठाये। बैंककारी विधि अधिनियम, 1949 की धारा 36 क ख के अधीन, रिजर्व बैंक ने इस बैंक के बोर्ड में दो अतिरिक्त निदेशक (एक कर्मकार और दूसरा गैर-कर्मकार) भी नियुक्त किये थे।

सांविधिक उपबन्धों के अनुसरण में, सभी वाणिज्यिक बैंकों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखा जाता है।

बिहार में तिलैया बांध में सैनिक स्कूल में प्रवेश

5389. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तिलैया बांध के सैनिक स्कूल तथा अन्य राज्यों के सैनिक स्कूल इन स्कूलों की के० जी० कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए प्रतिमास प्रति छात्र प्रबन्ध व्यय के रूप में 500 रुपये वसूल कर रहे है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन स्कूलों में गरीब लोगों के मेधावी और बुद्धिमान छात्रों के प्रवेश की कोई संभावना नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सैनिक स्कूलों में स्थानीय छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सीटें और के० जी० कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का है और यदि नहीं, तो स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) से (ग) सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन स्थापित किए जाते हैं और चलाए जाते हैं। यह सोसाइटी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। सैनिक स्कूल सोसाइटी नियमावली के अध्याय-10 के नियम 8 के अधीन स्टाफ सुविधा के लिए सैनिक स्कूलों को किंडरगार्टन तथा प्राइमरी सैक्शन खोलने और उन्हें चलाने की अनुमति दी गई है। रीवां, सुजानपुर तीरा और कोरकोंडा सैनिक स्कूलों को छोड़कर सभी सैनिक स्कूल इस समय किंडरगार्टन तथा प्राइमरी सैक्शन चला रहे हैं। परन्तु जहां स्टाफ के सदस्यों के बच्चों की आवश्यकता से अधिक सीटें होती हैं तो वहां सैनिक स्कूलों को स्थानीय बच्चों को भर्ती करने की अनुमति दी जाती है। बाहर के सभी बच्चों को अभिरुचि परीक्षा के आधार पर दाखिल किया जाता है। सैनिक स्कूल दिन में पढ़ने वालों/बच्चों से प्रति मास केवल 4 रु० से 40 रु० तक फीस लेते हैं। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि स्थानीय मेधावी और बुद्धिमान बच्चों को दिन में पढ़ने वालों के रूप में इन स्कूलों में दाखिला न दिया जाय।

आवास की व्यवस्था केवल तिलैया बांध स्थित सैनिक स्कूल की किंडरगार्टन तथा प्राइमरी सैक्शनों में ही है। स्कूल में रहने वालों से जनवरी 1982 से 400 रुपए प्रति मास फीस ली जाती है। इससे पहले इनसे 300 रुपए प्रतिमास ली जाती थी। उनसे प्रबन्ध सम्बन्धी और कोई खर्च नहीं लिया जाता है। इस समय इस आवास में प्राइमरी सैक्शनों के 160 बच्चे रहते हैं। इसके अतिरिक्त, इसी स्कूल में 225 बच्चे दिन में पढ़ने वाले हैं और उनसे केवल 40 रुपए प्रतिमास फीस ली जाती है। परन्तु स्टाफ के सदस्यों के बच्चों से अभिभावकों के दर्जे और वेतन के आधार पर 5, 3 और 2 रुपए प्रति मास को नाम मात्र फीस ली जाती है।

किंडरगार्टन और प्राइमरी सैक्शनों में किसी भी वर्ग के दाखिल होने वाले बच्चों के लिए सीट आरक्षित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सैनिक स्कूलों में 67% सीटें उस राज्य के बच्चों के लिए पहले ही आरक्षित होती हैं जिसमें स्कूल स्थापित होता है सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के बच्चों के लिए भी आरक्षण किया हुआ है।

रानीखेत छावनी बोर्ड क्षेत्र में वनों का अवैध रूप से काटा जाना

5390. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि रानीखेत छावनी बोर्ड क्षेत्र में वनों को अवैध रूप से काटा जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उपरोक्त तथ्य की जांच कराने का है;

(ग) क्या रानीखेत छावनी बोर्ड नागरिकों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन की लकड़ी उपलब्ध कराता है; और

(घ) यदि नहीं, तो ईंधन की लकड़ी की सप्लाई की स्थिति कब तक सामान्य हो जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) रानीखेत छावनी बोर्ड क्षेत्र में अवैध रूप से वृक्ष नहीं काटे गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय सीमित मात्रा में सप्लाई की जा रही है।

(घ) छावनी कार्यकारी अधिकारी रानीखेत ने ईंधन की लकड़ी निश्चित दरों पर सप्लाई करने का मामला प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम के साथ उठाया है।

चुनावों के दौरों के लिए किराये पर लिए गए वायु सेना के विमान

5391. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल में हुए हाल ही में विधान सभा चुनावों के लिए दौरों के लिए वायु सेना के कितने विमान किराये पर लिए गए और ये विमान जिन व्यक्तियों को किराये पर दिए गए उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों के लिए किराये पर लिए गए थे उनके द्वारा वायुसेना के विमानों और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों, हेलीकाप्टरों आदि के लिए अधिक किराया अदा किया गया, यदि हां, तो कितनी राशि अदा की गई और अभी तक कितनी बकाया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"हाप्स" के आयात पर रोक

5392. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाप्स, जो बियर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, के आयात पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन डिस्टिलरियों का ब्योरा क्या है जो सरकार द्वारा इस पर लगाये गये प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके अभी भी इसका आयात कर रही है और अब तक कुल कितना आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ब्रीवरी हाप्स के आयात पर कोई रोक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बियर डिस्टिलरीज से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

5393. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बियर डिस्टिलरीज से शुल्क की कितनी राशि वसूल की गई है तथा शुल्क की दर क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन पर मामूली-सा शुल्क लगाया गया था और वसूल किया गया और यदि उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया, तो क्या उनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) बीयर सहित ऐल्कोहलिक पेयों पर शुल्क लगाना तथा उनकी वसूली करना विभिन्न राज्य सरकारों के विधानिक अधिकारों मे सम्मिलित है। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के पास, ऐसे शुल्कों की वसूली की मात्रा सम्बन्धी आंकड़े अथवा इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों से आयकर की वसूली के लिए की गई कार्यवाही

5394. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और फिल्म उद्योग के अन्य व्यक्तियों, जिनके बारे में लोक सभा के पिछले सत्र के दौरान इन बकाया राशियों की जानकारी दी गई थी, से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए आगे कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और इस बारे में ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जिन सिने-कलाकारों के सम्बन्ध में 26 मार्च, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 5520 के उत्तर में लोक सभा को सूचना प्रस्तुत की गई थी, उनसे अक्तूबर, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान

44.46 लाख रुपये की वसूली/घटौती हुई है। जिन व्यक्तियों से कर की वसूली की गई है, उनके नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

बकाया मांगों की वसूली/घटौती के लिए आयकर प्राधिकारी, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही करते हैं।

विवरण

क्र० सं०	सिने कलाकार का नाम	30-9-1981 को यथास्थिति आयकर की अशोधित बकाया में से 31-3-1982 तक की कई वसूलियां/घटौतियां
1	2	3
		(लाख रुपयों में)
1.	गणेशन, वी० सी० (शिवाजी)	1.73
2.	हेमा मालिनी	3 67
3.	मल्लिका वी० साराभाई	0.10
4.	रणवीर राजकपूर	4.48
5.	अमृतम, पी०	0.02
6.	देव आनन्द	2.98
7.	श्रीमती जे० जमुना	0.20
8.	किशोर कुमार गांगुली	5.18
9.	लक्ष्मी, वी०	0.66
10.	मनमोहन के० देसाई	0.96
11.	श्रीमती मीना कुमारी	0.13
12.	मिठू मुकर्जी	0.83
13.	प्रेम नजीर	6.88
14.	रामचन्द्रन, एम० जी०	0.30
15.	रामाराव, एन० टी०	2.29
16.	रणधीर राजकपूर	0.86

1 2	3
17. रेखा गणेशन	1.59
18. सेलवम, एस०	0.03
19. कुमारी शबाना आजमी	0.95
20. श्रीमती शर्मिला टैगोर	0.35
21. शत्रुघ्न सिन्हा	2.08
22. श्रीमती एन० शीला देवी	0.13
23. सुलक्षणा पण्डित	0.14
24. शोबन बाबू, यू०	0.47
25. श्रीमती के० आर० विजया	0.01
26. विजयाकुमारी, सी० आर०	1.18
27. यशराज चोपड़ा	5.82
28. योगिता बाली	0.44
कुल	44.46

नेशनल इन्श्योरेंस कारपोरेशन दरभंगा के कर्मचारियों के विरुद्ध अभ्यावेदन

5395. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इनश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया के चेयरमैन को दरभंगा स्थित नेशनल इनश्योरेंस कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध 19 दिसम्बर, 1981 को एक अभ्यावेदन दिया गया है जिसमें झूठे यात्रा भत्ता बिलों, झूठी छुट्टी, अनेक अपराधिक मामलों के मुकदमेबाजी इत्यादि के विशेष मामले लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों पर झूठे एल० टी० एस० बिल (लीव ट्रैवल सब्सिडी बिल) पेश करने, फौजदारी मामलों में और अनियमित नियुक्तियों के मामलों में फंसे होने के आरोप लगाए गए हैं।

कम्पनी द्वारा यह मामला जांच पड़ताल करवाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) को भेजा गया था और अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के वाहनों पर कर तथा जुर्माने की राशि छोड़ दिया जाना

5396. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री जेनुल बशर :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने वाहनों पर के कर तथा जुर्माने की राशि के भुगतान से स्वयं को छुड़वाकर सरकार को एक लाख से अधिक रुपये से वंचित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कर और जुर्माने की कितनी धनराशि इसमें अन्तर्ग्रस्त है और किन परिस्थितियों में इस धनराशि का भुगतान छोड़ दिया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोमानिया को लौह अयस्क का निर्यात

5397. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लौह अयस्क के निर्यात के लिए रोमानिया के साथ व्यापार वार्ता की थी;

(ख) क्या रोमानिया ने गत वर्षों की शर्तों पर निर्यात जारी रखने के लिए अनुरोध किया था;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का लाभ उठाया है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या कोई नया समझौता किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रोमानिया को इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दोनों पक्षकार सहमत थे कि करार करने के लिए अगस्त के अन्त में और वार्ताएं की जायें।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा श्वेत-श्याम टेलीविजन ग्लास शेल बनाया जाना

5398. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्वेत-श्याम टेलीविजन ग्लास शेल का निर्माण करने का भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का 12 वर्ष पुराना प्रस्ताव फिर से खटाई में पड़ गया है;

(ख) क्या 30 करोड़ रुपये लागत की परियोजना, जिसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 1970 में किया गया था, उच्च स्तर पर अनेक बार स्वीकृत की गई थी परन्तु किसी न किसी कारण से बिल्कुल भी क्रियान्वित न हो सकी;

(ग) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस प्रस्ताव के लिए बहुत जोर दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से 29.98 करोड़ रुपए की कुल लागत पर श्वत-श्याम टेलीविजन ग्लास शेल का निर्माण करने को एक प्रस्ताव अप्रैल, 1979 में प्राप्त हुआ था। यह मामला भी विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

संयुक्त उद्यमों के लिए अनुमोदन

5399. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मई, 1982 के दौरान विभिन्न देशों में संयुक्त उद्यमों के लिए 15 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं;

(ख) यदि हां तो संयुक्त उद्यमों के प्रस्ताव क्या थे और कौन-कौन देश हैं जिनके लिए ये प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 222 संयुक्त उद्यमों में से, जो सरकार ने विदेशों में स्थापना के लिए इन वर्षों में अनुमोदित किये थे, छह बिल्कुल कार्यान्वित नहीं किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है; और

(ङ) अब तक कुल संख्या कितनी है जिन पर सरकार ने विदेशों में इन संयुक्त उद्यमों की स्वीकृति दे दी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) मई, 1982 के दौरान विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए चार स्वीकृतियां जारी की गई थीं। इन स्वीकृतियों से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) से (ङ) मार्च, 1982 के अन्त तक सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 465 स्वीकृतियां दी थीं किन्तु इनमें से 196 क्रियान्वित नहीं की गई है।

परियोजनाओं को क्रियान्वित न किया जाना उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं का पुन: मूल्यांकन करने के बाद मूल योजना को लागू न करने का उनके द्वारा स्वयं ध्यानपूर्वक लिया गया निर्णय है। क्रियान्वित न किये जाने के बारे में अन्य कारणों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं : निदेशपूर्वक सर्वेक्षण तथा परियोजना रिपोर्टों की अपर्याप्त, धन जुटाने तथा माल की विपणन सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अपर्याप्त जानकारी।

विवरण

मई, 1982 के दौरान विदेशों में स्थापित किये जाने वाले संयुक्त उद्यमों के बारे में दी गई स्वीकृतियां

क्रमांक	भारतीय प्रवर्तक का नाम	देश/सहयोग का क्षेत्र
1.	इन्डियन प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०	कीनिया/गन्धक का तेजाब तथा नॉन फेरिक अलम
2.	ओबराय होटल (इं) प्रा० लि०	ब्रिटेन/अन्य देशों में होटल विकसित करना तथा उनका प्रबंध करना
3.	मेटलर्जीकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट्स (इं) लि०	नाइजीरिया/परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना
4.	स्टार मार्किटिंग एण्ड सर्विसिस लि०	थाइलैंड/वस्त्र प्रोसेसिंग

मछली पटनम में नया राडार लगाना

5400. श्री बी० वी० देसाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलीपटनम से नया राडार लगाने और विशाखापत्तनम में पुराने राडार को बदलने से बंगाल की खाड़ी में उष्णप्रदेशीय तूफानों का पता लगाने और पूर्वी तटीय क्षेत्रों को समय पर चेतावनियां जारी करने सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे राडार और उपकरणों का स्थानापन्न केरल, उड़ीसा और अन्य स्थानों के सभी तटवर्ती क्षेत्रों में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी तटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे राडार कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) ऐसे तूफानों, जिससे प्रतिवर्ष बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, की रोकथाम के लिये अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां। मछलीपत्तनम् में नया राडार स्थापित कर दिया गया है तथा विशाखापत्तनम् में पुराने राडार को बदल कर उसकी जगह एक नया और अधिक आधुनिक राडार लगा दिया है। मछलीपत्तनम् में एक राडार की स्थापना से बंगाल की खाड़ी में उष्णप्रदेशी तूफानों का पता लगाने और पूर्वी तटीय क्षेत्रों को समय पर चेतावनियां जारी करने से सम्बन्धित सुविधाओं में सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) जी, हां। तूफान चेतावनी राडार आठ तटीय स्टेशनों पर स्थापित किए गए हैं। तूफानों की दृष्टि से प्रभावित होने वाले पूर्वी और पश्चिमी तट के सभी क्षेत्र उनके अन्तर्गत आ जाते हैं। जब कभी आवश्यक हो, पुराने राडारों को बदलने की व्यवस्था की जाती है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

(घ) चक्रवाती तूफानों का इनकी सहायता से पता लगाया जाता है—(1) परम्परागत समुद्र स्तर और उपरितन वायु प्रेक्षणों से, (2) जहाज प्रेक्षणों से, (3) पूर्वीतट पर कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम्, मछलीपत्तनम्, मद्रास, कराइकल में तथा पश्चिमी तट पर गोवा और बम्बई में तूफान चेतावनी राडारों से, तथा (4) मौसम उपग्रहों से (ध्रुवीय कक्षा तथा इन्सैट I-ए)।

राज्य सरकारों तथा आकाशवाणी को चेतावनियां दो अवस्थाओं में जारी करने की कार्यविधियां विद्यमान हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, पहली अवस्था में 48 घंटे पूर्व "चौकस रहने" की चेतावनियां जारी की जाती हैं तथा दूसरी अवस्था में "तूफान चेतावनियां" 24 घंटे पूर्व उच्चतम प्राथमिकता वाले तारों द्वारा अन्य संचार के साधनों द्वारा जारी की जाती हैं। चेतावनियां बन्दरगाहों तथा मत्स्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों के लिए भी जारी की जाती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक चक्रवात पुनरीक्षण समिति द्वारा इस प्रणाली का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, टोक्यो द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्यक्तियों का चयन

5401. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त महीने के दौरान टोक्यो में इन्जीनियरिंग निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा आयोजित किये जा रहे सम्मेलन में भाग लेने के लिये चुने गये व्यक्तियों (सरकारी अधिकारियों को छोड़कर) के दर्जे सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के चयन के मानदंड क्या हैं; और

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजे जाने वाले गैर-सरकारी प्रतिनिधियों पर कुल कितनी राशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक सूची संलग्न है जिसमें टोक्यो सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुने गये व्यक्तियों के नाम (सरकारी अधिकारियों को छोड़कर) उनके पद, फर्मों/उपक्रमों के नाम तथा पते और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र दर्शाये गये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 4499/82]

(ख) प्रतिनिधियों की सूची को अन्तिम रूप देने में निम्नलिखित कसौटी ध्यान में रखी गई थीं :

(1) प्रतिनिधि की फर्म निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्य होनी चाहिए ।

(2) जहां तक सिविल निर्माण फर्मों का सम्बन्ध है, प्रतिनिधि की फर्म विदेशों में सिविल निर्माण कार्य करने के लिए इंजीनियरी निर्यात सम्वर्धन परिषद् द्वारा जांची हुई होनी चाहिए ।

(3) इस सम्मेलन में भाग लेने में इच्छुक प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ।

(ग) गैर-सरकारी प्रतिनिधि अपने स्वयं के खर्चे पर इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ।

कपड़ा श्रमिकों और उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति

5402. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा श्रमिकों और उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समिति की स्थापना किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं और यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगी और यह अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

(ग) इसके विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों के चयन के क्या मानदंड होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) विचारार्थ विषय और समय अवधि को जिसके आधार पर समिति विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, लोक सभा में 9 जुलाई, 1982 को ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में केन्द्रीय श्रम राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में विस्तृत रूप से बता दिया गया है ।

(ग) वस्त्र उद्योग में अथवा कपड़ा श्रमिकों की समस्याओं में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, जब उसे नियुक्त किया जायेगा अपने विचार समिति के समक्ष रखने की स्वतंत्रता होगी ।

सरकारी उपक्रमों का ऋण

5403. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में, राज्यवार बड़े और छोटे उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इनमें से कितने उद्योगों को ऋण अनुदान दिये हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि के ऋण और अनुदान दिये गये हैं और इनमें प्रत्येक उद्योग द्वारा कितना मुनाफा कमाया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 31 मार्च, 1981 को वित्तीय संस्थाओं और उन उपक्रमों जिनमें केन्द्रीय सरकार ने पूंजी निवेश तो किया है पर जिनके प्रबन्ध की जिम्मेदारी उस पर नहीं है, को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के 201 उपक्रम थे। इन उपक्रमों की, उनके पंजीकृत कार्यालयों के आधार पर, राज्यवार संख्या दिखाने वाली सूची संलग्न है। (अनुबन्ध)

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4500/82]

(ख) पिछले 4 वर्षों के अन्त में केन्द्रीय उपक्रमों पर बकाया ऋणों तथा पिछले 4 वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिया गया हैं, जो इस प्रकार है :

ब्यौरा	वर्ष	लोक उद्यम सर्वेक्षण मे दिखाया गया
(1) ऋण	1980-81	लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81-खण्ड-1 में विवरणी संख्या 14.3
	1979-80	लोक उद्यम सर्वेक्षण 1979-80 खण्ड-1 में विवरणी संख्या 14.3
	1978-79	लोक उद्यम सर्वेक्षण 1978 79 खण्ड-1 में विवरण 2.3
	1977-78	लोक उद्यम सर्वेक्षण (जिसे पहले सरकारी उद्यम कार्यालय की भारत सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट कहा जाता था) 1977-78 खण्ड-I में विवरणी संख्या-III 3(ख)
(2) लाभ	1980-81 1979-80	लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 खण्ड-1 में विवरणी संख्या 2.7 क तथा 2.7ख
	1978-79 1977-78	लोक उद्यम सर्वेक्षण 1978-79 खण्ड-1 में विवरणी संख्या 3.7क तथा 3.7ख

लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में लोक सभा में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पिछले लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 24 फरवरी, 1982 को सदन में प्रस्तुत किया गया था।

उपक्रमों को दिए गए अनुदानों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

घाल्टा, 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में निर्यात संवर्धन जोन

5404. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घाल्टा, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में एक निर्यात संवर्धन जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर इस समय किस स्तर पर विचार हो रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने देश में कोई और मुक्त व्यापार जोन खोलने के लिए अभी निर्णय नहीं लिया है।

सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग

5405. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी सरकारी गाड़ियां प्राय: विपणन केन्द्रों, सरकारी कालोनियों, सिनेमा हालों, और स्कूलों आदि में देखी जाती हैं जहां सरकारी कार्य का कोई सम्पर्क नहीं होता है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग न करने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का विचार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे ड्राइवरों और उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ सी० बी० आई० की जांच कराने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस बारे में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ताकि इस सरकारी संत्र का दुरुपयोग न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लवाई) सिंह सिसोदिया) : (क) से (च) सरकारी वाहनों के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए यह मन्त्रालय समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। इस सम्बन्ध में जारी किए गए नवीनतम अनुदेशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं

विवरण में दी गई हैं। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित प्रकार के कोई दृष्टांत इस मन्त्रालय के ध्यान में नहीं लाए गए हैं। यदि दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी का काम है कि वह उपयुक्त कर्रवाई करे।

विवरण

विभागीय वाहनों/स्टाफ कारों द्वारा पेट्रोल की खपत में कमी करने सम्बन्धी अनुदेशों की मुख्य विशेषताएं

(i) गैर-परिचालन वाहनों जिनमें सचिवालय, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखी गई स्टाफ कारें भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में वर्ष 1978-79 के दौरान जितने पेट्रोल की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है उसका 66 2/3 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि द्वारा रखे जा रहे परिचालन वाहनों के सम्बन्ध में 85 प्रतिशत तक पेट्रोल का इस्तेमाल प्रतिबन्धित किया जाए। जहां तक सचिवालय का सम्बन्ध है, इन अनुदेशों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार द्वारा निगरानी की जानी चाहिए जोकि प्रत्येक गाड़ी के लिए तिमाही की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे तथा जिन मामलों में अधिक पैट्रोल का इस्तेमाल हुआ हो वे सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा इस मंत्रालय के सचिव (व्यय) के ध्यान में लायेंगे। जहां तक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में रखे जा रहे वाहनों का सम्बन्ध है विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन वाहनों के इस्तेमाल को प्रतिबन्धित करने के लिए स्थायी कदम उठायेंगे ता कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अधिक उपभोग के मामलों को मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(ii) इस मंत्रालय के 19-10-1973 के परिपत्र सं० एफ० 3(7)-संस्था II (क)/73 (जो पुन:) 7-5-1977 के परिपत्र सं० एफ० 3 (7)-संस्था-II (क)/73 द्वारा परिचालित किया गया था, में प्रति तिमाही 900 लिटर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी जोकि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 750 लिटर प्रति तिमाही होगी। इस सीमा के अन्तर्गत मंत्रियों द्वारा तथा विभिन्न अवसरों पर उनके निजी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गाड़ियां शामिल होंगी।

(iii) नये संगठनों, जोकि भविष्य में स्थापित किए जाए, के मामले को छोड़कर कोई नई स्टाफ कारें नहीं खरीदी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में खरीद करने के लिए इस मंत्रालय के सचिव (वित्त) का अनुमोदन होना चाहिए और विशिष्ट तौर पर इस मंत्रालय के 27-5-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-14 (4) संस्था (समन्वय)/77 के पैरा 2(iv) (ii) में निर्धारित अनुसार स्टाफ कार के बदले तीन पहिये वाले वाहनों से आवश्यकता को पूरा करने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

(iv) जब कोई स्टाफ कार प्रतिस्थापन करने योग्य हो जाए तो पिछले पैरा में यथा लिखित तीन पहिये वाले वाहन खरीदने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। वित्त मन्त्रालय को प्रतिस्थापन करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले इस सम्बन्ध में निर्णय

सचिव के स्तर पर लिया जाना चाहिए कि क्या स्टाफ कार तीन पहिए वाले वाहन द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है।

(v) मंत्रालयों से सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार मन्त्रालयों/विभागों और उनसे संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखे गये परिचालनात्मक वाहनों सहित स्टाफ कारों और अन्य वाहनों की संख्या की तुरन्त समीक्षा करें और कम से कम 10 प्रतिशत वाहनों की संख्या कम करने की सम्भावना का पता लगाएं।

(vi) जहां पर कर्मचारियों को ड्यूटी पर छोड़ने या ड्यूटी के बाद वापस छोड़ने की प्रथा विद्यमान है वहां प्रशासनिक मन्त्रालय के सचिव द्वारा इस पद्धति की तुरन्त समीक्षा की जाए और निर्णय किया जाए कि क्या इस पद्धति को जारी रखा जाए।

(vii) अलग कारों में अकेले यात्रा करने की बजाए, स्टाफ कारें सरकारी यात्रा के संबंध में अधिकारियों द्वारा सयुक्त रूप से प्रयोग की जानी चाहिए।

(viii) अधिकारियों या ड्राइवरों के निवास-स्थानों पर सरकारी कारों के पार्किंग पर पूरा प्रतिबन्ध होना चाहिए।

(ix) सरकारी कारों को सरकारी भवनों या निकट के भवनों में बन्द गैरजों में पार्क करके अनुपयोगी मील दूरी को जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक कम करना चाहिए। जहां पर बन्द गैरजें न हों, इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए वहां पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय से विचार-विमर्श करके गैरजों का निर्माण कराने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय के दिनांक 20-8-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-3(6)-संस्थापन II (क)/73 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(x) अदायगी के आधार पर भी गैर-ड्यूटी यात्राओं के लिए स्टाफ कारों के प्रयोग को तत्काल से समाप्त कर दिया जाए।

टिन प्लेटों का आयात

5406. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन सी फर्म टिन प्लेटों का आयात कर रही हैं और किन देशों से;

(ख) गत वर्ष इनमें से प्रत्येक फर्म ने कितनी मात्रा में आयात किया और यह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में आयात कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दो वर्षों के दौरान इनमें से बहुत सी फर्मों ने किसी एक अथवा अन्य आधार पर विदेशों से आने वाली अपनी खेप को नामंजूर कर दिया है और उन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों से दावों की राशि वसूल कर ली है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन फर्मों ने (अपने बीमा दावों को लेने के बाद) इन टिन प्लेटों को मुंह मांगे मूल्यों पर "बेनामी" नामों से खरीदा और उन्हें दोबारा अधिक मूल्यों पर बेचा; और

(ङ) क्या अपने औद्योगिक लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रही और अत्यधिक मुनाफा कमा रही फर्मों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) टिन प्लेट का आयात स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० की मार्फत सरणीबद्ध है। नीति के अनुसार आर० ई० पी० और वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों के आधार पर सीमित आधार पर सीधे आयात की भी अनुमति है। आयातक-वार आयात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं के बिक्री मूल्य में कमी किया जाना

5407. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पांच अलौह धातुओं के गोदाम बिक्री मूल्य में कमी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त धातुओं के बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत कमी की गई है; और

(ग) निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में माल पड़ा हुआ है और सरकार को इससे अनुमानतः किसी हानि उठानी पड़ेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) एम० एम० टी० सी० द्वारा जून तथा जुलाई, 1982 में निम्नलिखित चार अलौह धातुओं की बिक्री कीमतों में कटौती की गई थी। पिछले महीने की तुलना में इन महीनों में कटौती का प्रतिशत निम्नोक्त प्रकार है :

अलौह धातुएं	मई, 82 में लागू कीमतों पर जून, 82 में कटौती प्रतिशत	जून, 82 में लागू कीमतों पर जुलाई, 82 में कटौती प्रतिशत
तांबा	1 68	6.14
जस्ता	2.78	शून्य
सीसा	6.67	4.76
टिन	2.27	6.98

(ग) 1 जुलाई, 1982 को विभिन्न अलौह धातुओं की माल सूची निम्नांकित प्रकार थी।

अलौह धातुयें	मात्रा मे० टन में
तांबा	10,625
जस्ता	11,569
सीसा	4,785
टिन	721
निकेता	918

एम० एम० टी० सी० को अलौह धातुओं की बिक्री से किसी भी हानि की प्रत्याशा नहीं है।

कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाया जाना

5408. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मांग का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) संसद सदस्यों और विभिन्न सेवा संघों से कोचीन नगर का "क" श्रेणी के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नगरों का पुनः वर्गीकरण/दर्जा बढ़ाया जाना 1981 की जनगणना के अन्तिम आंकड़ो के आधार पर ही किया जा सकता है जिनकी अभी तक भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से प्रतीक्षा की जा रही है। किन्तु, सरकार ने यह निर्णय किया है कि जब भी ऐसा दर्जा बढ़ाया जाता है तो इसका 1-8-1982 से भूतलक्षी प्रभाव होगा।

जे० सी० बी० फोटो लिथो प्रेस के लिए भर्ती नियम

5409. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रक्षा मंत्री जे० सी० बी० लिथो प्रेस के लिए भर्ती नियम के बारे में 2 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 6494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मामले को अन्तिम रूप देने का काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार बहुत समय से इस लम्बित मामले को कब तक अन्तिम रूप दे देगी ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन ही है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ समय और लगेगा।

उड़ीसा से होने वाले लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट

5410. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा से होने वाला लौह अयस्क का निर्यात 1975-76 में लगभग 27 लाख टन में कम होकर 1981-82 में 16 लाख टन रह गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने हाल में इस बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात में कमी मुख्य रूप से विश्व इस्पात उद्योग में कमी, बड़े जहाजों के प्रकार के सम्बन्ध में पत्तन की अक्षमता तथा लदान की निम्न दरों की बजह से आई। सरकार ने लदान सुविधाओं में सुधार लाने के लिए पहले ही योजना अनुमोदित कर दी है जिसमें वैगन टिप्पर की स्थापना, रिक्लेमर आदि को बदलना भी शामिल है।

(घ) जी हां।

(ङ) पारादीप पत्तन से निर्यात जारी रखने के मार्गों का पता लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों तथा अन्य सम्बद्धों के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति

5411. **श्री चित्त बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय नीति के भाग के रूप में और इसको क्रियान्वित के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्या जिम्मेदारियां हैं; और

(घ) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को कहां तक पूरा किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सरकार की नीति है कि जहां तक व्यवहार्य हो भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक सीमा तक फिर से बसा लिया जाय। अतः इसके लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों में उनके लिए आरक्षण के अतिरिक्त, उन्हें फिर से रोजगार देकर तथा उपयुक्त प्रशिक्षण देकर अपना कारोबार स्थापित करके उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाने होते हैं। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विशेषकर चिकित्सा तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में अन्य उपाय करने होते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के इस कार्य को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को जो भूमिका निभानी होती है वह राज्य का विषय बन जाता है और इस बारे में उन्हें कोई निदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी केन्द्रीय सरकार इस बारे में उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्यों से राष्ट्रीय

भावना पैदा करने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठकों जैसे अवसरों का भी उपयोग किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के कार्यक्रमों के लिए सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। जबकि कुछ राज्य सरकारों ने इस बारे में बहुत कार्य किया है तो कुछ राज्य सरकारें काफी पीछे हैं। परन्तु इस बारे में केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जागरूकता पैदा करने के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों से अधिक उत्साहवर्धक उत्तर मिल रहे हैं।

रुग्ण पटसन उद्योग को पुनः चलाने की योजना

5412. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन से रुग्ण पटसन उद्योग से पुनः चलाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए; विस्तृत योजना पेश करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की योजनायें पेश की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यह सूचित किया गया है कि 1.7. 82 को मुख्य मन्त्री, पश्चिम बंगाल के चेम्बर में एक बैठक में भारतीय जूट मिल संघ के प्रतिनिधियों ने जूट उद्योग के पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा।

(ख) सरकार को अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विश्रामालय की सुविधाएं

5413. **श्री के० मालन्ना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में हवाई अड्डों पर विश्रामालय की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) वहां कितने व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है और उनसे किस दर पर शुल्क लिया जाता है; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान इन हवाई अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार करने के लिए क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली विमान क्षेत्र पर और शय्याओं की व्यवस्था करने की योजनाएं हैं।

विवरण			
विमान क्षेत्र का नाम	उपलब्ध कमरों की संख्या	शय्याओं की संख्या/यात्रियों की संख्या जिन्हें स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है।	शुल्क
1	2	3	4
दिल्ली विमान क्षेत्र	8 (सभी वातानुकूलित)	22	एक शय्या (वातानुकूलित)—सभी विमान क्षेत्रों पर 75 रुपये
कलकत्ता विमान क्षेत्र	26 (8 वातानुकूलित) (18 कमरे गैर-वातानुकूलित)	45	दो शय्या (वातानुकूलित)—सभी विमान क्षेत्रों पर 100 रुपए
बम्बई विमान क्षेत्र	8 (7 कमरे वातानुकूलित) (1 कमरा गैर-वाता-अनुकूलित)	19	रैस्ट हाउस नं० 1 (कलकत्ता) (गैर-वातानुकूलित)
मद्रास विमान क्षेत्र	6 (सभी वातानुकूलित)	10	एक शय्या 20 रुपए दो शय्या 30 रुपए रैस्ट हाउस नं० 2 (कलकत्ता) (गैर-वातानुकूलित) एक शय्या 10 रुपए दो शय्या 15 रुपए आवास (बम्बई) एक शय्या (वातानुकूलित) 50 रुपए एक शय्या (गैर-वातानुकूलित) 40 रुपए

टिप्पणी : भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों के लिए रियायती दरें चार्ज की जाती हैं। उपरोक्त दरें यात्रियों/सामान्य जनता के लिए हैं।

बम्बई सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा पोलिस्टर फिलामेंट यार्न को निकासी देने से इन्कार करना

5414. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा सूती कपड़ा मिलों द्वारा आयात किये गये पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के शिपमेंट को नवम्बर, 1981 से निकासी के लिये मंजूरी देने से इन्कार किया जा रहा है;

(ख) क्या कपड़ा आयुक्त तथा आयात व्यापार नियन्त्रक के स्पष्टीकरण दिया है कि सूती मिलें "वास्तविक उपभोक्ता" वर्ग में आती हैं और इस कारण उन्हें यार्न के आयात की अनुमति है;

(ग) क्या आयात व्यापार नियन्त्रक ने 15 फरवरी, 1982 को इस आशय की एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी;

(घ) क्या बम्बई सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा प्रतिबन्धात्मक नीति को जारी रखे जाने का नकली रेशम के कुछ एककों को लाभ पहुँचा है जिनमें से मुख्य लाभ प्राप्तकर्त्ता रिलान्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज है; और

(ङ) क्या सरकार बम्बई में देश के एक प्रमुख कस्टम हाउस में एक वरिष्ठतम अधिकारी को नियुक्त करने तथा सीमित अनुभव वाले वर्तमान रूप से कनिष्ठ अधिकारी का स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) बहुत-सी सूती टैक्सटाइल मिलों ने पोलिएस्टर फिलामेंट धागे और अंशतः अभिविन्यस्त धागे का बम्बई में आयात किया था और उन्होंने वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में निर्बन्धन सामान्य लाइसेंस के अधीन उक्त धागों की निकासी का दावा किया। सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई का यह मत था कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 23(1) में, जो इन सूती टैक्सटाइल मिलों के औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में संगत प्रविष्टि थी, आने वाले पद "रूई" को ध्यान में रखते हुए, आयातित सतत लम्बाई वाले अंशतः अभिविन्यस्त धागे/पोलिएस्टर फिलामेंट धागे को सूती टैक्सटाइल के निर्माण हेतु अन्तर्गामी माल नहीं समझा जा सकता था और उक्त धागे को निर्बन्धन सामान्य लाइसेंस का लाभ पाने के लिए हकदार नहीं समझा गया था। समाहर्ता के मतानुसार इसे ऐसा समझने के लिए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 23(5) के अधीन औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक था। चूंकि आयातकर्ताओं के पास उक्त प्रविष्टि 23(5) के अधीन औद्योगिक लाइसेंस नहीं था, इसलिए समाहर्ता ने अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी और आयातकर्ताओं को कारण-बताओ नोटिस जारी कर दिये। परन्तु, सम्भावित दिक्कत का निराकरण करने के लिए, आयातकर्ताओं को अन्तिम निर्णय होने तक इन खेपों की बन्धन-पत्र के अधीन निकासी करने का विकल्प दिया गया था।

(ख) और (ग) उद्योग द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर टैक्सटाइल विभाग और औद्योगिक विकास विभाग ने कानूनी सलाह को मद्देनजर रखकर प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 23(1) के विषय-

क्षेत्र की जांच की और यह समझा गया कि उक्त प्रविष्टि किसी लाइसेंसधारी को टैक्सटाइल के निर्माण हेतु रूई के अतिरिक्त पोलिएस्टर फिलामेंट का इस्तेमाल करने से नहीं रोकती है। इस सलाह के आधार पर, मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात ने 15-2-1982 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 23(1) के अधीन आने वाले औद्योगिक एकक पोलिएस्टर फिलामेंट धागे (पूर्णतः/अंशतः अभिविन्यस्त) का आयात वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में निर्बन्धन सामान्य लाइसेंस के अधीन कर सकते हैं। उसके बाद, समाहर्ता ने उक्त सार्वजनिक सूचना सहित सभी संगत कारणों पर विचार करके उक्त मामलों में न्याय-निर्णयन किया जिसके अन्तर्गत कोई जुर्माना अथवा अर्थदण्ड लगाये बिना ही, केवल चेतावनी देकर उक्त माल को छोड़े जाने की इजाजत दी गई थी।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, समाहर्ता द्वारा की गई कार्यवाही अर्धन्यायिक-स्वरूप की थी। समाहर्ता की यह कार्यवाही अथवा अन्तरिम आदेश, जिसके अन्तर्गत उक्त माल को बन्धपत्र के अधीन छोड़े जाने हेतु मत व्यक्त किया गया था, चूंकि सीमाशुल्क कानून के प्रशासन का एक अंग हैं, इसलिए प्रश्न के इस भाग में अभिव्यक्त प्रकार का कोई निष्कर्ष निकालना असम्भव ही नहीं, अनुचित भी होगा।

(ङ) यह आवश्यक नहीं है कि बड़े-बड़े सीमाशुल्क गृहों में केवल वरिष्ठतम अधिकारियों की ही तैनाती की जाए। समाहर्ताओं के दो ग्रेड हैं अर्थात् स्तर-I और स्तर II, स्तर। समाहर्ताओं को सामान्यतया बड़े अधिकार-क्षेत्रों में तैनात किया जाता है और तैनाती करते समय व्यक्तियों की उपयुक्तता को भी ध्यान में रखा जाता है। बम्बई में इस समय समाहर्ता पद पर तैनात स्तर-I समाहर्ता है।

इनफैंट्री कोम्बेट व्हीकल्स का आधुनिकीकरण

5415. **श्री विन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इनफैंट्री कोम्बेट व्हीकल्स का आधुनिकीकरण करने के लिए एक और परियोजना आरम्भ की है;

(ख) क्या इस दिशा में कोई प्रगति भी हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) इस परियोजना में अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कैंटिस फ्रूट्स फैक्ट्री, ए-3, लारेंस रोड़, दिल्ली-35 को ठेका प्रदान किया जाना

5416. **श्री निहाल सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटिस फ्रूट्स फैक्ट्री, ए-3, लारेंस रोड़, दिल्ली-35 को अचार मुरब्बे और चेरी तैयार करने के कितनी बार ठेके दिए गए है तथा वे ठेके कितने-कितने मूल्य के थे;

(ख) क्या इस फैक्ट्री को ठेका देने से पहले इस फैक्ट्री द्वारा निर्मित जिन्सों की शुद्धता-जांच कर ली गई थी और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस फर्म के मालिक अन्य ठेकेदारों और लघु फैक्ट्रियों से उपरोक्त जिन्सें बनवाते हैं और उन पर अपनी मोहर लगा देते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस फैक्ट्री में कुल कितने स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा इन कर्मचारियों की मदद से इस फैक्ट्री के दैनिक उत्पादन क्षमता क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) कैटिस फूट फैक्टरी को रक्षा आवश्यकताओं के लिए 9062045 रु० मूल्य के डिब्बा बन्द फलों, सब्जियों और मुरब्बों के 41 ठेके दिए गये । अचार के लिए कोई ठेका नहीं दिया गया । ठेके, सेना क्रय संगठन (आर्मी पर्चेजिंग आर्गेनाइजेशन, कृषि मंत्रालय खाद्य विभाग) के मुख्य क्रय निदेशक, जो कि रक्षा सेनाओं के लिए ऐसी खरीददारी करता है, द्वारा दिये गये थे ।

(ख) किसी फैक्टरी को ठेका देने के लिए तभी पंजीकृत किया जाता है जब थलसेना मुख्यालय का चिकित्सा निदेशालय यह प्रमाणित कर दे कि फैक्टरी रक्षा सामान का उत्पादन करने के लिए सक्षम है । ये मदें तभी स्वीकार की जाती हैं जब इन्हें कम्पोजिट फूट लेबोरेटरी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पाया जाए । सरकार यह नहीं जानती कि फैक्टरी अन्य ठेकेदारों से माल तैयार करवा कर उन पर अपनी मुहर लगा देती है ।

(ग) ज्ञात हुआ है कि इसके स्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या 15 है और इसकी प्रतिदिन की कार्य क्षमता 8 टन है ।

भारतीय और जापानी फर्मों में समझौता

5417. **श्री भीकूराम जैन :**

श्रीमती संयोगिता राणे :

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और जापानी फर्मों में समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह में टोकियो में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) उक्त सम्मेलन में जापान और भारत से कितनी फर्मों ने भाग लिया था;

(ग) क्या उद्योग के ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया था जिनमें भारत और जापान मिलकर काम कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरी निर्यात सम्बर्धन परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में 126 जापानी कम्पनियों तथा 110 भारतीय कम्पनियों ने भाग लिया।

(ग) तथा (घ) जिन संभावित क्षेत्रों में भारत और जापान मिलकर कार्य कर सकते हैं, वे हैं :

(1) दोनों पार्टियों के बीच विनिर्मित वस्तुओं तथा सप्लाइयों का प्रयोजन मूलक विभाजन;

(2) प्रयोजनमूलक विशेषीकरण के आधार पर सम्पूर्ण संयंत्र की प्रणालियों तथा विशिष्ट संघटन का निष्पादन;

(3) डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी अन्तर्निविष्ट साधनों के आधार पर उपस्कर, मशीनों तथा प्रजालियों का विनिर्माण;

(4) उप-संविदाएं करना;

(5) इंजीनियरी परामर्शी।

"ड्यूटी ड्राबैक स्कीम" में परिवर्तन

5418. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए 'ड्यूटी ड्राबैक स्कीम' में प्रमुख परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 100 अखिल भारतीय उद्योग दरें लागू की हैं जो देश के 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर लागू होती हैं;

(ग) सरकार 'ड्रबैटी ड्रावैक स्कीम' में और कौन से परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) शुल्क प्रतिअदायगी योजना के कार्य-चालन में हाल ही में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, वह यह है कि बहुत-से मामलों में प्रतिअदायगी-दरों का सम्बन्ध निर्माता-विशेष द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित माल के साथ जोड़ने के स्थान पर, विनिर्दिष्ट विवरण के माल के मामले में सर्व उद्योग दरें नियत की गई हैं। ऐसी सर्व उद्योग दरें लगभग 100 अतिरिक्त मदों के लिए नियत की गई हैं। यह बता पाना सम्भव नहीं है कि देश के कुल निर्यात में इन अतिरिक्त एक सौ मदों का प्रतिशत अनुपात कितना है।

(ग) कार्यविधियों का सरलीकरण और सर्वउद्योग दरों के विषय-क्षेत्र को व्यापक बनाना एक सतत प्रक्रिया है और उत्पन्न होने वाली किसी भी नयी स्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं। सदैव यही प्रयास रहता है कि प्रतिअदायगी की दरों का नियतन और दावों का निपटारा शीघ्र हो।

पर्यटन के स्थानों का विकास करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार का प्रस्ताव

5419. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिनके विकास के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को योजनाएं भेजी हैं तथा उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) उनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) राज्य सरकार से परामर्श करके केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों मे संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटन का विकास करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :

1. परवानू-चैल-कुफरी-नारकंडा-शिमला-परवानू ।

2. मंडी-कुल्लु-मनाली-कुल्लु-मनीकरण-कुल्लु-मंडी ।

3. डलहौजी-चम्बा-डलहौजी नूरपुर-त्रिलोकपुर-गोगल-धर्मशाला-कांगड़ा-ज्वालामुखी-कांगड़ा पालयपुर-जोगिन्द्रनगर-बारोट-जोगिन्द्रनगर-मंडी-बिलासपुर-शिमला-बिलासपुर-नैनादेवी (चण्डीगढ़) ।

तथापि; पर्यटन विभाग और आई० टी० डी० सी० द्वारा इन कुछ केन्द्रों के विकास के लिए पहले से ही प्रारम्भ की गई स्कीमें ये हैं : कुफरी में स्की-हट, कुल्लु में पर्यटक ब्यूरो, विश्रामगृह, पर्यटक बंगला और यात्रीगृह; धर्मशाला में टूरिस्ट ब्यूरों, रैस्ट हाउस, पर्यटक बंगला, शिविर स्थल, यात्रीगृह और यूथ होस्टल; नांगल में विश्रामगृह; कटरेन में कुटीरें और गोविंद सागर में कैफेटेरिया तथा मोटर लांच की व्यवस्था ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमें पूरी हो चुकी हैं अथवा उनके पूरे हो जाने की संभावना है ।

(1) पोंग डैम झील और बिलासपुर झील के लिए नावों की खरीद ।

(2) वशिष्ट में गर्मपानी के झरने पर स्नान-व्यवस्था के विकास के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ।

(3) वशिष्ट में गर्मपानी के झरने पर स्नान-व्यवस्था का विकास ।

(4) मनाली मे क्लब हाऊस बिल्डिंग ।

(5) कुल्लु और मनाली में विद्यमान यात्रीगृहों का विस्तार ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर पर होने वाला वार्षिक व्यय

5420. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय कैडेट कोर पर कुल वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) कितने विद्यार्थी पहले और दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल हुए और उनमें से कितने विद्यार्थियों ने जूनियर सर्टिफिकेट का इम्तहान दिया तथा इसमें पास हुए;

(ग) सीनियर सर्टिफिकेट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) सशस्त्र सेनाओं के लिए परीक्षा पास करने वाले सीनियर और जूनियर सर्टिफिकेट-धारियों की संख्या और प्रतिशतता क्या है। सशस्त्र सेनाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है जिन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर का सर्टिफिकेट कभी भी नहीं लिया ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4501/82]

भारत पर्यटन विकास निगम के कामों के लिए चयन की प्रक्रिया

5421. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहर के उन डिजाइनरों/फर्मों/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिसको गत तीन वर्षों के दौरान (अप्रैल, 1979 से मार्च, 1982 तक) डिजाइनिंग के काम सौंपे गये, उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि अदा की गई और भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यों के लिए उनके चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बाहर की एजेंसियों/व्यक्तियों से काम करवाने पर होने वाले व्यय में कमी करने तथा आने वाले समय में इस काम को विभागीय रूप से ही करवाने, यदि आवश्यक हो, तो डिजाइन स्टूडियों में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करके करवाने, के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) उन डिजाइनरों/फर्मों/एजेंसियों की सूची, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान डिजाइनिंग का काम सौंपा गया, संलग्न वितरण में दी गई है। आई० टी० डी० सी० विज्ञापन देने वाले डिजाइनों से लगातार संपर्क किए रहती है। अपेक्षित कार्य की कुशलताओं और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बार उन्हें विशिष्ट कार्य ही सौंपा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4502/82]

(ख) कार्य को विभागीय तौर पर कराने के लिए निगम में बड़े पैमाने पर डिजाइन स्टूडियो रखना, आउटपुट और क्वालिटी की दृष्टि से मितव्ययी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रचार साहित्य की ताजगी और विविधता को बनाए रखने के प्रयोजन से बाहरी डिजाइनिंग एजेंसियों/डिजाइनरों की सेवाओं का इस्तेमाल आवश्यक है।

पिथौरागढ़ जिले के धारचुला और मुन्सियारी में एक विदेशी ऊन बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

5422. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिथौरागढ़ जिले के आदिवासी बाहुल धारचुला और मुन्सियारी तहसीलों में उच्च किस्म के निर्यात योग्य कालीन और पशमीना बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं; और

(ख) क्या उपरोक्त (क) को देखते हुए सरकार का विचार धारचुला और मुन्सियारी में तैयार माल के लिए एक विदेशी ऊन बिक्री केन्द्र और एक क्रय केन्द्र खोलने का है, जिससे इन क्षेत्रों में इस हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिल सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मिलय ग्लेशियर, मुन्सियारी के मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना

5423. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मिलय ग्लेशियर, मुन्सियारी को पर्यटन की दृष्टि से उसके महत्व को देखते हुए मुक्त क्षेत्र घोषित करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) ; जी नहीं। इस क्षेत्र में आम प्रवेश की आज्ञा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार राज्य में बैंकों द्वारा ग्रामीण किसानों को ऋण मंजूर किया जाना

5424. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में विभिन्न ब्लाकों के ब्लाक विकास अधिकारियों ने ग्रामीण किसानों, दस्तकारों आदि के लिए बैंकों को ऋणों की मंजूरी हेतु कितने आवेदन-पत्रों की सिफारिश की है और बैंकों की विभिन्न यूनिटों मे निपटान हेतु कितने आवेदन-पत्र पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ब्लाक विकास अधिकारियों द्वारा उचित जांच किये जाने के बाद सिफारिश किये गए आवेदन पत्रों की बैंकों द्वारा पुनः जांच की जाती है और इस प्रकार आवेदकों को दो बार परेशान किया जाता है और अक्सर दो बार की गई जांच में भिन्नता होती है जिसके कारण आवेदकों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों विशेषकर सीमान्त किसानों और दस्तकारों को ऋण स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने का है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित अनुसार बैंकों की शाखाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन मंजूर किये गए

ऋणों, अपने पास विचाराधीन आवेदनों, प्राप्त हुई राजसहायता (सब्सीडी) आदि के ब्यौरे देते हुए खण्ड विकास अधिकारियों को मासिक विवरण भेजते हैं। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति द्वारा भी स्थिति की समीक्षा की जाती है और इस कार्यक्रम आदि के वास्ते ऋण-प्रवाह के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाइयां हों तो उन पर बातचीत कर अपेक्षित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों के दौरान, बैंक अपनी ओर से भी इस सम्बन्ध में स्थिति का जायजा लेते हैं। पूरे राज्य में ऋणों के वास्ते विचाराधीन आवेदनों के सम्बन्ध में खण्डवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन, बैंक, बिहार राज्य में उत्तरोत्तर रूप से अधिकाधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। 1980-81 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.57 करोड़ रुपए के सावधि ऋण जुटाए गए थे, जो कि, 1981-82 में बढ़कर, 47.01 करोड़ रुपए हो गये।

बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम के अधीन ऋण आवेदनों के बड़े पैमाने पर अस्वीकृत किये जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई ऋण आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो तभी जब कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्त्ताओं का उचित रूप से निर्धारण न किया गया हो अथवा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की अर्थक्षमता संदिग्ध हो।

गोवा में आयकर की जाँच

5425. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में कार्यालयों/परिसरों पर छापा मारने के बाद आयकर की कोई जांच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इन जांच-पड़तालों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो पूरे हो गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) अभी जांच-पड़ताल चल रही है। जांच-पड़ताल के ब्यौरों को इस स्तर पर प्रकट नहीं किया जा सकता।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

5426. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत माह के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 9% की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो जुलाई, 1982 के चार लगातार सप्ताहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर संकलित किया जाता है और जून, 1982 के लिए अद्यतन उपलब्ध सूचकांक से, जो 470 है, पिछले महीने के 462 के स्तर से 1.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है।

हवाई अड्डों का वर्गीकरण

5427. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने हवाई अड्डे हैं;

(ख) प्रत्येक के वर्गीकरण के बारे में उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन हवाई अड्डों के विकास के लिये कोई योजना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत में 440 हवाई अड्डे हैं। इनमें भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियंत्रणाधीन 4 अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, नागर विमानन निदेशालय नियन्त्रणाधीन 87 अन्तर्देशीय विमानक्षेत्र, रक्षा प्राधिकारियों के अधीन 157, राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन 136 तथा निजी कम्पनियों के नियन्त्रणाधीन 56 विमानक्षेत्र हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में नए विमानक्षेत्रों के निर्माण तथा वर्तमान उन अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों के, जहां इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत सेवा परिचालित की जा रही हैं या विमान सेवाएं परिचालित करने का प्रस्ताव है, धावनपथों, टैक्सी पथों और एप्रेनों के सुदृढ़ीकरण/विस्तार, टर्मिनल भवनों के विस्तार/आशोधन/निर्माण/सुरक्ष सेवा उपकरणों के सुधार/व्यवस्था के लिए 147 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं में अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर रेडियो, राडार, दिक्चालन साधनों तथा दूर संचार सुविधाओं की बढ़ोत्तरी/आधुनिकीकरण भी सम्मिलित है।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 141 करोड़ रुपयों की कुल लागत से अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का विस्तार करने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। इन विकास योजनाओं में, बम्बई विमानक्षेत्र पर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स (चरण) का निर्माण, दिल्ली विमानक्षेत्र पर अन्तरिम अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान टर्मिनल तथा अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण, मद्रास विमानक्षेत्र पर नए अन्तर्देशीय टर्मिनल का निर्माण, कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हाल की "एयरसाइड" को बढ़ाना तथा 20 से अधिक विमानों के पार्किंग के लिए एप्रन क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, बम्बई तथा दिल्ली विमानक्षेत्रों पर श्रेणी II प्रकाश पद्धति की व्यवस्था तथा मद्रास और कलकत्ता विमानक्षेत्रों पर नए अग्निशामन केन्द्रों का निर्माण सम्मिलित है।

बैंकिंग सेवा भर्ती के बोर्ड के कार्य

5428. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का गठन और उसके कार्य क्या हैं; और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) इसका प्रधान कार्यालय कहां है और इसके कितने कार्यालय तथा शाखायें हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की कोई शाखा केरल में आरम्भ करने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपने अधिकार क्षेत्र के भौगोलिक इलाके के भीतर भागीदार बैंकों के अधिकारियों के संवर्ग में अखिल भारतीय आधार पर तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्ती करने के वास्ते 9 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की स्थापना की गई है। यह भर्ती खुली प्रतियोगिता (ओपन कम्पीटीशन के आधार पर की जाती है। इन बोर्डों की अवस्थिति, भागीदार बैंकों के नामों तथा बोर्डों को सौंपे गये भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इन बोर्डों की कोई शाखाएं नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के भौगोलिक क्षेत्र तथा उसके भागग्राही और समन्वयकारी बैंक।

भर्ती बोर्ड	अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए बैंकों के समूह	लिपिकों की क्षेत्रीय भर्ती के लिए भौगोलिक क्षेत्र
1	2	3
1. पूर्वी ग्रुप (कलकत्ता)	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. दक्षिणी ग्रुप (मद्रास)	इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्र बैंक	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी
3. दक्षिणी ग्रुप (बंगलोर)	केनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक	कर्नाटक तथा केरल

1	2	3
4. उत्तरी ग्रुप (दिल्ली)	पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एड सिंध बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, न्यू बैंक आफ इंडिया	पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़
5. पश्चिमी ग्रुप (बम्बई)	बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र गोवा
6. पश्चिमी ग्रुप (बड़ोदा)	बैंक आफ बड़ोदा, देना बैंक	गुजरात तथा राजस्थान राज्य
7. केन्द्रीय ग्रुप (लखनऊ)	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश राज्य
8. केन्द्रीय ग्रुप (भोपाल)	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	मध्य प्रदेश राज्य
9. उत्तर-पूर्वी ग्रुप (गोहाटी)	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र

सिविलियन अधिकारी (सिविलियन राजपत्रित अधिकारी) संवर्ग में सिविलियनों का प्राधिकरण

5429. **श्री बाबू राव परांजपे :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविलियन अधिकारी (सिविलियन राजपत्रित अधिकारी) संवर्ग में 20 प्रतिशत सिविलियनों का प्राधिकरण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सिविलियनों के लिये 80 प्रतिशत प्राधिकरण में से अधिकारियों के खाली पदों पर 10 वर्ष की सेवा वाले जूनियर कमीशन अधिकारियों/गैर कमीशन अधिकारियों को कमीशन दे दिया जाता है जबकि उनसे अधिक अनुभव वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है जिनकी सेवा 30-35 वर्ष से अधिक हो चुकी है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) अफसर संवर्ग में कार्य की आवश्यकता के अनुसार सेना/सिविलियन अफसर रखे जाते हैं।

(ग) जी नहीं। संबन्धित संवर्ग के सेना अफसरों द्वारा भरे जाने वाले पदों पर जूनियर कमीशन अफसरों/एन० सी० ओ० को कमीशन दिया जाता है।

भारत पर्यटन विकास निगम की फोटो-लाइब्रेरी में "ट्रांसपेरेंसीज" का संग्रह

5430. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के पास अपनी फोटो लाइब्रेरी में भारत में पर्यटन के संवर्धन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से साहित्य के प्रकाशन के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये "ट्रांसपेरेंसीज" का विशाल संग्रह है; और

(ख) यदि हां, तो "ट्रांसपेरेंसीज" की खरीद के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के पास उनके फोटो पुस्तकालय में पर्यटक प्रचार साहित्य के प्रकाशन में प्रयोग के लिए ट्रांसपेरेंसियों का एक संग्रह है ।

(ख) आवश्यकता पर निर्भर करते हुए आई० टी० डी० सी० फोटोग्राफरों से ट्रांसपेरेंसियां खरीदती है। ये फोटोग्राफर समय-समय पर स्वयं विक्रय के लिए आई० टी० डी० सी० से सम्पर्क करते हैं। इसके अलावा उन फोटोग्राफरों से भी ट्रांसपेरेंसियां प्राप्त की जाती हैं जिन्हें आई० टी० डी० सी० द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रचार साहित्य के लिए विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए स्पेशल कवरेज कार्य सौंपा जाता है ।

पालम हवाई अड्डे पर स्वचालित टेलीफोन उपकरण

5431. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने पालम हवाई अड्डे पर एक स्वचालित टेलीफोन उपकरण स्थापित किया है; जो उड़ानों के आने-जाने सम्बन्धी ब्योरा रखता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपकरण स्थायी रूप से लगाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस प्रमुख हवाई अड्डों, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद में अपनी उड़ानों के आगमन तथा प्रस्थान के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए स्वचालित दूरभाष उत्तर देने वाली तथा उद्घोषणा करने वाली मशीनें लगाने की योजना बना रही है। मशीन का विकास इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है तथा इस समय एक मॉडल का दिल्ली हवाई अड्डे पर परीक्षण किया जा रहा है ।

बिन्नी लिमिटेड, मद्रास में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निवेश की गई धनराशि

5432. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा बिन्नी लिमिटेड, मद्रास में ऋण के रूप में कितनी धनराशि निवेश की गई है; और

(ख) यह ऋण इस मिल को ब्याज की किस दर पर दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सावधि ऋणदात्री संस्थाओं, अर्थात् औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा बिन्नी लि० को संवितरित ऋण और उन पर ब्याज की दर नीचे दी गई है :

संस्था का नाम और ऋण का ब्यौरा	राशि (लाख रुपए)	ब्याज की दर
आई० डी० बी० आई०		
1. फ्लड लोन	300.00	11%
2. आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास ऋण	652.90	8.1%
3. पुनर्वास ऋण	518.00	12.5%
आई० एफ० सी० आई०		
आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास ऋण	112.50	8.1%
आई० सी० आई० सी० आई०		
आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास ऋण (विदेशी मुद्रा ऋण)	122.00	11%

बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाली साविधियों के उपबन्धों के अनुसरण में भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती और इसलिए गैसर्स बिन्नी लि० को बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए सेवा संवर्ग

5433. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रशासन को चलाने के लिये कोई नियमित सेवा संवर्ग नहीं है और क्या यह सच है कि श्रेणी तीन से निदेशकों तक के सभी कर्मचारियों को इसका प्रशासन चलाने के लिये अन्य विभागों से प्रति-नियुक्ति पर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए सेवा संवर्ग गठित करने के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एन० टी० सी० में उसका प्रशासन चलाने के लिए नियमित प्रबन्धकीय तथा गैर-प्रबन्धकीय संवर्ग हैं। तथापि, संगठन के हित में कुछ व्यक्तियों को प्रति नियुक्ति पर लिया जाता है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम-कुवैत उड़ान की मांग

5434. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के त्रिवेन्द्रम-कुवैत उड़ान के बारे में कुवैत मलायली समाजम का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कुवैत मलयाली समाजम ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें एयर इंडिया के कार्यालय द्वारा पुष्टिकृत किये जाने के बावजूद, अन्तिम समय पर सीट उपलब्ध न होने की सूचना देने पर कुवैत-त्रिवेन्द्रम उड़ान से यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस मामले की जाँच की जा रही है।

ब्याज की रियायती दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण

5435. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 30 अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के उन लोगों की संख्या क्या है जिनको प्रत्येक अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ब्याज की रियायती दर योजना के अन्तर्गत जिनके लिए चार प्रतिशत ब्याज दर पर वसूल की जा रही, 5000 रुपये तक का ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें आम हैं कि अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के लोग इस प्रकार ऋण आसानी से प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए उचित प्रचार नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या उपर्युक्त बैंकों की अधिकांश शाखाओं में प्रपत्रों और दस्तावेजों आदि का पर्याप्त भंडार नहीं रखा जा रहा है; और

(घ) उपयुक्त योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक और ऊपर उल्लिखित सभी बैंकों के क्या मार्ग निर्देश, नियम, विनियम और निर्देश हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों द्वारा अपनाई गई वर्तमान सूचना प्रणाली से उस रूप में आंकड़े प्राप्त नहीं होते जि : रूप में वे मांगे गए हैं । अलबत्ता; अनु० जा०/अनु० ज० जा० से सम्बन्धित व्यक्तियों समेत लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बकाया राशियों आदि से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । यह सूचना दो वर्षों अर्थात् 1979 और 1980 के बारे में है । सहकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में इसे बैंकवार दिया गया है । जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सूचना कुछ बैंकों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4503/82]

(ख) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत, यह निर्धारित किया गया है कि कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत अनु०जा०/अ०ज०जा० को प्राप्त होना चाहिए । जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है । सामान्यत: बैंक इन इन व्यक्तियों को लक्षित सीमा से अधिक ऋण दे रहे हैं ।

(ग) यद्यपि बैंक लेखन सामग्री की विभिन्न मदों को अधिक मात्रा में मंगाने और उसके दुरुपयोग से बचने को ध्यान में रखते हैं परन्तु वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनकी शाखाओं में उनके ग्राहकों की आवश्यकतानुसार आवेदन फार्मों/फार्मों का भंडार रहे । जहां भी कमी होती है उसे यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाता है । जानबूझकर पैदा की गई कमी के विशिष्ट मामलों को यदि जानकारी में लाया जाये तो उनकी जांच की जा सकती है ।

(घ) विभेदी ब्याज दर योजना के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार द्वारा और निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कर दिया गया है । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का सारांश संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4503/82]

पोलिएस्टर स्टेपल रेशे का आयात

5436. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में कुल कितना काटन निर्यात किया गया;

(ख) देश में कुल कितने पोलिएस्टर स्टेपल रेशे की आवश्यकता होती है और 1981-82 के दौरान विदेशों से इसका कितना आयात किया गया;

(ग) देश में कुल अपेक्षित पोलिएस्टर स्टेपल रेशे का उत्पादन करने के रास्ते में यदि कोई अड़चनें हैं तो वे क्या हैं;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से पोलिएस्टर स्टेपल रेशे का आयात किया गया था; और

(ङ) क्या देश में कपास के समान के उपभोग को प्रोत्साहन देने और पोलिएस्टर स्टेपल रेशे का अधिक उत्पादन करने के लिये सरकार का विचार पोलिएस्टर स्टेपल रेशे के आयात पर

प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981-82 के दौरान रूई की 2 लाख गांठों का निर्यात किया गया।

(ख) छठी योजना के अन्त में पोलिएस्टर स्टेपल रेशे की अनुमानित मांग 110 हजार मे० टन है। 1981 82 के दौरान घरेलू उत्पादन लगभग 30,000 मे० टन था और 1770 मे० टन (अनन्तिम आंकड़े) का आयात किया गया।

(ग) यह उद्योग पूंजी तथा प्रौद्योगिकी प्रधान है, अन्यथा दीर्घकालिक स्वरूप की कोई मूल अड़चनें प्रतीत नहीं होती हैं।

(घ) महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल हैं सं० रा० अमरीका, जापान, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा ताइवान आदि।

(ङ) पोलिएस्टर स्टेपल रेशे के सम्बन्ध में विद्यमान आयात नीति को बदलने के लिये इस सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा बेची गई पालिसियाँ

5437. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पच्चीस वर्षों के दौरान अब तक जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी बीमा पालिसियां बेची गई हैं जो भुगतान तिथि तक चलती रही हैं;

(ख) जीवन बीमा निगम के उन बीमा एजेन्टों की कुल संख्या क्या है जो लखपति घरानों से सम्बन्धित हैं; और

(ग) उन घरानों के नाम क्या हैं जिनसे ये बीमा एजेन्ट सम्बन्धित है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम पालिसी जारी किए जाने के वर्ष का उल्लेख किए बिना प्रत्येक वर्ष अदा किए गए परिपक्वता दावों के आंकड़े रखता है। पिछले 25 वर्षों में जारी की गई पालिसियों से सम्बन्धित परिपक्वता दावों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम एजेन्टों का वर्गीकरण केवल इस आधार पर करता है कि क्या वे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या शहरी क्षेत्रों में। अतः वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार के मजदूरों द्वारा आंदोलन

5438. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार के मजदूर अपनी मांगों को लेकर 25 जून, 1982 से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार के मजदूर अपनी कुछ मांगों के सम्बन्ध में 26-6-82 से बैच-वार पांच-पांच मजदूर करके क्रमिक भूख-हड़ताल करके आन्दोलन कर रहे हैं।

(ख) मजदूरी की मुख्य मांग दिनांक 22-2-79 के बंगाल अवार्ड के अनुसार मजदूरी का भुगतान कराना है।

(ग) आर० बी० एच० एम० का उत्पादित तथा उत्पादन बहुत पुरानी मशीनों तथा उपस्करों के कारण निर्धारित मानदण्डों से बहुत नीचे है। आर० बी० एच० एम० जब उत्पादिता तथा काम की शर्तों के उस स्तर पहुंच जायेगा जो एन० जे० एम० सी० की अन्य यूनिटों में है, तब मजदूरी के बारे में उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

बालासोर, उड़ीसा में रक्षा प्रतिष्ठान

5439. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर (उड़ीसा) के समुद्रतटीय जिले में 1500 करोड़ रुपये मूल्य का एक रक्षा प्रतिष्ठान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। लेकिन अनुमानित निवेश केवल 150 करोड़ रुपए का है।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अन्तर्गत जिला बालासोर (उड़ीसा) के समुद्रतटीय क्षेत्र में नेशनल टेस्ट रेंज फेसेलिटी स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। फिलहाल सरकार ने चांदीपुर के आस पास पहले से ही उपलब्ध रक्षा भूमि पर केवल कुछ न्यूनतम सुविधाएं स्थापित करने के लिए निधि की मन्जूरी दी है।

सीमाशुल्क गोदामों में जब्त किया गया सामान और उसका निपटान

5440. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों में 30 जून, 1982 के अनुसार सीमाशुल्क विभाग के गोदामों में कितने मूल्य का जब्त किया गया सामान पड़ा था;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 तथा 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान देश में सहकारी समितियों के माध्यम से कुल कितने मूल्य का सामान बेचा गया है;

(ग) सीमा शुल्क गोदामों में 1982 (जून 1982 तक) के दौरान कुल कितने मूल्य का जब्त किया गया सामान बेचा गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार जब्त किए गए सामान को सीमाशुल्क गोदामों से बेचने को बन्द करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए तथा 31-3-82 की स्थिति के अनुसार विभाग के गोदामों में पड़े तस्करी-शुदा माल का कुल मूल्य, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 42.23 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1980 1981 तथा 1982 (30 जून तक) के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को बेचे गए जब्त-शुदा माल का कुल मूल्य नीचे दिए अनुसार था :

1980	5.18 करोड़ रु०
1981	6.90 करोड़ रु०
1982 (30 जून तक)	2.10 करोड़ रु०

(ग) 1982 (30 जून तक) में सीमाशुल्क विभाग की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचे गए माल का कुल मूल्य लगभग 79 लाख रु०* था।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली और पड़ोसी देशों की राजधानियों के बीच सीधी विमान सेवा

5441. श्री अर्जुन सेठी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की राजधानी दिल्ली तथा पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित सभी पड़ोसी देशों की राजधानियों के बीच सीधी विमान सेवा की व्यवस्था है;

(ख) ऐसी राजधानियों के नाम क्या हैं, जिसका दिल्ली से इस प्रकार सम्पर्क नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके साथ सीधी विमान सेवा से सम्पर्क करने का है; और

(घ) किस समय तक ऐसे सम्पर्क स्थापित कर लिए जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित राजधानियों के शहर नई दिल्ली से सीधे विमान सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं :

(* आंकड़े अनन्तिम हैं)

1. तेल अवीव	—	इजराइल
2. बेरुत	—	लेबनान
3. अमन	—	जोर्डन
4. साना	—	उत्तरी यमन
5. अदन	—	दक्षिणी यमन
6. कोलम्बो	—	श्रीलंका
7. वियनटाइन	—	लाओस
8. हनोई	—	वियतनाम
9. तैपे	—	ताईवान
10. रंगून	—	बर्मा
11. बीजिंग	—	चीन
12. इस्लामाबाद	—	पाकिस्तान
13. तेहरान	—	ईरान
14. थिम्पू	—	भूटान
15. नोम पेन्ह	—	कम्पूचिया
16. सियोल	—	दक्षिण कोरिया
17. प्योंगयांग	—	उत्तरी कोरिया
18. माले	—	मालदीव

(ग) दिल्ली को उपर्युक्त स्थानों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के लिए आन्ध्र प्रदेश को धनराशि का आवंटन

5442. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981-82 के दौरान उस राज्य में राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान, पर्यटन का विकास यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर किया जाना है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश के लिए निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं और इन यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों का एकीकृत विकास परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों द्वारा अवस्थानुसार ढंग से किया जाएगा :

1. हैदराबाद-नागार्जुनसागर-एथिपोथाला-श्रीसैलम-महानन्दी-गुड्डपह-तिरूपति-कलाहस्ती-पुलिकाट झील-तिरूपति-होसंते पहाड़ियां-लिपाक्षी-अनायपुर-कुरनल-हैदराबाद।

2. हैदराबाद-मेडक-हैदराबाद-भोंगीर-यादागिरी कुट्टा-वारंगल-रामप्पा-पायल (झील और एथनगरम वन्य जीव बिहार-स्थल) वारंगल-अमरावती (चिराला)-विजयवाड़ा-सूर्यपेट-हैदराबाद।

3. विशाखापट्टनम-भीमुनी पट्टनम-बुर्रा गुफाएं-अनन्तगिरी-अराकू-विशाखापट्टनम।

1981-82 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विकास के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 1.44 लाख रु० खर्च किए गए थे।

चयन के मानदन्ड और राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाओं के विविध उपबन्ध

5443. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों के पुनर्गठन के बारे में 9 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों में मनोनीत निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंकों के खंड 3 (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध योजनायें, 1970 और 1980) में निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, हां। इन निदेशकों को, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 और 1980 की धारा 3 में निर्धारित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया गया था।

एयर इण्डिया नई दिल्ली में रेजीडेंट निदेशक का पद बनाया जाना

5444. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इण्डिया नई दिल्ली द्वारा पहले से ही विद्यमान क्षेत्रीय निदेशक के विद्यमान ढांचे के साथ एक रेजीडेंट निदेशक का पद बनाए जाने को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त थी; और

(ख) यदि हां, तो विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके कारण इस प्रकार का उच्च शक्ति प्राप्त पद बनाना पड़ा जिसमें उसके कार्यालय की व्यवस्था पर लाखों रुपए का सरकारी धन खर्च होगा।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इस प्रक्रिया में दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद का दर्जा बढ़ाकर उसे रेजिडेंट निर्देशक बनाना सम्मिलित था जोकि एयर इंडिया के वाणिज्यिक विभाग में उप वाणिज्यिक निदेशक के पद के बराबर है। इस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था क्योंकि किसी पद का सृजन नहीं किया गया था।

(ख) दिल्ली स्थित एयर इण्डिया के कार्यालय के कार्यकलापों में वृद्धि हो गई है, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों के साथ लगातार सम्पर्क स्थापित करने और सरकारी विभागों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेने आदि के लिए यह जरूरी हो गया था कि क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद का दर्जा बढ़ा कर उसे रेजिडेंट निदेशक का पद बना दिया जाए। तथापि उक्त अधिकारी के पद का दर्जा बढ़ाकर उसे रेजिडेंट निदेशक बना देने के कारण, जोकि इस पद पर स्थानांतरित किए जाने से पहले से ही इसी ग्रेड में था, उसके मानक कर्मचारियों आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस पदधारी ने तो केवल एक पहले से कार्य कर रहे कार्यालय का ही कार्यभार सम्भाला है।

ओबेराय ग्रुप आफ होटल्स के स्वामित्व वाले/द्वारा चलाए जा रहे होटल

5445. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओबेराय ग्रुप आफ होटल्स के विभिन्न देशों में स्वामित्व वाले अथवा चलाए जा रहे कुल कितने होटल हैं और उनके नाम क्या है; और

(ख) इस ग्रुप को प्रत्येक होटल से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) मैसर्स ओबेराव ग्रुप आफ होटल्स से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

होटल का नाम	अर्जित विदेशी मुद्रा की वार्षिक राशि
1. होटल मेना हाऊस ओबेराय, काहिरा	1,65,344/-यू० एस० डालर (14,93,058/-रुपये) 31-12-1979 को समाप्त अवधि फीस के लिए मैनेजमेंट फीस।
2. होटल या ब्यावानी, जंजीबार	टी० एस० एच० एस० 4,79,016 रुपये (4,70,329 रुपये) 1980-81 की अवधि के लिए मैनेजमेंट फीस।
3. होटल लंका ओबेराय, श्रीलंका	मी० 65,31,728 रु० (20,34,957 रु०) 1980-81 अवधि के लिए मैनेजमेंट फीस।

1	2
4. ओबेराय इम्पीरियल एयरपोर्ट केटरिन सेवाएं, सिंगापुर	एस० डालर 4,18,883 रुपये 1-1-80 से 31-12-80 की अवधि के लिए ।
5. होटल सोल्टी ओबेराय, नेपाल (नेपाल में संयुक्त उद्यम कम्पनी)	एन० 6,17,683 रुपये 1979-80 की अवधि के लिए मैनेजमेंट फीस ।
6. होटल बाली ओबेराय, बाली (इन्डोनेसी)	यू० एस० डालर 8,880 रुपये (80,341 रुपये) 31-12-81 को समाप्त अवधि के लिए मेनेजमेंट फीस ।
7. (i) होटल ओबेराय (एडीलेड), आस्ट्रेलिया । (ii) विंडसर होटल सेलबार्न (आस्ट्रेलिया में संयुक्त उद्यम ।	ए० डालर 30,000 रुपये 1981-82 की अवधि के लिए सदस्यता शुल्क ।
8. होटल आसवान ओबेराय, असवान ।	एलई 90,173 रुपये 31-12-1982 को समाप्त । ; लिए मैनेजमेंट फीस ।
9. (i) होटल दम्मान ओबेराय, दम्मान । (ii) दम्मान होटल, दम्मान (सऊदी अरेबिया में संयुक्त उद्यम) ।	एस० आर० 2,29,333 रुपये (5,39,607 रुपये) 31-12-1980 को समाप्त वर्ष के लिए रायल्टी ।

अभ्रक कागज संयंत्र का उदघाटन

5446. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने 12 मई, 1981 को बिहार में छिन्दवाड़ा (झूमरी तलैया) स्थान पर भारत के पहले बड़े अभ्रक कागज संयंत्र का उद्घाटन किया था जिसे 1983 में 1200 मीट्रिक टन अभ्रक कागज का उत्पादन करना था;

(ख) क्या इस संयंत्र की स्थापना के लिए विश्व की इंजीनियरिंग एजेन्सियों से टेंडर मांगें गए थे और एक भारतीय कम्पनी ऐस्क्रोन कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने 30 लाख रु० का न्यूनतम टेंडर भरा था;

(ग) क्या जापानी कन्सलटेंसी फर्म का 70 लाख रु० का टेंडर स्वीकार किया गया था;

(घ) क्या "भेल" के पांच इन्जीनियर 6 मास के लिए जापानी भाषा सीखेंगे और बाद में उनको अभ्रक कागज की जानकारी दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र समय पर चालू नहीं किया जाएगा; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं। मिटको ने परामर्शी सेवाओं के लिए भारतीय समाचार पत्रों में केवल विज्ञापन दिया था जिसके उत्तर में ई० एस० सी० ओ० एन० सहित बहुत सी परामर्शदात्री फर्मों ने उत्तर दिये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भेल के नहीं बल्कि मिटको के पांच इन्जीनियरों के जापानी भाषा में प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे अभ्रक कागज तैयार करने के लिए जापानी सहयोगियों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण ले सकें ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में गैर-सरकारी होटल उद्योग को ऋण/अग्रिम धनराशि प्रदान किया जाना

5447. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) केन्द्रीय सरकार (दो) सरकारी वित्तीय संस्थाओं अथवा (तीन) राष्ट्रीय बैंकों द्वारा हाल में (वर्ष 1982 में) दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में गैर-सरकारी होटल उद्योग को कोई ऋण अग्रिम धनराशि प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और ऋण की कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा सम्बन्धित होटल/कम्पनी के नाम क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1982 (जनवरी से जुलाई तक) में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में निजी क्षेत्र में होटल परियोजनाओं के वास्ते कोई ऋण मंजूर नहीं किया है । सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०), भारतीय जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०) तथा भारतीय साधारण बीमा निगम (जी० आई० सी०) ने वर्ष 1982 के दौरान, दिल्ली में, निजी क्षेत्र की एक होटल परियोजना के वास्ते ऋण मंजूर किये हैं । इन वित्तीय संस्थाओं ने मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वर्ष 1982 के दौरान कोई ऋण मंजूर नहीं किये । वर्ष 1982 में दिल्ली में उक्त होटल परियोजना के वास्ते मंजूर किये गये ऋणों का ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

जहां तक बैंकों द्वारा मंजूर की गई सहायता का सम्बन्ध है, हालांकि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा वर्ष 1982 के दौरान निजी क्षेत्र की होटल परियोजनाओं को कुछ ऋण मंजूर किये

गये हैं तथापि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली सांविधियों के उपबन्धों के अनुसरण में तथा बैंकरी में प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार इनके ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982 (जनवरी से जुलाई तक) के दौरान निजी क्षेत्र की एक होटल परियोजना के वास्ते सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किये गये ऋणों का ब्यौरा।

संस्थाएं	मंजूर की गई राशि (लाख रुपये)	ऋण लेने वाले प्रतिष्ठान का नाम
आई० डी० बी० आई०	450	सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
आई० एफ० सी० आई०	225	—तदेव—
आई० सी० आई० सी० आई०	225	—तदेव—
एल० आई० सी०	100	—तदेव—
जी० आई० सी०	तत्काल उपलब्ध नहीं है।	

हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड द्वारा जर्मन डोनीयर एल० टी० ए० टाइप विमान का निर्माण

5448. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के "संचार" साधन के लिए हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स द्वारा निर्माण कराने के लिए जर्मन डोर्नीयर एल० टी० ए० टाइप विमान का चयन किया है;

(ख) भारतीय वायु सेना को इस प्रकार के कितने विमानों की आवश्यकता है, हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड को इस परियोजना की कितनी लागत पड़ेगी और यदि उन्हें वर्तमान काम वाजार मूल्य पर लिया जाये, तो क्या लागत आयेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस डोर्नीयर एल० टी० ए० विमान के उड़ान योग्य परीक्षा पास नही की है और इसका विभिन्न अन्य आंकड़ों से भी मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे यह विमान भारतीय वायुसेना के उस प्रयोजन हेतु बेकार है जिसके लिए इसे उपयोग में लाया जाना है;

(घ) क्या यह सच है कि तीसरे स्तर के सिविल हवाई सेवा वायुदूत ने भी इस डोर्नीयर विमान को बेकार समझ कर रद्द कर दिया है; और

(ङ) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रोटोटाइप "डोर्नीयर एल० टी० ए० के निर्माण की परियोजना सम्बन्धी ब्यौरे, तथ्य और आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) रक्षा और सिविल संगठनों के उपयोग के लिए हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड में लाइसेंस के अन्तर्गत हल्का परिवहन विमान बनाने के प्रस्तावों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है। विमान का चयन करते समय सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

विदेश यात्रा करने के लिए अधिकारियों द्वारा विदेशी एयरलाइन्स को प्राथमिकता दिया जाना

5449. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा सरकारी उपक्रम क्षेत्र की कम्पनियों के अधिकारी विदेश यात्राओं पर जाने के लिए एयर इंडिया की बजाय विदेशी एयरलाइन्स को प्राथमिकता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के अधिकारियों ने कितनी बार विदेशी विमानों से यात्रा की है; और

(ग) उनके किराए पर अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विदेश जाते समय, सरकार तथा सरकारी उद्यमों के अधिकारी सामान्यत: एयर इंडिया से यात्रा करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां एयर इंडिया यात्रा की किसी इच्छित तारीख पर सीट उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है अथवा यात्रा किसी ऐसे सैक्टर पर की जा रही है जहां एयर इंडिया द्वारा परिचालन नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) इस प्रकार के कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते, तथा इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजभाषा अधिनियम की धाराओं का कार्यान्वयन

5450. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत अधिक कमी होने के कारण राजभाषा अधिनियम, 1963 की धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई अनुभव की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मन्त्रालय हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की मंजूरी मे रुकावट पैदा करता है; और

(ग) यदि हां, तो राजभाषा अधिनियम, 1963 को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पदों को, आयोजना-भिन्न पक्ष में अतिरिक्त पदों के सृजन पर लगाए गए प्रतिबन्ध आदेशों से मुक्त रखा गया है। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार ऐसे पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्तावों पर वास्तविक और उचित आवश्यकताओं के आधार पर विचार करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में चीनी उद्योग पर उत्पाद शुल्क में छूट

5451. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई से सितम्बर 1982 के दौरान उत्पादित चीजों के उत्पादन शुल्क में छूट दिये जाने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार राज्य को कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत छूट देने के बारे में कोई सुझाव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गन्ना उत्पादकों और बिहार के चीनी के मिल-मालिकों के हित में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चीनी के अधिक उत्पादन के लिए 21-4-1982 को घोषित उत्पादन शुल्क रिबेट योजना में 11-6-1982 को संशोधन किया जा चुका है, ताकि इस रियायत को ऐसी चीनी मिलों पर भी लागू किया जा सके जिनमें विगत सभी चीनी वर्षों में मई से सितम्बर तक की अवधि में उत्पादन "कुछ नहीं" था।

कच्चे काजू की वितरण प्रणाली में परिवर्तन

5452. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू निगम के माध्यम से उपभोक्ताओं को कच्चे काजू के वितरण के लिए आयातकों द्वारा दिये गये कच्चे काजू की वितरण प्रणाली में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं। भारतीय काजू निगम द्वारा आयात किये गये कच्चे काजू की वितरण प्रणाली को ही संशोधित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान

5453. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के प्रारम्भ से वर्ष 1981 के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रति वर्ष कितने तूफान आए;

(ख) देश को इन तूफानों से 1971 से 1981 के बीच प्रति वर्ष कितनी धन राशि का नुकसान हुआ;

(ग) तूफान अधिक आने लगे हैं और भारतीय समुद्री तट से टकराते हैं यदि हां, तो इसके क्या वैज्ञानिक कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार तूफानों से नुकसान में कमी करने के लिए इनको कृत्रिम रूप से परिवर्तन देने पर विचार कर रही है जैसा कि अमरीका में करने के प्रयास किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चक्रवातों की कुल संख्या

वर्ष	बंगाल की खाड़ी में उठे	अरब सागर में उठे	कुल
1971	5	2	7
1972	6	1	7
1973	5	1	6
1974	4	3	7
1975	5	2	7
1976	7	3	10
1977	4	2	6
1978	4	2	6
1979	3	2	5
1980	3	0	3
1981	5	1	6

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चक्रवातों की कृत्रिम रूप से दिशा-परिवर्तन करने की कोई योजनाएं नहीं है।

पोलीस्टर रेशे सोडा-एश और पी० बी० सी० के आयात सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

5454. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलीस्टर रेशे, सोडा-एश और पी० बी० सी० के आयात संबंधी नीति के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण के परिणामों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि देशी उत्पादन को देखते हुए इन मदों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। इन अभ्यावेदनों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है। अब तक इन मदों से सम्बन्धित वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं पाया गया।

अखबारी कागज का आयात

5455. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज का रक्षित भंडार घटकर लगभग 28000 टन रह गया है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इसके आयात करने हेतु पुनः बातचीत करने की योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अखबारी कागज के आयात करने के लिए संपूर्ण योजनायें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) संविदा करने के लिए नए सिरे से बातचीत करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता क्योंकि पिछली संविदाओं से अग्रानीत टन भार उपलब्ध है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आयात 1.84 लाख मे० टन होने की संभावना है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित अखबारी कागज की बिक्री को पुनः आरम्भ करना

5456. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने समाचार पत्रों को जून, 1982 से आयातित अखबारी कागज की बिक्री बीच समुद्र में पुनः आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन समाचार पत्रों को यह आयातित अखबारी कागज सप्लाई किया जायेगा और किस दर पर;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को यह आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 45,000 टन अखबारी कागज का आयात किया जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो कितना अखबारी कागज माहवार प्राप्त होता रहेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) आयातीत अखबारी कागज बीच समुद्र की उन सभी बिक्रियों के आवंटियों को सप्लाई किया जाएगा जिनकी ओर से विदेशी सरकारों की मांग पत्र दिए गये थे। ऐसे अखबारों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

आयातीत अखबारी कागज की कीमत प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित की जाती है। जुलाई से सितम्बर, 1982 तिमाही के लिए सीमा-शुल्कों के बिना मानक अखबारी कागज (48.8 सी० एस० एम०) की बीच समुद्र में बिक्री कीमत 6000 रु० प्रति मे० टन है।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1982-83 में 1.84 लाख एम० टी० अखबारी कागज आयात करने का कार्यक्रम बनाया है।

(घ) आवक का कार्यक्रम 15000 मे० टन प्रति मास रखा गया है। तथापि, स्वदेशी उत्पादन में गिरावट की वजह से अन्तराल को पूरा करने के लिए जुलाई, अगस्त, सितम्बर के दौरान आवक का कार्यक्रम 25000 मे० टन प्रति मास रखा गया है।

विवरण

उन पार्टियों का नाम जिनकी ओर से जुलाई, 1982 के बाद से बीच समुद्र बिक्री के आधार पर अखबारी कागज क्रमानुसार दिए गए हैं
दा कम्पीटीशन मास्टर, चण्डीगढ़
गुजरात मिटरा, सूरत
दैनिक भास्कर, झांसी
स्टेट्स पीपल पी० लि०; बम्बई
स्वराष्ट्र समाचार, भावनगर
एम० पी० करोनिकल, भोपाल
लोकसाठा, बरोदा
दा ट्रिब्यून ट्रस्ट, चण्डीगढ़

न्याय डेली, अजमेर

जागरान, झांसी

जनसाठा, अहमदाबाद

नूतन स्वराष्ट्र, राजकोट

समय हिन्दी डेली, शाहडोल

राजस्थान पत्रिका, जयपुर

राजस्थान पत्रिका, जोधपुर

नवकफ्ल, बम्बई

बेनिट कोलीमैन एण्ड कं० लि०, बम्बई

वीर प्रताप, जालन्धर

नव ज्योति, अजमेर

आस-पास, अहमदाबाद

दैनिक जनबोध, शहडोल

हिन्द समाचार, जालन्धर

पंजाब केसरी, जालन्धर

दीपिका, कोट्याम

एम० एम० पब्लिकेशन, कोट्याम

मनीपाल परिन्टरस एण्ड पब्लिकेशनस पी० लि० मनीपाल

मातृभूमि प्रीटिंग एण्ड पब्लिकेशन कं० लि०, कालीकूट

मलयाला मनोरमा कं० लि०, कोट्याम

तरुण भारत, पूना

स्वदेश, ग्वालियर

वारसा पब्लिकेशन, बम्बई

अकाली पत्रिकार, जालन्धर

इंडियन एक्सप्रैस, बम्बई

दिनाकरण, मद्रास

इनाडु, हैदराबाद

इंडियन एक्सप्रेस (मदुराई) पी० लि०, मद्रास

थांजाई मलाई मुरासु, मद्रास

कुमलम, मद्रास

देवी साप्ताहिक, मद्रास

मलाई मुरासु, मद्रास

दा हिन्दु, मद्रास

दैनिक थांथी, मद्रास

दीनामालर, त्रिचुरापल्ली

भोरटन पब्लिकेशन, मद्रास

अमर उजाला, आगरा

पाइनियर लि०, लखनऊ

माया, इलाहाबाद

मनोहर कहानियां, इलाहाबाद

मनोरमा, इलाहाबाद

सत्य कथा, इलाहाबाद

प्रोबी इंडिया, इलाहाबाद

नूतन कहानियां, इलाहाबाद

पारीबारटन, कलकत्ता

स्वतन्त्र भारत, लखनऊ

विश्वामित्र, कानपुर

अशरजादीद, कलकत्ता

बासुमति कार्पो० लि०, कलकत्ता

विश्वामित्र, कलकत्ता

पिप्पी कार्यालय, इलाहाबाद

अपराध साहित्य, पटना

आकाश यू०/डी०, कलकत्ता

नवन जमाना, जालन्धर

चित्रलेखा, बम्बई

बम्बई समाचार, बम्बई

गुजरात समाचार, इलाहाबाद

बलीटज पब्लिकेशन्स, बम्बई

लोक साठा, बम्बई

महाराष्ट्र टाइम्स, बम्बई

हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

देशबन्धु, रायपुर

जगधर्मा, रायपुर

शिवशक्ति, अकोला

बन्धाविया समाचार, रेवा

सत्य प्रथा, नेन्डिड

प्रजादूत, उज्जैन

नवीन दैनिया, जबलपुर

जवान भारत, साटना

मुन्सिफ डेली, हैदराबाद

हितरादी, जबलपुर

इन्दौर समाचार, इन्दौर

जान्याक डेली, कोटा

राहनूमा-ई-'डैकन', हैदराबाद

अवकास, वराणसी

सोलापुर समाचार, सोलापुर

सपोर्टस साप्ताहिक, बम्बई

मिड-डे, बम्बई

उर्दू टाइम्स, बम्बई

आकहैण्ड आनन्द, अहमदाबाद

जन्मभूमि, बम्बई

ईतवारी पत्रिका, जयपुर

सन्देश, अहमदाबाद

मायापुरी, नई दिल्ली

इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली

नवभारत, नागपुर

दा केसरी, पूना

जनयुग, नई दिल्ली

परिक्षित, कलकत्ता

सत्य सम्राट, कानपुर

सियास्त जाडिड, कानपुर

न्यूज पेपर एण्ड पब्लिकेशन, पटना

विश्वामित्र, कलकत्ता

प्रोबी इंडिया, इलाहाबाद

पंचयाना, दिल्ली

नौबत दैनिक, जमुनानगर

जन्मभूमि, बम्बई

नवकाल, बम्बई

वालमित्रा, मद्रास

मैसुर प्रैस, बंगलौर

प्रिंटरस (मैसूर), बंगलौर

थांजाइ मालाई मुरासु, मद्रास

आन्ध्रा प्रभा, विजयवाड़ा

दिनामलार, मदुराई

दिनासुदर, बंगलौर

माकाल कुराल, मद्रास

कालकी, मद्रास

तुगलक, मद्रास

इड्यान पब्लिकेशन, मद्रास

दीन विकली, मद्रास

बिलोरी मुरासु, मद्रास

कुंगुमाम, मद्रास

सीतारा, हैदराबाद

वारंट्री, मद्रास

मुदुराईमालइ मुरासु, मद्रास

रानी माथू, मद्रास

माकल कुराल, मद्रास

कोवाई मालाइ मुरासु, मद्रास

आन्ध्रा भूमि, सिकन्द्राबाद

आन्ध्रा प्रभा, मद्रास

आनन्द विकट्न, मद्रास

आन्ध्रा ज्योति, विजयवाड़ा

तमिल आरासु, मद्रास

डीना सुदार, बंगलौर

लंकेश पत्रिका, बंगलौर

नई दुनिया, इन्दौर

इण्डियन एक्सप्रैस, चण्डीगढ़

लोक प्रकाशन, अहमदाबाद

ग्लाजेब

हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

बेनिट कोलीमैन एण्ड कं० लि०, बम्बई

एविस साप्ताहिक, बम्बई

इण्डियन एक्सप्रैस, बम्बई

बलीटज पब्लिकेशन, बम्बई

वारसा पब्लिकेशन, बम्बई

सीन ई/डब्ल्यू, नई दिल्ली

इण्डियन ट्रुडे, नई दिल्ली

लिविंग मेडिया इण्डिया एण्ड पी० लि०, नई दिल्ली

कम्पीटीशन सक्सेस रिव्यू, नई दिल्ली

मिल्स वल्ड मासिक, बम्बई

स्टारडस्ट, बम्बई

नेशनल सोलिडरिटी, नई दिल्ली

रिडरस डिजैस्ट, बम्बई

चन्दामामा पब्लिकेशन, मद्रास

रामनाथ पब्लिकेशन (पी) लि०, मद्रास

बाला ज्योति, विजयवाड़ा

मित्रा प्रकाशन पी० लि०, इलाहाबाद

साइन एडवांस, कलकत्ता

सक्रीन एच/डब्ल्यू, कलकत्ता

वैशाली, पटना

मंत्रियों को स्टाफ कारों का आवंटन

5457. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रियों को पर्याप्त संख्या में स्टाफ कार नहीं दी गई है और उन्हें उस समय काफी असुविधा होती है, जब उन्हें अपने अधीन कार्यालयों से प्राय: स्टाफ कार मगवानी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पर्याप्त संख्या में कारें देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) प्रत्येक मन्त्री को दी गई स्टाफ कारों का ब्योरा क्या है और गत तीन महीनों में उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों से मंगाई गई स्टाफ कारों का कारण सहित ब्योरा क्या है;

(घ) पैट्रोल की खपत की सीमा क्या है और क्या खपत को सामान्य स्वीकृत मात्रा तक सीमित रखना होता है या अधिक पेट्रोल रखना होता है या अधिक पेट्रोल की खपत के लिए विशे मंजूरी लेनी होती है, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) पेट्रोल की खपत को कम करने तथा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा स्टाफ कार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) विद्यमान नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार के मन्त्रियों के लिए स्टाफ कारों की कोई अलग हकदारी नहीं है। स्टाफ कारें कुल मिलाकर मन्त्रियों तथा सरकार के सभी कर्मचारियों के सामान्य प्रयोग के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। तथापि, मन्त्रियों को अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए एक स्टाफ कार प्रत्येक मन्त्री को मुहैया की जाती है जोकि उसकी सामान्य सरकारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समझी जाती है। जब भी सेवा की अत्यावश्यकता के कारण उनके सरकारी कार्यों के प्रयोजन के लिए यह अपर्याप्त समझी जाती है तो सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग स्टाफ कारों के अपने पूल में से एक और स्टाफ कार मन्त्री की सुपुर्दगी में रख देता है। विफायती उपाय के रूप में मन्त्री के लिए निर्धारित स्टाफ कार की पेट्रोल की खपत की अधिकतम सीमा प्रति तिमाही 750 लिटर नियत कर दी गयी है। इस सीमा से ऊपर पेट्रोल की खपत यदि लोक-हित में की गयी हो तो यह भी आपवादिक मामलों में स्वीकार्य है।

(ङ) इस सम्बन्ध में जारी किए गए नवीनतम अनुदेशों की मुख्य-मुख्य बातें विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

विभागीय वाहनों/स्टाफ कारों द्वारा पेट्रोल की खपत में कमी करने सम्बन्धी अनुदेशों की मुख्य विशेषताएं

(i) गैर-परिचालन वाहनों, जिनमें सचिवालय, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखी गई स्टाफ कारें भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में वर्ष 1978-79 के दौरान जितने पेट्रोल की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है उसका 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि द्वारा रखे जा रहे परिचालन वाहनों के सम्बन्ध में 85 प्रतिशत तक पेट्रोल का इस्तेमाल प्रतिबन्धित किया जाए। जहां तक सचिवालय का सम्बन्ध है, इन अनुदेशों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार द्वारा निगरानी की जानी चाहिए जोकि प्रत्येक गाड़ी के लिए तिमाही की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे तथा जिन मामलों में अधिक पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ हो वे सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा इस मंत्रालय के सचिव (व्यय) के ध्यान में लायेंगे। जहां तक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में रखे जा रहे वाहनों का सम्बन्ध है विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन वाहनों के इस्तेमाल को प्रतिबन्धित करने के लिए स्थायी कदम उठायेंगे ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अधिक उपभोग के मामलों को मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(ii) इस मंत्रालय के 19-10-1973 के परिपत्र सं० एफ० 3(7)-संस्था II (क)/73 (जो पुन:) 7-5-1977 के परिपत्र सं० एफ० 3 (7)-संस्था-II (क)/73 द्वारा परिचालित किया गया था, में प्रति तिमाही 900 लिटर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी जोकि इस

कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 750 लिटर प्रति तिमाही होगी। इस सीमा क अन्तर्गत मंत्रियों द्वारा तथा विभिन्न अवसरों पर उनके निजी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली गाड़ियां शामिल होंगी।

(iii) नये सगठनों, जोकि भविष्य में स्थापित किए जाएं, के मामले को छोड़कर कोई नई स्टाफ कारें नहीं खरीदी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में खरीद करने के लिए इस मंत्रालय के सचिव (वित्त) का अनुमोदन होना चाहिए और विशिष्ट तौर पर इस मंत्रालय के 27-5-1977 के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ-14 (4) संस्था (समन्वय)/77 के पैरा 2(iv) (ii) में निर्धारित अनुसार स्टाफ कार के बदले तीन पहिये वाले वाहनों से आवश्यकता को पूरा करने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

(iv) जब कोई स्टाफ कार प्रतिस्थापन्न करने योग्य हो जाए तो पिछले पैरा में यथा लिखित तीन पहिये वाले वाहन खरीदने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। वित्त मन्त्रालय को प्रतिस्थापन्न करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले इस सम्बन्ध में निर्णय सचिव के स्तर पर लिया जाना चाहिए कि क्या स्टाफ कार तीन पहिए वाले वाहन द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है।

(v) मंत्रालयों से सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार मन्त्रालयों/विभागों और उनसे संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखे गये परिचालनात्मक वाहनों सहित स्टाफ कारों और अन्य वाहनों की संख्या की तुरन्त समीक्षा करें और कम से कम 10 प्रतिशत वाहनों की संख्या कम करने को सम्भावना का पता लगाएं।

(vi) जहां पर कर्मचारियों को ड्यूटी पर छोड़ने या ड्यूटी के बाद वापस छोड़ने की प्रथा विद्यमान है वहां प्रशासनिक मन्त्रालय के सचिव द्वारा इस पद्धति की तुरन्त समीक्षा की जाए और निर्णय किया जाए कि क्या इस पद्धति को जारी रखा जाए।

(vii) अलग कारों में अकेले यात्रा करने की बजाए, स्टाफ कारें सरकारी यात्रा के संबंध में अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग की जानी चाहिए।

(viii) अधिकारियों या ड्राइवरों के निवास-स्थानों पर सरकारी कारों के पार्किंग पर पूरा प्रतिबन्ध होना चाहिए।

(ix) सरकारी कारों को सरकारी भवनों या निकट के भवनों में बन्द गैरजों में पार्क करके अनुपयोगी मील दूरी को जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक कम करना चाहिए। जहां पर बन्द गैरजें न हों, इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए वहां पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय से विचार-विमर्श करके गैरजों का निर्माण कराने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय के दिनांक 20-8-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-3(6)-संस्थापन II (क)/73 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(x) अदायगी के आधार पर भी गैर-ड्यूटी यात्राओं के लिए स्टाफ कारों के प्रयोग को तत्काल से समाप्त कर दिया जाए।

केथल गांव (राजस्थान) में कृषि पर आधारित रेशम उत्पादन योजना

5458. **श्री चतुर्भुज :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिले (राजस्थान) के केथाल गांव में कृषि पर आधारित रेशम उत्पादन योजना शुरू की गई है; और

(ख) कितने हैक्टेयर क्षेत्र में रेशम उत्पादन की यह योजना शुरू की गई है और किन-किन युवकों ने इसमें भाग लिया है और इस बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) रेशम उत्पादन सम्बन्धी कुछ प्रदर्शन गांव कंथून, (न कि केथल) जिला कोटा (राजस्थान) में किये गए हैं। साथ ही, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने हाल ही में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए कोटा में एक प्रायोगिक परियोजना केन्द्र स्थापित किया है।

(ख) प्रदर्शन कंथून गांव के 7 युवाओं के खेतों में एक एकड़ के शहतूत बागान पर संचालित किया गया। कुल मिलाकर 1981-82 के दौरान 29 शहतूत बागान प्रदर्शन तथा 25 पोषण प्रदर्शन संचालित किये गए थे और कोटा जिले में रेशम उत्पादन विकास पर 30 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 दिनाँक 26-2-82, अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 दिनाँक 26-2-82, अताराँकित प्रश्न संख्या 8175 दिनाँक 16-4-82 और अताराँकित प्रश्न संख्या 9456 दिनाँक 23-4-82 में शुद्धि करने वाले विवरण

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में श्री गुलाम मोहम्मद खान और श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी द्वारा 26 फरवरी, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 के उत्तर में हमारे रिकार्डों में उपलब्ध सूचना के आधार पर मैंने सदन को सूचित किया था कि श्री डी० जे० वैष्णव और श्री दशरथ मेर्ली अनुसूचित जातियों के हैं (अनुबन्ध में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की क्रम संख्या 9 और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की क्रम संख्या 6 देखिये)। वास्तविक स्थिति यह है कि वे अनुसूचित जातियों के नहीं हैं। यथा उपलब्ध सूचना के सम्बद्ध अधिकारिक अभिकरणों से सत्यापित होने में कुछ समय लगा। इसी में देर हुई। अतः रिकार्ड में संशोधन करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे इस गलती के लिए अत्यन्त खेद है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री जैनुल बशर द्वारा 26 फरवरी, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सख्या 1115 के उत्तर में हमारे रिकार्डों में उपलब्ध सूचना के आधार पर मैंने सदन को सूचित किया था कि श्री डी० जे० वैष्णव और श्री दशरथ मेर्ली अनुसूचित जातियों के हैं। (अनुबन्ध में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की क्रम संख्या 9 और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की क्रम संख्या 6 देखिये)···वास्तविक स्थिति यह है कि वे अनुसूचित जातियों के नहीं हैं। यथा-उपलब्ध सूचना के सम्बद्ध अधिकारिक आभिकरणों से सत्यापित होने में कुछ समय लगा। इसी में देर हुई। अत: रिकार्ड में संशोधन करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे, इस गलती के लिए अत्यन्त खेद है।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : छह राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों के सम्बन्ध में सर्वश्री चन्द्रपाल शैलानी, भीखाभाई और कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी द्वारा 16 अप्रैल, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8175 के उत्तर में हमारे रिकार्डों में उपलब्ध सूचना के आधार पर मैंने सदन को सूचित किया था कि श्री दयाराम भाई जमनादास वैष्णव अनुसूचित जाति के हैं (अनुबन्ध में क्रम संख्या 1 देखिये)···वास्तविक स्थिति यह है कि वे अनुसूचित जाति के नहीं हैं। यथाउपलब्ध सूचना के सम्बद्ध आधिकारिक अभिकरणों से सत्यापित होने में कुछ समय लगा। इसी में देर हुई। अत: रिकार्ड में संशोधन करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे, इस गलती के लिए अत्यन्त खेद है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में श्री भीखाभाई द्वारा 23 अप्रैल, 1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9456 के उत्तर में मैंने सदन को सूचित किया था कि श्री डी० जे० वैष्णव अनुसूचित जाति के हैं (अनुबन्ध में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की क्रम संख्या 9 देखिये)। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री वैष्णव अनुसूचित जाति के नहीं हैं। यथाउपलब्ध सूचना के सम्बद्ध आधिकारिक अभिकरणों से सत्यापित होने में कुछ समय लगा। इसी में देर हुई। अत: रिकार्ड में संशोधन करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे इस गलती के लिए अत्यन्त खेद है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यह सभा भरी हुई है।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि नियम 198 के अन्तर्गत श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री समर मुखर्जी, श्री चरण सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रो० मधु दंडवते, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री के० जी० उन्नीकृष्णन, श्री जार्ज फर्नान्डीस, श्री जगजीवन राम, श्री चित्त बसु, श्री चन्द्रजीत यादव और श्री त्रिदिब चौधरी से मुझे मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिली है।

मामूली सम्पादन किया हुआ प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

"यह सभा मन्त्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है ।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव को प्रेश करने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये । हर वक्त करना अच्छा लगता है क्या ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या वह प्रस्ताव का समर्थन कर रहे है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मेरा सुझाव है कि दो दिन इसके लिये रखे जायें ।

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिये । क्या हो रहा है ? क्या कर रहे हैं ?

इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं इसलिये इस पर सभा की अनुमति प्रदान की जाती है । मैं सभी सम्बन्धित सदस्यों से परामर्श करके चर्चा के लिये समय और तारीख निश्चित करूंगा । कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य मुझसे मध्याह्न 12.30 बजे मिलें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें सारा कुछ आ जायेगा । आपका भी आ जायेगा । जो कुछ कहना हो सारा कुछ नॉ-कान्फिडेन्स मोशन में कह लें ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : तमिलनाडु में सरकार की असफलता हुई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा देखूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : दूसरे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम···**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह जी, यह मेरे विचाराधीन है । मैंने कह दिया है । जो गलत था, मैंने उस दिन कह दिया था । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी, यह मेरी सहमति से नहीं था क्योंकि यह असंगत था । श्री जगपाल सिंह ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इसे पूरी तरह बन्द कर दिया गया है। पच्चीस लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आपको सब कुछ कहने का अवसर दिया जायेगा। आपको समय दिया जायेगा। अत: इसका कोई सवाल ही नहीं है...

आप इस पर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारे विदेश मन्त्री वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : तो इसमें क्या है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रधानमन्त्री वक्तव्य क्यों नहीं देती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र पाटिल।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन (लोड लाइन) पहला संशोधन नियम, 1982

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

वाणिज्य पोत परिवहन, अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (लोड लाइन) पहला संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 6 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 486 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 4476/82]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चूंकि श्रीमती गांधी ने गलत वक्तव्य दिया है इसलिये नियम 115 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ।

प्रो० मधु दंडवते : वह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो श्री जगपाल सिंह की बात जैसी ही है।

(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। कश्मीर के मन्त्रियों ने स्वाधीनता दिवस समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। सभा को इस पर ध्यान देना है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आयें, मैं आपको बताऊंगा। श्री वसन्त साठे।

भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 20 के अन्तर्गत भारतीय प्रेस परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1981 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4477/82]

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1980-81 की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के लिये विवरण

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 25 की उपधारा(2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण वर्ष 1980-81 के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के उपर्युक्त मद (1) और (2) में उल्लिखित वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4478/82]

असम विधान सभा में विपक्ष का नेता (भत्ते तथा विशेषाधिकार), नियम 1981 तथा विलम्ब के लिये विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई के खंड (ग) (चार) के साथ पठित असम विधान सभा में विपक्ष के नेता का वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत असम विधान सभा में विपक्ष का नेता (भत्ते तथा विशेषाधिकार) नियम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 9 सितम्बर, 1981 के असम राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० ए० आर० एल० 10/79/44 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4479/82]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सितम्बर, 1977 से अगस्त, 1978 तक के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के लिये विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) श्रीमती शीला कौल की ओर से : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड 1 और 2)।

(दो) लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 4480/82]

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1 सितम्बर, 1977 से 31 अगस्त, 1978 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1 सितम्बर, 1977 से 31 अगस्त, 1978 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4481/82]

अध्यक्ष महोदय : चाहे वे कुछ भी कहें—कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

आल इण्डिया फिशरमेन'ज कॉआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक लेखे, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड केडिट सोसायटीज, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के लिये विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) आल इण्डिया फिशरमेंज कोआपरेटिव फेडरेशन, लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) आल इण्डिया फिशरमेंज कोआपरेटिव फेडरेशन, लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4482/82]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4483/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नो कांफीडेन्स में आ रहा है, वैसे कर लीजिए।

(व्यवधान)

नेशनल कोआपरेटिज कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के लिए विवरण

कृषि और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताते वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4484/82]

सहायक कमान्डेन्ट, साधारण कर्त्तव्य शाखा (पाइलट/नौचालक) भर्ती नियम, 1982

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री क० पी० सिंह देव) : मैं तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहायक कमान्डेंट, साधारण कर्त्तव्य शाखा (पाइलट/नौचालक) भर्ती नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जो 7 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 192 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4485/82]

खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1982, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन, विलम्ब के लिये विवरण और भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, दिल्ली को उपहार के रूप में विदेशों से मिली वस्तुओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2911 के 11 मार्च, 1982 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 24 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में सा० का० नि० 422 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि-पत्र, जो 20 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 504(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी० 4486/82]

(2) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेख तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सख्या एल० टी० 4487/82]

(4) (एक) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, दिल्ली को उपहार के रूप में विदेशों से मिली वस्तुओं के बारे में श्री निहाल सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 2911 के 11 मार्च, 1982 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उस उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 4488/82]

दिल्ली सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 की धारा 97 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं जो 24 मई, 1982 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-15/65-73 कोप में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 4489/82]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981 तथा यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1981 और न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1981 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 518(अ) जो 9 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या 120/81-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) सा० का० नि० 519(अ) जो 9 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा वाटर कूलरों के निर्माण में प्रयोग आने वाले कमप्रेशरों को उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 4490/82]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4491/82]

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) युनाइटिड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4492/82]

(ग) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4493/82]

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न मत उठाइये।

सामान्य निधि 1980-81 और पूल निधि 1978-79 के लिये काफी बोर्ड के वार्षिक लेखे और विलम्ब के लिये विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं अपने सहयोगी श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सामान्य निधि 1980-81 और पूल निधि 1978-79 के लिये काफी बोर्ड के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उक्त लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4494/82]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 44वीं से 48वीं तक बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयक पर अनुमति

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 सभा पटल पर रखता हूं क्योंकि पिछली बार 9 जुलाई, 1982 को सभा को प्रतिवेदन किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं इस समय सिर्फ आपका जो यह समय ले रहा हूं, इस कर के कोशिश कर रहा हूं कि आज सारे मेरे नेतागण हर पार्टी के यहां मौजूद हैं और वह देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है । मेरी समझ में हम अगर सब बैठकर विधि के अनुसार कार्यवाही करने की बात सोच लें, तो उत्तम रहेगा ।

मैंने पहले आश्वासन दिया है, मैं उस आश्वासन पर आज भी कायम हूं, कल भी कायम रहा हूं और मैंने कभी भी, जो भी अपनी बात कहीं, उससे पीछे नहीं हटा ।

(व्यवधान)

श्री राकेश यह बहुत खराब बात है । आप हमेशा व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं ।

मैं इतना कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपने लिये नहीं, मैं तो सुन लूंगा, मुझे कोई चिन्ता नहीं है, मैं बर्फ की तरह से बैठा रहता हूं, I do not mind.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मतलब नहीं है टाइम का, तब हो जब कोई विषय मैं न आने दूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहूंगा । आप मेरे से यहां पूछते हैं, आप वहां आकर पूछ सकते हैं । मैं हर वक्त एवेलेबल रहता हूं, माननीय सदस्यों से मिलने में इन्कार नहीं करता । जब कोई आयें, बात करूंगा, बात समझाऊंगा और समझने की चेष्टा करूंगा । जो मेरी मजबूरी होंगी, आपको बताऊंगा और आपकी मजबूरी मैं समझ लूंगा । यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही बात कि सिर्फ प्रेस दीर्घा को बताना है कि हम ऐसा काम करेंगे, यह अच्छा नहीं लगता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनती करके इतना कहना चाहता हूं, आगे आपकी इच्छा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठा हूं, सुनने के लिये तैयार हूं हर वक्त । मुझे जो बताया गया है ।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, आपका जो ख्याल है, आपके विचार से मूलतः मैं सहमत हूं, लेकिन लैजिस्लेटिव अरोंक्लीज में, यह जो जीरो अवर पार्लियामेंट में होता है, कहीं नहीं होता और कम-से-कम 5-7 साल पहले की बात मुझे मालूम है ।

एक माननीय सदस्य : है ही नहीं कहीं ।

श्री चरण सिंह : आपने ही पार्लियामेंट में इसका नाम जीरो अवर रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं रखा, पता नहीं कहां से रख दिया, किसने रख दिया ?

श्री चरण सिंह : अगर आप बैठकर अपोजिशन के लोगों से, रिप्रेजेन्टेटिव्ज से बात करेंगे तो उनको खुशी होगी, ताकि यह काम अच्छी तरह से चल सके । हमारे लिये, पार्लियामेंट के लिये यह शान की बात नहीं है कि दूसरे देश के लोग यहां आयें, अपने गांव के लोगों में से कोई देखने आ जाये तो यह कहते हैं कि हम अपनी पंचायत गांव की अच्छी चलाते हैं बजाय पार्लियामेंट के ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ।

मैं सहमत हूं, मैं मीटिंग बुलाऊंगा सबकी और जैसा आप कहेंगे, मैंने कहा है कि कोई भी कहेगा, समयानुसार, कायदे के अनुसार, और उसमें मैं कहीं त्रुटि करूंगा तो मैं आपसे क्षमा याचना कर सकता हूं सीधी सी बात है ।

एक माननीय सदस्य : हम कायदे में ही पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास अन्दर आकर पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझसे पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा यह सुन लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझसे बात कर लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों का क्या होगा, जिनके लिए आज का दिन निर्धारित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई काम नहीं रुक रहा है । प्राईवेट मेम्बर्ज बिजिनेस आएगा । उसे कोई डेनाई नहीं कर रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय आप यह क्यों कर रहे हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : प्रधानमंत्री के स्थान पर विदेश मन्त्री वक्तव्य क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । मैंने अपनी व्यवस्था दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री परिषद इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है ।

श्री के० मायातेवर : केन्द्रीय जांच ब्यूरो···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : साप्ताहिक हिन्दुस्तान के···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । आपको पता है कि यह इरैलिवेंट है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरे विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है ।

लोक लेखा समिति

114वां, 115वां और 120 वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(1) पुनः आरम्भ किये गये, अपास्त किये गये और रद्द किए गए कर निर्धारणों, धन छिपा कर किये गये कर निर्धारण और कारबार की आय के गलत संगणन के बारे में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से सम्बन्धित लोक लेखा समिति के 38वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 114वां प्रतिवेदन।

(2) कर निर्धारण के बकाया मामलों के बारे में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से सम्बन्धित 34वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 115वां प्रतिवेदन।

(3) लवण भूमि पर अनाधिकृत कब्जा—भारपुर नमक कारखाने और शुष्क बुझा हुआ चूना और पोजोलाना मिट्टी के कारखाने के बारे में उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) तथा निर्माण और आवास मंत्रालय से सम्बन्धित 42वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 120वां प्रतिवेदन।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में विलम्ब का समाचार

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में विभिन्न राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विलम्ब किए जाने के समाचार।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : सेना में काम करने वालों को अवकाश ग्रहण के बाद फिर से बसाने के उद्देश्य से हमने भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ पद उनके लिए आरक्षित हैं। आरक्षण इस प्रकार से किया गया है :

पद	केन्द्र सरकार के विभाग।	केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रम राष्ट्रीयकृत बैंक
परा-मिलिटरी बल में सहायक कमान्डेंट	10%	—
समूह "ग" (तृतीय श्रेणी)	10%	14½%
समूह "घ" (तृतीय श्रेणी)	20%	24%

नौकरियों में आरक्षण की यह प्रतिशतता सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों पर भी लागू होती है।

2. सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी अपने अधीनस्थ विभागों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसी प्रकार का आरक्षण करें। कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पहले ही इस प्रकार का आरक्षण कर दिया है। फिर भी कतिपय ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अपने यहां के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए या तो कोई आरक्षण नहीं किया है या बहुत कम आरक्षण किया है।

3. राज्यों की नौकरियों में केन्द्रीय सरकार के बराबर आरक्षण हो, इस प्रश्न पर कई बार राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जा चुकी है। इस बारे में कई पत्र भी भेजे जा चुके हैं। इस मामले पर 3 जुलाई, 1982 को हुई पिछली बैठक सहित केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की अनेक बैठकों में भी चर्चा हुई है। पिछली बैठक की अध्यक्षता रक्षा मन्त्री ने की थी और लगभग सभी राज्य सरकारों के मन्त्री अथवा वरिष्ठ अधिकारियों ने उसमें भाग लिया था।

4. कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की तरह नौकरियों में आरक्षण करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्गों, अपंग व्यक्तियों आदि जैसे बहुत से अन्य विशेष वर्गों के लिए भी नौकरियों में आरक्षण करना होता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को देखते हुए भी आरक्षण करने में कठिनाई होती है। जिसमें कहा गया है कि आरक्षित स्थानों की कुल संख्या उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. कुछ राज्य सरकारों ने इस मामले में पहले ही अनुकूल रुख अपनाया है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में वृद्धि करने पर हम राज्य सरकारों के साथ निरन्तर बातचीत करते रहेंगे।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य होने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोशिश कर रही है और इसके प्रति जागरूक है।

इसके पहले कि मैं कुछ पूछूं मैं अपने रक्षा मंत्री का केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की 15वीं बैठक में दिए गए 4.7.1982 के वक्तव्य को कोट करना चाहता हूं—"अगर हम भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार नहीं दिला पाते हैं अथवा उनके पुनर्वास का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में मानव शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और भूतपूर्व सैनिकों की शक्ति को बेकार कर रहे हैं।"

श्रीमन्, इस दिशा में वायदे तो बहुत हुए हैं और राज्यों सरकारों को सरकार द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वायदों का अम्बार लग गया है और उन पर कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि प्रोमिसेज हैं, लेकिन परफार्मेंस नहीं है। वायदे चाहे कम हों और पक्के इरादों के सहारे हों और धरती पर उतरे। मात्र कागजों के किले में घिरे वायदे अकर्मण्यता के तूफान के झोंकों से उड़ते रहें, यह उचित नहीं है। उन सैनिकों को कष्ट होता है, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिया और हमारी सरकार उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही है, जितना कि देने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, उनके आश्रितों की व्यवस्था के लिए नीति बनाता है। इसका भी अपना एक इतिहास है—सरकारी प्रस्ताव के आधार पर 7 फरवरी, 1919 को इंडियन सोलजर्स के रूप में बना था। पुन: कुछ कमियों के कारण अप्रैल, 1944 में दूसरा बोर्ड बनाया गया और फिर 1951 में इसका फिर से नामकरण किया गया। अन्ततोगत्वा 1975 में वर्तमान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी शाखायें राज्यों में भी है और जिलों में भी हैं। यह कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि हमारे बोर्ड राज्यों में और जिलों में उतनी ही सक्रियता और निष्क्रियता से काम कर रहे हैं, जितनी कि उनसे अपेक्षा है। जहां तक केन्द्रीय बोर्ड का प्रश्न है, उसमें भी पूरे राष्ट्र में यूनिफार्म नीति नहीं लगती है। कई राज्यों में तो मैंने देखा है कि वहां के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य सैनिकों के प्रति जागरूक हैं, वहां के मुख्य मंत्री भी इसमें भाग भी लेते हैं, सदस्य के रूप में और किसी-किसी राज्य में तो उपमंत्री सदस्य हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, वहां मुख्यमन्त्री इसके सदस्य न होकर, वहां के हरिजन वैलफेयर के राज्य मन्त्री को इसका सदस्य बना दिया गया है। मेरी राय में इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और पूरे देश में युनिफार्मिटी होनी चाहिए, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए, ताकि इसका कार्य सक्रियता के साथ चल सके।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों का निगम है। अन्य राज्यों में भी ऐसा निगम क्यों नहीं हो सकता ? हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बालकों को 50 रु० प्रतिमाह मदद दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों में इस प्रकार की सहायता क्या नहीं दी जा सकती है ? मैं चाहता हूं कि हरियाणा की तरह से अन्य राज्यों में भी यूनिफार्मिटी लाई जाए और जिस तरह की वहां सुविधा दी जा रही है, वहां भी सुविधा दी जाए।

हमारी सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमारे जवानों ने सदैव एक प्रशंसनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की सेवा के लिए सर्वस्व लुटा दिया है। जाति के विषैले नाग ने हमारी सेना पर कुप्रभाव नहीं डाला है। इसलिए हमारा भी कुछ उनके प्रति कर्त्तव्य हैं। गाजीपुर के वीर बांकुरे हमीद की बेवा रसूलन को उसकी जिन्दगी में ही गौरवमय जीवन यापन की सुविधा देना हमारी ड्यूटी है। ऐसा न हो कि राज्यों की निष्क्रियता के कारण और हमारे बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी उस पर कार्यवाही न हो और वह जीवन की सुविधायें न पा सके। इसी तरह से बहराइच के सिंह सपूत की युवा विधवा का सुहाग हम नहीं लौटा सकेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम राज्य को निर्देश दें कि उसको एक गौरवमय जीवन जीने की सुविधायें दी जा सकें।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की मेरी दृष्टि में दो समस्यायें हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका मनोबल किसी तरह से भी न गिरने पाए, इसके लिए मनोवैज्ञानिक पुनरुत्थान की जरूरत होगी। हमारे भूतपूर्व सैनिक जब जिले में किसी अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं, तो घण्टों उन्हें एक लम्बी कतार के पीछे खड़ा होना होता है। यह उनमें स्वाभाविक रूप से कुण्ठा पैदा करता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से उनको सहायता दी जानी चाहिए कि जब वे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को लेकर जायें तो उनको वरीयता दी जाए। इसके साथ-साथ उन्हें सभा और सम्मेलनों में भी आदर का स्थान दिया

जाना चाहिए। हमने एक बहुत अच्छा काम किया है कि शहीद सैनिकों के स्मारक बनने चाहिए, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी प्रोत्साहन पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सैनिक शक्ति बहुत ही अनुशासित शक्ति है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम इतने बड़े जन-समुदाय को अनुशासनहीनता की आंधी ले बचा लें। हमें उनको अनुशासित बनाए रखने के लिए इस काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए। एक बात साफ है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में हजारों सैनिक अवकाश प्राप्त करते हैं। जिस समय वे अवकाश से आते हैं, उस समय वे कम आयु के होते हैं, अनुशासित होते हैं और उत्साह उनमें प्रचुर होता है, सेवा करने की भावना उनमें होती है। इस इतनी अच्छी शक्ति का हम देश के विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पी० ए० सी० और सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस है, इन्डो तिब्बत बोर्डर फोर्स एवं होम गार्डस, जैसे संगठनों के लिए हम कितनी ही धनराशि लोगों को प्रतिक्षित करने में खर्च करते हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है इस रैडीमेड फोर्स का, जो डिसिप्लिन्ड है, ट्रेन्ड है, जिसको अनुभव है, उसका तुरन्त इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में, कारखानों में और विभिन्न व्यवसायों में भूतपूर्व सैनिकों को हम उपयोग में ले सकते हैं।

जहां तक रक्षा के उत्पादन का प्रश्न है, उसके लिए क्या यह सर्वोत्तम नहीं होगा कि वह कार्य हमारे भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किया जाए, क्योंकि जितना अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं, उतना अच्छा काम कोई दूसरा अन्य नहीं कर सकता है। इन लोगों को सही ज्ञान है कि किस तरह से क्या चीज बननी चाहिए और किसको किस तरह की कुशलता देनी चाहिए। इसके लिए उनका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है।

सोशल कंजरवेशन की टास्क फोर्स बनाई जा सकती है। यह काम वे लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। परेशानी यह रहती है कि जब भी इनकी बात उठाई जाती है तो हमेशा यह कह दिया जाता है कि—मामला विचाराधीन है।

अवकाश प्राप्त करने के बाद जब सैनिक घर लौटता है तो उसके सामने कई समस्याएं होती हैं, भूमि उसके पास नहीं होती, घर उसके पास नहीं होता। अक्सर सैनिक गरीब परिवारों के होते हैं, उनके सामने कई समस्याएं होती हैं। कहा जाता है कि उनको जमीन दी जाएगी, लेकिन कहां से दी जाएगी इसका कोई पता नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी को पट्टे का कागज का टुकड़ा मिल भी गया है तो कब्जे के लिए वह घुमता रहता है। उसने अगर घर किराए पर दे रखा है तो वापिस आने पर घर खाली कराने की समस्या रहती है। "जय-जवान" का नारा तो दिया जाता है, लेकिन न इनके पास घर है, न इनके पास भूमि है। कहा जाता है कि घर खाली कराने के बारे में एक स्पेशल बिल यू० पी० गवर्नमेंट के सामने विचाराधीन है। जमीन के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि विचाराधीन है। सोशल फारेस्ट्री का मामला ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में विचाराधीन है। जो सैनिक तमाम युद्ध जीत चुका हो, सारे अस्त्रों के घाव झेल चुका हो, वह इस "विचाराधीन" अस्त्र के सामने घुटने टेक देता है। सारे मामलों में शीघ्रता की जानी चाहिए।

अन्त में मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अपने प्रश्नों के उत्तर के बारे में अनुरोध करूंगा कि जिस सैनिक ने अपने आज को इसलिए लुटा दिया है कि हमारा कल सुरक्षित हो, उसकी समस्याएं कल पर न टाली जायें, उनको शीघ्र तय करने की कोशिश की जाए।

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सशस्त्र सेनाओं—सशस्त्र सेनाओं के सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इसमें दो राय नहीं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं विश्व में किसी से कम नहीं हैं, और वे देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण में भी किसी से कम नहीं हैं।

पूछे गए दो प्रश्न मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कि 20 प्रश्न पूछे गए हों। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री रणवीर सिंह : आप केवल दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री के० पी० सिंह देव : अतः आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह काम आप पर छोड़ दिया गया है कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : भूतपूर्व सैनिकों को सेवा निवृत्ति या सेवा में अवकाश के पश्चात जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में आपके द्वारा उठाए गए दो मुद्दों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की समिति, जिसकी अध्यक्षता पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने की थी, ने भी माना है। उन्होंने निर्णय किया था कि राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों को पुनः सक्रिय बनाया जाए क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के ये प्रमुख केन्द्र हैं। अतः, इस वर्ष, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्रियों सहित सभी राज्यों के प्रतिनिधि, कुछ अन्य मंत्री, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य, उनके अपने मंत्री, जो कि स्वयं एक भूतपूर्व सैनिक हैं, उपस्थित थे। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किए गए उपायों का सम्बन्ध है उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रक्षा मन्त्री ने घोषणा की है कि राज्य सैनिक बोर्डों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए खर्च होने वाली लगभग 75 लाख रुपये की धनराशि का 50 प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है बशर्ते कि राज्य सरकारें भी उतनी ही धनराशि खर्च करने को तैयार हों। माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने या उनके पुनर्वास के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने प्रभाव से राज्य सरकारों को कहें कि वे अवसर का लाभ उठाएं तथा जिला स्तर और राज्य स्तर पर सैनिक बोर्डों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार जो 75 लाख रुपये खर्च करना चाहता है उसमें अपना 50 प्रतिशत का योगदान देने को सहमत हों। वास्तविकता यह है कि पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः, सेवा निवृत्ति से पहले रोजगार के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवानिवृत्त होने वाले जवानों और अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिये गये हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'ट्राईसम' प्रणाली का एक नया संशोधित रूप तैयार किया गया है। कुछ राज्यों में यह 'पायलट प्रोजेक्ट' की तरह होगा। यह इस वर्ष शुरू किया जाएगा। (व्यवधान)

वह स्वत: रोजगार के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजना है। माननीय सदस्य ने पंजाब के बारे में एक उदाहरण दिया है। सभी राज्य सरकारें पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई भूतपूर्व सैनिकों की कोआपरेटिव का अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया है। अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ये उद्योगात्मक आधार पर चल रही हैं। अत: यह देखना होगा कि यह सफल होता है कि नहीं। बहुत सी राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वे इस ओर ध्यान दे रही हैं। इसका अध्ययन करने के पश्चात् संभवत: वे भी कोआपरेटिव बनाएंगी।

माननीय सदस्य का यह सुझाव कि इस सैनिक बोर्ड में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान हो, बहुत ही अच्छा है। हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपाय बताए हैं उन्हें अधिकतर केन्द्रीय सरकार पहले ही कर चुकी है। जहां तक निगरानी प्रणाली का सम्बन्ध है, यह प्रणाली कुछ कमजोर है और सचार व्यवस्था उपलब्ध न होने पर अभी तक उठाए गए कदमों की प्रभावशालीता का पता लगाना संभव नहीं है। अत: निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ बनाने की आवश्यकता है और यह निर्णय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की जुलाई 1982 में हुई बैठक में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मन्त्री ने की थी। यह निर्णय किया गया है इसकी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालय में एक उप सचिव नामित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और संघ शासित क्षेत्रों के विभागों में सम्पर्क बनाए रखने के लिए महानिदेशालय, पुनर्वास शाखा का एक ले० कर्नल श्रम मन्त्रालय में महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण में नियुक्त किया जाएगा। अत: हमें इस बात की उचित पुनर्निवेशन और निगरानी की आशा है कि केन्द्रीय सरकार में, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों में आरक्षण मार्ग-निदेशों के अनुसार हो रहा है।

जहां तक पार्श्व भर्ती, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, का प्रश्न है, बहुत से राज्यों ने यह शुरू किया है। बिहार सरकार भूतपूर्व सैनिकों की पार्श्व भर्ती करके शांति बल बनाना चाहती है।

सामाजिक सानिकी के बारे में हम इसे अन्तिम रूप दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में पर्यावरण कृतिक बल, बटालियन बना रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी कुछ बातें विचार के लिए भेजी हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी हमें लिखा है।

अत: हम लोग इस पारिस्थितिक बटालियन के संगठनात्मक पैटर्न, कार्य-कलापों और इसकी भूमिका की ओर ध्यान दे रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : कृपया जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लें।

श्री के० पी० सिंह देव : जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमें इस बारे में नहीं लिखा है।

डा० कर्ण सिंह : तो आप उन्हें लिखें।

श्री के० पी० सिंह देव : इसके लिए स्वागत है और हम लोग इस पहलू पर निश्चित रूप से देखेंगे। किन्तु हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे जो अन्य प्रदेश हैं जिनकी परिस्थिति का तेजी से ह्रास हुआ है। इसलिये, हमें इसकी चिन्ता है। मैं समझता हूं कि मैंने अधिकतर मुद्दों का उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी महिला का, किसी सैनिक की पत्नी के नाम का उल्लेख किया था।

श्री रणवीर सिंह : वह आमतौर पर मृत सैनिकों की विधवाओं के सम्बन्ध में था। जिन मुद्दों के बारे में उन्होंने उत्तर दिया है, उनके बारे में मैं चाहता हूं कि सभी राज्यों में एकरूपता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह कुछ विशेष राज्यों में कमीदल लगा रहे हैं। ऐसा सभी राज्यों में किया जाना चाहिए। राजा साहिब के राज्य अथवा किसी अन्य राज्य को क्यों छोड़ा जाए। इसीलिए, मैंने कहा था कि सभी राज्यों में एकरूपता होनी चाहिए और मानीटरिंग भी होनी चाहिए।

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि केन्द्रीय सरकार किसी राज्य को आदेश नहीं दे सकती। हम लोग केवल अनुरोध ही कर सकते हैं। हम लोग यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे प्रयत्न के परिणामस्वरूप एक राज्य, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके प्रति सहमत हो गया है और वह राज्य है पश्चिम बंगाल।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्य सरकारों पर भी दबाव डालें। इसके बदले में वे केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उपमन्त्री जी का वक्तव्य सुना और मैंने वह वक्तव्य भी पढ़ा है जो उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिया है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि कहीं यह कागज अथवा यह आंकड़ा बदल तो नहीं दिया गया है। हर समय ऐसा ही कहा जाता है और हर समय इसी प्रकार के आश्वासन दिये जाते हैं।

आज यह कहते हुए कि कार्य सही दिशा में नहीं हो रहा है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत स्पष्ट उद्देश्य से रखा था। हम यह नहीं जानना चाहते कि कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है इत्यादि। हम यह जानना चाहते हैं कि उनके मन्त्रालय ने क्या-क्या कार्य कार्यान्वित किये हैं ? इस वक्तव्य में, मैं चाहता हूं कि वे एक ओर कालम—आरक्षण—20 प्रतिशत, कार्यान्वित किया जा रहा है—19.1 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत—और बढ़ा लें। हमें यह सब बताना चाहिए था। वक्तव्य में जो कुछ कहा गया है वह सब तो रक्षा बजट के कागजों में कहा जा चुका है कि ग्रुप-I के लिए इतने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, इतने प्रतिशत आरक्षण सरकारी उद्यमों में दिया जा रहा है आदि-आदि। किन्तु हमारी बौखलाहट इस बात की है कि अनुदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार का उत्तर चाहते थे।

मानीटरिंग का मामला उठाया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है तथा मेरा यह अनुमान है कि आज सरकार भी इस स्थिति में नहीं है कि वह यह बता सके कि कितने भूतपूर्व सैनिक व्यवस्थित किये जा चुके हैं और कितनों को व्यवस्थित किया जाना शेष है। हम सब यह जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाती है। रक्षा बल को कुछ विभिन्न भूमिका अदा करनी पड़ती है। यही कारण है कि हम लोग प्रतिवर्ष उन्हें यह वरीयता प्रदान करते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी विभाग/मन्त्रालय से सेवानिवृत होता है, जब कभी सरकारी अधिकारी सेवा निवृत होता

है, हम उन्हें कोई बरीयता नहीं देते। किन्तु हम यह वरीयता भूतपूर्व सैनिकों को देते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने क्या सेवा प्रदान की है और जब हम उनकी भर्ती करते हैं, उस समय हम उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि बाद में भी उनकी देखभाल अच्छी तरह की जायेगी। यदि आप भर्ती दफ्तर जायें तो आप वहां एक बड़ा बोर्ड पायेंगे "भविष्य आपका सुरक्षित है। आपके रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षित है और जब सर्विस करेंगे तब भी सुरक्षित है।"

ये शर्तें रखी जाती हैं। हम स्वेच्छापूर्वक उनसे कहते हैं "आप सेना में भर्ती हो जायें। हम लोग आपकी देखभाल करेंगे।" अन्य सरकारी विभागों से सेवा निवृत होने वाले व्यक्तियों को हम ऐसा आश्वासन नहीं देते। जब आप कोई निम्न श्रेणी लिपिक, अन्य कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त करते हैं तबअप्प ऐसा वायदा नहीं करते। किन्तु, चूंकि सरकार को रक्षा बलों की समस्यायें का पता है, इसलिए वे उन्हें यह आश्वासन देते हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि उसका पालन करना और कार्यान्वियन करना आवश्यक है। और मुझे यह भी मालूम है कि सरकार सदन को यह बताने की स्थिति में नही है कि देश में कितने भूतपूर्व सैनिक बसाये जा चुके हैं और कितने भूतपूर्व सैनिकों को अभी बसाया जाना है।

3 जुलाई को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की 15 वीं बैठक का उद्घाटन करते समय माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को मैंने पढ़ा है। उन्होंने स्वय ही कहा है—मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कुछ राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले जितने प्रतिशत रोजगार में आरक्षण किया था उसे कम कर दिया है।"

रक्षा मन्त्री ने जो कुछ महसूस किया, वह यह है। इतना ही नहीं उन्होंने रिकार्ड देखते हुए यह कहा कि राज्यों की रुचि इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में कोई भी मुख्य मन्त्री उपस्थित नहीं था। यदि रक्षा मन्त्री ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ नहीं किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उनके इस पर्यवेक्षण के बाद क्या ठोस कदम उठाये गये हैं। मेरा पहला प्रश्न यही है।

तत्पश्चात, इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतने पदों का आरक्षण है। हम सभी को उस बात की जानकारी है। इसके बारे में हम समाचारों, पत्रों, रक्षा मन्त्रालय की रिपोर्ट और रक्षा बजट के कागजातों से जान सकते हैं। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। हमारा अभिप्राय तो यह जानने का है कितना कार्यान्वियन किया गया है। इसके बारे में हमें केवल सरकार ही बता सकती है। सरकारी एजेन्सी ही इसके बारे में जान सकती है। आम आदमी इसके बारे में नहीं जान सकता है। प्रश्न यह है कि जब सारा सरकारी तंत्र इसके बारे में जानता है, रक्षा सेवायें इसके बारे में जानती हैं, तो वे लोग सभी दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं। जब सरकार यह महसूस करती है कि राज्यों में कोई विशेष कार्य सही दिशा में नहीं हो रहा है, तो सरकार आवश्यक कदम उठाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष क्षेत्र में सरकार ऐसा कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती जो वह उचित समझती है।

मेरे व्यक्तिगत विचार से इसके दो कारण हैं। एक तो वही है जिसका उल्लेख मेरे पूर्व साथी श्री रणबीर सिंह कर चुके हैं। वह यह है कि मानीटरिंग प्रणाली नहीं है। किसी को नहीं पता है, कोई राज्य इसके बारे में नहीं जानता कि कितने व्यक्ति सेवानिवृत हो चुके हैं और यह कि प्रतिवर्ष लगभग 60,000 या 70,000 व्यक्ति सेवानिवृत हो जाते हैं। 32 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति सेवानिवृत हो जाता है। शर्तें तय नहीं हो पाई हैं। उसे किसी और प्रकार का प्रशिक्षण मिला है। वह सेवा निवृत हो जाता है। उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है कि वह स्वयं को नागरिक जीवन में तुरन्त सहज नहीं बना पाता है। आपने जितने वर्ष का बन्धपत्र भरवाया था उतने 10 या 12 वर्ष तक आपने उसे प्रशिक्षण दिया और जब वह सेवा निवृत होता है तब वह आपके प्रशिक्षण में रखा हुआ होता है किन्तु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जबकि आपको पता है कि 70,000 व्यक्ति सेवा निवृत हो रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या ठोस कदम उठाये। प्रतिवर्ष राज्य स्तर, केन्द्रीय स्तर, और मन्त्रालय स्तर पर क्या मानीटरिंग प्रणाली कार्य करती है, सरकार क्या-क्या निर्णय लेती है, मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं किन्तु सरकार अच्छे निर्णय नहीं ले रही है। सरकार भूतपूर्व सैनिकों पर सदा महरबान है।

प्रधानमन्त्री जी के हृदय में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष कोमल भावनायें हैं उन्होंने कहा—"हम लोग भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह करेंगे।"

मेरा अनुरोध है कि आप जो भी निर्णय लें, उसे कार्यान्वित होना चाहिए। आप आरक्षण घटा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसे 20 प्रतिशत कर दें। आप इसे 19 प्रतिशत कर दें किन्तु इस बात को सुनिश्चित कर लें कि 19 प्रतिशत आरक्षित पद भरे जायें।

मैं यह नहीं चाहता कि भूतपूर्व सैनिक अन्य नागरिकों का हिस्सा बांटें। मेरी ऐसी राय नहीं है। कोई भी भूतपूर्व सैनिक यह नहीं कहेगा कि "मैं दूसरे का हिस्सा लूंगा।" किन्तु भूतपूर्व सैनिक को आप जो कुछ भी दें, उसके बारे में यह सुनिश्चित कर लें कि वह कार्यान्वित हो।

जनता सरकार के समय में···

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : जनता सरकार के समय की बात न करें।

श्री राजेश पाइलट : मेरा विचार है बाबूजी उस समय रक्षा मन्त्री थे।

बिहार के एक मुख्यमन्त्री ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया था। बिहार के मुख्य मन्त्री उस समय श्री कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने 10 नवम्बर को एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा—1978 में "कोई आरक्षण नहीं।" अतः यदि सरकार ऐसा महसूस करती है कि भूतपूर्व सैनिकों को कोई आरक्षण न दिया जाये और यदि सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय लेती है तो यह सरकार का निर्णय है। किन्तु यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि "हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह कर रहे हैं" तो उसे कार्यान्वित भी किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि भूतपूर्व सैनिक जब कभी भी किसी सरकारी उद्यम से सेवानिवृत हो तो रक्षा कर्मी के रूप में की गई उसकी पिछली सेवा की भी गणना की जाये। वे इस बात का ध्यान रखें। कुछ सरकारी उद्यम वरिष्ठता भी देते हैं। भारतीय खाद्य निगम जैसे कुछ सरकारी उद्यम रक्षा सेवा में प्रदान

की गई सेवा की गणना भी करते हैं। वे पिछली सेवा की गणना भी करते हैं। जब वे भारतीय खाद्य निगम की सेवा में आते हैं, जो कि एक सरकारी उद्यम है, तो उन्हें वरिष्ठता भी प्राप्त होती है। किन्तु दूसरी ओर, बैंक को इस बात की कोई परवाह नहीं है।

सरकार ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेती जिससे कि वरिष्ठता प्रदान करनी है अथवा नहीं के बारे में एकरूपता बनी रहे। जहां एकरूपता नहीं है वहां बुरा लगता है। इससे परेशानियां पैदा होती हैं। इससे और भी आपत्तियां उठती हैं कि एक उद्यम को वरिष्ठता प्रदान करता है और दूसरा नहीं करता है।

मैं इस बात की सराहना करूंगा यदि गैर-सरकारी उद्यम में भी ऐसा ही हो। ऐसे मामले में, किसी व्यक्ति की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है।

किन्तु यदि वह सरकारी संस्था है और जब एक उद्यम रक्षा कार्मिक की सेवाओं को बरीयता प्रदान कर सकता है तो दूसरा उद्यम क्यों नहीं कर सकता ?

इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रणाली बनाई जाये।

बैंक सेवाओं के सम्बन्ध में, सरकार के आवाहन पर 1962 के युद्ध में लोग बैंक की सेवा जोड़कर सेना में भर्ती हो गये। वे लड़ाई पर गये। वे वापिस आये। उस समय उन्होंने देश की सेवा की। किन्तु इस सेवा की गणना नहीं की जाती। उस समय के दौरान जो लोग बैंक में रहे वे वरिष्ठ हो गये। यह एक ऐसी मामूली सी बात है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जब वे सेवा में थे तब वे उस समय अति शीघ्र किये जाने वाला कार्य कर रहे और उन्होंने कार्य छोड़ा तब वे सीमाओं पर लड़ते हुए देश की रक्षा के लिये कार्य कर रहे थे, तब उनके प्रति भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ? माननीय रक्षा मंत्री को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिये।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं का मामला एक गम्भीर विषय है। बेचारी महिलायें 22 या 23 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती हैं, जब उनके पति सेवा करते हुए मर जाते हैं। जब उनका जीवन ही 22 या 23 वर्ष की आयु से आरम्भ होता है। उनकी पुनः स्थापना की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में सरकार को चिन्ता करनी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं और इसका उत्तर मैं सीधे माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि मृत सैनिकों की कितनी विधवायें हैं ? यदि आप भूतपूर्व सैनिकों की गिनती नहीं बता सकते तो कम से कम मृत सैनिकों की विधवाओं का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे बतायें कि मृत सैनिकों की कितनी विधवाओं के मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं।

मृत सैनिकों की विधनाओं से सम्बन्धित दूसरा मामला उनकी पेंशन के बारे में है। यदि वह अपने ही परिवार में विवाह करती हैं तो पेंशन मिलती रहती है और यदि वह अपनी इच्छानुसार किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करती हैं तो पेंशन बन्द हो जाती है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पाइलट : यदि वह अपने पति के भाई से विवाह करती हैं तो पेंशन मिलती रहती है। यदि वह किसी और से विवाह करती हैं तो पेंशन बन्द हो जाती है। क्या माननीय मंत्री

जी सभा को बतायेंगे कि इस निर्णय की क्या पृष्ठभूमि है ? एक जनसाधारण के रूप में मैं महसूस करता हूँ कि पेंशन पति की सेवा के बदले में दी जाती है, उसने अपना जीवन राष्ट्र के लिये बलिदान कर दिया और वह उसकी पत्नी रहती है। इसलिये, इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में, मंत्री जी के विचार में, क्या पृष्ठभूमि है।

पेंशन में भेद-भाव के बारे में भी प्रश्न उठाया जा चुका है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन दे चुके हैं कि इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

मकान के बारे में श्री रणवीर सिंह पहले ही कह चुके हैं। सक्रिय सेवा में रहते हुए लोग इस आशा से भवन निर्माण ऋण लेते हैं और मकान बनवाते हैं कि सेवा निवृत्त होने के बाद उनके पास रहने को मकान होगा। माननीय उपमन्त्री जी ने एक बैठक में बताया था कि ऐसा कानून बनाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है कि सक्रिय सेवा से वापिस आने के बाद रक्षा कार्मियों को अपना मकान वापस मिल जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या स्थिति है।

मृत सैनिकों की विधवाओं के बारे में भी कुछ किया जाना चाहिये। जब उनके पति मर गये तो उन्हें कुछ राशि दी गई और उन्होंने मकान बनाया, विशेषकर दिल्ली में। लगभग एक महीने मृत सैनिक की एक विधवा मेरे घर आई और उसने मुझसे कहा कि उसके पास एक मकान था और उसके पढ़ने वाले दो बच्चे थे और इसलिये उसने मकान का आधा हिस्सा किराये पर दे दिया तथा आधे हिस्से में वह स्वयं रह रही है। उसने आगे बताया कि उसने अपना मकान लगभग नौ या दस वर्ष पूर्व किराये पर उठाया था और उसे आज भी वही किराया मिल रहा है यद्यपि किराया बढ़ता रहा है। इसलिये, ऐसे मामलों में विशेष छूट दी जानी चाहिये ताकि मृत सैनिकों की विधवायें अपने मकान खाली करा सकें और अधिक किराये पर उठा सकें। सामान्य प्रक्रिया से वे ऐसा नहीं कर सकतीं। इसलिये ऐसे मामलों में विशेष ध्यान देना होगा ताकि मृत सैनिकों की विधवाओं को सहायता मिल सके।

फार्म भूमि और कृषि भूमि के मामले में भी ऐसा ही किया जाना चाहिये। जब कभी कोई सैनिक सेना की सेवा से लौटे, उसे अपनी भूमि वापस मिल जानी चाहिये चाहे उसे उसने किसी को क्यों न दी हो। ऐसा कानून बनना चाहिए कि उसे अपनी भूमिका कब्जा मिल जाये।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वह वृक्षारोपण, परा सैनिक बल और शांति बल के बारे में पारिस्तिथिकी को ध्यान में रखकर विचार कर रहे हैं। किसी जगह माननीय मंत्री जी ने यह भी वक्तव्य दिया था कि भूतपूर्व सैनिकों को सागर पार रोजगार दिलाने के बारे में भी वह विचार कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इसके बारे में क्या कदम उठाये गये हैं।

यह विषय ही ऐसा है कि इस पर आप जितना चाहें, उतने समय तक बोल सकते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास कहने को बहुत-सी बातें हैं। मुझे मालूम है। अस्तु, आप अपने अन्तिम प्रश्न के बारे में कहें।

श्री राजेश पाइलट : कुछ भूतपूर्व सैनिकों को यह भी नहीं पता कि सरकार उनके लिये लिये क्या कर रही है। उनके पास तक खबरें पहुंच नहीं पातीं। बहुत से लोग अखबार नहीं पढ़ पाते। सेना स्तर पर कुछ ऐसा किया जाना चाहिये कि जिला सेना और सेना बोर्डों के माध्यम से ये सब बातें उन तक पहुंच जायें। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि सरकार उनके लिये क्या कर रही है। कुछ मामलों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयु सीमा में छूट दी जाती है किन्तु विभागों को पता नहीं होता। जब ये बेचारे वहां जाते हैं और उनको कहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने आयु-सीमा में छूट दी है, तब ये सरकारी बिभाग उन्हें कहते हैं, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।" मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा—जब वह प्रत्येक राज्य और राजधानी में एक मानीटरिंग कक्ष खोलने के बारे मे निर्णय लेने जा रहे हैं—कि मानीटरिंग कक्ष के माध्यम से सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों का प्रचार किया जाये। भूतपूर्व सैनिकों को बताया जाये—"सरकार द्वारा ये कदम उठाये जा रहे हैं और इन माध्यमों से वह वहां तक पहुंच सकते हैं।" प्रचार पर भी कुछ ध्यान देना होगा।

सीमेंट और गृह-निर्माण सम्बन्धी सामान में तरजीह मिलनी चाहिये। इसके बारे में सरकार सहमत है। इसके लागू किया जाये।

अन्तिम मुद्दा—माननीय मंत्री जी युवा हैं और उनकी सैनिक की पृष्ठभुमि है···

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे कि आप बूढ़े है। आप भी युवा हैं।

श्री राजेश पाइलट : समय बीत रहा है। हमें अवसर मिला है और हमें चाहिये कि हम इसे प्रमाणित करें। जो कुछ भी निर्णय लिया जाये उसे कार्यान्वित किया जायें। मैं इससे अधिक की मांग नहीं कर रहा हूं। किन्तु जो निर्णय हो चुका है, उसके बारे में कृपया देखें कि उनका कार्यान्वयन हो। उसे मानीटर किया जाये और देशवासियों को बताया जाये कि क्या क्या काम किये जा चुके हैं और क्या-क्या नहीं हो सकते हैं ताकि हम लोग उनके पास जायें और लोगों को बताये कि सरकार का उद्देश्य ठीक है, सरकार ने इन सब बातों के लिये प्रयत्न किया है, ये समस्यायें हमारे सामने आ रही हैं और हम लोग इनके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

हाल में, बोट क्लब पर भूतपूर्व सैनिक हड़ताल पर बैठे थे। वे लोग अभी भी भूख-हड़ताल पर हैं। वे इतने निराश हो चुके हैं कि वे लोग राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि—"हमें ये मैडल मिले हैं, और अब हम उन्हें वापस करना चाहते हैं क्योंकि अब हम लोग ऐसी स्थिति में कदापि जीवित नहीं रह सकते।" स्थिति इतनी भयावह है। कार्यवाही करके सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यह कहा गया है कि पायलट योजनायें आरम्भ की जा रही हैं। माननीय मन्त्री जी से मेरा यह अनुरोध है। 'पायलट' शब्द कार्यवाही का द्योतक है। यदि आप इन योजनाओं को वास्तव में पायलट योजनाओं के रूप में चला रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि उसी भावना से कार्यवाही भी की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : पायलट जी ने भी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सचालन किया है।

श्री के० पी० सिंह देव : यह वस्तुतः प्रशंसनीय है कि स्फूर्तिमय भूतपूर्व स्वीडन लीडर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं की वकालत कर रहा है। वह भी उन्हीं में से है। उन्होंने कुछ बहुत

हो उपयोगी और ठोस सुझाव रखे हैं । महोदय, उन्होंने जो मामले उठाये हैं उनके बारे में कदम उठाने के सम्बन्ध में उनके द्वारा तथा सदन द्वारा दी गई सूचना के साथ मैं भी कुछ सुचित करना चाहूंगा । यह बात नहीं है कि कदम न उठाये गये हों ।

अपने पहले दिये गये गये उत्तर में मैंने यह बात दोहरायी थी कि सरकार के विचार से हम लोग मानीटरिंग पहलू से सन्तुष्ट नहीं हैं । इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की गत बैठक में रक्षा मन्त्री ने जिला और राज्य सैनिक बोर्डों को पुनर्जीवित करने के लिये 75 लाख रुपयों का नियतन करने का आश्वासन दिया था । ये बोर्ड ही ऐसे प्रमुख स्थल है जो राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के सम्पर्क में आते हैं । इसलिए, सैनिक बोर्डों को पुनर्गठित तथा पुनर्जीवित करके ही एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम भूतपूर्व सैनिकों की कठिनाइयों और उनके पुन: स्थापन और पुनर्वास के लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में प्रभावपूर्ण ढंग से मानीटर कर सकते हैं । मैं मन्त्री महोदय, जो इन समस्याओं को तेजी से सुलझाने के लिए तत्पर हैं, से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने पद का सदुपयोग करेंगे और जैसा वह उचित समझते हैं राज्य सरकारों को यथा शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध कर हमारी सहायता करेंगे क्योंकि उन्होंने ठीक ही कहा है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । इसलिए, मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा यदि वह इस दिशा में अपने पद का सदुपयोग करें ।

उन्होंने सरकारी क्षेत्र उद्यमों का उल्लेख नहीं किया है । भूतपूर्व सैनिकों की पुन:स्थापना केवल केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य ही नहीं है किन्तु जैसा स्वयं संसद की तथा प्राक्कलन समिति, जिसके माननीय सदस्य स्वयं एक सदस्य हैं, की पहले हुई एक बैठक में हमारी प्रधानमन्त्री ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है तथा इसके अलावा जनरल स्पेरो ने भी सभी पहलू पर विचार किया है और उन्होंने ने भी इस बात को दोहराया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अलावा सरकारी क्षेत्र उद्यमों और गैर-सरकारी क्षेत्र उद्यम को भी इस समस्या को जो, कि एक राष्ट्रीय समस्या है, सुलझाने में मदद करने के लिए आगे आना चाहिए । जहां तक सरकारी क्षेत्र उद्यमों का प्रश्न है, ये स्वायत्त संगठन है और एक जैसी नीति अपनाने के लिए उनको अनुदेश देना हमारे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि हमें उन्से इसके बारे में सिफारिश करनी चाहिए और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहेंगे कि सरकारी क्षेत्र उद्यम और राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार, उनके पेंशन, वेतन, वरिष्ठता और सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में एक सी नीति तैयार करें ।

यही बात राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में है । मुझे खेद है कि मैं उन भूतपूर्व सैनिकों के बारे में माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं जिन्होंने इस प्रकार के प्रदर्शनों और हड़ताल का सहारा लिया जो भूतपूर्व सैनिकों के हित में नहीं है क्योंकि ऐसा करना, जैसा उन्होंने कि प्रतिक्षण प्राप्त किया है, इसके विरुद्ध है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उनकी शिकायतें मन्त्रालय को प्राप्त हो गई हैं और उन पर जांच-पड़ताल की जा रही है तथा मुझे आशा है कि हम उसका हल निकालेंगे व उस पर निर्णय लेंगे ।

युद्ध में मरे सैनिकों की विधवाओं के बारे में मैं यह कहूंगा कि जब भी उन्हें सहायता की जरूरत पड़ी है, उन्हें रक्षा मन्त्री की विवेकाधीन निधि और विकलांगों के लिए युद्ध राहत कोष से

सहायता दी गई। इसलिए यदि युद्ध में मरे सैनिकों की विधवाओं की कोई समस्या हमारी जानकारी में आती है तो हमने पूरी ताकत से, अपने सभी सीमित संसाधनों से उनकी समस्याएं हल करने की कोशिश की है।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने कार्यालय का प्रयोग करके कुछ राज्य सरकारों से भी अनुरोध कर सकते हैं। कई राज्य सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब ने भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। मुझे आशा है यदि माननीय सदस्य थोड़ी सी और रुचि लेंगे तो वे विभिन्न राज्यों में रहने वाली युद्ध में मरे सैनिकों की विधवाओं के लिए ऐसे ही कदम उठाने के हेतु अन्य राज्य सरकारों को भी प्रभावित करने में सफल होंगे।

पेन्शन में विभेद के बारे में जैसा उल्लेख किया गया है, इसके बारे में सदन में कई बार चर्चा की गई है। सरकार ने इस विभेद को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं—उन्हें इस सम्बन्ध में बहुत ज्ञान है—इसमें शत् प्रतिशत तटस्थता नहीं की जा सकती क्योंकि अनेक रूपों में पेन्शन विभिन्न अवसरों पर दी जाती है। यह सब वेतनमान, सैनिक द्वारा लिया गया न्यूनतम वेतन पर निर्भर करता है। इसलिए प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से होने से शत् प्रतिशत तटस्थता सभव नहीं होगी। किन्तु 1953 से कदम उठाए गए हैं और पिछले बजट सत्र में भी कदम उठाए गए थे। माननीय वित्त मन्त्री ने पेन्शनभोगियों की निचली श्रेणी में यह घोषणा करके विभेद को समाप्त किया है कि कम से कम पेशन्न 150 रु० होगी। उन्होंने अन्तर 24 रु० तक दूर किया है।

मैं माननीय सदस्य से प्रचार के बारे में सहमत हूं कि इसका प्रचार अवश्य किया जाना चाहिए ताकि भूतपूर्व सैनिकों को यह पता चल सके कि सरकार द्वारा उठाये गए कदम क्या हैं। उन भूतपूर्व सैनिकों, जो दूरदराज के भागों में रहते हैं, जहां समाचार पत्र उपलब्ध नहीं हो सकते, के लिए आकाशवाणी से नियमित रूप से और समय-समय पर प्रसारण किया जाता है। सैनिक समाचार, स्मारिकाओं और भूतपूर्व सैनिक की रैलियों के माध्यम से भी विज्ञापन किया जाता है, जो केन्द्रीय सैनिक बोर्ड तथा पुनर्वास महानिदेशालय के साथ-साथ राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा संयोजित की जाती हैं। ये रैलियां समय-समय पर होती रहती हैं।

उसके बाद, उन्होंने लोगों द्वारा हथिया जाने वाले फ्लैटों और भूमि को खाली करने के बारे में कहा था। कई राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कानून बनाया है। शहरी क्षेत्रों में किराया नियंत्रण अधिनियम है। अन्य स्थानों में जिला प्राधिकारियों ने पहले ही इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित लोगों के लिए भूमि को खाली करने के लिए कानून लाए हैं।

धन्यवाद।

श्री राजेश पाइलट : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनकी पदोन्नति के प्रयोजन के लिए सेवा में उनकी वरिष्ठता रखने के मामले में किसी कारगर प्रक्रिया पर विचार किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम में ऐसा किया जाता है। वहां रक्षा सेवा को दस वर्ष की सेवा के रूप में रखा जाता है जबकि अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जैसे बैंकों और जीवन

बीमा निगम मे ऐसा नहीं किया जाता है। क्या आप इस बात पर विचार कर रहे है कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कारगर प्रक्रिया होनी चाहिए।

श्री के० पी० सिंह देव : सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्तशासी निकाय हैं। हमें माननीय सदस्य का यह सुझाव उनके विचार के लिए अवश्य भेजना होगा।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने प्रश्नों के जवाब दिये और विस्तारपूर्वक उन्होंने सारी बातों को बतलाया। उससे यह जानकारी जरूर मिली कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक्स-सर्विसमेन के सेटिलमेंट के लिए बहुत से कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं, बहुत से काम आगे बढ़े हैं और यह भी जानकारी मिली कि बहुत से ऐसे प्रान्त हैं जो केन्द्रीय सरकार के बराबर अपील करने के बावजूद भी उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं—केन्द्रीय सरकार के बराबर अपील करने के बावजूद भी जो प्रान्तीय सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं—केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रान्तीय सरकारों को बराबर निर्देश दिये जा रहे हैं, अपीलें की जा रही हैं कि एक्स-सर्विसमेन के लिए आप रिजर्वेशन कीजिये, उनके लिए योजनायें बनाइये, कार्यक्रम बनाइये, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रान्तीय सरकारें है जो इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, उनका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है।

मैं यह जरूर चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ऐसा कानून बनाए, ऐसी योजना बनाए, जिससे एक्स-सर्विसमैन के सैटलमैंट में सुविधा हो। प्रान्तों में जो उपेक्षा हो रही है, उसकी ओर सरकारों का ध्यान दिलाया जाए। दूसरी ओर मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सैटलमैंट के लिए उनको लोन और सब्सीडी देते हैं, उनकी सुविधाएं और बढ़ाई जाएं। जहां तक मुझे जानकारी है कि लोन पर उनसे इन्टरेस्ट लिया जाता है। उनको फ्री इन्टरेस्ट लोन दिया जाना चाहिए और बड़ी संख्या में सब्सीडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम उनके लिए सोच रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने परिवार और बच्चों को भूलकर वे देश के लिए सोच रहे हैं और देश उनके लिए न सोचे, उनके बच्चों के भविष्य के लिए न सोचे तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत सी राज्य सरकारों ने उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध किया है, किताबों व अन्य सहायता देने की व्यवस्था की है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके बच्चे जहां तक शिक्षा लेना चाहें यूनिवर्सिटी तक, उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी तरह की रुकावट उनकी शिक्षा में नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की ओर से होनी चाहिए।

जैसी कि जानकारी मिली है कि पंजाब में एक्स-सर्विसमैन—कारपोरेशन की बुनियाद रखी गई है। यह कारपोरेशन इसलिए बनाया गया है कि स्टेट लेवल पर इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। हम चाहेंगे कि अन्य राज्य सरकारों को भी केन्द्र निर्देश दे कि इस तरह के कारपोरेशन का गठन किया जाए, ताकि उनके माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों की समस्या का समाधान हो सके।

अन्य सभी बातों का जवाब मन्त्री जी ने बहुत डिटेल में दे दिया है, हम उनके जवाब से संतुष्ट हैं। इन दो-तीन बातों का जवाब मैं मन्त्री जी से चाहता हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य ने चार प्रश्न उठाए हैं। मैं उनसे इस बात से सहमत हूं, कि भूतपूर्व सैनिकों को अधिक लाभ दिये जाने चाहिए। आखिर उन्होंने अपने जीवन के सुन्दरतम वर्ष देश की सेवा में दिए हैं। इस सरकार का यह विशेष प्रयास रहा है और भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक लाभ दिए गए हैं। महोदय, मैं उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति हूं जो यह कहता है कि उन्हें लाभ देने की कोई सीमा नहीं है किन्तु उपलब्ध कोष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बात पर विचार किया जाता है और राज्य सरकारों को इसमें लगभग 50 प्रतिशत सहयोग देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का आभार मानूंगा यदि वे इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को उन योजनाओं, जो भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाएगी क्योंकि मूलत: भूतपूर्व सैनिकों का केन्द्र सरकार की अपेक्षा राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अधिक सम्पर्क होता है, मैं आगे आने में उनका सहयोग प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे। विश्वविद्यालय स्तर तक बच्चों की शिक्षा के बारे में माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कतिपय राज्य सरकारों ने मेडकल इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थाओं में कुछ आरक्षण दिये हैं···अन्य सरकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा जुलाई, 1982 में की गई केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की पिछली बैठक में हमने कहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की अन्य राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाये और वे उस पर अपने विचार रखें। क्योंकि उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति और समाधानों पर विचार करना होता है। उसके बाद ही वे अपने ठोस सुझावों के साथ आगे आ सकते हैं।

सभी राज्यों की "एकरूप नीति" के बारे में मैंने बताया है कि हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ प्रभावशाली ढंग से मामला उठा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने कहा है कि वे हमारी बातों से सहमत हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इसे नहीं माना है। सामान्य रूप से उनका उत्तर हां में है और स्वागत योग्य है। कुछ राज्यों में आरक्षण और अन्य कई बातों के सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं। अपंग व्यक्तियों आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षण में कठिनाइयां हैं जहां वे इसे पूरी तरह करने में समर्थ नहीं होते। किन्तु कुल मिलाकर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

———

महाराष्ट्र में दाभोल बन्दरगाह के विकास के बारे में याचिका

श्री जे० एस० पाटिल (ठाणे) : मैं महाराष्ट्र में दाभोल बन्दरगाह के विकास के बारे में श्री बी० एन० गोरे और अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वीरेन्द्र पाटिल एक वक्तव्य देंगे।

हल्दिया गोदी समूह का प्रबंध कलकत्ता पत्तन न्यास से पृथक करने के प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : हल्दिया डाक काम्पलेक्स कलकत्ता पत्तन का एक भाग है। महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अनुसार इसका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध कलकत्ता पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा किया जाता है। हल्दिया में एक उपाध्यक्ष हैं जिन्हें कुछ वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियां सौंपी गई है।

2. 1975 में दो सदस्यों की समिति ने कलकत्ता पत्तन की कार्य पद्धति और वित्तीय स्थिति की जांच की और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि हल्दिया डाक काम्पलेक्स के चालू होने के बाद लगभग 3-4 वर्षों तक उसका प्रबन्ध कलकत्ता पत्तन न्यास करें। चूंकि हल्दिया डाक काम्पलेक्स अप्रैल, 1977 म चालू किया गया था इसलिए यह विचार किया गया था कि प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्तमान व्यवस्था की उचित पुनरीक्षा की जाए।

3. हल्दिया डाक काम्पलेक्स के संभावित प्रभाव और इस आशय पर विचार करने के लिए कि क्या इसे एक अलग पत्तन बनाया जाए या इसे कलकत्ता पत्तन का ही भाग रहन दिया जाए, विकास सलाहकार (पत्तन) की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति 1981 में गठित की गई थी।

4. समिति ने यह देखा है कि कलकत्ता पत्तन के एक भाग के रूप में हल्दिया डाक काम्पे-लेक्स का काय करना हल्दिया डाक काम्पलक्स के विकास और परिचालनों पर कुछ हद तक बुरा प्रभाव पड़ता है। समिति ने यह सिफारिश की है कि हल्दिया डाक काम्पलेक्स के प्रशासकीय और परिचालन कार्यकलापों में सुधार करन के लिए इसे एक स्वयं प्रशासकाय और परिचालन इकाई बना दिया जाना चाहिए। इस दिशा में समिति ने अनक उपाय भी सुझाये है।

5. हल्दिया डाक काम्पलेक्स को सुचारू से परिचालन कार्य और स्वयं विश्वसनीय तरीके से कार्य करने के लिए इन सिफारिशों को कार्यान्वियन करने के लिए सरकार ने कुछ कारवाई की है।

6. पाश्चम बंगाल सरकार और अन्य सम्बन्धितों तथा समिति की सिफारिशो द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान म रखते हुए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि अलग करने क निर्णय का रोक दिया जाय जब तक कि हल्दिया डाक काम्पलेक्स की कायकलापो में सुधार के लिए किये गए उपाय के प्रभाव का पुनरीक्षा न कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : शिवराज पी० पाटिल द्वारा वक्तव्य।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, कृपया अनुपूरक कार्यसूची में इस मद को देखें। इसके अनुसार :

> "श्री पी० वी० नरसिंह राव प्रधानमन्त्री की अमरीका और जापान यात्रा के बारे में वक्तव्य देंगे।"

यहां मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं, मैं अपने विचारों को रिकार्ड कराना चाहता हूं कि चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी की अपनी वहां की यात्रा करके वापस लौट आई हैं, यह आवश्यक है, और यह प्रथा भी रही है कि वह यात्रा के बारे में एक वक्तव्य दें। यहां विदेश मन्त्री प्रधान मन्त्री की यात्रा पर वक्तव्य दे रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है, महोदय। 1952 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा विचार प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह केवल अनादर ही नहीं है, अपितु सभा का अपमान करना भी है। यह बेहतर होगा, कि वे कोई वक्तव्य न दें। प्रधान मन्त्री की यात्रा के विषय में श्री नरसिंह राव वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : इससे सभा का पूर्ण अपमान प्रकट होता है··· (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सभा का अपमान है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस देश में किसी भी प्रधान मन्त्री ने ऐसा नहीं किया है। न तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया और न ही श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस मद को निकाल दिया जाए। बेहतर यह होगा कि वे कोई वक्तव्य न दें। वह स्वयं वक्तव्य क्यों नहीं दे सकती हैं ? वह यहीं हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कही है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह सामान्य बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते ने इस बात को पहले ही उठा दिया है। ठीक है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : प्राइम मिनिस्टर को आज छुट्टी नहीं है तो कहिए सोमवार को स्टेटमेंट दे देंगी।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब, केवल शिवराज वी० पाटिल की बात ही रिकार्ड की जाएगी; अन्यों की बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति की स्थापना करने के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे साथी श्री भगवत झा आजाद, श्रम मन्त्री ने 9 जुलाई, 1982 को

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसद में सामान्य तौर पर वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं और विशेषतौर पर बम्बई वस्त्र मिल उद्योग में लम्बी हड़ताल से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित करने की घोषणा की थी।

2. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि समिति की स्थापना कर दी गई है और आज राजपत्र अधिसूचना जारी की जा रही है। समिति के अध्यक्ष श्री वी० एस० देशपांडे होंगे जो बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसमें ट्रेड यूनियनों के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें नियोक्ताओं (सूती वस्त्र मिल उद्योग मालिकों) के पांच प्रतिनिधि, केन्द्रीय सरकार के दो और राज्य सरकारों के तीन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

3. हम समिति से तत्काल कार्य शुरू करने और निर्धारित अवधि के अन्दर विचारार्थ विषयों पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं। बम्बई में बदली कामगारों से सम्बन्धित समस्याओं, तथा सवारी भत्ता व मकान किराया भत्ता मन्जूर करने के सम्बन्ध में समिति दो महीनों में अथवा उससे पहले रिपोर्ट देगी। बम्बई मिल कामगारों के वेतन के सम्बन्ध में समिति अपनी रिपोर्ट छः महीनों अथवा उससे पहले प्रस्तुत करेगी। दूसरे मुद्दों पर हमें आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट एक वर्ष में देगी। मैं विचारार्थ विषयों को दोहराने में सदस्यों का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके बारे में श्रम मन्त्री के वक्तव्य में विस्तार से बता दिया गया था और वही विचारार्थ विषय अब आज जारी की जा रही राजपत्र अधिसूचना में दिये गए हैं।

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक

संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति करने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक, 1981 सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री मालदेवजी एम० ओडेदरा के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य नियुक्त करे, और संकल्प करती है कि उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए संयुक्त समिति में श्री नवीन रावणी को नाम-निर्दिष्ट किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक, 1981 सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री मालदेवजी एम० ओडेदरा के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के

लिए एक सदस्य नियुक्त करे, और संकल्प करती है कि उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए संयुक्त समिति में श्री नवीन रावणी को नाम-निर्दिष्ट किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं विधेयक पुरःस्थाति करता हूं।

(दो) सिक्किम स्टेट बैंक (शेयरों का अर्जन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक हित में, सिक्किम राज्य में बैंककारी सुविधाओं के बेहतर समेकन और विस्तारण के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य बैंक के कतिपय शेयरों के अर्जन के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में, सिक्किम राज्य में बैंककारी सुविधाओं के बेहतर समेकन और विस्तारण के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य बैंक के कतिपय शेयरों के अर्जन के लिए

और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य सूची पर विचार करने से पूर्व श्री पी० वी० नरसिंह राव प्रधान मन्त्री की अमरीका और जापान यात्रा के बारे में वक्तव्य देंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर अठारह मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति का प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सहमति के लिए प्रस्ताव। कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा 27 जुलाई, 1982 को अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये तथा 29 जुलाई, 1982 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबन्ध करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएं, अर्थात् :

(1) श्री एम० अंकिनीडू

(2) श्री अनवार अहमद

(3) डा० ए० यू० आजमी

(4) श्री एच० एन० नन्जे गोडा

(5) श्री जयपाल सिंह कश्यप

(6) श्री लाला राम केन

(7) श्री केयूर भूषण

(8) श्री के० टी० कोसलराम

(9) श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर

(10) डा० बी० कुलनदेईवेलु

(11) श्री कमला मिश्र मधुकर

(12) डा० महातराय एम० मेहता

(13) श्री हीरा लाल आर० परमार

(14) डा० सरदीश राय

(15) श्रीमती किशोरी सिन्हा

(16) श्री मनमोहन टुडु

(17) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(18) डा० गोलम याजदानी

(19) श्री मोहम्मद यूसुफ

(20) श्री बी० शंकरानन्द"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा 27 जुलाई, 1982 को अपनी बैठक में स्वीकृत किए गए तथा 29 जुलाई, 1982 को इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबन्ध करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएं, अर्थात् :

(1) श्री एम० अंकिनीडू

(2) श्री अनवार अहमद

(3) डा० ए० यू० आजमी

(4) श्री एच० एन० नन्जे गोडा

(5) श्री जयपाल सिंह कश्यप

(6) श्री लाला राम केन

(7) श्री केयूर भूषण

(8) श्री के० टी० कोसलराम

(9) श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर

(10) डा० वी० कुलनदेईवेलु

(11) श्री कमला मिश्र मधुकर

(12) डा० महपतराय एम० मेहता

(13) श्री हीरा लाल आर० परमार

(14) डा० सरदीश राय

(15) श्रीमती किशोरी सिन्हा

(16) श्री मनमोहन टुडु

(17) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(18) डा० गोलम याजदानी

(19) श्री मोहम्मद यूसुफ

(20) श्री बी० शंकरानन्द"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात में एक नाइलोन-6 परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री अहमद मोहम्मद पटेल (भड़ौंच) : एक नाइलोन-6 परियोजना स्थापित करने का गुजरात औद्योगिक निवेश निगम का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए 10 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़ा हुआ है।

शुरू में 1971 में गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को 2100 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के संयंत्र का आशय-पत्र मंजूर किया गया था। इसके पश्चात् जब गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने एफ० आई० बी० और सी० जी० के आवेदन प्रस्तुत किए तो मामले को रोक लिया गया क्योंकि भारत सरकार 'सिंथेटिक फाइबार' नीति बना रही थी। इसमें काफी समय लग गया और वर्षों बाद गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को कहा गया कि वह अपने आवेदन में संशोधन करके क्षमता में वृद्धि करे। तदनुसार गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने आवेदन में संशोधन कर दिया

और क्षमता में वृद्धि कर दी। पता चला है कि अब यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

भारत सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है कि गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने इस परियोजना पर काफी धनराशि खर्च कर दी है और तकनीकी सहयोग के लिए प्रतिबन्धित होने सहित सभी कार्यों के लिए अग्रिम रूप से कदम उठाए हैं। इस परियोजना को कोआपरेटिव सोसायटी आफ पावरलूम वीवर्स, जिन्हें अन्ततोगत्वा इसका लाभ मिलेगा, के सहयोग से स्थापित करने का विचार है।

राज्य सरकार ने इस मामले को समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर उठाया है परन्तु अभी तक भारत सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। उक्त बातों को ध्यान में रखकर गुजरात औद्योगिक निवेश निगम के प्रस्ताव को और अधिक विलम्ब किए बिना स्वीकृति दी जानी चाहिए।

(दो) केरल में पालाघाट में एक रेल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजय राघवन (पालाघाट) : *केरल राज्य औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और केरल में रेलवे या अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार का पूंजी निवेश नगण्य है। औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण इस राज्य में बेरोजगारी और बढ़ी है। आज लाखों शिक्षित बेरोजगार पुरुष और महिलाएं रोजगार के लिए घूम रहे हैं और उनमें से बहुत से अवैध भर्ती करने वाले एजेन्टों के शिकार हो जाते हैं।

इस पिछड़ेपन के लिए केरल में एक रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की मांग न्यायोचित है। तमिलनाडु में पांच, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में दो-दो कोच फैक्टरियां हैं जबकि केरल में एक भी नहीं है। राज्य सरकार की यह उम्मीद न्यायोचित थी कि दक्षिण जोन के लिए नई बड़ी लाइनों की मरम्मत की वर्कशाप पालाघाट—ओलवाकोट में स्थापित की जाएगी। परन्तु सरकार ने यह आन्ध्र प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय किया है।

अब, एक कोच बनाने वाली फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। केरल सरकार ने मुफ्त भूमि देने और अन्य आधारभूत सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का वायदा किया है। हमारे पास कुशल तथा अकुशल कारीगर हैं तथा पूरे वर्ष बिजली की सप्लाई नियमित रहती है। इसके अतिरिक्त केरल सरकार कोच बनाने वाले फैक्टरी के लिए अन्य सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार है।

इसलिए, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि यह फैक्टरी पालाघाट में स्थापित की जाए।

(तीन) एशियाई खेलों के दौरान पर्यटन का विकास करना तथा विदेशी पर्यटकों को बिहार में जाने के लिए व्यवस्था करना

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नवें एशियाई खेल हमारे देश के लिए हैं नहीं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस अवसर पर एशिया के विभिन्न देशों से खिलाड़ी

*मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दर्शक, पत्रकार और अन्य व्यक्ति भारत आएंगे। सच तो यह है कि विश्व के विभिन्न भागों से भी इस अवसर पर लोगों के आने की आशा है। केन्द्र सरकार ने खेल समारोह को सफल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। नवीन और भव्य स्टेडियम का निर्माण, सुन्दर सुव्यवस्थित होटल, सड़कें, प्रकाश, उद्यान की व्यवस्था की गई है। भारत का अतिथि-सत्कार हमारी संस्कृति की विशेषता है। मैं सरकार को ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि इस अवसर पर पर्यटन का प्रचार करने की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और पर्यटन दृष्टि से आकर्षक स्थानों में बिहार का विशेष महत्व है। यह गौतम बुद्ध की पुण्य स्थली, महावीर के अहिंसा सिद्धांत का प्रतिपादन, नालन्दा, राजगिर, सारनाथ आदि से विभूषित है। पर्यटन का विकास नवें एशियाई खेल समारोह के अवसर पर अच्छा संयोग है। पर्यटन विकास पर हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी कुछ सीमा तक निर्भर है। इस अवसर का लाभ उठा कर विदेशी अतिथियों को बिहार के सुन्दर, रमणीय प्रदेश की ओर ले जाने की ओर सरकार को विशेष कार्यवाही करनी चाहिए।

(चार) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के क्षेत्राधिकार में जाने वाले चित्रकूट शहर का विकास करने की आवश्यकता

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, चित्रकूट हमारे देश का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के हिस्से में आता है। इस स्थान पर लाखों व्यक्ति देश के कोने कोने से आते हैं। परन्तु, अभी तक इस स्थल के उत्थान एवं विकास हेतु कोई समुचित योजना नहीं बनाई गई है। इस क्षेत्र में कोई रेलवे लाईन नहीं है, सड़कें उपयुक्त एवं पर्याप्त नहीं हैं। यहां तक कि आवागमन के लिए छोटे छोटे पुलों का निर्माण नहीं किया गया है। डाक तार सेवा तथा दूर संचार सेवा सुविधाजनक नहीं है इस क्षेत्र का पर्यटक विकास नहीं किया गया जबकि इस क्षेत्र में पर्वतीय स्थल भारी तादाद में उपलब्ध हैं। चित्रकूट में आने वाले यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया है। चूंकि पर्यटक स्थानीय आते हैं। इस कारण उपेक्षित है। चित्रकूट विविध शासन में है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि चित्रकूट के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार का केन्द्र द्वारा अन्तर्राज्यीय प्राधिकरण तत्काल बनाया जावे जिससे चित्रकूट का आधुनिकतम विकास एवं उत्थान हो सके।

(पांच) कानूनी तौर पर स्थापित कर्मचारी कैंटीनों के रेल कर्मचारियों की समस्यायें

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) उच्चतम न्यायालय के 20-10-80 के आदेशों के अनुसरण में रेल मन्त्रालय ने अपने 22-5-81 और 8-6-81 के पत्र संख्या (डब्ल्यू) 81 सी० एम० के माध्यम से "स्टेट्यूटरी स्टाफ कैन्टीन" और इलेवन दिल्ली के 'नॉन-स्टेट्यूटरी स्टाफ कैन्टन' के सभी कर्मचारियों को (जो एस० एल० पी० संख्या 4132/1980 के याचिकादाता है) केवल रेल कर्मचारी माना है और रेलवे स्टाफ के मिलने वाले लाभ उन अन्य स्टाफ कैन्टीन कर्मचारियों को प्रदान नहीं किए गए हैं जो समान योग्यता रखते हैं और जिनकी सेवा स्थिति आदि भी समान हैं। क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि संयुक्त निदेशक, स्थापना ने किस प्रकार कर्मचारियों की ओर से उच्चतम न्यायालय में प्रतिकारक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अखिल भारतीय रेलवे कैन्टीन कर्मचारी संघ की प्रार्थना की अधिकांश कैन्टीन कर्मचारियों की समानता और सुरक्षा के

नाम पर चुनौती दी गई है । क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सभी नॉन-स्टैट्यूटरी कैन्टीन कर्मचारियों को दिल्ली इलेवन के समान नहीं मानना चाहिए जबकि उनकी श्रेणियों में कोई अन्तर नहीं है ? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलवे प्रशासन को निदेश दिए हैं कि सभी रेलवे प्रशासन को निदेश दिए हैं कि सभी रेलवे स्टाफ कैन्टीनों के कर्मचारियों को 1974 से नियमित कर्मचारी माना जाए । रेलवे प्रशासन ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसने केवल विद्वान न्यायाधीश के निर्णय को बहाल ही रखा बल्कि यह टिप्पणी भी की कि "कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।" इसके बावजूद कैन्टीन कर्मचारियों की रेलवे सेवा को 20-10-80 के स्थान पर 1974 अर्थात् उच्चतम न्यायालय में अपील के निर्णय की तारीख से मान्यता क्यों नहीं दी गई ?

(छः) अहमदाबाद और खेड़ब्रह्मा तथा अहमदाबाद और उदयपुर के बीच रेल सेवा में सुधार करने की आवश्यकता

श्री शांतु भाई पटेल (साबरकंठा) : पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत अहमदाबाद और उदयपुर के बीच छोटी रेललाइन की रेल गाड़ियों में (3 से 4 कि० मी० दूर स्टेशनों पर पहुँचने के लिए) यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो रही है ।

इनके इंजन पुराने और अप्रचलित हैं । वे प्राय: खराब होते रहते हैं जिससे यात्रियों को कठिनाई होती है ।

मैंने महाप्रबन्धक, प्रश्चिम रेलवे और रेल मन्त्री को कई बार पत्र लिखे हैं । शाखा उप-महा प्रबन्धक, मुख्यालय, बम्बई द्वारा सुधार का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यात्रियों को स्टेशनों पर घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वे रात को भी देर से घर पहुँचते हैं । मैंने इस सम्बन्ध में डी० एस०, पश्चिम रेलवे, राजकोट को एक तार भी भेजा था ।

यात्री बस में या अन्य किसी वाहन से यात्रा करना पसन्द करते हैं जिससे रेलवे को वित्तीय हानि होती है । छात्रों, श्रमिकों और प्रतिदिन कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ता है । ऐसा लगता है कि रेलवे प्राधिकारी इस क्षेत्र के लोगों की शिकायतों की परवाह नहीं कर रहे हैं ।

अब, लोगों ने 12 अगस्त से आन्दोलन शुरू करने की धमकी दी है । अत: यह मामला सार्वजनिक महत्व का बन गया है और इसीलिए मैंने यह वक्तव्य नियम 377 के अन्तर्गत दिया है ताकि रेलवे मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके ताकि सभी आने जाने वाली रेल गाड़ियां समय पर चलें और यदि आवश्यक हो तो उनके इंजनों को बदलकर डीजल इंजन लगाए जा सकें ।

(सात) गुजरात में पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता

श्री आर० पी० गायकवाड (बड़ोदा) : पर्यटन मन्त्रालय ने पर्यटन विकास के लिए गुजरात में 25 पर्यटन केन्द्रों को चुना है । गुजरात के विभिन्न स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य तथा वास्तुकला के

लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात एक तरह से भारत का एक आभूषण है। इस राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। प्रसिद्ध कवि नवताल गुजरात के थे। उन्होंने गुजरात को रोम और ग्रीस से भी पुराना बताया है। गुजरात में द्वारिका, सोमनाथ, गिरनार, शत्रुञ्जय, अम्बाजी, डाकोर और भोढेरा जैसे प्रसिद्ध स्थान हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में पर्यटन केन्द्रों के विकास की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को पर्यटन विकास के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराए। और भी प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। गुजराती लोग बहुत से देशों में बस गए हैं और इसलिए पर्यटन विकास विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि गुजरात में पर्यटन विकास के लिए और अधिक ध्यान दिया जाए।

(आठ) दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी का प्रयोग

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु—1982-83 के लिए कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को श्रेणी 'क' में रखा गया है, और गृह मन्त्रालय ने 15-5-1982 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/13011/3/80-रा० भा० (एस०) (1) में सभी मन्त्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं। इस अधिसूचना के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को 12 विशिष्ट लक्ष्य तथा बहुत से उपलक्ष्य, जो कि उक्त अधिसूचना में दिए गए हैं, प्राप्त करने होंगे। दिल्ली राजधानी होने के कारण इसमें देश के सभी भागों के लोग रहते हैं और इसके अतिरिक्त यहां विदेशों के दूतावासों के प्रतिनिधि यहां रहते हैं। दिल्ली स्थित 60 सरकारी क्षेत्रों के 12 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी लगभग देश के सभी भागों के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पयटकों के अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसमें प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक और प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं, में देश के सभी भागों का हिस्सा है।

जीवन बीमा निगम के प्रीमियम के नोटिस, डेसू के बिल, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम के पानी के बिल, टेलीफोन के बिल, आयकर विभाग के नोटिस आदि सभी हिन्दी में हैं और गैर-हिन्दी भाषी लोगों को इससे बड़ी कठिनाई होती है।

संघ क्षेत्र दिल्ली में हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग सभी प्रशासकीय कार्यों में किया जाना चाहिए और दिल्ली को भाषा के झगड़े से दूर रखने के लिए यह अनिवार्य है।

(नौ) तमिलनाडु में मछली उद्योग तथा मछुओं की दशा को सुधारने की आवश्यकता

श्री एम० एस० के० सोतेयेन्द्रन (रामनाथपुरम) : तमिलनाडु में मत्स्य उद्योग की आम हालत की ओर केन्द्र द्वारा न केवल उसके आधारभूत ढांचे में सुधार करने बल्कि उन लोगों की स्थिति में भी सुधार करने की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है जो अपनी आजीविका समुद्र से कमाते हैं। यदि उचित सुविधाएं दी जाएं तो मछेरे अधिक मछलियां पकड़ सकेंगे और इस प्रकार राज्य से समुद्री उत्पादों का निर्यात भी कई गुना बढ़ जाएगा। यह राष्ट्रीय संदर्भ में भी अधिक संगत होगा क्योंकि इस समय इस मद के सम्बन्ध में तमिलनाडु देश में सबसे अधिक योगदान

कर रहा है । मशीनी नौकाओं के लिए रियायती दर पर डीजल की नियमित सप्लाई, मछेरों को रियायती दर पर नायलोन मत्स्य जाल सप्लाई करने, मत्स्य जालों को बिक्री कर से छूट देने तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं और आधारभूत विपणन ढांचा स्थापित करने से, राज्य में इस उद्योग का तेजी से विकास हो सकेगा । इन सुविधाओं के अतिरिक्त, यंत्रचालित मत्स्य नौकाओं में ही "फ्रोसेसिंग" उपकरण लगाए जाने चाहिए । इससे मछेरे निरन्तर दो अथवा तीन सप्ताह तक समुद्र में मछलियां पकड़ सकेंगे और बार-बार समुद्र तट पर नहीं आना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप ईंधन में काफी बचत हो सकेगी ।

(दस) कच्चा काजू वसूली योजना के लिए केरल को अतिरिक्त ऋण देने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : 1982 के मौसम के दौरान केरल राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन ने एकाधिकार खरीद योजना के अधीन किसानों से 61542 टन कच्चा काजू खरीदा । किसानों को देय खरीद मूल्य 42.2 करोड़ रुपये बैठता है । यह फैडरेशन प्राथमिक सोसायटियों को केवल 19.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकी है और भारी राशि अभी बकाया है ।

खरीदे गए 61542 टन कच्चे काजू में से, सुखाने आदि के उपरान्त अनुमानित 52581 टन काजू वितरण के लिए उपलब्ध है । कुल मात्रा जिसके लिए फैडरेशन को काजू निगम से प्राईवेट संशोधकों के लिए भुगतान प्राप्त हो चुका है केवल 8242 टन है । प्राइवेट संशोधक अपना आवंटित कोटा इस आधार पर नहीं उठा रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजू की गिरियों का वर्तमान मूल्य बहुत कम है, अत: यदि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद करें तो उन्हें हानि होगी । साथ ही, किसान प्राथमिक सोसायटियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनसे खरीदे गए कच्चे काजुओं का मूल्य दिया जाए और उधर सोसायटी भुगतान के लिए फैडरेशन पर दबाव डाल रही है ।

इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से 10-5-1982 को अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को 24 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया जाए ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऋण देने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए और इस उद्योग तथा एक लाख मजदूरों को संकट से बचाएं ।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में किछाऊ बांध का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं उत्तर भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जिसे जमुना परियोजना के नाम से जाना जाता है, की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । जमुना जल विद्युत परियोजना को बने एक लम्बी अवधि होने को है । समुचित जल के अभाव के कारण अपनी क्षमतानुसार इस परियोजना से अभी तक कभी भी विद्युत उत्पादन नहीं हो सका ।

समुचित मात्रा में इस परियोजना के लिए जल उपलब्ध हो, इसके लिए किछाऊ नाम के एक बांध के निर्माण का विचार किया गया था जिससे इस योजना के लिए लगभग 1230 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भण्डारण की व्यवस्था हो सके ।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने किछाऊ बांध परियोजना पर एक रिपोर्ट फरवरी, 1978 में केन्द्र सरकार को भेजा था । केन्द्र ने इसकी जांच विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल

आयोग द्वारा करवाया है। तकनीशियनों तथा जांच अधिकारियों की राय में यमुना परियोजना से अपनी क्षमता भर विद्युत तभी उत्परित हो सकती है जब किछाऊ बांध बनाकर जल भण्डारण की व्यवस्था हो। ये योजना मात्र इसलिए खटाई में पड़ी है क्योंकि योजना से सम्बन्धित तटवर्ती राज्य हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यमुना के जल के बंटवारे के विवाद का निर्णय संबंधित राज्य बैठकर नहीं कर पा रहे हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र का हस्तक्षेप वांछनीय है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा देश में बिजली के संकट को देखते हुए पन बिजली उत्पादन की इस महत्वपूर्ण योजना से क्षमता भर विद्युत उत्पादन के लिए किछाऊ बांध बनवाए जाने हेतु सभी राज्यों से बात करें और ऐसी व्यवस्था या उपाय करें जिससे किछाऊ बांध बनाया जा सके।

(बारह) फलों की ढुलाई के रेल भाड़े को कम करने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं रूल नं० 377 के तहत सरकार का ध्यान मुसावल में हो रही केले की खस्ताहाली की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार ने 1982 में रेल भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रेल के जरिए किसान की पैदा की हुई चीजों की कीमत भी बढ़ रही है और इस कदर भाड़ा देकर किसान अपनी पैदा की हुई चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी महसूस करता है। और खासतौर पर उन चीजों को जो ज्यादा दिन रखी नहीं जा सकतीं। मसलन, केला, आम और दीगर भी। रेल के महकमे में यह किराया रेलवे टेरिफ एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश पर बढ़ाया है। मगर ऐसा दिखाई देता है कि इस कमेटी ने तमाम हकायक पर गौर किए बगैर ऐसा कर दिया। इस वजह से महाराष्ट्र और कई दूसरी जगहों पर फलों की हालत खराब हो रही है और ये सड़ रहे हैं और बाजार में बेचारा कंज्यूमर तीन और चार रुपए दर्जन केला खा रहा है और बहुत से सिर्फ उसको खाने की जुर्रत नहीं किए हुए हैं। जुलाई 1982 से पहले फलों के भाड़े में कुछ रियायत दी जाती थी, मगर अब वह भी खत्म कर दी गई है जिसकी वजह से अब एक बैगन केले का भाड़ा 6000 रुपए हो गया है। 28 जुलाई के इकनामिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अपनी इस भाड़े के बढ़ाने की पालिसी से सिर्फ फलों के ले जाने लाने का एक महीने का नुकसान 33 लाख रुपए हो रहा है। गो फल पैदा करने वाले अपना माल ट्रकों से भेज रहे हैं, मगर वह भी महंगा पड़ता है और कोरा माल उनके जरिए भेजना मुश्किल है।

मेरी सरकार से दरखवास्त है कि कम से कम फलों पर से यह भाड़ा कम कर दिया जाए और जो रियायत सन् 1982 से पहले फलों को ले जाने में रेल वालों के जरिए दी जाती थी उसको फिर देना शुरू कर दें, ताकि सरकार और आवाम दोनों को फायदा हो सके। (इति)

(तेरह) उत्तर प्रदेश और बिहार में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनायें

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मैं निम्नलिखित अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पूरे देश में हरिजनों एवं पिछड़ों पर भयंकर रूप से जुल्म बढ़ रहे हैं। जहां अभी पिछले मंगलवार को बिहार के जहानाबाद सबडिवीजन अन्तर्गत मगबानपुर क्षेत्र में उचित न्यूनतम मजदूरी

मांगने पर तीन हरिजनों की हत्या कर दी गई वहीं राजस्थान के भरतपुर में कई हरिजन (जाटव) गांव को जला दिया गया और घोषणा की गई है कि 16 अगस्त को उक्त क्षेत्र के सभी हरिजनों का सफाया कर दिया जाएगा।

सबसे जो दुखद घटना है वह है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के ग्राम बहेरा पो० घघरा में घटी घटना। जिसमें उक्त गांव के निवासी एक युवक श्री रमाशंकर यादव की पत्नी श्रीमती राजकुमारी को 14.1.1982 से अपहरण कर लिया गया। अपराधियों के खिलाफ थाने में एफ० आई० आई० आर० दर्ज भी किया गया। लेकिन स्थानीय पुलिस बजाए अपराधियों को पकड़ने के न सिर्फ अपराधियों का साथ दे रही है, बल्कि उक्त महिला के साथ सामूहिक बलात्कार में भी सम्मिलित है। महिला का पति रमाशंकर यादव 22 साल का नौजवान है। दो बार किसी तरह उसकी पत्नी ने उसके पास खत भेजा है, जिसकी मूल प्रति मेरे पास मौजूद है। पुलिस द्वारा रमाशंकर यादव और उसके भाई को जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से बच गए। आज के दैनिक "हिन्दुस्तान" और अंग्रेजी के हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर विस्तार से इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए। उक्त महिला का पति रमाशंकर यादव इतना निराश हो चुका है कि उसने घोषणा की है कि यदि सरकार ने उसकी पत्नी को अपराधियों के चगुल से अपनी पत्नी को छुड़ाकर वापिस नहीं किया तो वह भी बदला लेने के लिए और डकैत के चंगुल से अपनी पत्नी को छुड़ाने हेतु डकैत बनेगा। यह काफी हृदय विदारक घटना है। पुलिस को अपराधी का पता है। पुलिस द्वारा खुल्लम खुल्ला अपराधियों का साथ देना, महिला के साथ बलात्कार करना प्रशासन पर कलंक है।

अब: सरकार इस सम्बन्ध में अविलंब कार्यवाही करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, कम-से-कम ऐसे मामलों में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने चाहिए। (व्यवधान)। यह एक गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार स्वयं आगे आती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब श्री रामेश्वर नीखरा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया रिकार्ड न किया जाए।**

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बाधित न करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीखरा। आप नियम 377 के अधीन वक्तव्य जारी रखिए।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीखरा, आप 377 के अधीन अपना वक्तव्य क्यों नहीं पढ़ते । मैं आपको बुला रहा हूं । आप जारी रखिए । इसे यहां रिकार्ड किया जाएगा ।

(व्यवधान)

उपाध्क्ष महोदय : सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित होनी चाहिए । माननीय सदस्य कृपया सहयोग दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । आपने यह चर्चा उठाई है, मैंने पहले ही आपको उत्तर दे दिया है । फिर आप दोबारा क्यों उठाते हैं ? श्री यादव, आप पहले ही इसे उठा चुके हैं, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । तब इसे समाप्त होना चाहिए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं सरकार का उत्तर चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हो चुका है । यह सरकार की मर्जी है । श्री नीखरा, आप जारी रखिए ।

(चौदह) इटारसी में डाक का वितरण न किए जाने का समाचार

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : इटारसी आर० एम० एस० में हजारों थैले डाक के पड़े हुए हैं । आर० एम० एस० का कार्यालय छोटा है, कर्मचारी छंटनी नहीं कर पा रहे हैं । कर्मचारियों का विवाद ओवर टाइम पर उच्च अधिकारियों से चल रहा है जिससे डाक समय पर नहीं बंट पा रही है । शादियों के निमंत्रण कार्ड, नौकरी हेतु साक्षात्कार पत्र बेरोजगारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं । इससे तीव्र असन्तोष है । मैं मंत्री महोदय से अतिशीघ्र हस्तक्षेप की मांग कर राहत पहुंचाने की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अब्दुल समद ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । क्या आप अब्दुल समद हैं ? मैंने श्री अब्दुल समद को अनुमति दी है । आप अब्दुल समद नहीं हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप अब्दुल समद नहीं हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अन्य माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन अपनी सामग्री प्रस्तुत करने में बाधा डाल रहे हैं । यह बहुत खतरनाक बात है । कृपया बैठ जाइए । श्री अब्दुल समद । सिवाय श्री अब्दुल समद के किसी भी सदस्य की बात रिकार्ड न की जाए ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे सहयोग दें। हमारे पास समय नहीं है। हां, श्री अब्दुल समद।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान, हम सभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार कर रहे हैं। आप नियमों को बदलिए। इस विषय से सम्बन्धित नियम क्या हैं ? नियम 377 के अधीन मामले सभा में प्रस्तुत किए जाने हैं तथा 24 सदस्य पहले ही अपना वक्तव्य पढ़ चुके हैं और उनमें से किसी भी सदस्य ने उत्तर के लिए आग्रह नहीं किया क्योंकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते। कुछ अन्य माननीय सदस्य सरकार से कुछ उत्तर चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले ही श्री यादव को बता दिया है कि यदि सरकार इसके लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर इसके लिए आग्रह करने से क्या लाभ है ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। अब भी अब्दुल समद बोलेंगे।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है, अन्य सदस्य जो कुछ कहें वह रिकार्ड न किया जाए। केवल वही बात रिकार्ड की जाए जो श्री अब्दुल समद कहें।

(व्यवधान)**

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, क्या मुझे आपकी अनुमति मिलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री अब्दुल समद नियम 377 के अधीन बोल सकते हैं। कृपया अन्य बातों को रिकार्ड न किया जाए।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं तथा विद्यालयों पर कथित वित्तीय मार

श्री अब्दुल समद (वेल्लोर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं।

मैं एक गंभीर बात आपके ध्यान में ला रहा हूं जिसके कारण विशेषकर तमिलनाडु में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार प्रभावित हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित अनेक शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा दो वर्षों से भी अधिक समय से विधिवत मान्यता तथा अनुदान नहीं दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, ये अल्पसंख्यक समुदायों के ये शैक्षिक संस्थान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तथा उनमें से अनेक बन्द होने वाले हैं। अल्प-संख्यक समुदाय अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान शुरू करने में अत्यधिक हतोत्साहित महसूस करते हैं। कुछ स्वार्थी लोगों ने यह भी अनावश्यक सुझाव दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के मुख्य प्राइवेट संस्थानों को, जो कि सभी समुदायों के छात्रों के सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जहां वास्तव में अधिकांश छात्र अल्पसंख्यक समुदायों से भिन्न अन्य समुदायों से लिए जाते हैं, सरकार अपने अधिकार में ले ले। अल्पसंख्यकों

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

द्वारा इन संस्थानों का प्रबन्ध करने के विरुद्ध शिक्षण कर्मचारियों अथवा अन्य लोगों को भड़काना किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह स्थिति का जायजा ले, क्योंकि यह बहुत गंभीर बन गई है, और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को शान्त करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करे ताकि वे अपने स्वयं के संस्थान चलाने के लिए संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता का वास्तव में लाभ उठा सकें।

(सोलह) हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित नंगल-तलवाड़ा नई रेल लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धनराशि का नियतन

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :

नई रेल-लाइनों के निर्माण के संबंध में हिमाचल प्रदेश को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है। पांचवी लोक सभा की लोक लेखा समिति (देखिए 171वां प्रतिवेदन-नई रेल लाइनें) की टिप्पणी के अनुसार, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश में एक किलोमीटर भी नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, तत्कालीन रेल मंत्री जी एल० एन० मिश्र नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन, जो कि अधिकांशतः हिमाचल प्रदेश से और पंजाब के कुछ लोगों से गुजरती है, को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री वाई० एस० परमार से इस बात की वचन-बद्धता लेकर कि इस प्रयोजन के लिए भूमि की लागत राज्य सरकार वहन करेगी, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अम्ब नामक स्थान पर 22 दिसम्बर, 1974 को इस महत्वपूर्ण रेल-कड़ी की नींव रखी थी।

3 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में माननीय रेल उप-मंत्री ने लोक सभा को सूचित किया था कि इस रेल-लाइन के निर्माण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। पूरक बजट, जिसमें निर्माण शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, 8 सितम्बर 1981 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। 3 दिसम्बर, 1981 को एक अन्य अतारांकित प्रश्न संख्या 2049 के उत्तर में माननीय उप मन्त्री ने बताया कि इस वर्ष 2.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जाएगा।

तथापि, वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया क्योंकि योजना आयोग ने इस परियोजना को अन्तिम स्वीकृति नहीं दी थी, यद्यपि उसने जुलाई, 1981 में सैद्धान्तिक रूप में इसे अनुमोदित कर दिया था और उसके बाद ही इसे सितम्बर, 1981 में पूरक बजट में शामिल किया गया था। अब जबकि योजना आयोग ने परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति दे दी है और रेलवे बोर्ड ने भी इसके निर्माण के लिए अविलम्बित प्रमाण-पत्र दे दिया हैं, पर निर्माण के लिए आवंटित राशि केवल एक करोड़ रुपये है। परियोजना की कुल लागत जो 1981 के प्राक्कलन के अनुसार 33.5 करोड़ रुपये बनती है, को ध्यान में रखते हुए तथा इस लाइन की प्रति किलोमीटर निर्माण लागत जो 39 लाख रुपये से अधिक बनती है, को देखते हुए और राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले

भारी अंशदान को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार उदारता से वित्तीय नियतन करे और कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाये। नंगल से अम्ब तक की लाइन के पहले चरण को युद्ध-स्तर पर पूरा किया जाये। अम्ब को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाये तथा निर्माण के लिए कार्य और सभी सुविधाओं के लिए प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर साथ-साथ आरम्भ किये जायें। योजना आयोग तथा रेल मंत्रालय को 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए जैसाकि 3 सितम्बर, 1981 को लोक सभा में घोषणा की गई थी। इस लाइन के निर्माण के लिए उच्च प्राथमिकता देकर तथा उदारता से वित्तीय नियतन करके ही हिमाचल प्रदेश के प्रति किये गये अन्याय को समाप्त किया जा सकता है और क्षेत्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। पंजाब में चंडीगढ़-मोरिन्डा रेल सम्पर्क (45 कि० मी०) तथा हिमाचल प्रदेश में कालका परवानू बड़ी लाइन के विस्तार (5 कि० मी०), जो दोनों ही बजटित परियोजनाएं हैं, से इस क्षेत्रों को मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय अध्यक्ष महोदय घोषणा करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष भी, मेरा पोइंट आफ आर्डर है।...

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी विषय चर्चाधीन नहीं है। सभा में रिक्ति है। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मेरी अनुमति लीजिए।

श्री रामविलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न 377 के बारे में है। मेरा नियम 377 के सम्बन्ध में है। इसी सदन में चेयर ने रूलिंग दिया था कि कोई भी मेम्बर जब 377 के अधीन कोई मामला उठाता है तो उसका एक महत्व रहता है। लेकिन पूरा सत्र समाप्त हो गया आज तक किसी भी माननीय सदस्य को इसका जवाब मन्त्री की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में नियम 377 का क्या महत्व है जब कोई मेम्बर यहां उठाता है और उसका जवाब ही नहीं दिया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन वक्तव्य सभा में पढ़े जाते हैं और सम्बन्धित सदस्य को सरकार द्वारा उत्तर भेज दिये जाते हैं। ऐसा किसी नियम के अन्तर्गत नहीं है। यह अनिवार्य है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय घोषणा करेंगे।

सभा का कार्य

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि कार्य मन्त्रणा समिति, जिसकी आज बैठक हुई, ने सिफारिश की है कि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निकालने के लिए—

(एक) सभा की बैठक 16 अगस्त, 1982 को भी हो। उस दिन प्रश्न काल नहीं हो।

(दो) उस दिन सभा की बैठक मध्याह्न भोजन काल में भी चलती रहे।

(तीन) 16 अगस्त, 1982 को अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा 7.00 बजे सायं तक चलती रहे जब प्रधान मन्त्री इसके बीच में बोलें और तत्पश्चात प्रस्ताव के वाद-विवाद का उत्तर दें।

मैं समझता हूं कि सभा इस पर सहमत है।

माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० वी० नरसिम्हा राव।

(व्यवधान)

जब पीठासीन अधिकारी बोल रहा हो तो आपको बैठ जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों ने नियम पढ़ लिए होंगे। आप एक-एक करके बोलें ताकि सब कुछ सुनाई दे सके। यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तो आप पीठासीन अधिकारी या सरकार से क्या कहना चाहते हैं वह कुछ नहीं सुनाई देगा। यहां तक कि अन्य सदस्य भी यह नहीं समझ सकेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अत: मैं विपक्ष के सभी सदस्यों की ओर से प्रो० मधु दडवते को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

कुछ व्यवस्था रखिए ताकि हम सभा का कार्य संचालन करें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है। जैसे इस सभा में नियम महत्वपूर्ण हैं वैसे ही परम्पराएं और सिद्धान्त, जिनका इस सभा में वर्षों से अनुपालन किया गया है, उतने ही महत्वपूर्ण और पवित्र हैं जितना और कुछ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी जैसे प्रधान मन्त्री हुए हैं। हमने श्री मोरारजी देसाई जैसे प्रधान मन्त्री देखे हैं। वे भारत से बाहर गये हैं। वहां से लौटकर आये हैं। उन्होंने वक्तव्य दिये हैं। किसी एक भी ऐसे अवसर पर जब प्रधान मन्त्री दौरे पर गए हुए हों तो किसी भी स्थिति में विदेश मन्त्री ने वक्तव्य नहीं दिया है। (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

मुझे विश्वास है कि मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। यदि आप अपनी अनुमति वापस लेते हैं तो मैं भी बैठ जाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अन्य सदस्य इस पर आपत्ति कर रहा है।

प्रो० मधु दडवते : इसलिए, यह अत्यावश्यक है (व्यवधान) जब प्रधानमन्त्री राजधानी में ही हैं और वह इतने महत्वपूर्ण दौरे के बाद इस सभा में आने और विदेश दौरे पर वक्तव्य देने से इन्कार करती हैं तो यह ससद की निन्दा है। (व्यवधान) यह संसद का पूर्णतया अनादर करना तथा सभी परम्पराओं को नष्ट करना है (व्यवधान)। मुझे अपनी बात पूरी करनी है। (व्यवधान) मुझे यह पूरी करनी होगी। मैं इसे अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने से पूर्व हम विपक्ष के सभी सदस्यों ने अनुरोध किया था कि प्रधानमन्त्री से अनुरोध करने की कृपा की जाए। सभी सदस्यों की ओर से हम यह अनुरोध आपके माध्यम से ही कर सकते हैं। हम

आपका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम प्रधानमन्त्री का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आपसे अनुरोध किया था कि हम सभी की ओर से आप प्रधान मन्त्री से अनुरोध करें कि वह वक्तव्य दें। हम विदेश मन्त्री, जो कि प्रधान मन्त्री के साथ दौरे पर भी नहीं गए थे, का वक्तव्य स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हम चाहते हैं कि केवल प्रधान मन्त्री ही अपने दौरे के संबंध में वक्तव्य दें। हम विदेश मन्त्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरसिम्हा राव, आप अपना वक्तव्य दीजिए।

इस समय प्रो० मधु दण्डवते तथा कतिपय अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

प्रधानमन्त्री की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की यात्रा के बारे में वक्तव्य

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जैसा कि सदन को मालूम है प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नियंत्रण पर 27 जुलाई, 1982 से 4 अगस्त, 1982 तक अमरीका की राजकीय यात्रा की थी। अमरीका से लौटते समय वे जापान के प्रधान मन्त्री श्री जेंको सुजुकी के नियंत्रण पर एक दिन के लिए टोकियो में रुकीं।

राष्ट्रपति रीगल के साथ प्रधानमन्त्री ने विविध विषयों पर विचार-विमर्श किया और उनकी यह बातचीत हार्दिकतापूर्ण और निस्संकोच वातावरण में हुई। इसके बाद अमरीका के विदेश मन्त्री श्री जार्ज शुल्त्ज़ ने दोपहर का भोजन दिया। प्रधानमन्त्री की मुलाकात हाऊस आफ रिप्रेजेंटेटिव की विदेश कार्य समिति के सदस्यों से और सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति के सदस्यों से भी हुई जो बहुत सौहार्दपूर्ण और अनौपचारिक थी। इन सब मुलाकातों से उनकी इस यात्रा के लक्ष्य को और आगे बढ़ाने में बहुत लाभ हुआ जो यह था कि भारत की बुनियादी नीतियों को उनके समक्ष रखा जाये, संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और उसकी चिन्ता के विषयों को ज्यादा अच्छी तरह समझा जाए तथा दोनों देशों के बीच और अधिक मित्रता तथा सद्भाव पैदा किया जाये।

अमरीकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र और गुटनिरपेक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। प्रधान मन्त्री ने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी आर्थिक आयोजना की भूमिका पर बल दिया जिसमें सामाजिक न्याय के साथ आत्म-निर्भरता के विकास पर मुख्य जोर दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर हुई बातचीत में अफ़गानिस्तान और पश्चिमी एशिया की स्थिति का, लेबनान के विशेष संदर्भ में, दोनों ने एक दूसरे के मूल्यांकन को जाना। वे इस बात पर सहमत थे कि इनका समाधान सिर्फ राजनीतिक बातचीत द्वारा ही निकाला जा सकता है। हमारे क्षेत्र में

शस्त्रास्त्रों की आमद बढ़ जाने पर भारत की चिन्ता की ओर तथा किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप के प्रति हमारे विरोध की ओर राष्ट्रपति रीगन का ध्यान आकृष्ट किया गया। यह बात उन्हें खास तौर पर बताई गई कि पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक हथियार अर्जित किये जाने की ओर से हमारे मन में जो आशंकाएं हैं वे हमारे अतीत के अनुभव पर आधारित हैं जबकि पाकिस्तान ने इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग हमारे देश के विरुद्ध किया था।

आर्थिक विकास के संवर्द्धन में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर भी विचार किया गया। हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए रियायती सहायता जरूरी है ताकि हम उधार चुकाने का बोझ हल्का रख सकें और सामाजिक विकास के क्षेत्र में पूंजी निवेश कर सकें। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लिए निजी पूंजी का मिल पाना मुश्किल है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त राशियों का अच्छा इस्तेमाल किया है और जितनी राशि देने का हमें वचन प्राप्त है उसके स्तर में अगर कोई कमी की जाती है तो उससे हमारे योजनाबद्ध कार्यक्रम गड़बड़ा जाएंगे। इन मुद्दों पर गौर करते हुए राष्ट्रपति रीगन ने अमरीकी बजट पर पड़ने वाले दबावों का जिक्र किया।

हमारी आर्थिक नीति के संदर्भ में प्रधानमन्त्री ने कहा कि हमारे जैसे किसी विकासशील देश में सरकार के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने संसाधनों के आवंटन को नियमित करे और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर इन संसाधनों को लगाए। इस नीति के सहारे हमारी अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भरता की दिशा में, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में, आगे बढ़ सकी है और इसने उत्पादन को एक मजबूत आधार दिया है तथा औद्योगिक संरचना को अधिक विविधता प्रदान की है। अपनी इसी प्रगति के बल पर हम कुछ विनियमों में ढील दे सके हैं और कुछ प्रक्रियाओं को उदार बना सके हैं लेकिन इसके बावजूद हम अपनी नीति के बुनियादी ढांचे से अलग नहीं हुए हैं। अपने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए, जिससे निजी क्षेत्र को भी फायदा पहुंचा है, हमने यह कहा कि हम विदेशी निजी पूंजी निवेश का प्रौद्योगिकीकरण के अन्तरण के एक वाहन के रूप में और निर्यात संवर्धक के रूप में स्वागत करते हैं। आर्थिक सहयोग की और अधिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए यात्राओं के आदान-प्रदान पर विचार किया गया है।

द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जिन अन्य उपायों पर सहमति हुई वे हैं :

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना;

(ii) सांस्कृतिक आदान-प्रदान को तेज करने का निर्णय, खासतौर पर 1983-84 में जबकि भारतीय कला की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा; और

(iii) नेहरू अध्ययन कार्यक्रम का प्रारम्भ।

माननीय सदस्यों ने ऐसी रिपोर्टें देखी होंगी कि हम अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए नाभिकीय ईंधन की सप्लाई के प्रश्न को लेकर लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने में सफल हुए हैं। भारत और अमरीका इस बात पर सहमत हो गए हैं कि

तारापुर के लिए ईंधन आई० ए० ई० ए० सुरक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत 1963 के भारत अमरीका करार की रूपरेखा के अधीन फ्रांस से प्राप्त होगा, जोकि 1993 तक वैध रहेगा। जहां तक तारापुर को सप्लाई किए गए ईंधन को पुनः साधित करने का प्रश्न है हमने अपने इस अधिकार को दोहराया है कि हम जब भी आवश्यक समझें, इसे पुनः साधित कर सकते हैं। इस बारे में जो मतभेद है, वह कोई नया नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस मतभेद के बावजूद एक मुख्य बाधा दूर की ली गई है और अपने हित तथा सिद्धान्तों को सुरक्षित रखते हुए हमने इस बात का भी सुनिश्चय किया है कि तारापुर संयंत्र पूरी तरह और अबाध गति से चलता रहे।

सरकारी नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने के अलावा प्रधान मन्त्री ने सुदूर पूर्व अमरीकी वाणिज्य एवं उद्योग परिषद तथा अमरीका के भारतीय वाणिज्य मंडल के सहयोग से विदेश नीति एसोसिएन तथा एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने "अमरीकन एसोसिएशन फोर द एडवांसमेंट आफ साइंस" को भी संबोधित किया और शिक्षा एव संस्कृति के क्षेत्र की तथा समाचार-जगत के बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी मुलाकात की। अमरीकी जनता ने प्रधान मन्त्री का सहज और शानदार स्वागत किया। इस सम्बन्ध में भारतीय वैज्ञानिकों और व्यावसायिकों से उनकी मुलाकातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने देश के और अधिक औद्योगिक विकास में भागीदार बनने में गहरी अभिरुचि दिखाई।

न्यूयार्क में प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री जेवियर पेरेद स्युलर के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार विनिमय किया। महासचिव ने विश्व में बढ़ते हुए तनाव पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की और यह महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि वह युद्ध को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकें।

अमरीका के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा 11 वर्ष के बाद फिर हुई है और यह मूल रूप से एक सद्भावना और मैत्री यात्रा थी और इससे इन उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण एवं रचनात्मक पूर्ति हुई है। जैसाकि सुविदित है, हमारे और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मतभेद हैं और कुछ मसलों के बारे में हमारे दृष्टिकोण भी अलग-अलग हैं। तथापि, प्रजातंत्र और इसके मूल्यों के प्रति दोनों देशों के लोग समान रूप से समर्पित हैं। यह भी सच है कि कई वर्षों से भारत के विकास कार्यक्रम के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता और सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए राष्ट्रपति रीगन और उनके सहयोगियों के साथ प्रधानमन्त्री की बातचीत का लक्ष्य यही था कि अपने मतभेदों को निस्संकोच रूप से मानते हुए भी, इस तरह सहमति के क्षेत्र कायम करने का प्रयत्न किया जाए कि अधिक मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें।

यह बिल्कुल साफ बात है कि विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर ही हम राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध और सहयोग का एक व्यापक आधार प्राप्त कर सकते हैं। जैसाकि प्रधान मन्त्री ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था किसी एक राज्य के साथ हमारी मित्रता का विकास, किसी दूसरे राज्य को छोड़कर या उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की कीमत पर नहीं हो सकता और न ही ऐसा होना चाहिए। हमारी इस नीति की घोषणा हमेशा

स्पष्ट रूप से की गई है। हम प्रत्येक मामले पर राष्ट्र के हितों और विश्व शान्ति के संदर्भ में उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार करते हैं। इस यात्रा के दौरान ऐसे कई संकेत मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि भारत की भूमिका के साथ-साथ हमारी इस नीति को न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि अधिक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी स्थायित्व और शान्ति के लिए आवश्यक समझा गया है। हमें आशा है कि भविष्य में भारत और अमरीका के सम्बन्ध इस नवीन भावना से अनुप्राणित होंगे।

यद्यपि प्रधान मन्त्री को अमरीका से लौटते हुए जापान में थोड़ी देर के लिए ही रुकना था लेकिन जापान के प्रधानमन्त्री श्री सुजुकी के निमंत्रण पर वे वहां एक दिन ठहरीं। प्रधान मन्त्री श्री सुजुकी के साथ उनकी बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और स्थायी शान्ति के लिए मिल-जुलकर कार्य करने तथा सभी के लिए एक बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए प्रबल इच्छा व्यक्त की गई। हमारी प्रधान मन्त्री को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि जापान के लोग विकास सम्बन्धी हमारी वित्तीय आवश्यकताओं को काफी अच्छी तरह समझते हैं।

हमारी प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और श्रीमती नैंनसी रीगन तथा उप राष्ट्रपति जार्ज बुश को भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने जापान के प्रधान मन्त्री को भी भारत आने का पुनः आमंत्रण दिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

48 वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यवाही को लेते हैं। प्रो० रूपचन्द पाल।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 अगस्त, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 अगस्त, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस संकल्प को लेते हैं। श्री रामविलास पासवान बोल रहे थे। वह यहां नहीं है।

अब केवल 11 मिनट रहते हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि वह हस्तक्षेप करें और तत्पश्चात प्रस्तावकर्ता उत्तर देंगे।

रेल मन्त्रालय तथा संसद कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री बाजूबन रियान द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया तथा अपने विचार रखे।

1974 में, प्रधानमन्त्री की पूर्वोत्तर परिषद के सदस्यों, जिनका नेतृत्व तत्कालीन राज्यपाल ने किया था, के साथ बैठक हुई थी और प्रधानमन्त्री ने यह महसूस किया था कि 'पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना अत्यावश्यक है।' अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री पूर्वोत्तर परिषद सम्बन्धी संकल्प के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : जी, हां। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, पूर्वोत्तर परिषद द्वारा ये निर्णय किए गए कि रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए कुछ सर्वेक्षण किए जाएं और बाद में भी, इस संचार व्यवस्था को पूर्ण बनाने की वर्तमान आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा अन्तत: 1978-79 में इसे गम्भीरता से लिया गया ताकि नव गठित छह पर्वतीय राज्यों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए रेल लाइनों का निर्माण किया जाए। इन क्षेत्रों को खाद्यान्नों और आवश्यक सामग्रियों की ढुलाई के कार्य को पूरा करने के लिए उद्योगीकरण का तेजी से विकास करने हेतु रेलवे ने लगभग 211 कि० मी० लम्बाई की छः नई रेल लाइनों का निर्माण करने की मन्जूरी दी है। ये रेलवे लाइनें हैं :

(1) अरुणाचल प्रदेश में हमें बालीपारा से भलू कपोंग तक नई रेल लाइन का निर्माण करना है;

(2) मेघालय में गोहाटी से बरनीहाट;

(3) त्रिपुरा में धर्मनगर से कुमारघाट;

(4) मणिपुर में सिल्चर से जीरीवन;

(5) नागालैण्ड में अमगूरी से तुली; और

(6) मिजोरम में लालघाट से बैरागढ़ ।

इन लाइनों, जिन पर निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है, के कार्य की प्रगति भिन्न-भिन्न है । सरकार इस पर उत्सुकता दिखा रही है । विभिन्न वित्तीय आवंटनों की ओर ध्यान दिये बिना सरकार ने यह देखने का विचार किया है कि इन लाइनों को 1984 से आगे कैसे पूरा किया जा सकता है ।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

उसका मतलब यह है कि 1984 से आगे तक इन रेल लाइनों का पूरा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जहां तक अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा-भलूकपोंग रेल लाइन का सम्बन्ध है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है । इस वर्ष 1982-83 के लिए 2.5 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं । जोरासर और मनसारी में दो बड़े पुलों का कार्य भी हाथ में लिया जा चुका है ।

जहां तक त्रिपुरा में धर्मनगर-कुमारघाट रेल-लाइन का सम्बन्ध है, वहां कुछ निर्माण कार्य सहित खुदाई और भराई का काम आरम्भ किया गया है ।

समस्या सिर्फ गोहाटी-बरनीहाट की है, जहां की भूमि अभी रेलवे को सुपुर्द की जानी है, ताकि निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके । इसलिए नागालैण्ड में भी अभी कुछ भूमि रेलवे को सौंपी जानी है ।

इन छः रेल लाइनों के अलावा, हाल में मई, 1982 में मन्त्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि एक पुल, रेल-व-सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा में बनाया जाना है । रेल-व-सड़क पुल के निर्माण के समय उन्होंने पंचरत्न से गौहाटी तक एक नया रेल सम्पर्क बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की । इसे रेलवे द्वारा स्वीकृत किया गया है और योजना आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है ।

जहां तक तेजपुर-भोमोरागुरी में दूसरे पुल का सम्बन्ध है, रेलवे द्वारा शुरू किया गया कार्य डिपोजिट की शर्तों पर है और कार्य तेजी से चल रहा है तथा उसके शीघ्रातिशीघ्र पूरा होने की आशा है ।

कुछ रेल लाइनों को बदलने का भी सुझाव दिया गया है । गौहाटी से डिब्रूगढ़ तक की रेल लाइन, जो 580 कि० मी० लम्बी है, को बदलने के बारे में वहां इंजीनियरिंग-व-यातायात सर्वेक्षण का कार्य तेजी से रहा है और यह उस रिपोर्ट पर निर्भर है जिस पर विचार किया जाएगा और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद उसे आरम्भ किया जाएगा ।

जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये मुख्य बातें हैं ।

न्यू बोंगाइगांव से गौहाटी तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार कार्य समाप्त होने की अवस्था पर पहुंच गया है। हम पहले ही 40 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और चालू वर्ष में 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हम आशा करते हैं कि यह 1983 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

सभी छः राज्यों को रेल सम्पर्क के साथ जोड़ने के लिए इन मुख्य रेलवे निर्माण कार्यों को आरम्भ किया गया है ताकि साथ ही साथ विकास और समृद्धि की प्राप्ति में वहां उचित परिवहन व्यवस्था हो सके, क्योंकि विकास और समृद्धि प्राप्त करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय राज्यों के लोगों के सपने और आशाएं हैं।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए के दो घंटे का समय दिया था और ग्यारह मिनट ही शेष रहते थे जब मंत्री जी ने कहना शुरू किया था। अभी दो या तीन सदस्य हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं और फिर मंत्री जी उसका जवाब देंगे। सदन का क्या दायित्व है ? क्या हम इसके लिए आगे समय बढ़ा सकते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आधे घंटे का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : एक घंटे का।

सभापति महोदय : हमें श्री लकप्पा को उनके संकल्प पर चर्चा के लिए कुछ समय देना चाहिए। अतः हम इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे।

श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु : महोदय, मेरे महान साथी श्री बेजूबन रियान द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। यदि आपने संकल्प के विषयों को देखा है तो आप देखेंगे कि प्रश्न का मूल पूर्वोत्तर क्षेत्र का पिछड़ापन है। मेरी कोशिश यह होगी कि मैं इस पर प्रकाश डालूं और सदन को पिछड़ेपन के बारे में अवगत करूं। यह जरूरी है कि समस्या की गहराई और पिछड़ेपन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। मेरे पास सरकारी स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों व तथ्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इस तथ्य के कारण यह जरूरी है कि जब माननीय गृह मन्त्री, श्री वेंकटरामन आसाम के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने यह दावा किया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बारे में सरकार की तरफ से कोई उपेक्षा नहीं की गई है। उन्होंने आगे दावा किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति निवेश अखिल भारतीय औसत से लगभग दुगुना हुआ है। मैं उस तथ्य के विवाद में नहीं पड़ा हूं बल्कि मैं सदन को आपके माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूं।

पहले किसी अवसर पर मैंने बेसिन नदियों की तुलना में ब्रह्मपुत्र नदी के विकास के बारे में कुछ आंकड़े दिए थे। मैं इसे दुबारा यहां बताता हूं। गंगा बेसिन पर 1173 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। कृष्णा बेसिन पर—1026 करोड़ रु०, इन्दुस बेसिन पर 518 करोड़ रु०, गोदावरी बेसिन पर 373 करोड़ रु०, महानदी बेसिन पर 218 करोड़ रु० और ब्रह्मपुत्र बेसिन पर केवल 15 करोड़ रु० खर्च किए गए। यह सिद्ध करना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की किस सीमा तक उपेक्षा की गई।

मेरे पास बैंक में निवेश की गई जमा धनराशियों में अनुपात के बारे में आंकड़े हैं। 1972 में आल-इण्डिया के लिए बैंकों में जमा राशियां और अग्रिम राशियां क्रमशः 1370 रुपए और 97.92 रुपए थीं, जबकि राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए संबंधित धनराशियां इस प्रकार थीं : आसाम—3687 रु०, और 1731 रु०; मेघालय—15.44 रु० और 16.36 रु०, नागालैण्ड—36.19 रु० और 7.94 रु०, त्रिपुरा—76.07 रु० और 8.28 रु० और मणिपुर—18.70 रु० और 10.81 रु०। इस प्रकार जमा राशियां बड़ी हैं और ऋण की राशियां कम हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने कहां तक प्रयास किए हैं।

मेरे पास और भी आंकड़े हैं। 1977 में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जमा धनराशियों के आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब भी निरन्तर कैसे पीछे रह जाता है। बैंक में जमा प्रति 100 रु० में से उत्तर भारत में 89 रु०, दक्षिण भारत में 79 रु०, पश्चिम भारत में 65 रु० पूर्वी भारत में 58 रु० और मध्य भारत में 48 रु० की साख थी। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह केवल 28 रु० ही थी। आप वास्तविक रूप से कल्पना कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष के राज्यों और संघ क्षेत्रों की ओर आते हुए दो बड़े मामले उद्धृत किए जा सकते हैं। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंक में जमा प्रत्येक 100 रु० की धनराशि के प्रति 408 रु० का निवेश किया गया। महोदय, 100 रु० जमा धनराशि के लिए दिल्ली में 408 रु० से भी अधिक निवेश किया गया है। दूसरी ओर नागालैण्ड में 100 रु० की जमा धनराशि के लिए 3.50 रु० का निवेश किया गया।

मुझे खुशी है कि माननीय योजना मन्त्री यहां हैं। आप निवेश के अन्तर को समझ सकते हैं। और भी आंकड़े हैं जो असन्तुलित विकास को बड़े जोरदार ढंग से दिखाते हैं। दक्षिण भारत में केवल 2.9 प्रतिशत जिलों में जमा-धनराशियों का अनुपात 20 प्रतिशत से कम था और 68.61 प्रतिशत जिलों में यह 60 प्रतिशत से भी अधिक था। पूर्वोत्तर भारत की तुलना में 52.8 प्रतिशत जिलों में जमा-धनराशियों का अनुपात 20 प्रतिशत से कम था और केवल 16.6 प्रतिशत जिलों में यह 60 प्रतिशत था।

कुछ और प्रभावकारी आंकड़े हैं। जहां तक प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पाद का सम्बन्ध है, सी० एस० ओ० तुलना किए गए आंकड़ों से वर्तमान मूल्यों पर, 1975-76 में यह सम्पूर्ण भारत के लिए 1008 रु० अंकित किया गया था, तो आसाम के लिए यह केवल 848 रु० था, त्रिपुरा के लिए 872 रु० और मणिपुर के लिए 904 रु० था। इसके अलावा जब सारे भारत की प्रति व्यक्ति आय 1278 रु० थी तो आसाम में यह केवल 852 रु०, मणिपुर में 755 रु०, मेघालय में 761 रु०, नागालैण्ड में 949 रु०, त्रिपुरा में 895 रु०, अरुणाचल प्रदेश में 838 रु० और मिजोरम में 790 रु० थी। इसलिए आंकड़ों में यह अन्तर विकास की गति सिद्ध कर सकता है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास पीछे रह गया है।

प्रति 100 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र की सड़क की लम्बाई के आंकड़े देखिए। जब आल-इण्डिया का औसत 37 है तो आसाम में 31, मणिपुर में 18, मेघालय में 48, नागालैण्ड में 37, त्रिपुरा में 56 हैं। सिंचित क्षेत्र से कुल उपजाऊ क्षेत्र के बारे में आल-इण्डिया औसत 25.4 था

जबकि आसाम में यह 18.4, मणिपुर में 36.1, मेघालय में 28.3, नागालैण्ड में 33.6 और त्रिपुरा में 8.0 है ।

घरेलू उपभोग की बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में मैं और आंकड़े दे सकता हूं, सभापति महोदय मैं समझता हूं कि आपकी यह जानने के लिए रुचि होनी चाहिए । जब आल इंडिया औसत 10.4 है तो आसाम में यह केवल 2.8, मणिपुर में 7.1, मेघालय में 7.8, नागालैंड में 2.2 और त्रिपुरा में 3.8 है । इसलिए यदि आप चाहें तो मैं अन्य आंकड़े बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र की ही उपेक्षा की जा रही है । वहां बहुत अधिक पिछड़ापन है । किसी विशेष क्षेत्र में वहां किसी विशेष वर्ष में राष्ट्रीय औसत का दुगुना निवेश हुआ है । यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आंखों में धूल झोंकना है । क्या किया जाना चाहिए ? मैं योजना मन्त्री से आग्रह करना चाहता हूं कि यह पिछड़ेपन का स्वरूप है । अतः वहां अधिक निवेश करना जरूरी है । जब तक आप ऐसा नहीं करते, जब तक किसी विशेष क्षेत्र के आंकड़ों से तुलना नहीं की जाती, तब तक पिछड़ापन दूर नहीं किया जा सकता । अतः उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि क्या वे योजना आयोग का एक विशेष तंत्र स्थापित करेंगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष समस्याओं पर विचार करेगा और इस क्षेत्र के समेकित विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार करेगा । यदि माननीय योजना मन्त्री इस विषय में कोई आश्वासन दे सकते हैं तो, मेरा विचार है, त्रिपुरा, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को आश्वासन मिल जाएगा ।

अब, महोदय, मैं श्री बी० के० नेहरू के प्रतिवेदन के एक भाग को उद्धृत करना चाहता हूं जो रेल सम्बन्धी उत्तर-पूर्व परिषद् के अध्यक्ष थे क्योंकि उस क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं में से रेल भी एक प्रमुख घटक है :

"हमारे सुनिश्चित अनुरोध ये हैं :

(i) जैसा भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र की राजधानी को वायु सेवा द्वारा जोड़ा जाना चाहिए, हमारा अनुरोध है कि सिद्धान्त रूप से एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों को रेल द्वारा जोड़ा जाएगा । हमारा आगे अनुरोध यह है कि इस उद्देश्य से (और धर्मनगर से त्रिपुरा में कुमारघाट तक रेल लाइन बढ़ाने के लिए) सर्वेक्षण सीधे ही आरम्भ कर दिया जाए ।

(ii) कई बार हमें वचन दिये गए हैं कि बोंगईगांव से बड़ी लाइन को गौहाटी तक बढ़ा दिया जाएगा जो कि सौ मील से थोड़ा सा अधिक फासला है । इस विस्तार के लिए आर्थिक क्षमता भी बहुत है क्योंकि इससे गौहाटी को जोड़ा जाएगा जो कि इस पूरे क्षेत्र का गोदाम है जहां पर बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली से सीधे ही सामान आता है । हमारा अनुरोध है कि दिये गए वचनों को पूरा किया जाए और इस लाइन का निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ किया जाए ।

(iii) अन्त में हमारा सुझाव है कि रेल मन्त्रालय, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के वर्तमान पिछड़ेपन और इसकी सम्पत्ति सम्बन्धी क्षमता के आधार पर, इसके लिए वित्तीय और

आर्थिक मानदंड को परिवर्तित करे जिससे वे रेल प्रणाली के विस्तार की वांछनीयता का निर्णय करते हैं। यदि विकास को बढ़ावा देना है तो ऐसा परिवर्तन आवश्यक है और हम देते हैं कि हम सुझाव पर बीस वर्षों के लिए नया मानदंड लागू किया जाए। पर्याप्त रेल प्रणाली की हम इतनी कमी महसूस करते हैं कि इस नई लाइन के प्रचालन के फलस्वरूप रेलवे को यदि कोई हानि होगी तो उसके लिए हम पहले पांच वर्षों तक पूर्वोत्तर परिषद् को उपलब्ध कराई गई धनराशि से वित्त देने को तैयार हैं।"

पूर्वोत्तर परिषद् के अध्यक्ष की सिफारिश यह है। इसलिए, यह सशक्त मामला है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि पृथकतावादी और प्रान्तीयतावादी ताकतें, जो हमारे देश को अस्थिर बनाने में लगी हुई हैं, इस पिछड़ेपन का लाभ उठाती हैं और जब तक आप इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास में नहीं लेते, और उन्हें यह आश्वासन नहीं देते कि भारत सरकार उनके इस पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है जो उन्हें विरासत में मिला है, तो उनके पृथकतावादी और अन्य अलगाववादी ताकतों के नारों का आसानी से शिकार बन जाने की सम्भावना है। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रश्न केवल सात राज्यों का प्रश्न नहीं है। अपितु यह पूरे भारत—भारत की एकता और अखंडता—का प्रश्न है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय योजना मन्त्री सभा को आश्वासन देंगे कि इस क्षेत्र के समेकित विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी ?

निष्कर्षतः, मैं निम्नलिखित सुझाव दूंगा :

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ते हुए मूल्यों को स्थिर करने तथा उस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। यह तात्कालिक प्रकृति का कार्य है।

जनता सरकार द्वारा आरम्भ की गई केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। बड़ी लाइनों का विस्तार किया जाए, छः प्रस्तावित रेल लाइनें बनाई जाएं, दो पेपर मिलें स्थापित की जाएं, ब्रह्मपुत्र पर दूसरा पुल बनाया जाए, महत्वपूर्ण विमान पत्तनों का प्रसार किया जाए, सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं स्थापित की जाएं; और तेल और प्राकृतिक गैस, खनन, विद्युत्, उद्योग और संचार के क्षेत्रों में नई परियोजनाएं आरम्भ की जाएं।

भूमि-सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए अधिक वैज्ञानिक तथा अद्यतन प्रस्तावों का तत्काल क्रियान्वयन हो। दो प्रमुख उद्योगों अर्थात्, चाय और प्लाइवुड का राष्ट्रीयकरण और असम तेल क्षेत्रों के पास नए तेलशोधक कारखाने समर्पित किए जाएं।

असम राज्य में रुचि रखने वाले बड़े वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थानों के मुख्यालयों को तत्काल स्थानांतरित किया जाए।

असम के वनों की सुरक्षा और विकास के लिए उपाय किए जाएं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

यह अल्पावधि कार्यक्रम है और मैं चाहता हूं कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष योजना की लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, सरकार केवल इन अल्पावधि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रुचि ले।

जहां तक त्रिपुरा का सम्बन्ध है, त्रिपुरा में गैस उपलब्ध है। और उन्होंने वहां पर आधारित एक ताप विद्युत् संयंत्र के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने योजना आयोग को एक प्रस्ताव दिया हुआ है। योजना आयोग ने—जहां तक मुझे मालूम है—अब तक प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कतिपय वित्तीय सहायता की मांग की है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि त्रिपुरा विद्युत के मामले में स्वावलम्बी बन सके। और महोदय, यदि त्रिपुरा विद्युत के मामले में स्वावलम्बी हो गया, तो उससे राज्य में और औद्योगिक विकास हो सकेगा और उससे त्रिपुरा के लोगों को नया जीवन मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के बारे में इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। वास्तव में जब से देश आजाद हुआ है; तब से इस सदन से बाहर भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास पर चर्चा होती रही है। लेकिन 34-35 साल के अनुभव से हमें लगता है कि केन्द्रीय सरकार देश की एकता और आजादी के लिए चिन्तित नहीं है। आज सवाल इन सात प्रदेशों के विकास का ही नहीं रह गया है, बल्कि आज स्थिति यह हो गई है कि वे सातों राज्य और उनकी जनता इस देश के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं, जिनमें से उनका आर्थिक पिछड़ापन एक मुख्य कारण है।

केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इन सातों प्रदेशों—आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश—के विकास की तरफ लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया है। आसाम आन्दोलन को चलते हुए बरसों हो गए हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार बार-बार बातचीत करने के बावजूद उसे समाप्त नहीं कर पाई है। इसके पीछे आर्थिक कारण हैं। भाषा भी एक कारण है। वहां पर उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, सड़कों और संचार-साधनों का प्रबन्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार उन राज्यों का आर्थिक विकास किए बगैर, उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान किए बगैर, कब तक फौज और पुलिस के बल पर उन्हें जबर्दस्ती अपने साथ रख सकेगी ?

उस क्षेत्र में पिछड़ेपन की स्थिति यह है कि सरकार उन सातों राज्यों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिसके कारण वहां के लोगों को अपने परिवार की कैपेसिटी के मुताबिक पूरे साल के लिए पानी इकट्ठा करना पड़ता है। उसी पानी से वे लोग खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं और अपने पशुओं को नहलाते हैं। ऐसी स्थिति में वे लोग साइकालोजिकली और मानसिक रूप से इस देश के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं।

आसाम आन्दोलन का मुख्य कारण वहां का आर्थिक पिछड़ापन है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। आज आसाम के नौजवान, स्त्री-पुरुष, बूढ़े, सारी जनता हिन्दुस्तान से

बगावत कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे आसाम की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है, पूरा अर्थ-तंत्र डिसटर्ब हो गया है । आपकी आयल रिफाइनरी बन्द पड़ी है । पूरे देश का एकोनामिक सेट बैक हो गया लेकिन आसाम आन्दोलन अभी तक एक ही वजह से खत्म नहीं हुआ कि आसाम के पिछड़ेपन की तरफ केन्द्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया । यही नागालैंड मिजो, कूकी, गिरिजन और आदिवासी क्यों आज आपके खिलाफ हथियार और तीर कमान लेकर खड़े हैं ? आज तक आपने उनके अन्दर जाकर उनकी भाषा को प्राथमिकता देकर, उन्हीं की भाषा में उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की । वही आदिवासी जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ तीर कमान लेकर आजादी के लिए लड़े और एक नहीं हजारों लाखों आदिवासी अंग्रेजों की बन्दूक के निशाना बने, अपने को सैक्रिफाइस किया हिन्दुस्तान की आजादी के लिए, जबकि वह जंगली लोग थे, लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे, आज वही आदिवासी हमारे खिलाफ अपना तीर कमान लेकर खड़े हैं क्योंकि आज तक आप उनको कपड़ा नहीं दे पाये, मकान नहीं दे पाये, कोई भी जिन्दगी की जो जरूरियात होती हैं उनकी व्यवस्था उनके लिए नहीं कर पाये । इसलिए मैं आपसे अपील करूगा कि आप उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें । अभी आप वहां रेलवे लाइन नहीं बिछा पाये, सड़क नहीं बिछा पाये, स्कूल नहीं खोल सके तो हमसे क्या सम्बन्ध है उनका ? कैसे हम उनके अन्दर अपने देश के प्रति देशभक्ति की और देश की एकता की बात पहुंचा सकते हैं ? आप उनके लिए एजूकेशनल इंस्टीच्यूशंस वहां पर खोल सकते थे, उनके द्वारा उनके अन्दर देशभक्ति पैदा कर सकते थे । लेकिन जब कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाए तो कैसे हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को वह अपनी सभ्यता और संस्कृति समझें ? ये जो जरूरी चीजें हैं सभ्यता और संस्कृति की, देश की आजादी का जो इतिहास है, जो शहीद देश की आजादी के लिए लड़े उनका इतिहास उनके बीच में नहीं पहुंचायेंगे तो कैसे आपके साथ वह रहेंगे ?

इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कम से कम फ्री एजूकेशन हाई स्कूल तक आप इन सातों प्रदेशों के अन्दर दिलाने की व्यवस्था करें । उनके आर्थिक विकास के लिए उनको सब्सिडाइज करें और उद्योग धन्धों को उस क्षेत्र में प्राथमिकता दें । खेती का इतना बड़ा अथाह भण्डार आप वहां बेकार कर रहे हैं । वह पूरे का पूरा जो सात प्रदेशों का क्षेत्र है उसके अन्दर मेडिसिन्स का इतना भण्डार है, वहां आप मेडिसिन्स पैदा कर सकते हैं, लाख आप पैदा करा सकते हैं उन्हीं आदिवासितों से जो लाख आपको विदेशों से 60-70 रुपये किलो इम्पोर्ट करनी पड़ती होगी । अगर सही इस्तेमाल उस क्षेत्र का आप करें तो हिन्दुस्तान के आदिवासियों का विकास होगा । उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करिए, सड़कें बिछाइए, रेलवे लाइनें बिछाइए, नहीं तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र कट कर रह जायगा । जैसा मैंने शुरू करते हुए कहा था, आज देश की एकता का सवाल है । अगर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे । विदेशी ताकतें चाहे वह चाइनीज हों, अमेरिकी हों, सी० आई० ए० हो या कोई भी विदेशी शक्ति हो, आज वह दुनिया के उन्हीं इलाकों के अन्दर पेनीट्रेट करती हैं जहां पर शिक्षा नहीं होती है, जहां पर एकोनामिक डेवलमेंट नहीं होता है ।

इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपको जरा सी भी देश की एकता के प्रति हमदर्दी है तो इनको एक रखने के लिए आप इन सुविधाओं की वहां व्यवस्था कीजिए ।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : जो यह संकल्प लाया गया है पूर्वांचल के क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह आज की स्थिति के मुताबिक बहुत ही सही है कि हमारे सम्पूर्ण देश का ध्यान उस ओर गया हुआ है। मैं उसके कारण की ओर जाना चाहता हूं क्योंकि पूर्वांचल हमारे राष्ट्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उसकी भी अपनी परम्परा राष्ट्रीयता की रही है। आजादी के आंदोलन के समय में भी सारा पूर्वांचल इस मामले में अग्रणी रहा और उसमें से बहुत से ऐसे क्षेत्र रहे जो अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। बहादुराना जिनका इतिहास रहा है उस क्षेत्र के अन्दर हम एक पिछड़ापन देख रहे हैं। उसे अभी तक हम दूर नहीं कर सके हैं। साथ ही साथ उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अलगाव के दृष्टिकोण से उसे अलग ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, या देख रहे हैं। थोड़े दिनों से यह विरोधाभास का रूप दिखाई देने लगा है और सारे देश को एक भय होने लगा है कि पूर्वांचल हमारे साथ है या हमसे विद्रोह कर रहा है। जो कुछ स्थिति वहां दिखाई दे रही है उससे उस क्षेत्र की स्थिति का उभार दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल भारत से कभी अलग नहीं होगा और जीवन और मरण में उसके साथ रहेगा, साथ ही राष्ट्र के विकास में हमारी अगुवाई करेगा।

अगर हम दृष्टि से देखें तो कुछ हमारी भूलें भी हमारे सामने आएंगी। जितने भी हमारे देश के पिछड़े इलाके हैं, केवल पूर्वांचल ही नहीं है, मध्यांचल के भी ऐसे इलाके हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ का इलाका है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का इलाका हैं, बिहार में कुछ इलाके हैं जिसमें आदिवासी और हरिजन भाइयों का बाहुल्य है, पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के भी ऐसे इलाके हैं ऐसा लगता है कि बीच में भारत का एक द्वीप बन गया है, इनके अन्दर भी वही गुण और वही स्थिति दिखाई देती हैं। मैं बस्तर के बारे में जानता हूं 1911 से वहां पर राजाशाही और अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत का झंडा उन लोगों ने उठाया, राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है ? पूर्वांचल की जैसी स्थिति उनकी भी है।

उस स्थिति को हम बदल सकते हैं। बदलने का मेरा एक मापदण्ड सामने है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे विकास का लक्ष्य अन्त्योदय होना चाहिए। यह उसका एक मापदण्ड होना चाहिए। हम कलकत्ता को अधिक विकसित देख रहे हैं या दिल्ली को हम अधिक विकसित करने का प्रयत्न करें, बम्बई के आस पास को अधिक विकसित करने का प्रयत्न करें, यह हमारे भारत के विकास-मान का स्तर नहीं होगा। स्तर वह होगा कि जो सबसे पिछड़ा है उसको सबसे प्राथमिकता दी जाये। इसी दृष्टि से सारे हिन्दुस्तान के नक्शे को देखें और पूर्वांचल को भी देखें।

पूर्वांचल उद्योग की दृष्टि से खनिज से भरा हुआ है। हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं जिससे देश का भी नुकसान कर रहे हैं और उस क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं। हम उस तरफ ज्यादा ध्यान दें। वहां हम रेलवे लाइनें दें, आवागमन की सुविधाएं दें। उसकी संस्कृति के साथ-साथ जो भारत की एक सम्पूर्ण संस्कृति है उसका ज्ञान भी उन्हें कराएं और हम भी वहां की विशेषताओं को जानें। भावों और विचारों का आदान-प्रदान पूरे तरीके से बढ़ेगा तभी जाकर इस इलाके की समस्या का अन्त होगा।

आदिवासी या हरिजनों के अन्दर या पिछड़े क्षेत्रों के अन्दर हम उन्हें भारतीयता से अधिक जुड़ा हुआ पाते हैं। उनकी संस्कृति का अध्ययन करें तो हमें साफ दिखाई देगा कि हमारी हजारों हजार साल की जो संस्कृति है वह उनके अन्दर कायम है। परस्पर प्रेम उनमें अधिक है, उनका नाच गान हमें ऐसा लगता है कि आदिवासी नृत्य और आदिवासी गान है, आदिवासी लोगों का जीवन है। लेकिन आदिवासी लोगों के जीवन के अन्दर जितनी पवित्रता है, जितना परस्पर प्रेम है उतना हममें नहीं है जो हम सभ्य कहलाते हैं तो उनके गुणों को हमें स्वीकार करना है। साथ ही साथ जो हम नयी चीजें देख रहे हैं विज्ञान के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं यह चीज हमें उनको देनी है। परस्पर सहयोग उन आधारों पर हो और उन स्थानों को हम प्राथमिकता दें। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी प्रथम वक्ता ने विचार सामने रखा हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। उसके लिए विशेष तरीके से योजना बनाएं।

बस्तर के अन्दर हमने आदिवासियों के बीच में आश्रम चालू किया है। उसके अन्दर उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम उनके माध्यम से हमने प्रारम्भ किया, नाच गान, खेल कूद के साथ पढ़ाई, खेती के साथ पढ़ाई शुरू की। उनको वनों से काफी प्यार है। उन वनों को काटने के बदले हम उसमें कुछ परिवर्तन कर दें। जो उनके खाने से सम्बन्धित चीजें हैं जैसे महुवा है, अगर उसके ऊपर हम वैज्ञानिक प्रयोग करें, महुआ के साथ हम चीकू का प्रयोग करें, दोनों के मेल से जो चीकू तैयार होगा वह स्वाद में भी बहुत मीठा होता है और बाजार में उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। तो उस झाड़ से जीवन को जीने की कला हम उनको सिखा सकते है। उससे उनके अन्दर एक नयी चीज, एक नयी स्फूर्ति आएगी। साथ-साथ पढ़ने-लिखने के बाद उनके काम की भी व्यवस्था हो। जब बस्तर में हमने आश्रम जारी किया तो वहां कोई अपने बच्चों को शुरू में भेजने के लिए तैयार नहीं था। उनको ऐसा भय लगा कि पढ़ने लिखने के बाद जो बच्चे तैयार होते हैं वह हमारी खेती के लिए, हमारी वन-उपज के लिए और हमारे जीवन के दूसरे कामों के लायक नहीं रह जाते। यद्यपि, उस आश्रम को स्थापित करने में काफी समय लगा। जब वहां पर शिक्षक देख गए और यह भी देखा गया कि बच्चे काम भी सीख रहे हैं, नए निर्माण भी सीख रहे हैं, खेती भी सिखा रहे हैं, तो जो मां-बाप अपने बच्चों को वापिस ले गए थे, जो भरती नहीं करना चाहते थे, वे लोग वापिस आ गए और उन्होंने कहा ऐसा क्या आप हमारे बच्चों को भी सिखायेंगे। उन्होंने कहा— हां, हम इसी तरह से उनको भी सिखायेंगे। अभी उज्जैन में अन्तर्राष्ट्रीय बाल-मेला लगा हुआ है, जब वहां पर विदेशी लोगों को उन्होंने गाने सुनाए, और भी कार्यक्रम किए तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि ये बच्चे बहुत होशियार हैं। ये बच्चे किसी भी देश के किसी विद्यार्थी से कम नहीं है। उन बच्चों में राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई है। विदेशी शक्तियां हमारे देश को खण्डित करना चाहती हैं। ऐसी शक्तियां जहां पर कि लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं या जहां पर उन पिछड़े इलाकों में उनको मौका मिलता है, वहां वे अपना गहरा स्थान बना रही है। वहां अपने केन्द्र बनाकर हमारे देश को विकृत करने का प्रयत्न कर रही हैं। इस तरफ भी आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए। हमें वहां की संस्कृति को प्रतिभा को, विकसित करना होगा। नहीं तो जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। असम के अन्दर असमी भाषा-भाषियों को भय पैदा हो गया है, कहीं ऐसी स्थिति यहां भी पैदा न हो जाए। ऐसी स्थिति के लिए हमारे महात्मा गांधी जी कहा करते

ये कि आप अपने कार्यकर्लापों को आदेश दे कि वे उस क्षेत्र में उनकी भाषाओं का ज्ञान करके जायें, चाहे कोई भी पिछड़ा इलाका हो, चाहे हिन्दुस्तान के किसी कौन में जाए, यदि उस क्षेत्र की भाषा की महत्व दे, तो वहां प्यार पैदा होगा। यदि वह उस क्षेत्र में व्यापार करना चाहे, उद्योग चलाना चाहे, लेकिन वहां की संस्कृति को न बिगाड़े, वहां की संस्कृति को कायम रखे। इस आधार पर यदि कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा, तो किसी तरह का अलगाव वहां पैदा नहीं होगा। शोषण की दृष्टि से न जाकर, विकास की दृष्टि से जाये, तभी वहां का विकास हो सकता है। सारे देश का शोषक वर्ग वहीं जाकर पहुंच गया है। मिलाई का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। बड़े उद्योग तो वहां खड़े हुए हैं, मगर सारे देश के शोषण करने वाले वहां पहुंच गए हैं। जो मूल निवासी है, उसकी दयनीय की दयनीय स्थिति रह गई है। जहां हम इस सदन में यह मांग कर रहे हैं कि वहां रेल लाइनें जायें, तार जाय, डाक जाय, बड़े-बड़े कारखाने खोलें जाएं, साथ ही साथ हमको वहां यह सावधानी रखनी होगी कि जिनके लिए हम वहां पहुंचा रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। उनकी संस्कृति को न मिटने दें, उनकी भाषा को न मिटने दें और उनको विकास करने क अवसर दें। इसी आधार पर उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। आज तक उनका इतिहास रहा है कि राष्ट्र की आजादी के आन्दोलन में निर्भीकता से आगे बढ़े हैं और राष्ट्र के निर्माण में भी आगे बढ़ेंगे—ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति जी, असम के सम्बन्ध में जितने भी बिल यहां पर आए हैं, उसके सम्बन्ध में पिछले एक साल से चर्चा करते आ रहे हैं। उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है और लगभग वहीं बातें अब फिर दोहराई जा रही हैं।

श्रीमन्, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि केवल उत्तर-पूर्वी भाग के पिछड़ेपन का सवाल नहीं है, बल्कि देश के बहुत से हिस्से हैं, जिनमें पिछड़ापन व्याप्त है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन फैला हुआ है, जहां-जहां पिछड़ापन फैला हुआ है, वहां-वहां किसी न किसी रूप में कमजोरी है। वहां कमजोरी है, इसलिए हमारा राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है। श्रीमन्, बहुत से स्थानों का जिक्र किया गया है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंचल से लगा हुआ तराई के इलाकों का भी जिक्र करना चाहता हूं। यह भी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। नेपाल की सीमा लगी रहने के कारण उसका अपना एक महत्व है। वहां भी विकास का कार्य होना चाहिए। यह समस्या सारे देश में फैली है। क्यों फैली है ? इसका बहुत बड़ा कारण असन्तुलित विकास भी है। हमने अपनी योजनाएं बनाते समय सन्तुलित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया और आज भी हम बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जिनमें कि सम्पूर्ण देश का ध्यान रख कर काम नहीं हो रहा है। किन्हीं स्थानों पर अधिक धन दे रहे हैं, किन्हीं स्थानों पर बहुत कम धन दे रहे हैं और जब यह कार्यवाही असन्तुलित विकास को जन्म देती है तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे लोकतन्त्र के लिए भी उत्पन्न होता है। जहां-जहां आर्थिक रूप से हम विकसित हैं, वहां-वहां प्रजातन्त्र में आस्था रखने वाले लोग हमें अधिक मिलते हैं, लेकिन जहां-जहां आर्थिक पिछड़ापन है वहां विद्रोह और हिंसा की कार्यवाही हमें देखने को मिलती है। अब जहां तक नार्थ-ईस्टर्न रिजन का सवाल है—यह अशान्ति का केन्द्र बना हुआ है। चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो या आसाम हो, वहां विदेशी षडयन्त्र भी

काफी मात्रा में पनप रहा है। अक्सर कहा जाता है कि इन स्थानों से जाकर लोग चीन में ट्रेनिंग लेते हैं, दूसरे देशों में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद हथियार उठाते है। यहां पर यह बात भी अनेक सदस्यों द्वारा कही गई है। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह उठता है कि अशान्ति क्यों फैलती है ? आप जानते हैं—आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन को भी जन्म देता है। अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं तो सामाजिक पिछड़ापन भी दूर हो जाता है। इसीलिये हम बार-बार मंडल कमीशन की रिपोर्ट तथा हरिजनों के कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं। इनको आर्थिक रूप से समृद्ध कर दिया जाय, मजबूत कर दिया जाय, तो यह विषमता नहीं रहेगी और ये सामाजिक रूप से भी ऊंचे हो जायेंगे।

हमारे देश की सीमायें बड़ी लम्बी-चौड़ी हैं। मैं अब एक अन्य प्वाइन्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे देश की सीमा बहुत विस्तृत है। दो तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर में पहाड़ों से घिरा हुआ है। हमारा पहला कर्त्तव्य था कि अपने देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिये जिन इलाकों से दूसरे देशों की सीमाएं मिलती हैं उन क्षेत्रों को मजबूत करते, वहां असन्तोष न फैले इस बात का प्रयत्न करते और जैसा मैंने पहले बार-बार कहा है—हमारा ध्यान केवल पंजाब की तरफ गया। सरदार प्रताप सिंह कैरो जब पंजाब के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने अपने लोगों को डवेलप करने के लिये बहुत काम किया, आपने भी उनको बहुत धन दिया, उनके खिलाफ आरोप लगाये जाते थे, फिर भी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि वह पंजाब को मजबूत करने का काम कर रहे थे, क्योंकि पंजाब के साथ पाकिस्तान का बार्डर मिलता है। लेकिन वह काम हम राजस्थान में, जैसलमेर में नहीं कर सके, वह सीमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है लेकिन वहां विकास कार्य नहीं हो रहा है। अगर ये विकास के कार्य नहीं होंगे तो वही हालत होगी जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा में हो रहा है, वहां भी चीन और बंगला देश की सीमायें मिलती हैं। हमें इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से हर प्रकार से समृद्ध कर देना चाहिए जिससे वहां किसी भी प्रकार का विद्रोह या अशांति की आशंका न रहे। यह एक मोटा सा सवाल है। सारे देश इस बात को करते हैं। दुनिया के सारे मुल्क इस काम को करते हैं। पहले अपने देश की सीमाओं को मजबूत करते हैं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर पानी की तरफ से हम सुरक्षित हैं तो वहां स्मगलर हमको चैन नहीं लेने देते, उनको हम रिमूव नहीं कर पाते। इधर पहाड़ों की तरफ से हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो दूसरे देश हमको हलुआ समझ कर उस रास्ते से खा जाना चाहते हैं। (व्यवधान)

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्लानिंग करते समय आप सीमावर्ती भूभाग का विशेष ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल या इससे मिली हुई नेपाल की सीमा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा है, इन सबका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अब डेढ़ दो साल से आसाम की असेंबली कभी थी, कभी नहीं थी, अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो ऐसे समय में हमको यहां आसाम की समस्या पर विस्तृत रूप से विचार करने का मौका मिला। अगर वहां विधान-सभा होती तो हम इतनी बात नहीं कर पाते। तो यह एक ऐसा समय हमको मिला है, जिसमें पूरी लोकसभा का ध्यान उनकी कठिनाइयों, आर्थिक

विषमताओं की तरफ गया है। मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी है, जिसमें इतनी बाढ़ आती है, पूरी नदी पर एक पुल बनाकर दिया है, जबकि गंगा पर अगर आप देखें तो 24 पुल बनें हुए हैं। तो कहां आप उनका विकास कर पा रहे हैं? वे आर-पार नहीं जा सकते। कब आप उनका विकास करेंगे।

मुझे खुशी है कि जब से इस समस्या को हम लोग सामने रख रहे हैं, उसके बाद बजट बढ़ाया गया है, पर केपिटा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। वहां के जीवन को सुखी बनाने के लिए आपका प्रयत्न है, लेकिन कितना अच्छा होता यदि आपका ध्यान पहले इस ओर गया होता, क्योंकि दो-ढाई साल को छोड़कर बाकी समय तो आपकी ही सरकार रही। उस समय अगर आप ध्यान देते तो आज जो स्थिति पैदा हो गई है, वह नहीं होता।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरी। कृपया बहुत संक्षिप्त भाषण दें।

श्री चित्त बसु : मन्त्री जी उत्तर कब देंगे?

सभापति महोदय : वह इसके बाद उत्तर देंगे?

श्री चित्त बसु : हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री सुधीर गिरी (कन्टई) : सभापति महोदय, मैं श्री बाजूबन रियान द्वारा लाए गए इस संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। में श्री परुलेकर, श्री चित्त बसु और प्रोफेसर रंगा तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से पूर्णतया सहमत हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं, और भी अनेक सुझाव हैं और वे सुझाव भारत सरकार को क्रियान्वित करने हेतु दिए गए थे। परन्तु हमें यह देखकर खेद है कि कई वर्षों पूर्व दिए गए सुझावों को सरकार ने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। अत: मैं भारत सरकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा न करने का पुन: आग्रह करूंगा क्योंकि हमारे देश का यह भाग रक्षा की दृष्टि से बहुत असुरक्षित है और खनिज संसाधनों की उत्पादन के लिए, जनशक्ति की दृष्टि से भी हमारे देश का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने इस भाग को विश्वास में नहीं लिया और इस प्रकार देश के उस भाग में रहने वाले लोगों की उपेक्षा की गई। उन्हें हमारे सामाजिक जीवन की प्रमुख धारा से स्वयं को सम्बद्ध करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार, उनकी उपेक्षा की गई और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी उनके उत्थान पर उचित ध्यान नहीं दिया। अब समय आ गया है कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार देश के उस भाग में विकास कार्यों पर अपना ध्यान संकेन्द्रित करे।

देश के उस भाग में इतनी अस्तव्यस्तता और गड़बड़ क्यों है? इसमें दो बातें हैं। हमारे अनेक सदस्यों ने कहा कि हम मामले को राजनैतिक रंग दे रहे हैं और राजनीति और अर्थव्यवस्था में कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु हम इस तथ्य पर जोर देते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि का सीधा परिणाम आर्थिक गतिविधि होता है। और किसी देश के या किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादन

सम्बन्धों से राजनीतिक गतिविधि को निश्चय ही गति मिलती है। देश के पूर्वी भाग में आज हम देखते हैं कि वहां पर विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं। हम अखंड भारत के पक्ष में हैं। हम नहीं चाहते कि देश के विभिन्न भाग अलग-अलग हो जाएं। हम एक भारत चाहते हैं और वह भी एक समेकित भारत। परन्तु वहां पर लोगों की विभिन्न शिकायतें हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए।

वहां पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान की कमी है देश का वह भाग विकसित संचार प्रणाली से भली-भांति सम्बद्ध नहीं है। वहां पर बड़े पैमाने पर रेल प्रणाली चालू की जानी चाहिए ताकि उन्हें सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रणाली सुलभ कराई जा सके। वहां पर मानवजातीय समूह के लोगों के विरुद्ध भेदभाव है। वहां पर बड़ी संख्या में शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। उनकी शिकायतें इतनी अधिक हैं कि वे उनको लेकर वहां के अनपढ़ लोगों से विद्रोह करवा सकते हैं और उनसे अपनी विचारधारा मानने को कह सकते हैं। अत: उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहियें।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के लोग काफी समय से स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उनको स्वायत्तता का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि उनको स्वतन्त्रता दी जाये। परन्तु संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही उनको कुछ स्वायत्तता दी जाये जिससे कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें अन्यथा लोग हिंसात्मक तरीकों से अपनी शिकायतें सामने रखेंगे और उनको दबाना बहुत मुश्किल होगा। अत: मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस बात को देखा जाये कि वहां पर कृषि और उद्योग का विकास हो और आदिवासी लोगों को अपनी जमीनों के अधिकार बहाल किये जायें। संकल्प का समर्थन करते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ये सभी कदम प्रभावी रूप से उठाये जायें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस प्रकार के संकल्प में किसी प्रकार की अन्तर्विरोधी बात अथवा विरोध की बात नहीं हो सकती क्योंकि हम सब बात से सहमत हैं कि अंग्रेजों द्वारा यह क्षेत्र आरम्भ में पिछड़ा रखा गया और हम अभी तक उस पिछड़ेपन को समाप्त नहीं कर सके हैं। इस समस्या के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू यह है कि 1947 में देश के बंटवारे के पश्चात क्षेत्र की वर्तमान भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह उस क्षेत्र को देश के शेष भाग के साथ चहुंमुखी एकता तथा उसके विकास के रास्ते में बाधा है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का तो क्या कहना वहां की छोटी नदियों और नालों पर भी बांध नहीं बनाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र को बाढ़ों तथा बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र तथा अन्य छोटी नदियों को बांधने एवं उनसे पन बिजली पैदा करने से उस क्षेत्र का सम्पूर्ण स्वरूप बदला जा सकता है।

चूंकि उस प्रकार के इलाके में सड़कों के निर्माण पर बहुत अधिक लागत बैठती है इसलिए यदि बिजली की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध हो तो पहाड़ी क्षेत्रों को रज्जूमार्गों के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। जब उस क्षेत्र में काफी मात्रा में बिजली उपलब्ध होने लगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से

काफी मात्रा में बिजली मिल सकती है, तो वहां से बंगाल एवं देश के अन्य भागों को भी वहां से बिजली दी जा सकती है। बड़ी नदियों को बांधने के अतिरिक्त छोटी नदियों तथा नाला से भी पन बिजली पैदा की जा सकती है। मेरे विचार से इस बारे में विलम्ब नहीं होना चाहिए। अतः इस बारे में शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए। यद्यपि ब्रह्मपुत्र पर बड़ी परियोजनाओं पर समय लग सकता है, इसलिए ऐसी छोटी योजनाएं तत्काल आरम्भ की जानी चाहियें जिनसे थोड़े समय में अर्थात दो-तीन वर्षों में अथवा एक ही वर्ष में परिणाम प्राप्त हो सकें। कुछ ऐसे नाले हैं जिनसे एक साधारण से जैनरेटर, टरबाईन और कंट्रोल चैनल से पन बिजली पैदा की जा सकती है और वह बहुत सस्ती भी होगी।

दूसरा उस क्षेत्र का सांस्कृतिक पहलू है। भारत के मूल लोग, जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत महान है। उस संस्कृति के संरक्षण और उसके भूतकाल के साथ उसको जोड़ते हुए वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके विकास की आवश्यकता है। उस कार्य के लिये केन्द्र सरकार को कोई निश्चित कदम उठाना होगा।

उस क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं, ऐसी समस्यायें जिनके लिए उन पर दोष नहीं डाला जा सकता, वह समस्यायें ऐसी हैं जो उनको ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण और बंटवारे के कारण विरासत में प्राप्त हुए हैं और उनके लिए हम उत्तरदायी हैं।

जहां तक आसाम में गड़बड़ी का प्रश्न है उनकी मांग के कारण देश को कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है। जो कुछ वह मांगते हैं हम पूरी तरह उससे सहमत नहीं हो सकते परन्तु उनके मन में जो बातें हैं उनके पीछे जो कारण हैं, वह कारण समझ में आने वाले हैं। अतः हम अपनी आत्मा की आवाज के साथ यह नहीं कह सकते कि आसाम की समस्या उनकी स्थानीय समस्या है और यह हमारी समस्या नहीं है। आसाम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वह समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है और सारे देश की समस्या है। मेरे विचार से विशेषरूप से वर्तमान परिस्थितियों में, जब राज्य सरकार काम नहीं कर रही, आसाम के संसद सदस्य इस सभा में नहीं हैं और उनके स्थान रिक्त हैं, इस सभा को सर्वसम्मति से तथा इस केन्द्र सरकार को उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह हमारा इस संसद का, केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि इस बात को देखा जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि बिजली एवं संचार व्यवस्था के सम्बन्ध में, यातायात मार्गों सहित जैसा मैंने सुझाव दिया है, आसाम का चहुंमुखी विकास होना चाहिए और उसके लिए बिजली उत्पादन करने की परियोजनायें शीघ्रतापूर्वक आरम्भ की जायें ताकि उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकें।

श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यह इलाका प्राकृतिक स्रोतों, सम्पदाओं के साथ साथ कोयला व चाय तथा वन-सम्पदा से भरा पूरा है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। यही कारण है कि आज विगत दो वर्षों से अधिक समय से वहां के लोग आन्दोलन के रास्ते पर हैं। वहां के लोग उत्पीड़ित होने से पिछड़ेपन

के कारण आन्दोलन के रास्ते पर आये हैं। उनके हक और उनकी सुविधाएं दूसरे हड़प कर जाते हैं, इसलिए वह इसके विरोध में आन्दोलन चला रहे हैं।

वहां ब्रह्मपुत्र बोर्ड पर कई वर्षों से विधेयक पास हुआ है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने दिनों में ब्रह्मपुत्र के विकास के सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? सारे देश में ऊर्जा शक्ति की कमी है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र के जल का जिस तरह से हिसाब-किताब दिया है, उससे पूर्वोत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग ऊर्जा से लाभान्वित हो सकता है। जितनी छोटी-छोटी स्टेट्स उधर हैं, उनकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं।

कोयला, मिट्टी का तेल तथा और जो साधन हैं, वह जहां पर उपलब्ध हैं, वहां कारखाने नहीं लगाये गए हैं। वहां के लोकल लोगों को उद्योगों में नहीं लगाया गया है, बाहर के लोग वहां आकर बस गये हैं। वहां के लोगों को पिछड़ा छोड़ दिया गया है। वहां के हजारों लोग पचासों वर्षों से चाय के बागानों में काम करते हैं, लेकिन उनको बगल की भूमि बन्दोबस्ती के रूप में नहीं दी जाती है ताकि उनको रोजगार मिल सके और उनके परिवार का पालन हो सके। उनकी लैंड के डैवलपमैंट का भी सरकार को विचार करना चाहिये। एक-एक परिवार में 5, 5 और 7, 7 व्यक्तियों को जीविका का आधार नहीं मिलता है। इस दृष्टिकोण से वहां के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

उस क्षेत्र में रेलवे लाइन, सड़कों का भयंकर अभाव है। इस दिशा में भी सरकार को योजनाबद्ध प्लानिंग करनी चाहिए और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को टाइम बाउन्ड योजना से विकसित करना चाहिए।

धन्यवाद।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं इस संकल्प को पेश करने वाले तथा चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि मैं उनके द्वारा दिये गए सभी सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं। मैं केवल कुछ का ही उल्लेख करूंगा।

इस समस्या की मूल जड़ यह है और हम सब इस बात से सहमत हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष व्यवहार की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के पश्चात मैंने पाया है कि केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि की है और इस सभा में भी यह विचार व्यक्त किया गया है परन्तु माननीय सदस्यों को यह आशंका है कि क्या क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित भारी राशियों का उपयोग विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यह दो समस्याएं हैं। मैं इस समस्या के राजनैतिक पहलू का उल्लेख करूंगा, कुछ ऐसी शक्तियां हैं। समाज विरोधी शक्तियां और राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो उस क्षेत्र में एक प्रकार का असन्तोष पैदा कर रही हैं और स्थिति का अपने प्रयोजनों के लिए लाभ उठाना चाहती हैं। मैं उस पहलू का बिल्कुल उल्लेख नहीं करूंगा। मैं उस क्षेत्र से आने वाले सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार को अपनी सलाह दें। हम उस क्षेत्र के लिए आवं-

टन बढ़ाने के लिए अपने अथक प्रयास कर रहे हैं और विकास गतिविधियों पर निकट से नजर भी रख रहे हैं। हम लोग राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के निष्पादन बजट बनाने का बराबर अनुरोध करते रहे हैं ताकि वित्तीय नियतन को वास्तविक निष्पादन से जोड़ा जा सके जो वास्तव में आगे जुड़े हुए क्षेत्र को दिया जायगा और अखिल भारतीय आधार पर न सही, किन्तु कम से कम पड़ौसी क्षेत्र के समतुल्य तो हो सकेगा।

मेरा विचार है कि यह अनुचित न होगा यदि मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूं कि वे अपना सहयोग प्रदान करें और इस मामले को राजनैतिक पुट देने की चेष्टा न करें।

वस्तु-स्थिति यह है कि केवल राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आप स्थिति का लाभ उठाना चाहें तो दलों को उस क्षेत्र में अपनी राजनैतिक गतिविधि त्यागने के लिए मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। आपके समक्ष आर्थिक प्रगति भी हैं और आपकी राजनीति भी, किन्तु हमें उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है। किन्तु यदि केवल राजनीति चलती रही तो मुझे भय है कि एक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि हमें लोगों को यह समझाना कठिन हो जायगा कि वे अपने को सम्पूर्ण देश का एक अंग समझें और वे प्रथमकतावादी प्रवृत्ति की भावना को त्याग दें। मेरे विचार से इस मामले के बारे में दो राय नहीं होनी चाहिये।

विरोधी पक्ष में बैठे राजनैतिक दलों के बारे में भी मेरा विचार है कि उनकी भी राय इससे भिन्न नहीं होगी। वे लोग एकता और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहेंगे। मेरे विचार से प्रथकतावादी गतिविधि को बढ़ावा देने में उनकी रुचि नहीं हैं। यदि ऐसी बात है तो हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि क्षेत्र के विकास के लिए जितनी राशि का नियतन किया गया है। उसके एक एक पैसे का सदुपयोग हो। किसी प्रकार के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन को पूर्णत: बंद कर दिया जाये और माननीय सदस्यगण सरकार की जानकारी में कोई बात लाना चाहेंगे तो संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से कोई सुधारात्मक उपाय करके हमें प्रसन्नता ही होगी। उस क्षेत्र की सभी विकासशील गतिविधियों को समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए मैं अपना लिखित उत्तर पढ़ना चाहूंगा :

वास्तव में, सरकार ने इस मामले को पहले से अपने हाथों में ले लिया है। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों के परिणामस्वरूप गत समय में ये क्षेत्र कम विकसित हो पाये हैं और स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से इन क्षेत्रों की ओर हम लोग विशेष ध्यान देते रहे हैं ताकि ये क्षेत्र देश के अन्य भागों के समतुल्त आ सकें। इस दिशा में हमें पर्याप्त सफलता मिली है और अधिकाधिक प्रगति के लिए हमारे प्रयत्न जारी हैं। उदाहरण देकर मैं यह बता सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिए क्या-क्या विभिन्न उपाय किये गये हैं और क्या-क्या किये जा रहे हैं।

क्षेत्र की विशेष स्थिति और उसके संबंधित पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के राज्यों/संघ क्षेत्रों को केन्द्रीय योजना सहायता के नियतन के प्रयोजन के लिए राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्र के राज्यों के मामले में केन्द्रीय सहायता की 90 प्रतिशत राशि अनु-

दान के रूप में दी जाती है। असम को छोड़कर केवल 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जाती है जहां यह पैटर्न केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू होता है। देश के अन्य राज्यों तथा पहाड़ी इलाकों को छोड़कर असम राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता का पैटर्न 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ क्षेत्रों की योजनायें पूर्णरूपेण केन्द्रीय सरकार की निधि से पूरी की जाती हैं।

इस क्षेत्र के राज्यों और संघ क्षेत्रों की योजनाओं को भारी सहायता देने के साथ-साथ पूर्वोत्तर परिषद् जनजाति क्षेत्रों और असम पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल परिव्यय 2387 करोड़ रुपया आता है जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय, जो 919 करोड़ रुपया था, का ढाई गुना हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाब से इस क्षेत्र के लिए परिव्यय की राशि 1219 रुपये है जबकि सम्पूर्ण भारत के लिए 891 रुपये है। पूर्वोत्तर परिषद योजना, असम पहाड़ी उप क्षेत्र और जनजाति उपक्षेत्र में परिव्यय की राशि की गणना करते हुए इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति परिव्यय की राशि 1447 रुपये आती है। ये आंकड़े स्वयं प्रमाण हैं।

समग्र रूप से समन्वय के रूप में इस क्षेत्र के विकास कार्य को देखने के लिए पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना 1971 में की गई थी। यह परिषद् एक परामर्शदात्री निकाय है और आधारभूत ढांचे के विकास तथा क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए इसे अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर परिषद् के लिए छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय की राशि 340 करोड़ रुपये है जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए यह राशि 90 करोड़ रुपये थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित किये जाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री के अनुरोध पर अप्रैल 1980 में मंत्रियों की एक समिति बनाई गई थी।

मैं यहां केवल इस बात का उल्लेख करूंगा कि कुछ प्रमुख विकास परियोजनायें या तो पूरी हो चुकी हैं अथवा पूरी की जा रही हैं। तेजपुर के निकट 67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का भूमोरगुड़ी में सड़क पुल का निर्माण आरम्भ हो चुका है और उसके 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पंचरत्न और गौहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर रेल लाइन सहित जोशीझोपा में सड़क व रेल पुल का निर्माण सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। क्षेत्र को विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों से जोड़ने के लिए छः नई रेल लाइनें अनुमोदित कर दी गई हैं और उन पर कार्य आरम्भ हो गया है। उनके पूरा होने पर प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में कम से कम एक रेलवे स्टेशन बनाया जायगा।

बोंगड़गोन से गौहाटी के जोड़ने के लिए एक बड़ी रेल लाइन बनाई जा रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : वह तैयार हो रही है, मैं कह नहीं सकता। इसके अलावा 100 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर गौहाटी डिब्रूगढ़ मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन (540 कि० मी०) में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी गई है। क्षेत्र में छः नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं और उनके विकास के लिए अनुमानतः 40 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। उत्तर पूर्व में सड़कों के जालकार्य के विकास पर पूर्वोत्तर परिषद् भी विशेष ध्यान देती है और छठी योजना के दौरान यह परिषद् केवल सड़कों के लिए 109 करोड़ की राशि प्रदान करने जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तृतीय स्तर की एयर लाइन चालू हो चुकी है और अधिकाधिक स्थानों को हवाई सेवा द्वारा जोड़ने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं।

छठी योजना में 1980-85 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से बिजली के उत्पादन की व्यवस्था की गई है।

योजना में जिन परियोजनाओं को शामिल किया गया है, उनकी संस्थापित क्षमता पांच वर्ष में, जो 1979-80 में 334 मेगावाट थी, से बढ़कर 1984-85 में 1003 मेगावाट होकर तिगुनी हो जायेगी। इतनी ऊंची दर पर बिजली का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को शीघ्रता से दूर करने की प्रबल इच्छा इस बात से प्रमाणित है कि 1980-85 के दौरान बिजली का औसतन मिश्रित उत्पादन क्षमता लगभग 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है जबकि अखिल भारतीय उत्पादन लक्ष्य केवल 11 प्रतिशत है।

केन्द्रीय और क्षेत्रीय विद्युत परियोजनाओं के चालू हो जाने के साथ, आगामी दो या तीन वर्षों में इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता आज की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक हो जायेगी। त्रिपुरा सहित इस क्षेत्र के इलाकों में बिजली के पारेषण का प्रबन्ध किया जा रहा है। मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा के लिए भी एक वैकल्पित विद्युत संयोजन की व्यवस्था करने के लिए पारेषण परियोजना पर पहले से कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में उपलब्ध जल विद्युत शक्ति के दोहन के लिए राज्यों, पूर्वोत्तर परिषद और केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत सारी जल विद्युत योजनाओं की जांच-पड़ताल की जा रही है।

इस क्षेत्र में कागज उद्योग के विकास की सर्वोत्तम संभावना है। तथापि प्रमुख बाधा आधारभूत ढांचे की कमी की है। असम के संयुक्त क्षेत्र के जोगीझोपा में एक कागज परियोजना चल रही है और दो और परियोजनाएं···

श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय···

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आप पहले उत्तर पूरा करने दें और इसके बाद प्रश्न पूछें तो यह बेहतर होगा।

सभापति महोदय : उन्हें पहले उत्तर देने दीजिये, इसके बाद आप पूछिये।

श्री एस० बी० चव्हाण : असम में अनुमानतः 215 करोड़ रुपए की लागत पर सिल्चर और नौगांव में निर्माणाधीन हैं। प्रबन्ध, कच्चा। माल आदि विभिन्न प्रकार की बाधाओं के कारण 100 करोड़ रुपयें की अनुमानित लागत पर नागालैंड के तुली में 100 टन प्रतिदिन की एक कागज परियोजना में अभी उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है।

इस क्षेत्र के अन्य राज्य/संघ क्षेत्र कागज परियोजना लगाने को उत्सुक हैं। आधारभूत ढांचे सम्बन्धी समस्याओं के कारण हर स्थान पर बड़ी कागज परियोजना स्थापित करना सम्भव नहीं है। इसी अवसर पर क्षेत्र में उद्योग के लिये संभावना का पता लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसीलिये, इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में छोटे कागज संयन्त्र स्थापित करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद ने विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है।

पूर्वोत्तर परिषद के अधीन इस क्षेत्र में एक कागज मिल की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक चूना संयन्त्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। 500 टन प्रति दिन की अनुमानित लागत 3.5 करोड़ रुपयें होंगी।

इस क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन की संस्थापित क्षमता, इस समय लगभग 4 लाख मीट्रिक टन की है जिसकी तुलना में उनकी उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख टन प्रति वर्ष है। इस समय 930 टन प्रतिदिन की स्वीकृत उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट संयन्त्र चेरापूंजी (राज्य क्षेत्र-मेघालय) में और बोकाजन में (600 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली केन्द्रीय परियोजना) हैं। पूर्वोत्तर परिषद ने 269 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक दस वर्षीय सीमेंट योजना तैयार की है जिससे क्षमता बढ़कर 1985 तक 7.5 लाख मी० टन, 1987 तक 19.5 लाख मी० टन और 1990 तक 31.5 लाख मी० टन हो जायेगी। इस योजना की जांच-पड़ताल हो रही है। पूर्वोत्तर परिषद छठी योजना 1980-85 के अन्तर्गत चार लघु सीमेंट संयन्त्रों को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से एक (30 टन प्रतिदिन) संयन्त्र अरुणाचल प्रदेश के तेजू स्थान में स्थापित किया जायेगा और जिस पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। अन्य संयन्त्र नागालैण्ड (50 टन प्रति दिन), मणिपुर (30 टन प्रति दिन) और असम (200 टन प्रति दिन) में स्थापित किये जायेंगे। इनमें से पहले दो संयंत्रों की परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

इसके अलावा पूर्वोत्तर परिषद के अधीन 8 लाख रुपये अनुमानित लागत का 12 टन प्रति दिन की उत्पादन क्षमता वाला पोजलाना सीमेंट संयन्त्र त्रिपुरा में स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है।

क्षेत्र के परम्परागत उद्योग यथा हथकरघा, रेशम उत्पादन, और हस्तशिल्पों के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर हथकरघा, और हस्तशिल्प निगम की स्थापना की जा चुकी है। बीज, स्थान (अधिक ऊंचाई वाले स्थानों सहित), प्रशिक्षण, रीलिंग केन्द्र, नर्सरी, ग्रेनेज आदि जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की व्यवस्था करके पूर्वोत्तर परिषद रेशम उत्पादन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता रहा है।

202 करोड़ रुपये की लागत वाला बोईगांव पेट्रो-केमीकल कमप्लेक्स 1985 तक चालू

हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक कार्यबल ने इसका परीक्षण किया और उसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1981 में प्रस्तुत की। हाल में ही असम सरकार ने बी० आर० पी० एल० से लिये गये डाउन स्ट्रीम उत्पादनों के आधार पर असम में उद्योगीकरण की संभावना पर एक "ऐप्रोच पेपर" प्रस्तुत किया है जिसमें 700 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के प्रस्ताव शामिल है। विभिन्न संगठन/विभाग इस "ऐप्रोच पेपर" की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। तथापि, कार्य आरम्भ कर दिया गया है और बी० आर० पी० एल०, पथालिक एन्हाइड्राइड परियोजना से पोलीस्टर रेशे के आधार पर असम में चार नये कताई मिल स्थापित करने तथा राज्य योजना के अधीन वाणिज्यिक करघों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। वस्त्रोद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र में हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थापित करने की व्यवस्था की गई है। राज्य की 1982-83 की वार्षिक योजना में बी० आर० पी० एल० उद्योगों के लिए 2 75 करोड रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी।

देश के अन्य भागों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता 15 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सहायता 20 प्रतिशत है।

हमें इस क्षेत्र में यातायात के साधनों की कमी के बारे में जानकारी है जो इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में एक बाधा है और इसके लिए सिलीगुड़ी से कच्चे माल और तैयार माल को लाने ले जाने के लिए यातायात हेतु राज सहायता देने की भी एक योजना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिलीगुड़ी से निश्चित स्थल और निश्चित स्थल से सिलीगुड़ी तक यह राज सहायता रेल भाड़े की 50 प्रतिशत है।

इस क्षेत्र से माल लाने ले-जाने के लिए भाड़े में 6 प्रतिशत की छूट देने के लिए राज सहायता 1 अप्रैल 1981 से देने के बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी है। माल भाड़े में यह छूट लगभग 2 करोड़ रुपये वार्षिक की होगी। कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिजों का पता लगाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एन० ई० सी० योजना में ऐसी आठ योजनाएं हैं।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

यह भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग और उस क्षेत्र के राज्यों के भूगर्भ-विभागों के कार्य के अतिरिक्त हैं। मणिपुर में एक रीजनल मेडिकल कालेज खोला गया है और इस क्षेत्र में किसी उपयुक्त स्थान पर इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा रीजनल फार्मेसी इन्सटीच्यूट (त्रिपुरा) और ग्रेजुएट नर्सिंग कालेज (आसाम) भी खोले जा रहे हैं।

जनशक्ति के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपरोक्त रीजनल मेडिकल कालेस, ग्रेजुएट नर्सिंग कालेज, और रीजनल फार्मेसी इन्स्टीच्यूट के अतिरिक्त एन० ई० सी० रीजनल कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, जुड़ीशियल आफीसर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट और एक पुलिस अकादमी खोल रही है। इटानगर में रीजनल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी खोलने का भी निर्णय किया गया है। अब तक, एन० ई० सी० ने लगभग 1000 छात्रों को क्षेत्र से बाहर

स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को पूरा करने में मदद की है और लगभग इतने ही लोगों को सेवा कालीन प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध किए हैं।

इस क्षेत्र में दूर-संचार प्रणाली का विकास करने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। और इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सूक्ष्म तरंग प्रणाली शुरू हो गई है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक और माइक्रोवेव योजनाओं को चलाने की मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों को उपग्रह संचार से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल और अगरतला में भूमिगत स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन्साट एक-ए० जब पूरी तौर से काम करने लगेगा तो इन स्टेशनों से काम शुरू हो जायेगा, एजवाल में पहले से ही एक भूमिगत स्टेशन है।

इस क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के काम को बढ़ाने का निर्णय किया गया है और इस दिशा में काम शुरू हो गया है।

इस क्षेत्र में कृषि और उद्यान के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में हमें जानकारी है क्योंकि यह क्षेत्र लोगों के मुख्य जीवन यापन के क्षेत्र हैं। मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन बहु-फसल देने के लिए भूमि का विकास, भूम नियन्त्रण उपायों, उद्यान विकास, फल संरक्षण उत्पादों के मार्केटिंग की सुविधाओं जैसी विशेष योजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

क्षेत्र के विशाल कृषि और उद्यान संसाधनों के विकास में सहायता करने के लिए आवश्यक संरक्षण और विपणन सुविधाएं प्रदान करके नोर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई है। फलों और सब्जियों के संरक्षण के लिए माडर्न बेकरीज भी सिल्चर में एक यूनिट स्थापित कर रही है।

यह क्षेत्र पशु पालन के लिए बहुत उपयुक्त है और एन० ई० सी० रीजनल इक्सोटिक पिग ब्रीडिंग फार्म, रीजनल केटिल ब्रीडिंग-कम-डिमोनस्ट्रेशन फार्म, रीजनल फोडर सीड प्रोडक्शन फार्म, रीजनल गोट ब्रीडिंग फार्म, रीजनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटोरी इत्यादि जैसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रही है।

दिल्ली में मंत्रियों की समिति ने हाल में आयोजित बैठक में इस क्षेत्र में कम से कम एक माह के लिए खाद्यान्न का एक संचलित भंडारण का विकास करने के बारे में निर्णय किया है।

जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में आवासीय और शहरी विकास का सम्बन्ध है यथा, बागान श्रमिकों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवासीय योजना और छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के समेकित विकास, दो योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रमों के माध्यम से जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्र शुरू करने में केन्द्र सहायता दे रहा है।

हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं को चलाने और मूल्यांकन

करने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि विकास में यदि कोई बाधा आ रही हो तो उसका पता चलाया जा सके। इन बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इस दिशा में मंत्रियों की समिति, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, का बहुत महत्व है और यह इसमें बहुत सहायक है।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले, मैं विशेष रूप से त्रिपुरा के विकास के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि त्रिपुरा के एक माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश किया है। विकास के मामलों में हमारे दिलो-दिमाग में त्रिपुरा का ध्यान भी है। धरमनगर-कुमारघाट रेल लाइन का विकास किया जा रहा है। आगे कुमारघाट से अगरतला तक के सर्वेक्षण की तैयारी की जा रही है। धरमनगर-अगरतला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका दर्जा बढ़ाकर श्रेणी-I कर दिया गया है और इसके रख रखाव की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा में एक पटसन मिल लगाई गयी है और एक दूसरी पटसन मिल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की त्रिपुरा को वलित (फोल्डिड) पट्टी में तेल और प्राकृतिक गैस की काफी सम्भावनाओं का पता चला है। वे बारामुरा, रोखिया, गोजालिया इत्यादि जैसे अनेक स्थानों पर खुदाई कर रहे हैं। बारामुरा में पर्याप्त गैस का पता चला है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस वर्ष तक 40,000 क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करने की सम्भावना का संकेत दिया है।

क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी योजनाएं लगभग पूरी होने वाली हैं और आगामी दो या तीन वर्षों में त्रिपुरा में बिजली सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाएगा और राज्य के पास तब अतिरिक्त बिजली हो जायेगी। इसके अतिरिक्त बारामुरा, त्रिपुरा में 10 मेगावाट क्षमता का गैस पर आधारित ताप संयंत्र को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी और आर्थिक सहायता की मंजूरी दे दी है। अभी इसकी मंजूरी की जांच की जा रही है। गुमटी जल-विद्युत योजना यूनिट-तीन, जो वर्ष 1982-83 में काम करना शुरू कर देगी, इससे राज्य की अधिष्ठापित क्षमता में 5 मेगावाट की वृद्धि हो जायेगी।

इनका उल्लेख तो उदाहरण के तौर पर किया गया है। त्रिपुरा के माननीय सदस्य स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा के तेजी से सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है।

माननीय सदस्य श्री चित्त बसु द्वारा रखे गए मुद्दों पर भी दो शब्द बोलना चाहूंगा। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए खेद के साथ जानना चाहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को किस प्रकार पिछड़ा क्षेत्र माना गया है। मेरे विचार से इस मामले में किसी के विचार दूसरे से अलग नहीं हैं। लेकिन मैं केवल एक मुद्दे पर उनकी शंका को दूर करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि वे मेरे दृष्टिकोण से सहमत होंगे। उन्होंने ऋण और जमा धनराशि के अनुपात का विशेष रूप से उल्लेख किया है, उन्होंने अनेक राज्यों के उदाहरण दिए और इस बात का उल्लेख किया कि यद्यपि उनकी जमाराशि बहुत कम है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनको जो अग्रिम धनराशि दी गयी है वह बहुत अधिक है। मैं श्री चित्त बसु से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जहां पर जमाराशि बहुत

अधिक हो और उन्होंने कोई प्रस्ताव पेश किया हो तथा जिसे बैंक ने लेने से इन्कार कर दिया हो। यदि ऐसा कोई मामला है तो निश्चित रूप से आपके पास एक बहुत अच्छा मामला है। यह मामला बैंक सम्बन्धी मामला है और बैंकों ने प्रस्ताव मंजूर करने की परवाह नहीं की। परन्तु यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो फिर केवल आंकड़ों का उल्लेख करने और अन्य क्षेत्रों में जमा तथा ऋण के अनुपात के बारे में इतना हो-हल्ला मचाने से कोई लाभ नहीं है। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है यद्यपि केन्द्र सरकार ने इतना अधिक कहा है उन्होंने इस बात की जांच करने की परवाह नहीं की है कि ऋण की राशि बहुत अधिक बढ़ गई है। जब माननीय सदस्य ने वाणिज्यिक बैंकों की अनेक शाखाएं खोलने के दूसरे दिन वित्त मन्त्री से प्रश्न पूछा था मैं वहां पर था। उन्होंने सारी स्थिति का ब्यौरा दिया था। बैंकों को प्रस्ताव पेश किए बिना भी शाखायें खोली गई हैं; बैंकों को खोलने से ही स्थिति में सुधार हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। इस समस्या को माननीय सदस्यों को स्थानीय लोगों के साथ उठाना होगा और यदि बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव पेश किया गया है। और बैंक ने उसे नामंजूर कर दिया है तब आपको यह कहने का अच्छा मौका है "यह एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां ऋण देने की जरूरत है और यद्यपि भारत सरकार ने निदेश जारी किए हैं परन्तु वे (बैंक) निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं" यदि ऐसे कोई मामले लें, तो उन्हें अपने हाथ में लेते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। हमें ऐसे मामलों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में निश्चित रूप से विकास होना चाहिए।

कुल देशी उत्पादन और अन्य आंकड़ों जैसे अन्य मुद्दों के बारे में मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। जिनका यहां पर उल्लेख करना जरूरी हो। मैंने न केवल राज्य सरकारों, केन्द्र-शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर परिषद द्वारा वहां पर चलाई जा रही विकास की गतिविधियों का विवरण देने का भरसक प्रयास किया है बल्कि केन्द्र सरकार की तरफ से और केन्द्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं का विवरण भी दिया है। यदि इस पर उचित ध्यान दिया गया और यदि माननीय सदस्यों ने इस पर पर्याप्त रुचि ली और इस बात पर निगाह रखी कि वहां पर खर्च किए जा रहे धन का सही उपयोग हो रहा है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह क्षेत्र कम से कम संभावित समय में विकसित न हो, बशर्ते कि हमारी निष्ठा हो।

मेरे विचार से माननीय सदस्य अब अपने प्रस्ताव पर अधिक जोर नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है जिनको वहां पर चलाया जा रहा है। और जो वास्तव में उस क्षेत्र में विकास के लिए बहुत प्रभावोत्पादन साबित हो रही हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया अपने संकल्प को वापस ले लें क्योंकि भारत सरकार इस मामले पर पूर्णतया चिंचित है।

धन्यवाद।

श्री चित्त बसु : महोदय, क्या मैं कुछ स्पष्टीकरण ले सकता हूं। मैंने एक सुझाव दिया था कि पूर्वोत्तर परिषद के अलावा और राज्य सरकारों के योजना के लिए तंत्र के अलावा क्या योजना आयोग का विचार कोई योजना तैयार करवाने या योजना के निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए कोई अन्य एजेंसी रखने का है ?

प्रो० पी० जी रंगा : मैंने किसी दिन सुझाव दिया था कि उस क्षेत्र के लिए लघु योजना समिति बनाई जानी चाहिए। संभवतया वह समझते हैं कि पूर्वोत्तर परिषद से प्रयोजन हल हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि वह पर्याप्त होगा। मेरे मित्र श्री चव्हाण उस समय इसकी पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी थे।

अन्य सुझाव यह है कि वहां एक निगम होना चाहिए जैसाकि रायलसीमा के लिए हम और अजमेर क्षेत्र के लिए भी बहुत समय पहले एक विकास बोर्ड रखा करते थे—एक ऐसा निगम होना चाहिए जिसे पर्याप्त धनराशि दी जाये और जो किये जा रहे कार्य पर निगरानी रखे तथा जिसमें योजना आयोग के साथ-साथ सम्बन्धित सरकारों का प्रतिनिधित्व होगा। मुझे यह मालूम नहीं है कि इन तीन-चार दिनों या एक सप्ताह के दौरान इस पर कोई विचार किया गया हो, यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कम से कम इस पर विचार किया जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मन्त्री महोदय के भाषण में एक तथ्य सम्बन्धी त्रुटि है। उन्होंने कहा है कि अशोक पेपर मिल्स का जोगीघोपा एकक चल रहा है। यह एकक बन्द कर दिया गया है और इसे बन्द करने के कारण क्योंकि यह रामेश्वर नगर पेपर यूनिट के लिए लुगदी का उत्पादन कर रहा था, रामेश्वर नगर यूनिट भी बन्द हो गया है। अत: जोगीघोपा और रामेश्वर नगर दोनों ही एकक बन्द हैं और उद्योग मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने परसों यह उत्तर दिया था।

सभापति महोदय : यदि कोई त्रुटि हो गई है तो वह इसे देखेंगे और सभा को बतायेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : दो मुद्दे उठाये गये हैं। एक श्री चित्त बसु ने उठाया है और दूसरा हमारे आदरणीय मित्र, प्रो० रंगा ने उठाया है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या उस क्षेत्र के लिए विकास निगम की स्थापना पर कोई ध्यान दिया गया है। जैसा कि आपको भली-भांति मालूम है ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें बनाया गया है और जब तक कि राज्य सरकारें स्वयं ऐसे प्रस्ताव की मांग नहीं करेंगी तो मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार को अपने आप पहल करनी चाहिये मानो उसे, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में पहल करनी होती है, मेरी अपनी आशंकाएं हैं कि क्या इसे उचित ढंग से समझा जाएगा और क्या क्षेत्र के विकास तथा संविधान के अधीन जो शक्तियां और प्राधिकार उनको हैं उनमें परस्पर टकराव नहीं होगा। पूर्वोत्तर परिषद निश्चय ही यही प्रयोजन हल करती है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा समूचे क्षेत्र के समान विकास के प्रमुख उद्देश्य के लिए बनाई गई है और यदि राज्य सरकारें स्वयं इन मामलों, जो वस्तुत: समूचे क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्व के हैं, में कोई कार्यवाही नहीं करती हैं तो पूर्वोत्तर परिषद उचित मंच है जहां इन मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए और यदि कार्यवाही करती है, तो केन्द्रीय सरकार की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया होगी। मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पर अब और ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता है।

इसके बाद, मुझे खेद है कि मुझे यह याद नहीं रहा कि श्री बसु क्या चाहते हैं...

श्री चित्त बसु : क्या योजना आयोग के अलावा आपका कोई और एजेंसी बनाने का विचार है ? मेरी जानकारी है कि पूर्वोत्तर परिषद केवल सलाहकार निकाय है और यह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है।

श्री एस० बी० चव्हाण : निगरानी प्राधिकरणों के बाहुल्य से समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

हम किसी स्तर तक निगरानी रख रहे हैं। प्रशासनिक मन्त्रालयों के अपने निगरानी सैल हैं। पूर्वोत्तर परिषद बनी हुई है। यद्यपि यह सलाहकार निकाय ही है। तथापि यह बहुत ही प्रभावी निकाय है। यद्यपि इसे सलाहकार निकाय का स्वरूप ही दिया गया है तथापि यह अधिक प्रभावी निकाय है और यह उस क्षेत्र में निश्चित रूप से कार्य करती है। समूचे क्षेत्र के विकास की दृष्टि से मैं नहीं समझता कि एक और निगरानी प्राधिकरण बनाना और स्थिति को जटिल बनाना उचित होगा।

मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा उठाये गये मुद्दे को देखूंगा।

*श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आरम्भ में दोनों पक्षों, विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और मेरे संकल्प को सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान किया है। उन सभी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं की ओर समूची सभा की चिन्ता प्रकट करने तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में जोरदार विचार व्यक्त किये।

परन्तु मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री महोदय ने, निकट भविष्य में इस क्षेत्र के लिये जो कुछ करने का विचार है उसकी सूची पढ़ने के बाद मुझसे अपना संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने हमारे समक्ष जो कार्यक्रम रखे हैं उनपर मुझे संदेह है कि इनका भी वही परिणाम होगा जो हमने विगत में अनुभव किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के बारे में उल्लेख किया। अब प्रश्न यह है कि क्या इस क्षेत्र के राज्य पूर्वोत्तर परिषद के अधीन कार्य करेंगे या पूर्वोत्तर परिषद उनके अधीन कार्य करेगी ? यह मूल प्रश्न है। केन्द्र उस क्षेत्र में पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहा है वे सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। उनके अनेक स्थानों पर फलदायक परिणाम नहीं निकल रहे हैं। पूर्वोत्तर परिषद में तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या अपेक्षित संख्या से बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्र द्वारा किये गये निर्णय या की गई कार्यवाही लम्बे प्रयोग के बाद अपर्याप्त पाई गई।

महोदय, त्रिपुरा में आज भी 81 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतर लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इस स्थिति में शीघ्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु लम्बे समय से कुछ नहीं किया गया है। अब इस सभा में इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकृत करके इस क्षेत्र के विकास के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को हम सुदृढ़ कर सकते हैं, हम उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जो मशीनरी वहां है उसे सुदृढ़ कर सकते हैं और हम उन सभी स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये श्रम-शक्ति प्रदान करेंगे। माननीय मन्त्री महोदय ने उस सबके लिये कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। महोदय, अतः; मैं इस संकल्प को वापस

*बंगला में दिये गये मूल भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लेने में असमर्थ हूं।' मन्त्री महोदय ने कहा है कि त्रिपुरा के लिये पटसन मिल की स्थापना की जाने वाली है। परन्तु मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा में उत्पादित कच्चे पटसन से ऐसी 4 पटसन मिलों को कच्चा माल मिल सकता है। परन्तु जैसे-तैसे करके एक मिल चल रही है। महोदय, इस समय त्रिपुरा में कोई लघु उद्योग नहीं है। वहां कृषि पर निर्धारित अनेक लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। मैंने पहले अपना संकल्प प्रस्तुत करते समय यह बताया था। मैंने कहा था कि त्रिपुरा में रबड़ भारी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है और तत्परिणाम-स्वरूप रबड़ पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं परन्तु मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में इस बारे में कुछ नहीं कहा। महोदय, त्रिपुरा में खर-पतवार, जिसे 'साइट्रोनेला ग्रास' कहते हैं, प्रचुर मात्रा में उगती है। उस घास से तेल निकाला जा सकता हैं और उस तेल की सहायता से अनेक अन्य वस्तुएं उत्पादित की जा सकती हैं। महोदय, समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि पर आधारित तथा खनिजों पर आधारित अत्यधिक प्राकृतिक सम्पदा है। मन्त्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिये उनका विचार इनका किस प्रकार उपयोग करने का है।

महोदय, अपना संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने बताया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या-क्या खनिज उपलब्ध हैं और उनपर आधारित क्या-क्या उद्योग वहां लगाये जा सकते हैं। मैंने इस क्षेत्र के व्यापक अध्ययन अथवा सर्वेक्षण के लिये अनुरोध किया था ताकि आने वाले दिनों में प्रगति धीरे-धीरे आरम्भ हो सके। परन्तु जो कुछ कहा गया है उससे मुझे विश्वास नहीं हो पाता कि सरकार वाकई पूर्वोत्तर क्षेत्र की कोई प्रगति या विकास करना चाहती है।

महोदय, आप सभी को मालूम है कि आदिवासियों के लिये त्रिपुरा में ओटमा जिला परिषद गठित की गई है। उस क्षेत्र के सभी लोगों, चाहे वे बंगाली हों या पर्वतीय लोग, ने चुनावों के माध्यम से उस परिषद का गठन किया है। त्रिपुरा सरकार ने उस जिला परिषद को चलाने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है। परन्तु अभी तक तो एक पैसा भी मिला नहीं है। इन सभी बातों से क्या मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूं कि केन्द्र त्रिपुरा के साथ इस-लिये सौतेला व्यवहार कर रहा है क्योंकि त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चा दलों की सरकार है? केन्द्र में जो दल सत्ता में है वह त्रिपुरा सत्ता में नहीं है। क्या इसीलिये उसे कोई धनराशि नहीं दी जायेगी?

महोदय, हमने त्रिपुरा के लिये गैस पर आधारित तापीय विद्युत केन्द्रों के बारे में कहा है। परन्तु मन्त्री महोदय ने इनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। इस समय यह प्रस्ताव किस स्थिति में है? कम से कम वे परियोजना पर काम तो शुरू कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम इसी वर्ष विद्युत उत्पादन की आशा कर रहे हैं। परन्तु हम कार्य आरम्भ कब तक कर पायेंगे? मैं अपने स्कूल के दिनों से ही सुन रहा हूं कि त्रिपुरा में कागज मिल स्थापित की जायेगी। यहां तक कि वह अभी तक प्रस्ताव की स्थिति में ही पड़ा है। यह सम्भावनाओं से परिपूर्ण है परन्तु अभी तक बन नहीं रही है।

इन्हीं कारणों से मैं यह संकल्प वापस नहीं ले सकता हूं जैसाकि मन्त्री महोदय ने अनुरोध किया है और मैं इस पर मतदान के लिये जोर देता हूं।

महोदय, मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या वे सभी सदस्य, जो इस संकल्प के पक्ष में बोले हैं और अपने भाषणों में इसका समर्थन किया है वे भी इसके पक्ष में मत देते हैं या उनमें से कितने सदस्य दुरंगी नीति अपनाते हैं।

सभापति महोदय : मैं अब प्रस्ताव को मतदान . लिए रखता हूं। जो सदस्य पक्ष में हों, कृपया वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

सभापति महोदय : जो सदस्य इसका विरोध करते हैं, वे 'ना' कह सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : ना।

सभापति महोदय : 'ना' कहने वाले अधिक हैं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, 'हां' कहने वाले अधिक हैं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कराई जाएं—

दीर्घाएं खाली हो गई है। प्रश्न यह है कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए विपुल क्षमता और कच्चा माल उपलब्ध है, उद्योग स्थापित करके और उस क्षेत्र को रेल मार्गों, संचार साधनों तथा परिवहन व्यवस्था से जोड़कर उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"सरकार के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन की महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सभा सिफारिश करती है कि सभी स्तरों पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की प्रगति पर निरंतर नियन्त्रण और निगरानी रखने, प्रगति में बाधा डालने वाले कारणों और तत्वों का पता लगाने और उन गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु सरकार के नियन्त्रणाधीन एक दिशा-निदेशक निकाय स्थापित किया जाये।"

महोदय, यह प्रस्ताव हमारे समाज में त्वरित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर आधारित है।

अपने प्रस्ताव के समर्थन में, मैं आपको अपने स्वतन्त्रता-संघर्ष के इतिहास का स्मरण कराना चाहता हूं। हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई का उद्देश्य और लक्ष्य यह था कि हम एक समतावादी समाज की स्थापना करें और लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करें, जैसाकि अब संविधान में उल्लिखित है। यदि मुझे लोकतांत्रिक पद्धति का इतिहास खोजना पड़े, तो मुझे आजादी की लड़ाई के दिनों तक झांकना पड़ेगा तथा इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना के बाद की अवधि को देखना होगा।

हाल में हमारी प्रधानमन्त्री ने देश में शीघ्र ही सामाजिक आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कुछ दिन पहले ही, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने सभी सचिवालयों को यह निर्देश दिया है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलम्बकारी बाधक तत्वों, अन्तर-मन्त्रालय अड़चनों का पता लगाएं तथा इसके साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी नीति-सुझावों के बारे में दो महीने के भीतर-भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कुछ महीने पहले प्रधानमन्त्री की सचिवों के साथ हुई बैठक के बाद यह निदेश जारी किया गया। प्रधानमन्त्री का निर्देश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकतान्त्रिक प्रणाली में कोई बुराई नहीं है, यह तो केवल नौकरशाही तथा इसके काम करने का ढंग है, जिसे समझना वास्तव में कठिन है।

आजादी के बाद गत 35 वर्षों की अवधि में हमारी विकासात्मक गतिविधियों तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की गति राजनीतिक निर्णयों पर आश्रित रही है। राजनीतिक स्वतन्त्रता में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में समाज के कल्याण तथा लोगों की गरीबी के पंजे से मुक्त कराने और देश की शीघ्र उन्नति की बात अन्तर्निहित है। मेरे प्रस्ताव के पीछे यही भावना है और हमारे संविधान की भावना भी यही है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रहूंगा, यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूंगा। उन्होंने हमारे देश में योजनाएं शुरू करके एक इतिहास बनाया है। गत पैंतीस वर्षों के दौरान हमारी कितनी ही योजनाएं बनी, हमने कितने ही प्रस्ताव पारित किए तथा असीमित चर्चाएं कीं, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अब भी कुछ करना शेष है। जहां तक नौकरशाही, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी है, द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं।

जैसाकि मैंने अभी बताया है, हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति में कोई खामी नहीं है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विभिन्न कार्यक्रमों को ठीक-ठीक और तेजी से क्रियान्वित किया जाए। हाल में संसदीय पद्धति पर 'ओरियन्टेशन' सेमिनार को सम्बोधित करते

हुए हमारी प्रधानमन्त्री ने लाल फीताशाही को 'हरित' में परिवर्तित करने का आह्वान किया था। दिनांक 21 जनवरी, 1981 को 'टर्न रैड टेप इन-टु ग्रीन' शीर्षक से 'एम० पी० क्रोनिकल' भोपाल में यह प्रकाशित हुआ है :

> "लाल फीते को काटने की अपील इतनी पुरानी है कि इसे सिकन्दर के समय तक देखा जा सकता है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लाल फीता, जो 'गोरडियन नॉट' नहीं है, एक ही झटके में नहीं काटा जा सकता है।
>
> केन्द्रीय सचिवालय में एक फाईल की दैनिक प्रगति पर लार्ड कर्जन ने एक विशेष तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की थी। लेकिन उसकी इस टिप्पणी के बावजूद, एक मेज से दूसरी मेज पर उसी यथावत फैशन में ही सरकार की कार्यवाही चलती रही। लार्ड कर्जन ने अपनी उस प्रसिद्ध टिप्पणी में लिखा था कि जिस प्रकार पृथ्वी अपने कक्ष में चक्कर लगाती है, उसी प्रकार फाईल भी स्थिर, लेकिन निश्चित रूप से चक्कर लगाती मेरे पास आ पहुंची और अब मेरे से इस पर निष्कर्ष के रूप में टिप्पणी लिखने का आग्रह किया गया है। मैं उन लोगों को कैसे सजा दे सकता हूं, जो अपनी इस भयानक भूल के लिए जिम्मेदार हैं।"

महोदय, आजकल प्रशासन में लालफीताशाही और विलम्ब की बुराई चारों ओर व्याप्त है। अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के सन्दर्भ में भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

महोदय, हमने अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को बड़ी गम्भीरता से शुरू किया है। इस देश की प्रधानमन्त्री ने यह घोषणा की है कि इस देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाए जायेंगे। इस बीस सूत्री कार्यक्रम को नीचे से लेकर उच्चतम योजना निकाय तक पूर्ण-रूपेण क्रियान्वित करना है तथा राज्यों में और राज्यों के प्रशासन में और इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न निचले स्तरों पर भी इसको कार्यान्वित करना है।

महोदय, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। इस देश की नीति की घोषणा करते समय राजनीतिक निकाय द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं। लेकिन महोदय, दु:खद बात तो यह है कि इसे नौकरशाही का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। अत: प्रश्न यह है कि अपनी सामाजिक-आर्थिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य में राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद अब हमारी क्या स्थिति है। क्या नौकरशाही सम्बन्धी विलम्ब और लाल फीताशाही के ढांचे में कोई अड़चनें हैं ? मैं अंग्रेजों द्वारा विरासत में दिए गए नौकरशाही-सिस्टम की यहां आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात पर अवश्य बल देना चाहता हूं कि इस पद्धति को सामाजिक आवश्यकताओं, समाज की मांगों और जरूरतों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए तथा इसे हमारे देश में हरित-क्रान्ति लाने तथा देश से गरीबी हटाने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का विदोहन करने में मदद देनी चाहिए। महोदय, यह वह चुनौती है जो कांग्रेस ने नेहरू के समय से लेकर अब तक स्वीकार की है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अनेक प्रगतिशील निर्णय लिए हैं। महोदय, विभिन्न राज्यों में तथा इस संसद

में भी कानूनों के माध्यम से विभिन्न प्रगतिशील विचारों और भावनाओं को कार्यान्वित करने के उपाय किए गए हैं तथा उन्हें विधि का दर्जा दिया है। लेकिन महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें समाज में परिवर्तन लाने के लिए पूर्ण-रूपेण कार्यान्वित किया गया है ? इसकी जांच करने की आवश्यकता है। इसी भावना से मैंने इस सभा के विचारार्थ यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

महोदय, अब मैं नौकरशाही के काम करने के तरीके के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह एक आम भावना है कि निष्ठा और दक्षता, दोनों प्रकार से सरकारी प्रशासन में गिरावट आई हैं तथा इसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। महोदय, मैं नौकरशाही अथवा नौकरशाही पद्धति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी आम भावना की बात बता रहा हूँ, जो चारों ओर व्याप्त है। जब तक आप इसकी जड़ को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक इस प्रक्रिया को नहीं उलटा जा सकता है। और जब तक हम इस प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तब तक समाजवाद की स्थापना का हमारा लक्ष्य एक स्वप्न ही रहेगा।

इस दृष्टि से मेरी मुख्य आलोचना हमारे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक विलम्ब के खिलाफ है। इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है : अनुचित विलम्ब और निर्णय लेने में जटिल प्रक्रिया, जनसाधारण के साथ व्यवहार में उदासीनता और अशिष्टाचार का रवैया।

महोदय, हम एक लोकतांत्रिक ढांचे और एक स्वतन्त्र समाज में हैं। हमने अनेक कानून बनाए हैं और उन्हें राज्य विधान सभाओं तथा संसद में पारित हो जाने के बाद नौकरशाही के हाथों सौंप दिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम स्थिति के केवल दर्शक हैं अथवा क्या हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी है जो इस स्थिति की निगरानी करे कि क्या सामाजिक रूपान्तरण के लिए उन कानूनों का उनकी मूल भावना में और समुचित तरीके से कार्यान्वयन किया गया है। महोदय, हमारे पास विशालतम प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे यहां लम्बी नदियां हैं, विपुल खनिज सम्पदा है। वन सम्पत्ति और जनशक्ति है। लेकिन समस्या है कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, प्रशासन का रवैया विलम्ब और लाल फीताशाही का है जिसके परिणामस्वरूप हमारा आर्थिक विकास उस गति से नहीं हुआ है जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन हम विलम्ब को कम करना चाहते हैं और अपने विकास कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने और हमारे समाज में अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी प्रशासनिक प्रणाली हमारे निर्णय लेने वाले संगठन अर्थात राजनीतिक प्रणाली के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। इसलिए, हम एक सार्थक परिवर्तन चाहते हैं। इस संबंध में श्री सी० एस० शेषाद्रि को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है :

"सरकारी प्रशासन में बहुत अधिक विलम्ब का मूलभूत कारण, राजनैतिक तथा अन्य सामान्य बातों के अलावा पुराने उपकरण और प्रणालियां हैं। प्राथमिकता के किन्हीं विचारों के बिना घिसेपिटे तरीके से कार्य को निपटाने की प्रवृत्ति है।"

योजना मन्त्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहना चाहा था कि प्राथमिकतायें निर्धारित की जानी हैं।

सिचाई समस्या की हमें जाँच करनी चाहिए। हमें देश की जल नीति पर विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ लम्बी-लम्बी नदियां हैं। लेकिन उपलब्ध जल समुद्र में बेकार जा रहा है। सभी नदी विवाद स्थगित पड़े हैं और नौकरशाही द्वारा उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। या तो वे न्यायिक न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में रुके पड़े हैं अथवा अन्यत्र कहीं लटके हुए हैं। इन निर्णय लेने वाले निकायों की बैठकें होती रहती हैं और ये किसी निर्णय पर पहुँचने में लम्बा समय लगा देते हैं। हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए तीस वर्षों से ज्यादा समय हो गया है लेकिन नदी विवाद अभी तक नहीं निवटाये गए हैं। जल नीति के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें विलम्ब के कारण, सिचाई परियोजनाएं एक दम रुक गयीं हैं। और उसके परिणामस्वरूप हम हरितक्रान्ति का लक्ष्य प्राप्त करने, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने और अपनी जनता में से गरीबी दूर करने में अक्षम रहे हैं। सम्बद्ध अधिकारी नदी तटीय अधिकार भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। श्री शेषाद्रि यह भी कहते हैं :

> "सरकारें कुछ समय से प्रशासन की समस्याओं से भी अवगत रही हैं। अनेक प्रशासी सुधार आयोग, प्रशासी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और लोक प्रशासन के सरकार द्वारा प्रवर्तित भारतीय संस्थान, ये सभी समस्याओं के प्रति सजगता के प्रमाण हैं।"

इन संस्थानों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की भरमार कर दी गई है, लेकिन इस सबके बावजूद प्रशासी सेवाओं ने विलम्ब को समाप्त करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए हैं लम्बे समय से कार्य कर रही पुरानी मशीनरी को हटाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए हैं प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ही प्रर्याप्त नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट हमारे-पास रही है, उन पर विचार-विमर्श और व्याख्यान होते रहे हैं। लेकिन उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ ? प्रशासनिक प्रणाली में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। फाइलें उसी मन्थरगति से चल रही हैं।

श्री शेषाद्रि ने और आगे कहा है :

> "....इन सभी का अत्यन्त कम प्रभाव रहा क्योंकि इनकी प्रवृति अत्यन्त सामान्य तौर पर सोचने की थी और ऐसे अवसरों पर भी, जहां कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें होती हैं, वे उनको गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। अधिकांश राज्य और केन्द्र सरकारों के पास लम्बे समय से संगठन और पद्धति अनुभाग रहे हैं, लेकिन उनका प्रशासन पर नाम मात्र का प्रभाव रहा। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक निभाग का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए और उनकी कार्यकुशलता और प्रभावीपन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय तैयार किए जाएं। नियंत्रण की पद्धति के अत्यधिक भ्रम है। ढांचे का पुनर्गठन और आधुनिक प्रबन्ध की शुरूआत बिना किसी आमूलचूल परिवर्तन के की जा सकती है। यद्यपि इन उपायों से सभी समस्यायें हल नहीं होंगी, उनसे कुछ सीमा तक प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा की जा सकती है।"

यद्यपि हमें ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम प्रशासन की अमेरिकी पद्धति

अर्थात सचिवों का चयन अथवा निर्वाचन करने की पद्धति को नहीं अपना सकते। लेकिन फिर भी यदि हम प्रशासनिक नियम तैयार करने में आधुनिक तरीके अपनाने के लिए और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर फाइलों के तेजी से आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।

हम सब कुछ हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लालफीताशाही की ओर संसद का उतना ध्यान नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए। हमेशा की तरह इस बार भी इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। हमें जनतान्त्रिक रूप से कार्य करते हुए समाज को बदला है, जिसके द्वारा एक समतावादी समाज की स्थापना हो सके, एक ऐसे वास्तविक स्वतंत्र समाज की स्थापना हो सके जो प्रशासनिक—चतुराई और योग्यता के साथ हमारे संसाधनों का उपभोग कर सके और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ सके, धन का बटवारा ठीक-ठीक हो सके। हमारे पास कच्चे माल का अपार भंडार है किन्तु उसे बराबर-बराबर बांटने के लिए कोई ऐसा निकाय नहीं है जो सही निर्णय ले सके और इस प्रकार प्रशासन की देरी के कारण अपनी जनता की आवश्यकता के अनुरूप हम कुछ भी उत्पादन नहीं कर पाते।

यदि हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यम ढंग से कार्य करें तो सरकारी क्षेत्र प्रणाली के माध्यम से हमें 450 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें भारी घाटा हो रहा है जैसाकि प्राक्कलन, समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उद्यमों पर गठित समितियों की रिपोर्टों से ज्ञात होता है। इन सभी रिपोर्टों से पता चलता है वही पुरानी लाल फीताशाही चल रही है और जिसके कारण प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। इसलिए, इस प्रकार की होने वाली देरी को समाप्त करना होगा और उन्हें दूर करना होगा। जब तक इन बातों को नहीं रोका जाएगा हमारे समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे देश में जो लाल फीताशाही चल रही है, उसके लिए हमारा वर्तमान ढांचा उत्तरदायी है। सरकारी पत्राचार में भारी-भारी टिप्पणियां लिखी जानी हैं। हमारे उप-सचिवों और सह सचिवों को पता है कि हमारी नौकरशाही प्रणाली में टिप्पणी और ज्ञापनों का ढेर लगाने की बहुलता है जिसे कम करना बहुत कठिन नहीं है। डेस्क से डेस्क के बीच आपस में बातचीत करके प्राय: कई घंटों और दिनों का पत्राचार का कार्य निपटाया जा सकता है। देश में व्याप्त वर्तमान जनतांत्रिक अव्यवस्था के लिए भी लाल फीताशाही उत्तरदायी है। प्रशासन पुनर्गठन की सभी प्रणालियों की जांच इस बात से होती है कि कार्य शीघ्रता से और कुशलतापूर्वक निपटता है अथवा नहीं। जब फाइल निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंचती है जो थोड़ी सी गतिविधि के लिए बहुत सारा समय लग जाता है। इसलिए, क्यों न बाचचीत की प्रणाली अपनाई जाये और इस बात का ध्यान रखें कि काम में लगने वाली देरी को कम किया जाए। मैंने जो कुछ पहले कहा था उ पुन: दोहराता हूं कि प्रशासन के पुनर्गठन की सभी प्रणाली की जांच इस बात से होती है कि कार्य शीघ्रता से और कुशलतापूर्वक निपटता है अथवा नहीं। साधनों का ढंग से अनुपालन करते हुए कोई अन्त को भूल सकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे सिविल कर्मचारी, यहां तक कि उच्च स्तर के अधिकारी तक केवल नियन्त्रण और संतुलन बनाये रखने की प्रणाली को अपनाये हुए हैं। यह प्रणाली को उन

क्षेत्रों में भी अपनाई जाती है जहां यह पहले से विद्यमान है। यह प्रणाली इसलिये भी अपनाई जा रही है जिससे कि राजनैतिक आलोचना और दबाव से वे स्वयं को सुरक्षित रखा जा सके।

यहां तक कि हमारे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति भी नियन्त्रण और संतुलन की मौजूदा प्रणाली को बनाये रखने के लिए नये नियम बनाकर प्रशासन की सहायता करते हैं। राज्य स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक विभिन्न स्तरों के माध्यम से प्रशासन में लोगों को नियुक्त करने में हमारी नियुक्ति की नौकरशाही प्रणाली इसमें प्रमुख भूमिका अदा करती है। प्रशासन में उसका बहुत बड़ा हाथ है और इससे निपटना बड़ा कठिन काम है। आज सचिवालयों में यही नौकरशाही प्रणाली व्याप्त है—विभिन्न स्तरों पर, राज्य स्तर पर और यहां तक कि निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक इसका बोलबाला है। इसलिए, इस राजनीतिक प्रणाली में पवित्रता कहां से हो सकती है ?

हमारी प्रधानमन्त्री का कहना उचित ही है। इसीलिये उन्होंने समाज में परिवर्तन के लिये 20-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया है। अतः, हम समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। यदि हमें वैसा करना है तो हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा और हमें प्रशासन में सार्थक परिवर्तन करने होंगे। यह किसी एक दल या दूसरे दल का प्रश्न नहीं है। यह विपक्ष और सरकार का उत्तरदायित्व है। अतः इस बारे में किसी मतभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है, जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, किसी भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की कोशिश करे। अतः अफसरशाही द्वारा राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक निर्णयों का समर्थन किया जाना होगा और उनके कार्यकरण के इस भाग को लोकतांत्रिक मंचों पर लिये गये हमारे राजनीतिक निर्णयों के अनुरूप होना होगा। बाल की खाल निकालने में हमारी कुशलता के करण अनेक प्रशासकों ने नियन्त्रण एवं सन्तुलन वाली हमारी विद्यमान व्यवस्था में नये नियम जोड़ दिये हैं। गत चालीस वर्षों में मूल अधिकारों का बहुत अधिक विस्तार हो गया है। प्रत्येक नियम 10-12 वर्षों के बाद बदल दिया जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया जाता है, भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर दिया जाता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर दिया जाता है और अनेक संशोधन किये गये हैं। और इनका क्या परिणाम निकला ? क्या नियमों में किये गये इन संशोधनों से व्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन आया है या इससे समाज में कोई परिवर्तन आया है ? इसे इस संकल्प की भावना से निर्णीत करना होगा। यह विरोधाभास है कि बहुत ही कम अत्यन्त पुराने और पुराने नियम हटाये जाते हैं।

मैं एक दिन उस राजनीतिक विकास का उल्लेख कर रहा था जो हमने प्राप्त किया है। आज प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में हमारे अत्यधिक संसाधन हैं। उदाहरण के लिये हमारी टेलीफोन व्यवस्था को लीजिए। यह बताया गया है कि हमारा टेलीफोन विभाग अभी भी उच्चस्तर का द्योतक है और ब्रिटिश काल के कुछ नियम प्रचलित हैं। मैंने उल्लेख किया था कि इन नियमों में परिवर्तन किया जाए।

लेकिन अभी तक विभाग आरंभ से उन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। इसलिए आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए कुछ परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। पहला काम प्रशासनिक दक्षता को सुधारना है और पुरानी तथा अनावश्यक प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। लेकिन प्रशासक अन्तर्राज्यीय सम्मेलनों, अन्तर मंत्रिपरिषद बैठकों, अन्तर राजनैतिक सम्मेलनों जैसे सम्मेलनों में भाग लेते रहते हैं लेकिन कार्य प्रणाली में कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए पुरानी और अनावश्यक प्रक्रिया को हटा दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। आज हमने कौनसी विस्तृत जांच की है? आज हमारे पास जांच के लिए क्या व्यवस्था है? योजना आयोग के माध्यम से हमने पेय जल के लिए, गांवों के सुधार के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, बिजली के लिए और इसी तरह की अन्य योजनाओं के लिए हजारों रुपए मन्जूर किए हैं। लेकिन, यहां पर दोनों पक्षों के सदस्य अभी भी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनके क्षेत्र के गांवों में सड़कें और कुएं नहीं हैं और इसी प्रकार की अन्य शिकायतें करते हैं। बी० डी० ओज० क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरीज क्या कर रहे हैं? अधिकारीगण क्या कर रहे हैं? राजनैतिक प्रणाली का संचालन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राजनीतिज्ञ—उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं यह कहते हुए प्रस्ताव रखते है, वयस्क मताधिकार प्रणाली में परिवर्तन करने और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव लाते हैं। वह एक कल्पनालोक बन गया है। हम भाषण देते हैं लेकिन जब हम अपने गांवों में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, ऐसा इसलिए होता है सुझाव अधिकारियों की फाइलों में रह जाते है और अधिकारीगण हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन के बारे में सोचते हैं। हम अधिनियमों को बनाने के बाद प्रशासकों को सौंप देते हैं और फिर हम उन लोगों की कृपा पर निर्भर करते हैं, और इस प्रकार लोगों को उन कानूनों के परिणामों के लिए वर्षों तक इन्तजार करना पड़ता है। लोगों को न्याय के लिए उन अधिकारियों के पास जाना होगा। इसलिए प्रशासनिक ढांचे में इस प्रकार का परिवर्तन बहुत उपयोगी हैं। मैं नौकरशाही की आलोचना नहीं कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए भी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं।

श्री सुनील मैत्रा : तब आप यह किस बात की आलोचना कर रहे हैं?

श्री के० लकप्पा : मेरा कहना है कि इस व्यवस्था का विकास होना है, मैं नौकरशाही की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था की आलोचना कर रहे है।

श्री के० लकप्पा : मेरे विचार से आप इस पर विश्वास नहीं करते। मैं इसे जानता हूं। वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उनका ढंग ही अलग है। वे लोकतन्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। वे सिर्फ खून-खराबा और हिंसा में विश्वास रखते हैं। जब वे ऐसा चाहते हैं तो वे कहेंगे कि हम लोकतन्त्रवादी हैं। किन्तु हम जानते हैं कि वे लोगों को किस तरह पाठ पढ़ा रहे हैं और उस क्षेत्र में लोग किस तरह से दुःखी हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि भारी कार्यभार वाले स्थानों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वे दिन के सबसे अधिक कामकाज के घंटों में पब्लिक काउन्टरों की आकस्मिक जांच करें। किसी विशेष काउन्टर पर अस्थायी रूप के असामान्य अधिक काम को पूरा करने के लिए उन्हें कर्मचारियों को पुनः तैनात करना चाहिए। यदि कार्य का भार स्थायी रूप से चलते रहने की आशा हो तो तत्काल अतिरिक्त काउन्टर खोले जाने चाहिए।

सभी कार्यलयों में सरकारी तन्त्र को सरल बनाना जरूरी है। हमने क्या किया है? हमने कार्यालयों में और व्यक्तियों की नियुक्तियां की हैं। उसका परिणाम यह है कि वहां और अधिक नौकरशाही विलम्ब होता है। इसलिए इस समय इस बात की जरूरत है कि भर्ती प्रणाली को सरल बनाया जाये और विलम्ब को कम से कम किया है। अनेक सरकारी विभागों में जांच और काउंटर-जांच की जानी है ताकि यह देखा जाये कि वहां प्रशासकीय विलम्ब तो नहीं है।

हमने कई दिशाओं में विशेषकर बिजली की सप्लाई और बिजली बोर्ड के कार्यकरण की ओर अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न राज्यों में हम उन बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रख रहे हैं, जिन्हें घाटा हो रहा है। हम न केवल पनबिजली विद्युत केन्द्रों के संगठनात्मक ढांचे में सुधार ला रहे हैं बल्कि ताप बिजली तथा परमाणु विद्युत केन्द्रों में भी सुधार ला रहे हैं। लेकिन सम्पूर्ण व्यवस्था को यह देखना है कि यह ठीक से काम कर रहा है, विभिन्न राज्यों में उत्पादित बिजली बराबर बांटी जा रही है और उसका उपयोग देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए किया जा रहा है। आज भी बिजली क्षेत्र में असंतुलन है। कुछ क्षेत्रों में यह काफी मात्रा में है और अन्य क्षेत्रों में इसका अभाव-सा है। इसलिए हम प्रशासनिक तन्त्र में ठोस परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि वहां हमारे आधारभूत ढांचे, कच्चे माल और ग्रामीण संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और उत्पादों का उचित वितरण किया जा सके।

नागरिक कर्मचारी लोगों का दुःख महसूस करने में असमर्थ हैं या उनकी कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक देखने में असमर्थ हैं। वे साम्प्रदायिकता की जड़ों को, जाति के विरोध करने के घातक स्वरूप को अथवा ग्रामीण नौकरशाही की मूल आवश्यकता को नहीं समझ सकते हैं। परिणामस्वरूप, नौकरशाही को प्रगतिकारी परिवर्तन के लिए एक प्रभावी बल के रूप में काम करना होता है। आज निर्धनतम लोगों की गिरती हुई सामाजिक-आर्थिक दशाओं के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इन परिणामों को प्राप्त करने हेतु अधिक अनुभवहीन व्यक्तियों को नौकरियों पर रखा गया है। यही वह प्रणाली है जो इसे रोकती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रशासन उन लोगों के हाथ में है जो इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध तकनीकी व्यक्तियों, जो इसके लिए प्रशिक्षित होते हैं, के हाथ में नहीं हैं, बल्कि केवल शासन-प्रवृत्ति के आई० ए० एस० अधिकारियों के हाथ में है, जो तकनीकी मामलों पर निर्णय लेते हैं। यह इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने अनेक बार यह कहा है कि ऐसे संगठनों में प्रशासनिक सुधार करके और प्रशासनिक विलम्ब को दूर करके

प्रणाली में कोई सार्थक प्रभाव लाने के लिए तकनीकी व्यक्तियों को लगाया जाए जिससे तेजी से परिणाम प्राप्त हों।

नौहैरशाही के संचालन के लिए अनेक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारियों को उच्चत्तर अर्हता और प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाता है ताकि इस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके। लेकिन यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि क्या इन प्रशिक्षित लोगों को जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें संगठन में उस कार्य पर लगाया गया है, ताकि औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध के मामलों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके, विशेषकर उत्पादकता वर्ष में, विलम्ब को दूर किया जा सके।

यद्यपि ये परिवर्तन नितान्त आवश्यक हैं, तथापि यह दुर्भाग्य की बात है कि अनेक सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध उन लोगों के हाथ में है जो उस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं और इससे प्रशासनिक विलम्ब होता है। अतः समूची प्रणाली को देश की आर्थिक दशा के अनुरूप बनाने के लिए बदलना होगा। प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन करने होंगे ताकि प्रशिक्षार्थी अधिकारियों में मानवीय दृष्टिकोण का विकास किया जा सके जिससे वे यह न महसूस करें कि वे बाहर के व्यक्ति हैं बल्कि लोकतान्त्रिक प्रणाली के ही अंग हैं।

प्रत्येक अधिकारी में लोकतांत्रिक भावना तथा समाज के राजनैतिक परिवर्तन के लिए दृढ़ इच्छा उत्पन्न करनी होगी, जैसा कि संविधान में परिकल्पित है। जब तक हमारे अधिकारियों में वह भावना पैदा नहीं की जाती, तब तक प्रशासनिक-सुधार आयोग द्वारा दिए गए सभी सुझाव तथा इस समय दिया जा रहा सभी प्रशिक्षण एक ढोंग होगा। अतः भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य-संचालन की प्रणाली में कर्तव्य के प्रति निष्ठा, लोगों के प्रति निष्ठा, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की समझ-बूझ के प्रति निष्ठा तथा भाईचारे की भावना पैदा करनी होगी।

संघ लोक सेवा आयोग और भारतीय प्रशासन अकादमी को नियुक्ति और प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रणाली तैयार करनी होगी जिससे अधिकारियों में उस समाज की स्थिति की वास्तविकताओं को समझने की भावना हो जहां उन्हें तैनात किया जाना है। जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर तैनात अधिकारियों में श्रद्धा, त्याग आदि लोगों से मेल-जोल बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। ऐसा करने के बजाय हम ऐसी नियुक्ति और प्रशिक्षण नीति का अंधानुकरण कर रहे हैं जो हमें ब्रिटिश शासन काल से विरासत में मिली है, जो एक बिल्कुल अलग उद्देश्य के लिए थी।

इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए हरसम्भव प्रयास किए जाने होंगे कि अधिकारियों को उन्हीं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, जो हम देश में लाना चाहते हैं। अधिकारियों में लोगों के साथ घनिष्टता की भावना होनी चाहिए और उन्हें त्याग की भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। यह पूरे प्रशासन, नीचे से लेकर ऊपर तक आवश्यक है। जब तक यह भावना नहीं होगी, तब तक लोग यही पाएंगे कि वे इन अधिकारियों की दया पर हैं।

निर्णय लेने का अधिकार उनके पास होता है। हम उनकी दया पर हैं। और इसे राजनीतिक प्रणाली की शह मिलती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आप अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : अनुसंधानात्मक विवरण···

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब, हम आधे घण्टे की चर्चा लेंगे।

श्री बी० वी० देसाई—अनुपस्थित।

सभा 16 तारीख के 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

5-41 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 अगस्त, 1982/25 श्रावण, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-153